(1)

राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक : 7]		नवीं विधान सभा के सातवें सत्र का दसवां दिवस		[संख्या : 6

शुक्रवार,

25 सितम्बर, 1992

राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही पूर्वाह्न 11.00 बजे विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री हीरासिंह चौहान, उपाध्यक्ष, पदासीन।)

तारांकित प्रश्नोत्तर

श्री उपाध्यक्ष : श्री नन्दकिशोर शर्मा।

कांकोणी दर्शनीय स्थल पर व्यय

187. **श्री नन्दकिशोर शर्मा(छबड़ा)**: क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या इस वर्ष छबड़ा विधान सभा क्षेत्र में कांकोणी दर्शनीय स्थल पर सरकार 5 लाख रुपये व्यय कर रही है ?

(2) यदि हां, तो क्या-क्या कार्य किये और कब से शुरू होंगे ?

पर्यटन मंत्री (सुश्री पुष्पा जैन) : (1) जी हां। वर्ष 1992-93 की योजना में 5.05 लाख रुपये की राशि का प्रावधान रखा गया है।

(2) कांकोणी के सर्वांगीण विकास की योजना बनवाई जा रही है। उस योजना के अनुसार ही इस स्थल का विकास योजनाबद्ध तरीके से शीघ्र शुरू किया जायेगा।

श्री उपाध्यक्ष : श्री नन्दकिशोर शर्मा।

श्री नन्दकिशोर शर्मा : क्या यह सही है कि 1985-86 से 1990-91 तक पर्यटन विभाग ने राज्य और केन्द्र के बजट का 60 पर्सेण्ट ही खर्च किया बाकी लेप्स हो गया ? मैं यह पूछना चाहता हूं कि 5 लाख की राशि, अब 6 महीने हो गये परन्तु अभी तक उसकी कोई योजना नहीं बनी है। क्या बाकी दिनों में राशि खर्च करके लेप्स तो नहीं होने दिया जायेगा ? क्योंकि पिछले सालों में यह बजट कई बार लेप्स हुआ है और इसके लिए महालेखा

(श्री नन्दकिशोर शर्मा)

नियंत्रक ने चिन्ता भी व्यक्त की है तो मैं यह चाहता हूं मंत्रीजी यह बताये कि इसी वर्ष में इसकी योजना कब तक बना देंगे, उसको कब तक शुरू कर देंगे ।

श्री उपाध्यक्ष : श्री मीणाजी ।

श्री हेमराज मीणा (किशनगंज) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से आपके माध्यम से यह पूछना चाहूंगा कि बारां जिले में ऐसे कई स्थान हैं जो पर्यटक स्थल बन सकते हैं तो क्या बारां जिले में इस संबंध में पर्यटक स्थल बनाने के लिये कोई प्रस्ताव विचाराधीन है । दूसरा, इसी से जुड़ा हुआ सवाल है कि झालावाड़ के अन्दर केन्द्रीय पर्यटन मत्री पधारे थे उन्होंने शिवपुरी से झालावाड़ तक पर्यटन मार्ग घोषित करने की घोषणा की थी । क्या यह सही है कि राज्य सरकार ने ऐसा कोई प्रस्ताव भारत सरकार को भेजा है ? यदि हां, तो प्रस्ताव क्या है और कब तक उसको शुरू करने की योजना है ?

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मंत्री महोदया ।

सुश्री पुष्पा जैन : उपाध्यक्ष महोदय, 5 लाख रुपये की राशि का प्रावधान वर्ष 1992-93 में किया गया था और इसके लिए योजना बनाई जा चुकी है । उसको पूर्ण रूप देने के बाद शीघ्र ही, मैंने पहले ही अर्ज किया कि यह काम चालू कर दिया जायेगा । दूसरा, माननीय सदस्य ने पूछा कि झालावाड़ जिले में पर्यटन विभाग द्वारा कई काम किये हैं जिसकी सम्पूर्ण जानकारी तो मैं अभी देने में असमर्थ हूं क्योंकि यह प्रश्न अलग से पूछा गया है फिर भी झालावाड़ में हमने अभी हाल ही में ट्यूरिस्ट बंगलें कम्पलीट करके उसका उद्घाटन करके शुरू कर दिया है । इसके अलावा झालावाड़ में ट्यूरिस्ट विलेज बनाने की योजना प्रस्तावित है जिसको शीघ्र ही, शायद इसी माह या अगले माह में शुरू कर दिया जायेगा । करीब 40 लाख रुपये की लागत से यह योजना शुरू की जायेगी ।

श्री उपाध्यक्ष : श्री बालचन्द आर्यवीर ।

श्री बालचन्द आर्यवीर (डग) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदया से पूछना चाहता हूं कि झालावाड़ जिले में 1990 से अभी तक पर्यटक स्थल के लिये कितना बजट दिया गया ।

श्री उपाध्यक्ष : यह प्रश्न आ गया है । यह तो छबड़ा के लिये मूल प्रश्न था । आप बिराजें । नैक्स्ट । श्री बुलाकीदास कल्ला ।

बीछवाल ऊन मिल का संचालन

188. **श्री बुलाकीदास कल्ला** (बीकानेर) : क्या राजकीय उपक्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या राज्य सरकार बीछवाल स्थित सरकारी ऊनी मिल को चालू करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो इसे कब तक प्रारम्भ कर दिया जायेगा ?

(2) क्या उक्त मिल में पुराने कर्मचारियों को प्राथमिकता के आधार पर सेवा में लिया जावेगा ?

(श्री बुलाकीदास कल्ला)

(3) उक्त मिल के पुराने कर्मचारियों के बकाया का भुगतान कब तक दे दिया जावेगा ? उक्त मिल का व्यावसायिक उत्पादन किस संस्था द्वारा किया जावेगा तथा इस हेतु क्या योजना बनाई गई है ? इसका सार संक्षेप में सदन की मेज पर रखें।

उद्योग मंत्री (श्री कृष्ण कुमार गोयल): (1) जी नहीं।

(2) प्रश्न संख्या-1 के उत्तर के संदर्भ में प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है।

(3) उक्त मिल को वर्ष 1976 में बन्द कर दिया गया था। उस समय के कार्यरत 295 कर्मचारियों एवं श्रमिकों में से कुछ को सामान्य प्रशासन विभाग के माध्यम से अन्य राजकीय विभागों में समायोजित कर दिया गया तथा शेष श्रमिकों को नियमानुसार सेवा मुक्ति का लाभ देकर सेवा मुक्त किया गया था। अतः बकाया भुगतान का कोई मामला नहीं है। इस मिल को राजस्थान खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड के माध्यम से चलाये जाने की संभावनाओं पर विचार हेतु जिला कलक्टर, बीकानेर से प्रस्ताव मांगे गये हैं जो अपेक्षित हैं।

श्री बुलाकीदास कल्ला : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से यह जानना चाहता हूं कि क्या उक्त राजकीय वूलन मिल की मशीनें और अन्य उपकरण सही हालत में है ? क्या राज्य सरकार ने पिछले वर्षों में इसका भौतिक सत्यापन कराया और कराया तो उसकी रिपोर्ट्स क्या है ? कितने श्रमिकों को राजकीय कार्यालयों में नौकरी दी गई है ? क्या यह भी सही है कि अभी भी कुछ श्रमिकों का बकाया वेतन बाकी है ? जिस मिल मालिकों को पूर्व राजकीय ऊनी मिल दी गई थी उनमें राज्य सरकार का कितना बकाया है और उसकी वसूली के लिये आपने क्या कार्यवाही की ? इसके बाद दूसरा प्रश्न करूंगा।

श्री उपाध्यक्ष : श्री रामसिंह विश्नोई।

श्री रामसिंह विश्नोई (लूणी) । उपाध्यक्ष महोदय, क्या यह सही है कि पूरे देश के अन्दर जितना ऊन पैदा होता है उसका 60 पर्सेण्ट से ज्यादा राजस्थान में पैदा होता है और जितनी ऊनी मिल प्रदेश में है वह सब घाटे में चल रही है। इसका क्या कारण है ? इसके लिये आपने क्या उपाय सुझायें ?

श्री उपाध्यक्ष : श्री हीरालाल इन्दौरा।

श्री हीरालाल इन्दौरा (केसरीसिंहपुर): उपाध्यक्ष महोदय, मैं जानना चाहूंगा कि घाटे की वजह से क्या इस मिल को पिछले दिनों राज्य सरकार ने बेचने का मानस बनाया था ? यदि बनाया था तो क्या हुआ ?

श्री उपाध्यक्ष : माननीय श्री केदारनाथ।

श्री केदारनाथ शर्मा (गंगानगर) : मान्यवर, रा मैटीरियल सस्ता, ट्रेंड लेबर, मार्केट की बहुत बड़ी कैपेसिटी और फोरेन एक्सचेंज अर्निंग का बहुत बड़ा सोर्स और

5

(श्री केदारनाथ शर्मा)

उसके लिए आपने कमेटी बनाई थी। क्या यह मिल-मैनेजमेण्ट और फाइनेन्सियल क्रंच के कारण बन्द हुआ या लेबर प्रोब्लम के कारण बन्द हुआ ? आपने इसे 1967 में तो बन्द कर दिया और अब रिपोर्ट मांग रहे हैं। अब यह खादी बोर्ड के मार्फत कैसे चलेगी। इसके लिये एक्सपोर्ट कमेटी बिठायी। तो फिर क्या कमी है। इसको चलाने की कोशिश करो। यही मेरा आपसे सुझाव है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मंत्री महोदय।

श्री कृष्ण कुमार गोयल : उपाध्यक्ष महोदय, जैसा कि बीकानेर से आने वाले माननीय सदस्य ने इस मिल के बारे में कहा है। मैं समझता हूं जितनी जानकारी मुझे है उससे ज्यादा उनको होनी चाहिये। इस मिल में लगातार घाटा होता जा रहा और घाटा होने के कारण सन् 1975-76 के अन्दर यह बन्द हो गई और तत्कालीन सरकार ने उसके पश्चात 28.10.1975 को एक नई कम्पनी को जिसका नाम था मैसर्स जे.जे. वूलन मिल प्राइवेट लिमिटेड उसको 1 लाख 51 हजार 1 रुपया प्रति माह के पट्टे पर लीज पर दिया था लेकिन 1986 में पैसा न चुकाने के कारण इस मिल को वापस कब्जे में ले लिया गया और उस पार्टी पर जो पैसा बकाया है वह 42 लाख 31 हजार 957 रुपये अप्रेल, 84 तक का बकाया था, जो एक आर्बीट्रेटर ने फैसला करके तय किया था लेकिन इसके खिलाफ पार्टी ने डिस्ट्रिक्ट जजेज के अन्दर दावा किया और वहां पर वह हार गया उसके बाद उसने हाई कोर्ट में अपील कर दी और यह केस हाई कोर्ट में पेंडिंग है। जहां तक आपने पैसे का सवाल किया है उसकी स्थिति तो इस प्रकार से है। जहां तक मजदूरों का सवाल है, 295 कुछ श्रमिक और कर्मचारी इस मिल के अन्दर थे इनमें से 44 कर्मचारियों को राज्य सरकार के अन्य विभागों में समायोजित कर दिया। जो 251 कर्मचारी थे, श्रमिक थे उनको समुचित मुआवजा देकर के सेवा मुक्त कर दिया गया है। तो यह कहना उचित नहीं है, ठीक नहीं है कि किसी को हमें पैसा देना बकाया है। जहां तक सवाल इसको चलाने का है। इस बारे में कई बार कमेटी बैठी है, बैठ कर विचार हुआ है। अभी इन्दौराजी ने पूछा था कि क्या यह सही है कि राज्य सरकार ने इसको बेचने का फैसला लिया था। तत्कालीन सरकार ने स्वयं इसको बेचने का फैसला लिया था और उसके आधार पर जब से लगातार 1986 से लेकर 7.6.1991 तक सात बार टेण्डर इन्वाइट किये गये। डिफरेंट समय पर पैसा जो ओफर हुआ, 1986 के अन्दर कोई ओफर नहीं आई, दुबारा अक्टूबर, 1986 में कोई ओफर नहीं आई, 1988 के अन्दर ओफर नहीं आई, 1989 के अन्दर 60 लाख रुपये की काना राम मोहन लाल बीकानेर की तरफ से ओफर आई किन्तु उसको एक्सेप्ट नहीं किया गया, उसे कम माना गया। इसके बाद 1990 के अन्दर एक करोड़ 10 लाख रुपये की ओफर आई काना राम मोहन लाल बीकानेर वालों की तरफ से। इसको भी इनसफीसियंट

(श्री कृष्ण कुमार गोयल)

मान करके मन्जूर नहीं किया गया है। इसके बाद 10.1.91 के अन्दर एक करोड़ 37 लाख रुपये की कमला टी एण्ड इण्डस्ट्रीज डिब्रूगढ़ की ओफर आई। इसको भी कमेटी ने माना कि इनसफीसियंट है, इसलिए इसको भी रिजेक्ट कर दिया और लास्ट में जो 7वां ओफर हुआ 15.7.91 को 1 करोड़ 53 लाख रुपये श्री अलानूर माटी बीकानेर की ओफर आई थी, लेकिन इस सम्बन्ध में जब नेगोशिएशन कमेटी बैठी, उसमें सारे विभागों के लोग थे, वित्त के लोग थे, इण्डस्ट्री के थे, पब्लिक सैक्टर के लोग थे। उन्होंने विचार किया कि ये पैसा बहुत कम है और जिस प्रकार मिल के साथ जमीन जितनी लगी हुई है, अगर उस जमीन पर ही विचार किया जावे तो इस पर अच्छा पैसा आ सकता है। इसी आधार पर जिलाधीश, बीकानेर को पत्र लिखा गया और उनसे कहा गया कि सम्भावनाओं को देखते हुए कितनी भूमि है, कितना उसका पैसा आ सकता है, क्या उसके अन्दर और कार्यवाही हो सकती है। उसके आधार पर वहां से रिपोर्ट कलक्टर की आई। कलक्टर की रिपोर्ट इस बात की थी कि रीको द्वारा जो एसेसमेण्ट उस जमीन का किया गया है, उसके आधार पर 2 करोड़ से अधिक रुपये वाणिज्यिक रूप से और किसी और रूप में भूमि में आ सकता है और जो मिल है, उस मिल का प्रयोग हम किसी और कार्य में खादी ग्रामोद्योग, लोगों को ट्रेनिंग वगैरह देने के अन्दर कर सकते हैं। उस आधार पर जब रिपोर्ट आई तो चीफ सेक्रेटरी के लेबल पर अन्तिम फैसला हुआ। इस प्रकार का हुआ कि जो प्रोजेक्ट प्रस्ताव प्राप्त हुआ है वह समुचित नहीं है। जिला कलक्टर, बीकानेर के द्वारा मिल की भूमि का वर्तमान मूल्य रीको के अनुमान के आधार पर 2 करोड 25 लाख रुपये होना बताया। समिति ने जमीन के अनुमानित मूल्य को मद्देनजर रखते हुए जिला कलक्टर, बीकानेर को निम्न प्रस्ताव देने के लिए निर्देशित किया है। पहला, कि खाली जमीन को आवासीय एवं वाणिज्यिक प्रयोग में लेने पर सम्भावित लाभ आंकलित कर योजना प्रस्तुत करने के सम्बन्ध में। नम्बर दो, कि मिल की मशीनरी को खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा प्रयोग में लिये जाने के सम्बन्ध में उनको कहा गया है। हम उसका इन्तजार कर रहे हैं, क्योंकि रिपोर्ट आनी है। इसके अतिरिक्त माननीय सदस्य को आपके माध्यम से बताना चाहूंगा कि कलक्टर ने जिला उद्योग सलाहकार समिति के माध्यम से एक कमेटी बनाई है। वह इसके डिफरेण्ट पहलू पर अध्ययन कर रही है, लेकिन यह तय है कि अगर कोई कांक्रीट प्रपोजल आ गया तो निश्चित रूप से राज्य सरकार उस पर विचार करेगी।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय कल्ला जी।

श्री रामसिंह विश्नोई (लूनी) : माननीय मैंने पूछा था कि भेड़े पूरे देश में राजस्थान में सबसे ज्यादा है और ऊन यहां 60 पर्सेण्ट पैदा होती है, पूरे देश की। उसके बावजूद जोधपुर, बीकानेर, जयपुर वगैरह जहां भी ऊन मिलें हैं, वे सब घाटे में क्यों चल रही है, इसके क्या कारण हैं? इसके समाधान के लिए आप क्या उपाय करने जा रहे हैं?

श्री कृष्ण कुमार गोयल : बीकानेर वूलन मिल के सम्बन्ध में भी इस पर विचार हुआ है। मैं माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि चूरू, लाडनूं दो और मिलें हैं, वे भी बन्द पड़ी है। उनके सम्बन्ध में एक बार नहीं अनेक बार अध्ययन कराया गया और कुल मिलाकर के उसका नतीजा यह निकला कि कम्पीटिशन के अन्दर मार्केट की वूलन प्राइस के फ्लेक्चुएशन के कारण, इम्पोर्ट वूलन की प्राइस ज्यादा होने के कारण हम मार्केट में टिक नहीं पाते और लगातार हमको लोस हुआ है।

श्री रामसिंह विश्नोई : उपाध्यक्ष महोदय, (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : एक मिनट आप रामसिंह जी पूछिये।

श्री रामसिंह विश्नोई : उपाध्यक्ष महोदय, मेरे ख्याल से जब इतना बड़ा उद्योग आपके पास है। इतनी बड़ी मात्रा में ऊन यहां पैदा होती है और नये-नये तरीके से भी अच्छी किस्म की ऊन जैसलमेर में है या अजमेर के आसपास अच्छी भेड़े हैं, उनकी ऊन भी अच्छे किस्म की होने लग गई है। तो यहां पर इतना बड़ा उद्योग लग सकता है और दूसरी तरफ हम घाटे में चले या तो आप किसी उद्योगपति, प्राइवेट आदमी को दे दीजिए या कोई भी रास्ता निकाल करके उद्योग स्थापित करें। उसके लिए आप क्या उपाय करने जा रहे हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत (मुख्यमंत्री) : इसका एक मुख्य कारण है जो माननीय सदस्यों के और सदन की जानकारी में लाना चाहूंगा। यह सही है कि राजस्थान में सारे देश की 40 से 45 पर्सेण्ट ऊन राजस्थान में उत्पन्न होती है लेकिन सबसे बड़ी समस्या है कि ऊन का इम्पोर्ट हो रहा है। इम्पोर्ट के ऊपर जितनी ड्यूटी लगनी चाहिए, उतनी नहीं है। पहले 5 पर्सेण्ट ड्यूटी थी और फिर मैंने पत्र लिख कर इसको 10 पर्सेण्ट कराया और परसों ही दुबारा केन्द्रीय कपड़ा मंत्री जी का पत्र आया है कि 10 पर्सेण्ट से ज्यादा हम नहीं बढ़ा सकते। मैंने दुबारा उनसे निवेदन किया है कि इसको यदि आप 40 पर्सेण्ट कर दें तो हिन्दुस्तान के जो डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स हैं वह डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स इन्टरनेशनल मार्केट के अन्दर बराबर आ जायेगा और हमारी इस ऊन के कारण से उत्पादन चल सकेगा। मैं चाहूंगा कि आप भी कपड़ा मंत्री जी के मित्र हैं, उनसे कहिए कि उसकी इम्पोर्ट ड्यूटी बढ़ा दें तो राजस्थान में ऊन उत्पादकों को भी पूरा मूल्य मिलेगा और यह ऊन की इण्डस्ट्री भी चल सकेगी।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय बुलाकीदास जी कल्ला।

श्री बुलाकीदास कल्ला : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पहला, मैं यह जानना चाहता हूं कि राजस्थान खादी ग्रामोद्योग बोर्ड को किन किन शर्तों पर यह मिल दी जा रही है, क्या उनके कोई प्रस्ताव आये हैं? दूसरा, आपने भौतिक सत्यापन के बारे में नहीं बताया। उक्त मिल का इन पिछले कुछ वर्षों में क्या भौतिक सत्यापन हुआ? हो सकता है मुझे जानकारी सही है या गलत है। वह तो चूंकि तथ्यों पर आधारित आप बता सकते हैं। हमें सुनने को

(श्री बुलाकीदास कल्ला)

मिल रहा है कि जो पुरानी ओरिजनल मशीनें थी, वहां से कुछ गायब हुई हैं। क्या आपने भौतिक सत्यापन कराया, उसमें सारी मशीनें और उपकरण सही पाये गये? तीसरा, मैं इतना जानना चाहता हूं कि 43 लाख रुपये आपका जो बकाया है, लेकिन हमारी जानकारी के अनुसार मैं पुख्ता बात बता रहा हूं कि मजदूरों के जे. जे. वूलन मिल्स में कम से कम 6 से 7 लाख रुपये बकाया है। तो सरकार की बकाया में मजदूरों का बकाया भी सम्मिलित करके उससे वसूल किया जावे ताकि मजदूरों को अपना पूरा भुगतान मिल सके।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय श्री महावीर प्रसाद।

श्री महावीर प्रसाद जैन (टौंक) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं, यह बात सर्वमान्य है कि हमारे सरकारी उपक्रम हैं वे व्यवस्था के अभाव में, प्रोपर देखरेख के अभाव में सारे फेल हो चुके हैं। इसलिए इसको प्राइवेट सैक्टर में देकर या किसी प्रकार का अनुदान या किसी प्रकार का प्रोत्साहन देकर और यहां पर जो उत्पादन है उसको देखते हुए क्या सरकार विचार रखती है कि ऐसे उद्योग यहां पर लगाये और जो घाटे में उपक्रम चल रहे हैं उनको बन्द किये जावे।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय हीरालाल जी, क्या पूछ रहे हैं आप ?

श्री हीरालाल इन्दौरा (केसरीसिंहपुर): माननीय उपाध्यक्ष, मैं जानना चाहता हूं कि इस मिल की फाइनेन्सियल लाइबलिटी मन्थली कितनी है ?

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिये। माननीय मंत्री महोदय।

श्री कृष्ण कुमार गोयल : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य बीकानेर से हैं, उन्होंने बकाया के बारे में प्रश्न पूछा ? मैं फिर उनको निवेदन करना चाहूंगा कि राज्य सरकार का, किसी भी प्रकार का, किसी भी कर्मचारी का कोई पैसा हम पर बकाया नहीं है, न हमें कोई भुगतान करना है लेकिन उनके पास कोई विशेष जानकारी है और हो सकता है कि लीज पीरियड में जब वह दिया गया, उस समय से आप कुछ कह रहे हो। मुझे बता दीजिये, मैं पता लगा लूंगा और हमने उसके खिलाफ जो कार्यवाही की है, जो पैसा उससे मांग रहे हैं उसमें वह शामिल हैं अथवा नहीं। I will find it out. जहां तक आपने कहा मशीनों का सवाल है। सारी मशीनें वर्किंग कण्डीशन में है, थोड़ी सी सफाई वगैरह करने के बाद सब काम में ली जा सकती है। आपने जहां तक शोर्टेज का बताया। मेरी जानकारी के अन्दर शोर्टेज नहीं है लेकिन इसका क्वेश्चन से सीधा सम्बन्ध नहीं है लेकिन मुझे जहां तक मालूम है, थोड़ी सफाई वगैरह कर दी जाय और कुछ पार्टस और लगा दिये जाय तो वे मशीनें चलने की स्थिति में है। दूसरा जो आपने पूछा था कि खादी बोर्ड की क्या शर्तें हैं, किस शर्तों पर दे रहे हैं। अभी देने का सवाल पैदा नहीं होता। अभी तो प्रश्न यह है कि क्या जिन प्रश्नों के बारे में जिला सलाहकार समिति में विचार हुआ है।

(श्री कृष्ण कुमार गोयल)

उसके सम्बन्ध में वह उसको लेने के लिए तैयार है और मैं आपको इतना विश्वास दे सकता हूं हमें केवल मशीनों की गारण्टी चाहिए, मशीनों की सेफ्टी चाहिए अगर राजस्थान के इण्टरेस्ट में खादी बोर्ड की तरफ से कोई कांक्रीट प्रपोजल भी आता है तो हम टोटल पैसे पर ले लेंगे पर वे मशीनों को देने के लिए तैयार हों।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न संख्या 189

बायलर्स ट्यूब्स की जांच

189. **श्री अर्जुनदास मदान** (लाडपुरा) : क्या श्रम राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) गत तीन वर्षों में वर्षवार कितनी बायलर्स की ट्यूब्स भौतिक तथा रासायनिक जांच के लिए मुख्य निरीक्षक, कारखाना एवं बायलर्स के कार्यालय में आई ?

(2) क्या इनकी जांच किसी प्रमाणीकृत प्रयोगशाला से करवाई जाती है या निजी प्रयोगशालाओं से ? उसकी जांच शुल्क क्या निश्चित की हुई है ?

(3) क्या बायलर्स की ट्यूब्स की जांच निजी प्रयोगशालाओं में करवाई जाती है ? यदि हां, तो किससे तथा क्यों ?

(4) भारत सरकार की मान्यता प्राप्त प्रयोगशालाओं या राज्य के इंजीनियरिंग कालेज से जांच क्यों नहीं करवाई जाती ?

(5) इस प्रकार से प्राप्त लोहे का बेचान जांच करने के पश्चात विभाग करता है या जांच करने वाली प्रयोगशाला ? स्टील की ट्यूब्स को बेचने से जो राशि गत तीन वर्षों में प्राप्त हुई उसका विवरण सदन की मेज पर रखें।

(6) इसी प्रकार बेल्डर टेस्ट से जो लोहे का स्क्रेप बचता है, उसको बेचने से इस अवधि में कितनी आय विभाग को हुई ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न संख्या 189 स्थगित।

जन जाति विकास परामर्शदात्री समिति

190. **श्री दयाराम परमार** (खैरवाड़ा) : क्या जन जाति क्षेत्रीय विकास राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या यह सही है कि जन जाति विकास विभाग में एक जन जाति परमर्शदात्री समिति है ? यदि हां, तो ब्यौरा निम्नानुसार सदन की मेज पर रखें।

(क) समिति के सदस्य कौन–कौन होते हैं ?

(ख) सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है ?

(ग) समिति का कार्यकाल क्या है ?

(घ) समिति के और क्या–क्या अधिकार एवं कर्तव्य हैं ?

राज्य मंत्री, जन जाति विकास (श्री जीवराम कटारा) : जी हां। ब्यौरा सदन की मेज पर प्रस्तुत है।

(श्री जीवराम कटारा)

(क) जन जाति परामर्शदात्री परिषद् में एक अध्यक्ष, 18 अन्य सदस्यों का प्रावधान है। जन जाति विकास विभाग के मंत्री इस परिषद् के पदेन अध्यक्ष तथा राज्य मंत्री/उप मंत्री इसके पदेन उपाध्यक्ष हैं और अन्य 18 सदस्य निम्नानुसार हैं:-

1. 14 सदस्य — राजस्थान विधान सभा के अनुसूचित जन जाति के प्रतिनिधि।

2. 3 सदस्य — सरकारी अधिकारी जिसमें से एक परिषद् का पदेन सचिव।

3. 1 सदस्य — गैर सरकारी (नान आफिसियल) जो राज्य में जन जातियों के विकास में अत्यन्त रूचि रखता हो एवं जन जाति का नहीं हो।

(ख) सदस्यों की नियुक्ति राज्य सरकार के द्वारा की जाती है।

(ग) परिषद् का कार्यकाल सीमित नहीं है परन्तु सदस्य के रूप में नियुक्त किये गये अनुसूचित जन जाति के विधायक का कार्यकाल तब तक रहता है जब तक वह विधान सभा का सदस्य है तथा गैर सरकार सदस्य का कार्यकाल नियुक्ति की तिथि से दो वर्ष का होता है।

(घ) राजस्थान अनुसूचित जन जाति परामर्शदात्री के नियम, 1980 के अनुसार भारतीय संविधान की पांचवीं अनुसूची के भाग-बी में उल्लेखित प्रावधानों के अन्तर्गत विनिर्दिष्ट कर्तव्यों के अतिरिक्त परिषद् के निम्न कर्तव्यों के अतिरिक्त परिषद् के निम्न कर्तव्य/दायित्व निर्धारित किये गये हैं:—

(1) अनुसूचित जन जातियों के सामाजिक, शैक्षणिक एवं आर्थिक विकास हेतु रचनात्मक सुझाव देना।

(2) अनुसूचित जन जातियों में प्रचलित हानिकारक सामाजिक रीति रिवाजों को दूर करने में सहायता करना।

(3) अनुसूचित जन जातियों में शैक्षणिक जागृति (एजूकेशनल प्रोपेगेन्डा) हेतु यथा संभव प्रचार प्रसार करना।

(4) अनुसूचित जन जाति के लोगों की आवश्यकताओं एवं समस्याओं से राज्य सरकार एवं स्थानीय अधिकारियों को अवगत कराना।

श्री दयाराम परमार : उपाध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि इस परिषद् में एक गैर सरकारी सदस्य होता है। वह सदस्य 1980 से आज तक कौन कौन रहे हैं?

श्री जीवराम कटारा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, 1982 से श्री दीनबंधु वर्मा उदयपुर के, श्री दयाशंकर, उदयपुर, ओंकार लाल चौहान, कोटा यह सदस्य रहे हैं।

श्री दयाराम परमार : 1980 से आज तक के बतायें ?

श्री जीवराम कटारा : 1987 में ही पवन कुमार रोकड़िया, उदय लाल जैन

(श्री जीवराम कटारा)

1988 में श्री बनवारी लाल गौड़, अध्यक्ष राजस्थान खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड और अभी हैं श्री गुणवंत सिंह कोठ्यारी, राजस्थान वनवासी कल्याण परिषद् उदयपुर।

श्री दयाराम परमार : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्रीजी से यह जानना चाहता हूं कि विकास परिषद् आदिवासियों के विकास के लिए, आर्थिक सामाजिक, शैक्षणिक विकास के लिए रचनात्मक सुझाव देती है तो 1990 से लेकर आज तक क्या-क्या सुझाव समिति द्वारा दिये गये और सरकार ने उसके लिये क्या-क्या कदम उठाये ? यह मैं जानना चाहता हूं।

श्री जीवराम कटारा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, परामर्शदात्री समिति जन जातियों के विकास के लिए आर्थिक, सामाजिक और शैक्षणिक विकास के लिए जो रचनात्मक सुझाव देती है उस पर राज्य और भारत सरकार के दिशा निर्देशों के अनुसार उसमें महत्वपूर्ण सुझाव और सिफारिशें होती है उनके अनुसार क्रियान्वित करने की कोशिश करते हैं। 6.7.84 को परामर्शदात्री समिति ने जन जाति क्षेत्र में एक सुझाव दिया था कि 250 व्यक्तियों पर एक प्राइमरी स्कूल होना चाहिए, पर जन जाति क्षेत्रों में दो गांवों के बीच बहुत दूरी होती है उस पर राज्य सरकार ने 200 व्यक्तियों की आबादी पर एक प्राथमिक विद्यालय खोलने का निर्णय लिया और अभी वर्तमान में ग्रामीण क्षेत्र में 150 की आबादी पर एक प्राथमिक विद्यालय खोलने का निर्णय लिया है। 17.8.91 को इसी प्रकार से समिति ने सिफारिश की थी कि मछली पकड़ने के लिए राज्य सरकार द्वारा जो रायल्टी दी जाती है उसमें छूट देने का प्रावधान किया जाय। उसके अनुसार 1992-93 के बजट भाषण में माननीय मुख्य मंत्रीजी ने रायल्टी में छूट देने की घोषणा की थी उसके दिनांक 7.8.92 को आदेश जारी हो गये हैं और छूट प्रदान की जा रही है। इसी प्रकार से 1992-93 में जहां लघु वन उप संरक्षण में छूट देने की सिफारिश की थी और 1992-93 के बजट भाषण में माननीय मुख्य मंत्रीजी ने रायल्टी समाप्त करने की घोषणा की थी। उसके अनुसार फोरेस्ट विभाग ने 17.7.92 को आदेश सिफारिश के अनुसार प्रसारित कर दिये है। इसी प्रकार 20.1.92 को बांसवाड़ा जिले में जलोत्थान योजनाएं थीं उसको सिंचाई विभाग के तहत निर्माण कराने के आदेश थे लेकिन परामर्शदात्री की सिफारिश थी कि इसको जिला विकास अधिकरण के माध्यम से कराया जाय और राज्य सरकार ने उसके अनुसार केन्द्र सरकार को निर्दिष्ट किया और उसके अनुसार इसमें परिवर्तन करके अभी जिला विकास अधिकरण के माध्यम से इन योजनाओं की क्रियान्विति की जाती है। इसी प्रकार अन्य जो महत्वपूर्ण सुझाव होते हैं राजस्थान सरकार उसके हिसाब से क्रियान्वित करने के प्रयास करती है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : सारे उत्तर आ चुके हैं।

श्री दयाराम परमार : 1990 में जब प्राइमरी स्कूल 150 की जनसंख्या पर

(श्री दयाराम परमार)

खोलने का निर्णय किया था तब कितने गांव ऐसे थे जहां प्राइमरी स्कूल नहीं थे ?

श्री उपाध्यक्ष : जनरल सवाल है । जो पूछा उसका जवाब आ गया है । आप कोई स्पेसिफिक सवाल हो तो पूछ लीजिए । बाकी सारे सवालों के उत्तर आ चुके हैं ।

श्री दयाराम परमार : उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह जानना चाहता हूं कि जब 1990 में एक निर्णय लिया कि 150 की जनसंख्या पर आदिवासियों के गांवों में स्कूल खोल दिये जायेंगे तो कितने गांव थे जहां पर प्राइमरी स्कूल नहीं थे ?

श्री उपाध्यक्ष : नेगेटिव प्रश्न क्या पूछते हैं । अगला प्रश्न । श्री मदन दिलावर ।

विधान सभा क्षेत्र अटरू में खनन की बकाया

191. **श्री मदन दिलावर (अटरू) :** क्या खनिज राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) अटरू विधान सभा क्षेत्र में अवैध खनन करने वालों पर दस हजार से अधिक राशि किस–किस पर बकाया है ?

(2) क्या अवैध खनन करने वालों के नाम वैध खानें भी हैं ? यदि हां, तो किन-किन के नाम से है ? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(3) क्या सरकार अवैध खननकर्ताओं से बकाया राशि वसूल करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

(4) क्या सरकार यह मानती है कि अवैध खनन की राशि वसूल करने में शिथिलता बरतने पर अवैध खनन की प्रवृत्ति नहीं बढ़ेगी ? यदि नहीं, तो फिर कुर्की कर इनसे यह राशि वसूल क्यों नहीं की जा रही तथा इनसे कब तक बकाया वसूली कर ली जायेगी ?

(5) क्या कुछ खानें वन विभाग (अभयारण्य) क्षेत्र में चल रही है ? क्या उनमें से कुछ खानों की लीज तिथि समाप्त हो रही है ? यदि हां तो, उनके नाम बताते हुए बतावें की क्या पर्यावरण एवं अन्य जीव-जन्तुओं की रक्षार्थ इनकी लीज का नवीनीकरण नहीं किया जावेगा ?

राज्य मंत्री खनिज (श्री कालूलाल गुर्जर) : (1) अटरू विधान सभा क्षेत्र में अवैध खनन कार्य करने वालों पर 10,000/– रुपये से अधिक की बकाया राशि का विवरण संलग्न परिशिष्ट "अ" अनुसार है ।

(2) जी हां । जिन लोगों पर अवैध खनन की राशि बकाया है एवं जिनके नाम वैध खानें स्वीकृत है, उनका विवरण संलग्न परिशिष्ट "ब" अनुसार है ।

(3) जी हां । अवैध खनन करने वालों से बकाया राशि की वसूली की कार्यवाही जारी है ।

(4) अवैध खनन की राशि वसूल करने में शिथिलता बरतने पर अवैध खनन की प्रवृत्ति बढ़ती है परन्तु विभाग अवैध खनन की बकाया राशि की वसूली की कार्यवाही नियमानुसार भू-राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत तत्परता से कर रहा है ।

(5) जी हां । कुछ खानें, जिनका विवरण संलग्न परिशिष्ट "स" अनुसार है, वन (अभ्यारण्य) क्षेत्र में चालू है उन

(श्री कालूलाल गुर्जर)

खानों की मूल स्वीकृति वन अधिनियम, 1980 लागू होने के पूर्व हुई है। इसलिए राज्य सरकार से जारी परिपत्र दिनांक 18.1.86 के अनुसार उन खनन पट्टों की अवधि समाप्त होने के बाद पार्टी द्वारा आवेदन प्रस्तुत किये जाने की स्थिति में नवीनीकरण किये जाने बाबत नियमानुसार गुण एवं दोष के आधार पर विचार किया जायेगा।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट-1 देखें)

श्री मदन दिलावर : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्रीजी से पूछना चाहता हूं कि अवैध खनन करने वालों पर कब से राशि बकाया है और अब तक क्या कार्यवाही की गई ? कितनी राशि जमा हुई ? बकाया राशि वसूल करने के क्या नियम है ? क्या इनकी पूर्ति की जाती है ? यदि पार्टी ने आवेदन किया तो नियम क्या कहते हैं ? गुण दोष के आधार को स्पष्ट मुझे बतायें।

श्री कालूलाल गुर्जर : उपाध्यक्ष महोदय, इसमें कुल मिलाकर पांच आदमी ऐसे हैं जिन पर अवैध खनन की राशि आरोपित की गई है। इसमें अब्दुल सत्तार पर दिनांक 7.9.90 से 18,816 रुपए बाकी है। जिसमें से 6.3.92 को 2500 रुपये वसूल किये हैं। बकाया की वसूली जारी थी कि अब्दुल सत्तार ने कोर्ट अटरू में दावा करके स्थगन आदेश प्राप्त कर लिया है। उस पर 16300 रुपये बाकी हैं और वसूली की कार्यवाही न्यायालय के स्थगन आदेश से स्थगित है। इसी प्रकार श्री अब्दुल मलिक के ऊपर 7.9.90 से 72000 रुपये बाकी हैं। एक पैसा नहीं चुकाया। वसूली की कार्यवाही चालू की थी तो इन्होंने भी एम.जे.एम. कोर्ट, अटरू से दावा करके स्थगन प्राप्त कर लिया। यह दिनांक 27.5.92 से स्टे है, वसूली नहीं हो रही। इसी तरह से श्री उमर दराज जो काफी लम्बे समय से जेल में है। उनकी सम्पत्ति के बारे में जानकारी की जा रही है। अभी जानकारी हो नहीं सकी कि उसकी पर्सनल प्रोपर्टी क्या है ताकि उसे अटैच किया जा सके। इसी प्रकार से श्री अब्दुल गनी के विरुद्ध एक लाख 87 हजार 704 रुपये बाकी हैं। इसकी भी कार्यवाही बराबर की गई है, नोटिस दिये, पर्सनली भी उनसे वसूली जमा कराने हेतु कहा गया पर वे नहीं माने तब हमने राजस्थान लेण्ड रेवेन्यू एक्ट के तहत कार्यवाही की और मकान कुर्क कर लिया गया और आगे नीलामी करके वसूली की कार्यवाही जारी है। इसी तरह से भी जफर खां, बडोर के विरुद्ध 47448 रुपए की राशि बकाया है। 22.12.90 से इन्होंने भी कोई राशि जमा नहीं कराई इसलिए इनका मकान भी कुर्क कर लिया गया है। इनका मकान भी नीलाम करके राशि वसूलने की कार्यवाही की जा रही है। इस प्रकार से अवैध खनन करने वालों के खिलाफ कार्यवाही की जाती है।

श्री मदन दिलावर : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय से एक बात और पूछी थी कि गुण दोष के आधार पर यह स्पष्ट करें कि किस प्रकार के गुण होंगे तो

(श्री मदन दिलावर)

दे देंगे, किस तरह के अवगुण होंगे तो नहीं देंगे। यह जरा स्पष्ट हो जाय।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय फूलचन्द जी गुर्जर।

श्री फूलचन्द गुर्जर (नीमकाथाना) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, खनिज मन्त्रीजी ने इस सारे प्रश्न में बताया कि अवैध खनन बार-बार हो रहा है और विभाग या सरकार उसको रोकने की कोई कार्यवाही नहीं कर रहा है। क्या मन्त्री महोदय यह नहीं मानते हैं कि यह अवैध खनन विभाग की मिलीभगत से हो रहा है, जिसकी बार-बार जांच कराने के बावजूद यह कार्यवाही नहीं रुक रही है ? आप क्या कार्यवाही कर रहे हैं जिससे यह अवैध खनन नहीं हो ?

श्री हेमराज मीणा (किशनगंज) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अटरू अभयारण्य मे जो अवैध खनन हो रहा है, वहां पांच खानें अवैध रूप से चल रही हैं। अक्टूबर, 1992 में इनका नवीनीकरण समाप्त हो रहा है। मन्त्री महोदय, विभाग के माध्यम से दुबारा इनका नवीनीकरण किया जाएगा या नहीं ? यह जरा स्पष्ट बता दें।

श्री कालूलाल गुर्जर : जहां तक नीमकाथाना से आने वाले माननीय सदस्य ने यह कहा कि बार-बार अवैध खनन होता है, वहां कार्यवाही क्या की जा रही है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अवैध खनन को रोकने के लिए विभाग तत्परता से कार्यवाही करता है। सतर्कता विभाग को हमने अलग से लगा रखा है और अभी हमने अवैध खनन को रोकने के लिए माईनिंग डिपार्टमैण्ट के अलावा पुलिस और रेवेन्यू के अधिकारियों को भी अधिकार दे दिये हैं कि वे कभी भी इस तरह का अवैध खनन पाए तो एम.एम.सी.आर. के प्रावधानों के अन्तर्गत उनको सारे अधिकार हैं कि वे उस माल को पकड़ सकते हैं, अवैध खनन को बन्द करा सकते हैं और उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करा सकते हैं। यह हमने स्टेप लिया है।

जहां तक नवीनीकरण के बारे में पूछा गया, मैंने निवेदन किया कि हमने एक सर्कुलर जनवरी, 1986 में जारी किया था कि जो खानें 1986 में फोरेस्ट में दी हुई है उन खानों का नवीनीकरण एक शर्त लगाकर किया जा सकता है। उसमें शर्त यह लगाई जायेगी कि जितना पिट उसने आलरेडी खोद लिया है, जितना ब्रोकन एरिया हो गया है, जो खण्डित हो चुका है उसी पिट का नवीनीकरण करेंगे। पर्टिकुलर इन केसेज में हम नवीनीकरण कर पायेंगे या नहीं कर पायेंगे, मैं अभी यह बताने की स्थिति में नहीं हूं क्योंकि गुणावगुण पर निर्णय लिया जाएगा।

श्री हेमराज मीणा : यह तो अभयारण्य का मामला है, इसमें तो स्पष्ट करना चाहिए कि नवीनीकरण क्यों किया जा रहा है। (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : यह तो अभयारण्य का मामला है। वहां पर अवैध खनन की परमिशन देने से बहुत से जानवर मर गये....और मन्त्री महोदय, उनको बचा रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, उत्तर सुन लीजिए। विराजिये। आप पहले उत्तर तो सुन लीजिए।

श्री कालूलाल गुर्जर : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैंने निवेदन यह नहीं किया कि अभयारण्य में नवीनीकरण कर ही देंगे। मैं तो निवेदन कर रहा हूं कि रूल्स में ऐसे प्रावधान है। पहले गुणावगुण पर हम देखेंगे कि अभयारण्य में नवीनीकरण करने में कोई दिक्कत है या नहीं। उस पर कितनी बकाया है। अगर वह बकाया जमा नहीं करायेंगे तो भी नवीकरण नहीं होगा। रूल्स में कई ऐसे प्रावधान हैं जिनके आधार पर हम रिन्यूअल रिफ्यूज भी कर सकते हैं और ग्राण्ट भी कर सकते हैं। मैं आज इनके बारे में इस सदन में इस समय बताने में असमर्थ हूं कि हम क्या फैसला लेंगे। नवीनीकरण पैंडिंग होगा, एप्लीकेशन आएगी, फिर गुणावगुण पर ही निर्णय किया जाएगा।

श्री मदन दिलावर : अभयारण्य में जहां हजारों जीव-जन्तु खानों के कारण मर गये, जहां हजारों पेड़-पौधे काट दिये गये, जहां पूरे वन का सत्यानाश कर दिया गया, वहां इस प्रकार टालमटोल कर, मैं असमर्थ हूं बताकर अवैध खनन करने की अनुमति दी जा रही है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह बताना पड़ेगा।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय नेता महोदय बोल रहे हैं, विराजिये आप।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह सही है कि अभयारण्य में इस प्रकार का नवीनीकरण हो, चाहे लाइसेंस हो, नहीं दिया जाना चाहिये। लेकिन अभयारण्य के पास कई क्षेत्र ऐसे हैं जहां पेड़-पौध हैं न किसी प्रकार का अभयारण्य है। उस स्थिति में राज्य सरकार यह चाहती है कि उस क्षेत्र को ओपन डिक्लेयर कर दिया जाय ताकि उसके बाद में खनन पट्टे दिये जा सकें। यह व्यक्ति का सवाल नहीं है नीतियों का सवाल है। इस सम्बन्ध में भारत सरकार और हमारे बीच में चर्चा भी चल रही है।

दूसरा, उपाध्यक्ष महोदय, अवैध खनन के बारे में बात कही। इस सम्बन्ध में यही नहीं कि पुलिस और बाकी के अधिकारियों को अधिकार दिये, इस समस्या का समाधान करने के लिए हमने एक व्यवस्था की थी कि जिस खातेदार की जमीन में इस प्रकार का खनिज हो उस खातेदार को लीज दी जाय या लाइसेंस दिया जाय। आखिर अवैध खनन उन्हीं जमीनों में होता है जो खातेदार की जमीनें हैं। काश्तकार की जमीन में खनिज है और वह उसका उपयोग नहीं कर पाता। इस कारण से राज्य सरकार ने यह फैसला किया कि खातेदारों को लीज दे दी जाय। पहली लीज तो खातेदार लेगा और दूसरी लीज अगर वह चाहे, जमीन ज्यादा हो तो उसमें से दूसरी लीज उसके कहने से, उनकी कन्सल्टेशन से राज्य सरकार किसी दूसरे आदमी को दे देगी। लेकिन दुर्भाग्य से यह मामला हाई कोर्ट में गया और हाई कोर्ट से स्टे आ गया। जिस दिन वह स्टे वेकेट हो जाएगा और इस बात को हम लागू कर देंगे, आटोमैटिकली अवैध खनन की समस्या जो आज दिख रही है उतनी नहीं रहेगी।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय श्री टीकमचन्द कान्त।

रेवदर की सिंचाई परियोजना

192. **श्री टीकमचन्द कान्त (रेवदर)** : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

रेवदर में विदेशी सहायता से कौन कौन सी सिंचाई योजनाएं प्रस्तावित है? योजना का नाम, क्षमता, योजना व्यय एवं योजना कब तक प्रारम्भ हो सकेगी? पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखें।

सिंचाई मंत्री (श्री कैलाश मेघवाल) : रेवदर विधान सभा क्षेत्र में विदेशी आर्थिक सहायता (जर्मन सहायता) से करोड़ीध्वज लघु सिंचाई परियोजना, तहसील रेवदर एवं निम्बोड़ा लघु सिंचाई परियोजना, तहसील सिरोही प्रस्तावित हैं। करोड़ीध्वज नामक सिंचाई परियोजना की प्रस्तावित भराई क्षमता 94.94 मिलियन घन फीट, सिंचाई क्षमता 391 हैक्टेयर्स, अनुमानित लागत राशि 147.31 लाख रुपए हैं एवं निम्बोड़ा नामक सिंचाई परियोजना की प्रस्तावित भराव क्षमता 75.15 मिलियन घन फीट, सिंचाई क्षमता 453 हैक्टेयर्स एवं अनुमानित लागत राशि 167 लाख रुपए हैं। उक्त दोनों परियोजनाओं पर विस्तृत अनुसंधान एवं अध्ययन किया जा रहा है। विभागीय अनुसंधान एवं अध्ययन पूर्ण होने के पश्चात् विदेशी अध्ययन दल द्वारा माह अक्टूबर, 1992 में दोनों परियोजनाओं का प्रस्तावित अध्ययन करने के पश्चात् स्वीकृति प्राप्त होने पर कार्य प्रारम्भ करना सम्भावित है।

श्री टीकम चन्द कान्त : उपाध्यक्ष महोदय, इन योजनाओं के पश्चात् भी रेवदर क्षेत्र से कुल कितना जल उपयोग में आये बिना गुजरात में बह कर जाता रहेगा? उसे सिंचाई उपयोग में लेने हेतु कौन-कौन सी योजनाएं बनाई गई है, या बनाई जा रही है? बहुप्रतिक्षित सूकड़ी सेलवाड़ा, भैंसासिंह आदिवासी जनसंख्या बहुल योजना अभी किस स्तर पर है? कौन-कौन सी योजनाएं सी.डब्ल्यू.सी. के पास पड़ी हुई हैं? उन्हें स्वीकृत करवाने हेतु विभाग की तरफ से अभी तक क्या प्रयास हुए हैं?

श्री कैलाश मेघवाल : उपाध्यक्ष महोदय, इन सारे सवालों के जवाब हैं। राज्य सरकार इस बात के लिए चिन्तित है कि राजस्थान में बरसने वाला पानी राजस्थान से बाहर नहीं जाए। लेकिन यह जो प्रश्न पूछा गया है, उसका स्कोप वर्तमान में आप देखें तो न तो दूसरी योजनाओं का पूछा है। सी.डब्ल्यू.सी. में किस स्टेज पर कौनसी योजनाओं प्रस्तावित है, मंजूर हुई है, ये सारी सूचनाएं विभाग में हैं और मैं दे सकता हूं, लेकिन आज उसकी तैयारी इस प्रश्न की पृष्ठभूमि में तो मेरे पास नहीं है। मैं माननीय विधायक से कहता हूं कि वे मेरे से अलग से जानकारी ले लें, कहीं भी मिलकर जानकारी ले लें, मैं उनको सारी जानकारी दे दूंगा।

श्री टीकम चन्द कान्त : माननीय मन्त्री महोदय, मुझे सूचना उपलब्ध करा देंगे?

श्री कैलाश मेघवाल : करवा दूंगा।

श्री उपाध्यक्ष : ठीक है, हो चुका।

श्री रामसिंह विश्नोई : उपाध्यक्ष महोदय, मुझे इतना ही कहना है कि यह केवल डेढ़ करोड़ की योजना है, इसके लिए आपको विदेशी सहायता की कहां जरूरत पड़ी ?

श्री कैलाश मेघवाल : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जर्मन सहायता छोटी-छोटी योजनाओं के लिए ही मिलती है। राजस्थान में अभी तक 9 योजनायें ऐसी हैं जिसमें से सात पर काम चल रहा है जर्मन सहायता से और दो उन्होंने पिछले महीने मंजूर की हैं। अभी उनको हमने नौ योजनायें और प्रस्तावित की है। सहयोग के लिए वे छोटी-छोटी योजनायें ही हाथ में लेते हैं। उनका अपना अध्ययन दल आता है। वे बड़ी योजनाओं में सहयोग नहीं दे रहे।

श्री उपाध्यक्ष : नैक्स्ट/माननीय श्री राजेन्द्र गहलोत।

श्री महावीर प्रसाद जैन : उपाध्यक्ष महोदय, मंत्री जी के क्षेत्र में भी एक छोटी योजना है, वह भी इसमें ले लें, यह मैं निवेदन करना चाहता हूं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : वह बिलकुल आपके गांव के पास है, उसका ध्यान रखें।

रणथम्भौर बाघ परियोजना के नये सृजित पद

193. **श्री राजेन्द्र गहलोत** (सरदारपुरा) : क्या वन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि मुख्य वन जीव प्रतिपालक और रणथम्भौर में कार्यरत अधिकारियों के आपसी मतभेद, और खींचतान के कारण जंगल व जंगली जीवों की ओर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया गया व अधिकारियों के जंगल में गश्त पर नहीं जाने के कारण शिकारियों ने शिकार किया, एवं आस पास के लोगों ने जंगल काटे ? यदि हां, तो इसके लिए कौन-कौन अधिकारी उत्तरदायी हैं व उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ?

(2) क्या रणथम्भौर बाघ परियोजना में नये पद सृजित किये गये हैं ? यदि हां, तो किस-किस अधिकारी की नियुक्ति की गयी एवं क्या इन अधिकारियों ने अपना कार्यभार सम्भाल लिया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(3) क्या यह भी सही है कि वन्य जंगल और जीवों की वास्तविक रक्षा का दायित्व वन रक्षकों एवं वन पालकों पर है ? क्या उन्हें बाघ परियोजना भत्ता नहीं दिया जाता है जिसके कारण वे अपने दायित्वों के प्रति निष्क्रिय हैं ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

वन मन्त्री (श्री लालचन्द डूडी) : (1) जी नहीं, प्रश्न ही नहीं उठता।

(2) जी हां, रणथम्भौर बाघ परियोजना में जुलाई, 1992 में अधिकारियों के चार नये पद, सहायक वन संरक्षक का एक पद, पशु चिकित्सक का एक पद एवं क्षेत्रीय वन अधिकारी के दो पद सृजित किये गये हैं। इनमें से क्षेत्रीय वन अधिकारी के दो पदों पर नियुक्तियां सर्वश्री भरतसिंह गुर्जर एवं श्री भोपालसिंह राठौड़ की, की गयी हैं। इन्होंने अपने पदों का कार्यभार

(श्री लालचन्द डूडी)

सम्भाल लिया है। शेष पदों को भरने की जा रही है।

(3) जी हां, वन्य जीवों एवं जंगलों की सुरक्षा का दायित्व वन कर्मियों पर है। बाघ परियोजना भत्ता नहीं मिलने के कारण वे अपने दायित्वों के प्रति निष्क्रिय नहीं हैं। समस्त वन कर्मचारी अपने दायित्वों का पालन कर रहे हैं। यदि कोई वन कर्मचारी दायित्वों का पालन नहीं करने का दोषी पाया जाता है तो उसके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही अमल में लायी जाती है।

श्री राजेन्द्र गहलोत : माननीय उपाध्यक्षजी, मैं आपके माध्यम से माननीय मन्त्रीजी से कुछ जानकारी चाहूंगा। माननीय मन्त्रीजी, क्या यह सही है कि मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक के विरुद्ध कोई जांच चल रही है? और जांच चल रही है तो जांच में उन्होने क्या रिपोर्ट दी है?

श्री लालचन्द डूडी : उपाध्यक्ष महोदय, इस प्रश्न का सीधा सम्बन्ध नहीं है।

श्री राजेन्द्र गहलोत : माननीय उपाध्यक्षजी, सितम्बर, 1991 में सवाईमाधोपुर के पत्रकार सत्यनारायण जोशी एवं वहां के एडवोकेट, के. सी. गोयल ने एक ज्ञापन मुख्य मंत्रीजी को और माननीय वन मंत्रीजी को दिया। वन मंत्रीजी ने यह जांच वन सचिव को दी और वन सचिव ने सतर्कता वन निदेशक को यह जांच दी। जो मैंने प्रश्न पूछा है और मंत्रीजी ने गोलकर तथ्य छिपाने का प्रयत्न किया है, उसमें वह सारी स्थिति स्पष्ट हो गई थी कि अवैध शिकार हुआ, तेन्दूपत्ते का अवैध धन्धा किया गया, विकास योजना के पैसे में अनियमिततायें की गई और उसके आधार पर वह जांच की गई। वह जांच रिपोर्ट विभाग को सौंप दी गई है और उसमें टिप्पणी है कि श्री बी. डी. शर्मा ने और तेजवीर सिंह ने उसमें अनियमिततायें की हैं और इसकी ए.सी.डी. में जांच की जाय। वह जांच छिपाने का प्रयत्न विभाग द्वारा क्यों किया जा रहा है, इसके बारे में माननीय मंत्रीजी स्पष्ट करें।

श्री लाल चन्द डूडी : उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक यह प्रश्न है इस जांच का इस प्रश्न से अभी तक कोई सीधा सम्बन्ध नहीं है। अगर इस जांच के बारे में पूछा जाता तो मैं जांच की जानकारी लेकर के आता। यह जांच चल रही है, मुझे मालूम है (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र गहलोत : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सीधा सम्बन्ध इसलिये है क्योंकि यह बाघ परियोजना राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त है, उसमें इस प्रकार की अनियमिततायें की जाय, मेरा प्रश्न सीधा है, यदि मंत्रीजी पढ़ कर वापस जवाब दें तो इसमें पता लगेगा कि कितनी अनियमिततायें हुई हैं, उसके कारण अधिकारियों में कितनी खींचतान थी। आप यह कह रहे हैं, खण्ड-2 में आपने जवाब दिया है कि वहां नव सृजित जो पद थे, उनमें अधिकारियों को लगा दिया गया है। माननीय मंत्रीजी, मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि जो फील्ड डायरेक्टर का पद था, जिस पर एन. के. माथुर ने चार्ज ले लिया था, उनको कार्यभार क्यों नहीं सौंपा गया, उनको कार्य क्यों नहीं करने दिया गया?

(श्री राजेन्द्र गहलोत)

इसलिये नहीं करनें दिया गया कि आज तक वहां अवैध शिकार हुआ है, तेन्दूपत्ते का अवैध धन्धा किया गया है, अनियमिततायें की गई हैं, उसको छिपाने के लिये डायरेक्टर के पद को 9 महीने तक इन्होंने चार्ज लेने के बाद भी उनको काम नहीं सौंपा गया। इसके पीछे कारण यह था कि....

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप सवाल पूछें, भाषण मत दीजिये।

श्री राजेन्द्र गहलोत : माननीय उपाध्यक्षजी, यह अन्तर्राष्ट्रीय ख्याति का सवाल है। आज हमारी बाघ योजना नष्ट की जा रही है। 1990 में जो गणना की गई थी, उसमें 44 बाघ बताये गये थे, उसमें से आज की तारीख में 15 भी नहीं हैं। इसका कारण क्या था? 1985 से लेकर 1990 तक जिस प्रकार का अवैध शिकार हुआ है, और 1990 के बाद जिस प्रकार की घटना होनी चाहिये थी, इस प्रकार वहां अनियमिततायें हुई थीं और अनियमितताओं को छिपाने की कोशिश की जा रही है। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि इस प्रकार की जो अनियमिततायें हुई हैं, वह आज से नहीं लगातार 10 वर्षों से हो रही हैं। उसकी जांच की जाय और जिस प्रकार उस रिपोर्ट में आया है, मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि इसकी जांच करवाई जायं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री प्रद्युम्न सिंह।

श्री प्रद्युम्न सिंह : (राजाखेड़ा) : उपाध्यक्ष महोदय, मुझे ऐसा आभास होता है कि जनता दल (दिग्विजय) के मंत्री को यह भा. ज. पा. के सदस्य तंग कर रहे हैं। यह भावना है इसके अन्दर।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आप तो कृपा करें।

श्री प्रद्युम्न सिंह : यह मेरे मित्र हैं, पुराने मित्र हैं। लेकिन मैं माननीय वन मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि आप इतने पुराने मंत्री होने के बावजूद आपसे इस तरह के उत्तर की आशा नहीं थी। उपाध्यक्ष महोदय, आप पहले पार्ट को देखें– "क्या यह सही है कि मुख्य वन जीव प्रतिपालक और रणथम्भोर में कार्यरत अधिकारियों के आपसी मतभेद और खींचतान के कारण जंगल व जंगली जीवों की ओर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया गया व अधिकारियों के जंगल में गश्त पर नहीं जाने के कारण शिकारियों ने शिकार किया एवं आसपास के लोगों ने जंगल काटे" एण्ड सो आन। उत्तर क्या है, "जी नहीं, प्रश्न ही नहीं उठता।" इसका अभिप्राय यह हुआ कि न तो वहां कोई शिकार हुआ, न कोई जंगल काटे गये। माननीय मंत्रीजी आपसे यह आशा नहीं थी कि आप आंख मींचकर प्रश्न को अपूर्व करके यहां उत्तर पढ़ देंगे, नम्बर एक।

यह तो निश्चित है कि राजस्थान में अकेली गेम सेंक्चुअरी, सबसे पापुलर गेम सेंक्चुअरी यही है। और हिन्दुस्तान में ही नहीं, सारे संसार की गेम सैंक्चुअरिरीज में इस गेम सेंक्चुअरी का नाम है। मेरा यह निवेदन है कि इस गेम सेंक्चुअरी की रक्षा करने का सरकार का इरादा है या नहीं है। आज सारे हिन्दुस्तान के अखबारों में

(श्री प्रद्युम्न सिंह)

इस गेम सेंक्चुअरी के बारे में बड़े-बड़े लेख आये हैं, भारत सरकार इन्क्वायरी कराना चाहती है, यहां पर बहुत बड़ी संख्या में बाघों का और अन्य जानवरों का शिकार हुआ तथा इस प्रकार के आरोप कि इसके अन्दर कई अधिकारी लिप्त हैं। मेरा सरकार से यह जानना है खास तौर से कि क्या सरकार का इस गेम सेंक्चुअरी की रक्षा और उन्नति करने का विचार है या नहीं है। बाकी तो इनका राज है, जीवों को बिल्कुल खत्म कर दो, सब को मार दो। अगर चाहते हैं तो इसके लिये सरकार ने क्या योजना बनाई है क्योंकि अभी भी समय है कि जिन्होंने यह दोष किया है, जिन्होंने यह अपराध किया है, उनको सजा दी जाय। नम्बर दो, इसकी रक्षा और इसकी उन्नति के लिये आपकी क्या योजना है? भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति नहीं हो, इसके ऊपर आप कुछ प्रकाश डालें तो आपकी बड़ी कृपा होगी।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय श्री जुबेर खान।

श्री जुबेर खान (रामगढ़) : उपाध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने कहा कि कोई आपस में विवाद नहीं है और उनका आपस में अच्छा कोआर्डिनेशन है। तो मैं पूछना चाहूंगा कि मई-जून, 1992 में जो सेन्सस हुआ था, चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन होते हैं, फील्ड डाइरेक्टर होते हैं और असिस्टेंड फील्ड डाइरेक्टर होते हैं, क्या इन तीनों अधिकारियों में से कोई व्यक्ति 1992 की पशु गणना में वहां मौजूद था?

नम्बर दो, क्या मई, 1992 में एक असिस्टेंट डाइरेक्टर का ट्रान्सफर हुआ था और वह ट्रान्सफर आज तक लागू नहीं किया गया, आज तक उसको रिलीव नहीं किया गया? उस दौरान अधिकारियों ने क्या-क्या एक्सक्युजेज दिये, क्या वजह बताई जिसके कारण यह लोग पशु गणना में शामिल नहीं हुए और श्री कजोड़, गार्ड, को क्यों आपने सस्पेन्ड किया? इनका आप उत्तर दे दीजिये।

श्री उपाध्यक्ष : श्री रामस्वरूप मीणा।

श्री रामस्वरूप मीणा (टोडाभीम) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सारे हिन्दुस्तान में यह सब से बड़ी योजना है, इसके अन्दर बाघों का जो शिकार किया गया है, उसके बारे में वर्ष 1991-92 में कितने मुकदमे आपने दर्ज कराये? यह बतायें।

दूसरा, जिन व्यक्तियों के खिलाफ शिकायतें आई थीं और उसके बाद मन्त्री महोदय, स्वयं सवाईमाधोपुर पधारे थे; और मौके पर आपको लोगों ने अनेकों प्रमाण भी पेश किये थे इसके बारे में कि किन-किन लोगों ने वन को कटवाया और जीवों को मरवाया है और आपने आश्वासन दिया था कि आप तुरन्त इसकी जांच करवाकर दोषी व्यक्तियों के खिलाफ कार्यवाही करेंगे, तो वन मंत्री जी, आज तक आपने क्या किया है?

उपाध्यक्ष महोदय, कार्यवाही करने के बजाय, जिन लोगों के खिलाफ आप कार्यवाही करने जा रहे थे, उन लोगों को उल्टा आपने पदोन्नति दी है, बजाय उनको हटाने को इसलिए आप तुरन्त सदन के सामने इस बात की जानकारी दें कि आपने उनके खिलाफ कार्यवाही करने के बजाय, जो

(श्री रामस्वरूप मीणा)

लोग दोषी थे, उसको पदोन्नति क्यों दी और वे आज अच्छे स्थान पर बैठे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री अरूण सिंह।

श्री अरूण सिंह (डीग) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि रेवेन्यू सेक्रेटरी, श्री आर. एस. कूमट, की रिपोर्ट सदन की मेज पर रखी जाये।

श्री उपाध्यक्ष : क्या मतलब ?

श्री अरुण सिंह : श्री आर. एस. कूमट, रेवेन्यू सेक्रेटरी, ने एक रिपोर्ट अभी हाल ही में बनाई थी और सरकार को दी थी। हम चाहते हैं कि वन मंत्री जी उस रिपोर्ट को सदन में रखें""(व्यवधान)""इसी मामले में जांच थी। मुख्य मंत्री जी से निवेदन है कि टाइगर प्रोजेक्ट, रणथम्भौर नेशनल पार्क का मामला बहुत ही गम्भीर है और इसमें सी. बी. आई. की तरफ से एन्कवायरी हुई। अभी हाल में एस. पी. सवाई माधोपुर, श्री मोहन सिंह भाटी ने अच्छा कार्य किया है और चुप-चाप से यह रिपोर्ट आज सी. आई. डी. में गई है। तो वह क्यों गई है ?

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मंत्री महोदय।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों को जानकारी होगी कि कल या नेक्स्ट डे, कल ही है शायद, इस बांध परियोजना के सम्बन्ध में काल अटेंशन नोटिस है तो ज्यादा अच्छा होगा अगर उस समय इसकी चर्चा हो जाए।

श्री केदार नाथ शर्मा : स्पीकर साहब की भी व्यवस्था है कि ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के साथ ही ये सारे सवाल क्लब किए जायेंगे।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : वह ज्यादा अच्छा होगा।

श्री प्रद्युम्न सिंह : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज जिन्होंने सप्लीमेन्टरी क्वेश्चन किये हैं, क्या उनको चर्चा में भाग लेने की अनुमति देंगे ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आपको अनुमति मिलेगी।

श्री नत्थी सिंह : यह आप डिसाइड करेंगे ?

श्री प्रद्युम्न सिंह : मैं आपकी मानने वाला नहीं हूं। आप यह कहें कि"" (व्यवधान)

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं ऐसा समझता हूं कि""(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय श्री कल्ला साहब आप बिराजें (व्यवधान)

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आपको प्रश्न पूछने की अनुमति हो, इसके लिए मैं भी उपाध्यक्ष महोदय से निवेदन करूंगा।

श्री उपाध्यक्ष : इस प्रकार से अनुमति दे दी जाएगी कल। नेक्स्ट। श्री हेतराम बेनीवाल। (व्यवधान)

श्री जुबेर खान : माननीय नेता महोदय आपसे निवेदन है कि आप कल सदन में मौजूद रहेंगे जब यह चर्चा हो।

श्री उपाध्यक्ष : हां, हो जाएगा। माननीय श्री हेतरामजी बेनीवाल।

गंगानगर शहर स्थित चिकित्सालय में डाक्टर्स के विरुद्ध शिकायतें

194. श्री हेतराम बेनीवाल (संगरिया) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) श्री गंगानगर शहर में स्थित राजकीय चिकित्सालय में पिछले पांच वर्षों में इन्डोर मरीजों की औसतन क्या संख्या रही तथा भर्ती किए गए व्यक्तियों को कितने मूल्य की दवाइयां मुफ्त वितरित की गई ?

(2) क्या राज्य सरकार ने तय किया है कि 70 वर्ष के गरीब अनुसूचित जाति के व्यक्ति को राज्य सरकार पूरी दवाइयां अस्पताल के फण्ड से उपलब्ध कराएगी ? यदि हां, तो श्री गंगानगर के अस्पताल में पिछले वर्ष में कितने ऐसे मरीजों को दवाइयां दी गई और उन पर कुल कितना रुपया खर्च किया गया ?

(3) क्या राज्य सरकार के ध्यान में है कि गंगानगर में दीर्घावधि से पदस्थापित अधिकांश डाक्टर्स प्राइवेट नर्सिंग होम चलाते हैं और मरीजों को निजी नर्सिंग होम में चिकित्सा एवं सम्बन्धित जांच करवाने को मजबूर करते हैं ? क्या सरकार इस सम्बन्ध में जांच कर ऐसे डाक्टर्स का स्थानान्तरण करने तथा कठोर कार्यवाही करने का इरादा रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री (श्री ललित किशोर चतुर्वेदी) : (1) श्रीगंगानगर शहर में स्थित राजकीय चिकित्सालय में पिछले पांच वर्षों में इन्डोर मरीजों की प्रति दिन औसतन संख्या 301.7 रही तथा इस चिकित्सालय में गत 5 वर्षों में भर्ती किए गए व्यक्तियों को कुल 27,18,945/- रुपये मूल्य की दवाइयां मुफ्त वितरित की गई।

(2) उपलब्ध वित्तीय संसाधनों को दृष्टि में रखते हुए इस बात का प्रयास किया जाता है। पृथक से कोई रिकार्ड संधारण नहीं किए जाने के कारण औषधियों पर किये गये वर्ष के कितने रोगियों का निःशुल्क उपचार किया गया एवं उनके उपचार के लिए औषधियों हेतु कितना व्यय किया गया यह बताया जाना सम्भव नहीं है।

(3) चिकित्सकों द्वारा प्राइवेट नर्सिंग होम अपने परिजनों के नाम से स्थापित कर चिकित्सकों द्वारा ही चलाए जाने की विभाग को पुष्टि नहीं हुई है। चिकित्सालय समय के बाद या निजी नर्सिंग होम में रोगियों का चिकित्सा एवं सम्बन्धित जांच हेतु मजबूर किए जाने बाबत किसी प्रकार की कोई शिकायत की विभाग को जानकारी नहीं है। सेवा नियमों का उल्लंघन करने के प्रमाण प्राप्त होने पर दोषी अधिकारियों के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी।

श्री हेतराम बेनीवाल: माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं इनके अन्तिम सवाल के जवाब से अपना प्रश्न शुरू करता हूं। यह इन्होंने कहा है इनको यह जानकारी नहीं है। एक तो इन्होंने जवाब ही गलत दिया है। मैंने पूछा है कि जो डाक्टर्स वहां हैं वे खुद चलाते हैं और इन्होंने कहा है कि इनके परिजनों के नाम से नहीं है। मैं यह कहता हूं कि उनके खुद के नाम से गंगानगर में 10-15 नर्सिंग होम्स हैं, जो नर्सिंग होम्स हैं उनके लिए उनके खुद के बने हुए मकान हैं, नर्सिंग होम्स में बैड्स और सारी चीजें हैं। मंत्रीजी ने यह रिपोर्ट दी है कि इनको इस बात की सूचना नहीं है। इसका मतलब यह है कि इन्होंने जांच करवाई ही नहीं है। मेरे पास उन सारे नर्सिंग होम के फोटो हैं और नर्सिंग होम पर लिखा है डी.पी. आर्य, शाह पैथोलोजी लेबोरेट्री, बाम्बे हास्पिटल, इसके नीचे नाम लिखा है डाक्टर का, यह जितने भी फोटो हैं, कपिल भारद्वाज, कैलाश हास्पिटल, लड़का-लड़की होगा अल्ट्रा साउण्ड करवाओ। ये आदर्श नर्सिंग होम, डा. गोयल, सर्जन डा. गोयल और आर्थोपेडिक्स, डा. गोयल का नर्सिंग होम।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस प्रकार से मैंने नर्सिंग होम के नाम सहित सारे फोटो खिचवाए हैं, उनके ऊपर नाम भी यह लिखा है कि नर्सिंग होम। यह मेरे पास 10 नर्सिंग होम के फोटोज हैं और 10 नर्सिंग होम के फोटोज के बाद भी आज स्थिति यह है कि इनको रिपोर्ट वहां से मिली है इनके सी. एम. एण्ड एच. ओ. और मेडिकल डिपार्टमैंट से कि कोई नर्सिंग होम गंगानगर में नहीं है।

दूसरी बात यह कह रहे हैं कि वहां किसी ने शिकायत नहीं की। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, शिकायत तो होती है 2-4-10 आदमियों की, लेकिन 22, अगस्त को गंगानगर शहर बन्द रहा, पूरा शहर बन्द रहा, सारा बाजार सुबह से लेकर शाम तक बन्द रहा, एक भी दुकान नहीं खुली, यहां तक कि पान की दुकान भी नहीं खुली। शिकायत यह थी कि नर्सिंग होम चलाते हैं और जबर्दस्ती मरीजों को वहां पर ले जाया जाता है। यह शिकायत वहां के नागरिकों ने, वहां के व्यापार मण्डल के अध्यक्ष जो कि संयोजक था और 3 एम.एल.ए. थे। उन्होंने कलक्टर को मेमोरेण्ड दिया और आपको भी भेजा गया। अब आप कह रहे हैं कि शिकायत ही नहीं आई। और दूसरी शिकायत की पत्रकारों ने, पूरे जिले के पत्रकारों ने हड़ताल की। एक पत्रकार महोदय गए, उनकी पत्नी को नर्सिंग होम में ले जाने के लिए उन्होंने दो घण्टे तक उसको वहां बैठाए रखा, अस्पताल में दाखिल नहीं किया। उन्होंने थाने में एफ आई आर दर्ज करवाई। उनकी पत्नी के वहीं अस्पताल की गैलेरी के अन्दर, बाहर ही, दो महीने का बच्चा था उसका एबोर्शन हो गया। खून गैलेरी के अन्दर गिरा, खून अस्पताल की गैलेरी में गिरे। और उसके बाद में धक्के मार कर उस पत्रकार को वहां से बाहर निकाल दिया। सारे पत्रकारों ने हड़ताल की, उन्होंने कलक्टर से शिकायत की और एफ. आई. आर. दर्ज करवाई। मेरे समझ में नहीं आया कि आप कह रहे हैं कि आपको अस्पताल के बारे में कोई शिकायत ही प्राप्त नहीं हुई।

दूसरा, मैं यह सवाल पूछना चाहता हूं कि आपने यह घोषणा की थी वह घोषणा

(श्री हेतराम बेनीवाल)

आपने इसमें साबित कर दी कि + + + थी, नकली थी। आपने यह घोषणा की थी कि 70 साल का हरिजन है अगर वह अस्पताल में भर्ती होगा तो राज्य सरकार उसकी सारी दवाइयों का इन्तजाम करेगी। आज आपने जवाब में यह कहा है कि वित्तीय संसाधनों का, अगर यह वित्तीय संसाधन नहीं थे तो फिर ऐलान ही क्यों किया? हरिजनों को + + + बनाने के लिए दिया। आप स्पेसिफिक मेरे प्रश्न के जवाब में यह कहते हैं वित्तीय संसाधनों को दृष्टिगत रखते हुए इस बात का प्रयास किया जाता है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, प्रयास किया जाता है, किस बात का? (व्यवधान)

श्री बिरदा राम चौधरी (मकराना) : मारने का।

श्री हेतराम बेनीवाल : हां सही यही है। हरिजन वैसे कम हो जायेंगे। इन्होंने अपने आंकड़ों से यह बताया है कि 301 इंडोर पेशेंट्स पर टोटल 5 साल तक आपने 25 लाख रुपये खर्च किये। यानी एक मरीज पर आपने दो-ढाई रुपये प्रतिदिन का इंडोर पेशेंटस पर खर्चा किया हैं फिर आपने हरिजनों को, जो भर्ती हुए उनको पैसा कहां से दिया, कहां से उनके लिए पैसा निकाला? आपने जो प्रचार किया यह बिलकुल गलत है, अस्पताल के अन्दर किसी तरह से किसी मरीज को दवाई (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मंत्रीजी का उत्तर आ जाय।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, गंगानगर जिले से आने वाले माननीय सदस्य ने जिस बात की घोषणा की चर्चा की है मैं उनको उस घोषणा की और घोषणा की पूरी याद दिलाना चाहता हूं। राज्य सरकार का यह प्रयास है कि वे रोगी जो गरीबी की रेखा के नीचे जीवन यापन करते हैं और अन्त्योदय परिवार के हैं, जो गरीब वृद्ध रोगी 70 वर्ष और ऊपर की आयु के हैं, नम्बर (3) (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिए आप।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : वे रोगी जो विकलांग हैं एवं गरीबी की रेखा के नीचे जीवन यापन करते हैं इनको मुफ्त दवाइयां वितरित करने की पूरी कोशिश की जाएगी। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि उस दिन को, इसलिए मैंने उस समय भी कहा था कि राजस्थान की सरकार के वित्तीय संसाधन सीमित हैं और इसीलिए मैंने राजस्थान के सभी धनी-मानी और प्रवासी राजस्थानी भाइयों से यह निवेदन किया था कि वह मेडिसन बैंक की स्थापना करें। उसी भाषण में कहा था कि जयपुर के बाहर लायन्स क्लब ने और अग्रवाल समिति ने दो इस प्रकार की (व्यवधान)

श्री हेतराम बेनीवाल : इससे क्या मतलब है?

+ + + शब्द अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(25)

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : पहले आप थोड़ा मुझे कम्प्लीट तो करने दीजिए।

श्री हेतराम बेनीवाल : सरकार ने कोई पैसा नहीं दिया।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : बैठो तो सही, जल्दी क्यों कर रहे हैं। मेरी बात तो सुनो पहले। उसी संदर्भ में मैंने जिक्र किया था तो इसी निवेदन के कारण उदयपुर के मेडिकल कालेज में भी दो इस प्रकार की मेडिसन बैंक की स्थापना हुई हैं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : उत्तर नहीं सुनना चाहते हैं क्या ?

श्री हेतराम बेनीवाल : मैं उदयपुर का थोड़े ही पूछ रहा हूं ? (व्यवधान)

(12.00 मध्याह्न)

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : पूरे प्रदेश के सम्बन्ध में इसी योजना को सामने रख कर हमारा निश्चित रूप से मत होगा कि वार्ड में जो लोग भर्ती होंगे, भर्ती करने वाला इन्चार्ज डाक्टर उस स्थान को चिन्हित करेगा और अपनी ओर से सरकार ""(व्यवधान)""मैं आपके माध्यम से फिर निवेदन करना चाहता हूं (व्यवधान)

श्री प्रद्युम्न सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, यह उत्तर क्या आ रहा है ? यह गलत है।

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिये आप।

श्री रामेश्वर दयाल यादव : यह विधायकों का, पत्रकारों का ज्ञापन है (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजिये, उत्तर आयेगा, माननीय मंत्री जी (व्यवधान)

श्री रतनाराम चौधरी : जो सवाल है उसका उत्तर दीजिए। (व्यवधान)

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : उपाध्यक्ष महोदय, आपकी जानकारी के लिए बताना चाहता हूं कि निकट बाई स्टेट्स, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, गुजरात इन सबसे हमने आंकड़े मंगवाये हैं, सबसे अधिक इस प्रकार की सहायता निःशुल्क राजस्थान में दी जाती है। मैं आपके मार्फत बताना चाहता हूं उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान के सीमित साधन है (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय विपक्ष के नेता बोल रहे हैं।

श्री हरिदेव जोशी (नेता,प्रतिपक्ष) : उपाध्यक्ष महोदय, जिस जगह के लिए सवाल किया गया है पहले उसका जवाब दे दीजिए फिर पूरे राज्य भर में क्या किया है उसका हो जाए पहले जो बात पूछी गई है उसका जवाब तो दे दीजिए (व्यवधान)

श्री केदारनाथ शर्मा : गंगानगर के हास्पिटल्स में जो डाक्टर्स है उनके घरों में नर्सिंग होम है कि नहीं है ? अव्यवस्था कितनी है, हड़ताल भी हुई और इसी कारण हुई है।

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिये आप, उत्तर आ रहा है।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जिन फोटोज को बताया वह कृपया मुझे दें, जिस हड़ताल की चर्चा उन्होंने की है उस हड़ताल के लिए बताना चाहता हूं, यह हड़ताल

(श्री ललित किशोर चतुर्वेदी)

इसलिये हुई थी कि जो प्राइवेट नर्सिंग होम थे और उनमें प्राइवेट डाक्टर्स थे उन्होंने इलाज गलत किया है, हड़ताल हुई थी।

श्री हेतराम बेनीवाल : प्राइवेट नहीं है। मैं बता दूं सिविल हास्पिटल के अन्दर

श्री हीरालाल इन्दौरा : जो मेमोरण्डम विधायकों ने कलक्टर को 22 तारीख को दिया था, उस पर आपने क्या कार्यवाही की ? (व्यवधान)

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन से निवेदन करना चाहता हूं कि जो जानकारी आप उपलब्ध करवा रहे हैं मुझे देंगे तो मैं अविलम्ब इस पर जांच करवाऊंगा और उनके विरुद्ध कठोर कार्यवाही करूंगा।

श्री नत्थीसिंह : एम.एल.एज. ने जो ज्ञापन दिया था कि वहां हड़ताल हुई, वह आपको मिला कि नहीं मिला ?

श्री हेतराम बेनीवाल : इस तरह की गलत बात कहना, बॉम्बे हॉस्पिटल के अन्दर....

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्नकाल समाप्त हुआ। (व्यवधान)

श्रीमती सुचित्रा आर्य : उपाध्यक्ष महोदय, यह कोई मतलब नहीं है

श्री बुलाकीदास कल्ला : हॉस्पिटल के अन्दर पट्टियां नहीं है, दवाइयां नहीं है

श्री उपाध्यक्ष : विराजिये। आपकी सारी बात सुन ली गई है (व्यवधान)

श्री नत्थीसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, आप भी कल दिल्ली में गये थे, आप हमारी बात सुनिये। (व्यवधान)

श्री हेतराम बेनीवाल : कल ही हम दिल्ली में जो परम्पराएं डाल कर आये हैं, आसन पर बैठ करके आप किसी सदस्य की कोई बात सुनने को तैयार नहीं। मैंने स्पष्ट सवाल किया था कि जो नर्सिंग होम चलाते हैं....

श्री उपाध्यक्ष : उसके बारे में आश्वासन दिया था।

श्री हेतराम बेनीवाल : मंत्रीजी ने जवाब दिया है कि कोई शिकायत नहीं हुई। तीन एम.एल.ए. हाउस के अन्दर आ जायें जिन्होंने शिकायत की, और शिकायत भी उस बॉम्बे हॉस्पिटल की है जिसमें सरकारी डाक्टर्स काम करते हैं, उसमें सरकारी डॉक्टर्स हैं। मैं नाम बताऊंगा। वास्तव में प्राइवेट डॉक्टर्स को प्रोटेक्ट करने की बात सरकार नहीं करें। जो प्राइवेट प्रेक्टिस करते हैं उनको प्रोटेक्ट करने की बात की जा रही है।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : कभी भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। कोई भी नर्सिंग होम चलायेगा तो उसके विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्यवाही करेंगे। मैं बताना चाहता हूं आपके माध्यम से (व्यवधान)

श्री हेतराम बेनीवाल : उनके खिलाफ क्या कार्यवाही की आपने मुझे बताइये ।

(श्री हेतराम बेनीवाल, सदस्य, विधान सभा द्वारा कुछ फोटोज दी गई ।)

श्री उपाध्यक्ष : विराजिये ।

श्री केदारनाथ शर्मा : मुझे बड़ा अफसोस है कि 26 अगस्त को सारे शहर में हड़ताल थी । हम लोग हजारों की संख्या में गये और मंत्रीजी को खबर तक नहीं है कि नर्सिंग होम चलते हैं (व्यवधान)

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : वे तो प्राइवेट डॉक्टर्स थे (व्यवधान)

श्री केदारनाथ शर्मा : नहीं नहीं, सारा शहर इस बात को जानता है ।

श्रीमती सुचित्रा आर्य : पूरे राजस्थान के सारे अस्पताल आपने खराब कर रखे हैं, हैल्थ मिनिस्टर महोदय । एक भी ऐसा अस्पताल नहीं है जो सुचारू रूप से चल रहा हो, आप क्या बात करते हो (व्यवधान) विश्वास दिलाते हो ।

श्री हेतराम बेनीवाल : आप तो मंत्री जी यह बता दें कि आपको मेमोरेण्डम मिला कि नहीं ?

श्री केदारनाथ शर्मा : हमारी पहली मांग है, गंगानगर की बात नहीं है । सारे राजस्थान की बात है । (व्यवधान) पहली मांग यह है कि गंगानगर के सरकारी हॉस्पिटल के अन्दर जो अव्यवस्था है, तीन साल से ज्यादा वहां डॉक्टर्स हैं, दवाइयों में कम पैसा खर्च होता है और जो प्राइवेट नर्सिंग होम चल रहे हैं इसकी एक हाई पावर कमेटी बनाई जाये और एक हफ्ते में इसकी जांच की जाये ।

श्री प्रद्युम्न सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मैं मुख्य मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा कि यह गंगानगर का सवाल नहीं है । आज सारे राजस्थान के अस्पतालों में दवाइयां, पट्टियां नहीं मिल रही है... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिये हेतराम जी ।

श्री प्रद्युम्न सिंह : अस्पतालों की इतनी दुर्दशा कभी नहीं हुई जितनी दुर्दशा आज आपके राज में हुई है । (व्यवधान) मंत्री महोदय, सत्य कड़वा होता है । मैं आपकी व्यक्तिगत आलोचना नहीं करता हूं । एक स्टेट व्यवस्था की आलोचना कर रहा हूं, आपको इसको स्वीकार करना चाहिये और इसमें इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश है आप इम्प्रूवमेंट कीजिये । आप वित्त मंत्री भी है, माननीय मुख्य मंत्री जी आप फ्री बेड के हिसाब से क्या दे रहे हैं ? जो दस साल से मिल रहा है वही के वही दाम आप आज दे रहे हैं । आप इसको बढ़ाइये । दवाइयों की कीमतें आसमान छू रही है । आज हालत क्या है ? अस्पतालों में पट्टी नहीं मिल रही हैं, गोलियों की बात तो छोड़िये । मैंने शुरू में आपसे कहा था कि आप घोषणा कीजिए कि लोगों को दवाइयां तो निश्चित रूप से मिलेगी ही । आज दवा

(श्री प्रद्युम्न सिंह)

नहीं है, पट्टी नहीं है और अस्पतालों के अन्दर गन्दगी का आलम है। प्राइवेट नर्सिंग होम नहीं चलेंगे तो क्या होगा (व्यवधान) सारा सत्यानाश हो रहा है।

श्रीमती सुमित्रा आर्य : क्या प्रद्युम्न सिंहजी आप भी कमाल करते हो। यह आदमी तो बिल्कुल ही प्रजातन्त्र का नहीं है, पूरे राजस्थान के अस्पतालों को खराब कर रखा है।

श्री नत्थीसिंह : तीन माननीय सदस्यों ने ज्ञापन दिया, हड़ताल हुई, मंत्रीजी को मालूम है कि नहीं। पहली मांग यह थी कि नर्सिंग होम में सरकारी अस्पतालों के डॉक्टर्स जाते हैं और चलाते हैं, वहां अनियमितताएं हुई हैं, जुलूस निकले, हड़ताल हो, तीन-तीन माननीय सदस्य ज्ञापन दे फिर भी मंत्रीजी को पता नहीं है। यह सरकार का ढीला प्रशासन है, उसकी कमजोरी है और इसके लिए जिम्मेदार आप हैं।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके मार्फत फिर भी निवेदन करना चाहता हूं कि जो शिकायत मुझे प्राप्त हुई है, वह प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में प्राइवेट डाक्टर्स ने गलत इलाज किया है, उसके कारण हड़ताल हुई है। जिन तीन माननीय सदस्यों ने (व्यवधान) सुनिये पूरी बात। जिन तीन माननीय सदस्यों की चर्चा हुई है, आप उसके बारे में आकर देख लीजिये (व्यवधान)

श्री हीरालाल इन्दौरा : आपको 22 तारीख का मेमोरण्डम मिला है या नहीं ? आप एक बात बताइये, 22 तारीख का मेमोरण्डम मिला या नहीं ? (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : हीरालाल जी विराजिये।

श्री हेतराम बेनीवाल : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जिस प्राइवेट नर्सिंग होम की बात कर रहे हैं, हमारा यही कहना है कि प्राइवेट नर्सिंग होम के इन्चार्ज डाक्टर प्रहलाद गुप्ता है, पर उसमें हमारे सरकारी डाक्टर हैं उन्होंने जाकर इलाज किया, उसके बाद उस मरीज को अस्पताल में लाए, अस्पताल में उस मरीज की जांच हुई, अस्पताल के बाद में वह बीकानेर में भर्ती है, जिस मरीज की प्राइवेट में.... इसलिए हमारा तो (व्यवधान)

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : उसको तो कैंसर है, साहब। बीकानेर से इलाज की रिपोर्ट आ गई है। He is suffering from cancer. आप उसके इलाज की चर्चा कर रहे हैं ? (व्यवधान)

श्री हेतराम बेनीवाल : आप बात सुन लीजिए। हमारी शिकायत यही है कि प्राइवेट नर्सिंग होम में सरकारी डाक्टर जाकर लोगों से पैसे ऐंठते हैं। हमने बाजार इसलिए बंद किया कि प्राइवेट अस्पताल की, प्राइवेट नर्सिंग होम की जांच की जाय

(श्री हेतराम बेनीवाल)

(व्यवधान) आपने बताया नहीं कि (व्यवधान)

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : मैं फिर भी आश्वस्त करना चाहूंगा कि अगर कोई भी गवर्नमेंट डाक्टर इलाज करेगा, उसके विरुद्ध एक्शन लिया जायेगा, निश्चित रूप से लिया जायेगा, यह बात मैं कहता हूं। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : बेनीवाल साहब आप बिराजिये। आपको आश्वासन दो बार मिल चुका है। आपकी बात का कोई एण्ड नहीं है।

श्री हेतराम बेनीवाल : मेरे पास पूरा रिकार्ड है। आप सुनिये उपाध्यक्ष महोदय, आश्वासन नहीं, ये जो कह रहे हैं, वैसा हुआ ही नहीं है (व्यवधान) किस बात की जांच करवा रहे हैं। (व्यवधान)

श्रीमती सूर्यकांता व्यास : उपाध्यक्ष महोदय, पाइंट आफ आर्डर।

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजिये।

श्रीमती सूर्यकांता व्यास : 12 बजे के बाद कौनसी चर्चा हो रही है। क्या अभी तक प्रश्नकाल समाप्त नहीं हुआ ?

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजिये पहले।

श्रीमती सूर्यकांता व्यास : ये अपनी कमजोरी छिपाने के लिए इस तरह की बातें कर रहे हैं। इन्होंने किया क्या है ?

(शेष तारांकित प्रश्नोत्तर के लिए
कृपया परिशिष्ट–2 देखें।)

अतारांकित प्रश्नोत्तर

जयपुर के हथरोई मार्केट में भू-खण्ड की नीलामी

252. **श्रीमती उजला अरोड़ा** (जयपुर ग्रामीण) : क्या नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या कुछ समय पूर्व कोई स्वायत्तशासी संस्थाओं के प्रशासकों की बैठक में माननीय मुख्य मंत्री ने सरकारी भूमि पर हुए अतिक्रमणों को सख्ती से हटाने के निर्देश दिये ?

(2) अजमेर रोड पर जयपुर स्थित हथरोई मार्केट के पीछे 10 फीट के रास्ते से अभी तक अतिक्रमण न हटाये जाने के क्या कारण हैं ? अतिक्रमण कब तक हटाया जाकर सड़क व नाली का निर्माण करा दिया जाएगा ?

(3) क्या इसी मार्केट में जून, 1992 में शो-रूम संख्या 8 के भू-खण्ड की नीलामी की गई थी ? यदि हां, तो उक्त नीलानी में भू-खण्ड की क्या बोली लगी ? उक्त बिक्री को सरकार कब तक अन्तिम रूप देने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) उक्त कब्जे (अतिक्रमण) को बेदखल नहीं करने बाबत मुंसिफ एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट (पश्चिम) जयपुर नगर जयपुर का स्थगन आदेश है। स्थगन आदेश समाप्त होने के बाद कार्यवाही की जावेगी।

(3) हथरोई मार्केट शोरूम संख्या 8 की नीलामी दिनांक 11.6.92 को हुई जिसका क्षेत्रफल 15.61 वर्गमीटर है। इस नीलामी में भूखण्ड की बोली 31000/- रुपये प्रति वर्गमीटर लगी। मुंसिफ एवं न्यायायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी जयपुर शहर (पूर्व) से स्थगन आदेश होने के कारण अधिकरण द्वारा इस बोली को स्वीकार करने के सम्बन्ध में निर्णय लम्बित है।

सांगानेर योजनान्तर्गत आवास आवंटन

253. श्री शम्भूदयाल बड़गूजर (केकड़ी) : क्या नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) वर्ष 1982 में राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर की सांगानेर योजना हेतु मध्यम आय वर्ग "अ" एवं "ब" श्रेणी के आवास हेतु कितने आवेदन पत्र प्राप्त हुए थे? सूची मय आवेदक के नाम व वरीयता के सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त आवेदकों में से अब तक किन किन को कब-कब आवास आवंटित किये गये तथा शेष रहे आवेदकों को कब तक आवास उपलब्ध करवा दिया जायेगा?

(3) क्या यह सही है कि राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर की सांगानेर योजना में मध्यम आय वर्ग "अ" तथा "ब" में वर्ष 1982 में श्री शिवचरण सोनी पुत्र श्री रामप्रसाद सोनी, वरिष्ठ लिपिक, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग ने भी अपने एवं अपने परिवार के सदस्यों के नाम आवास आवंटित किये जाने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किये हैं? यदि हां, तो प्रत्येक की वरीयता क्या थी? उक्त आवेदन में से किस-किस को कब-कब आवास आवंटित किये गये? यदि नहीं, तो क्यों तथा अब कब तक आवंटन कर दिये जायेंगे?

(4) क्या राज्य सरकार की जानकारी में है कि उक्त योजना में बिना वरीयता के ही आवास आवंटित कर दिये गये? क्या सरकार इस संबंध में विस्तृत जांच कर वरीयता के आधार पर आवास आवंटित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

(1) वर्ष 1982 में आवासन मण्डल की सांगानेर योजना हेतु मध्यम आय वर्ग "अ" के लिये पंजीकरण हेतु 4644 आवेदन पत्र एवं मध्यम आय वर्ग "ब" के लिये 5466 आवेदन पत्र प्राप्त हुए थे। सूची तैयार करने में काफी समय एवं खर्चा होगा। शेष सूचना उपलब्ध है।

(नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री)

(2) उक्त आवेदकों में से वरीयता अनुसार निम्न प्रकार मकानों का आवंटन किया गया है:—

आय वर्ग	लाटरी तिथि	कुल आवंटन
मध्यम आय वर्ग "अ"	29-8-90	184
	26-7-91	160
	30-5-92	209
	23-7-92	39
		592
मध्यम आय वर्ग "ब"	28-8-90	160
	26-7-91	168
	18-7-92	45
	23-7-92	10
	18-8-92	48
		431

जैसे जैसे आवास निर्माण पूर्ण होगा वरियता के आधार पर आवंटन कर दिया जावेगा।

(3) श्री शिवचरण सोनी एवं उसके परिवार के सदस्यों के आय वर्ग श्रेणी व वरियता क्रमांक के अभाव में वांछित सूचना उपलब्ध करोया जाना सम्भव नहीं है।

(4) आवासन मण्डल द्वारा वरियता अनुसार ही आवास आवंटित किये जाते हैं। उक्त योजना में आवास इसी प्रकार से आवंटन किये जा रहे है।

सुशीलपुरा, जयपुर का विकास

254. **श्री बुलाकीदास कल्ला** (बीकानेर) : क्या नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि जे. डी. ए. द्वारा सुशीलपुरा, अजमेर रोड, जयपुर का पूर्ण विकास कर दिया गया है ? यदि हां, तो किस-किस प्रकार के कार्य कब-कब किये गये ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि उक्त बस्ती में रोड लाइट, सड़क तथा नालियों की स्थिति जीर्ण-शीर्ण होने की वजह से कई स्थानों पर खड्डों व पानी का निकास तथा प्रकाश की व्यवस्था नहीं होने से आम नागरिकों को काफी परेशानियां हो रही है ? यदि हां, तो इस पर कब तक कार्यवाही की जावेगी ?

(3) क्या यह भी सही है कि इस सम्बन्ध में पूर्व में जे. डी. ए. द्वारा उक्त कालोनी के विकास के लिए सर्वे कराया गया था ? यदि हां, तो कब तथा उक्त कार्य कब तक प्रारम्भ करने का सरकार विचार रखती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) सुशीलपुरा कच्ची बस्ती में सड़कों एवं नालियों का निर्माण कर विकास कर दिया था। सन् 1985–86 व 1986–87

(नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री)

में सुशीलपुरा कच्ची बस्ती में 2.5 कि. मी. सड़क व 3.5 कि.मी. नाली का निर्माण किया गया था तब क्रमशः 4.59 लाख व 0.82 लाख का खर्च किया था।

(2) पुनः सड़क तथा नालियों की मरम्मत एवं सुधार हेतु रुपये 1.93 लाख का कार्यादेश दिया जा चुका है तथा कार्य शीघ्र पूर्ण करा दिया जावेगा। रोड लाईट के संबंध में जब भी कोई खराबी की शिकायत आती है नगर परिषद ठीक करा देती है।

(3) उक्त कालोनी के लिए माह अप्रेल, 1992 में सर्वे कराया गया था तथा शेष कार्य प्रारम्भ कराया जा चुका है।

गोपालपुरा बाईपास पुलिया निर्माण

255. श्री दयाराम परमार (खैरवाड़ा): क्या नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि जयपुर-सवाई माधोपुर रेल्वे लाइन के पश्चिम में गोपालपुरा बाईपास रेल्वे फाटक से दुर्गापुरा रेल्वे स्टेशन तक रेल्वे लाइन के समानान्तर जयपुर विकास प्राधिकरण की एक सैक्टर रोड बनी हुई है और उसमें डामर भी डाला हुआ है?

(2) क्या इस सड़क पर कच्ची पुलिया बनी हुई है जिसके नीचे से बरकत नगर, गांधीनगर और बजाज नगर आदि बस्तियों के पानी की निकासी है?

(3) क्या इस पुलिया पर से बजरंग बिहार, शांति नगर, जाटव नगर आदि बस्तियों में निवास करने वाले लगभग पांच हजार व्यक्ति प्रतिदिन आते-जाते हैं?

(4) इस पुलिया को जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा अब तक पक्का नहीं बनाये जाने के क्या कारण हैं?

(5) क्या इन बस्तियों के निवासियों ने लिखित रूप से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर क्षतिग्रस्त पुलिया को ठीक करने के लिए निवेदन किया है? यदि हां, तो इस पर क्या कार्यवाही की गई?

(6) क्या इस मौसम की पहली वर्षा में ही यह पुलिया क्षतिग्रस्त हो गई और पुलिया से आवागमन अवरुद्ध हो गया? क्या सरकार इसका अविलम्ब निर्माण कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी हां। यह कच्ची पुलिया जिसमें कि एक पाइप डाला हुआ था, प्राधिकरण द्वारा नहीं बनाई गई है।

(3) इस पुलिया पर से काफी लोग प्रति दिन आते हैं।

(4) कच्ची पुलिया पर लगातार यातायात बने रहने तथा तकनीकि परीक्षण पूर्ण न होने के कारण पुलिया को पक्का नहीं बनाया जा सका।

Page No. 32

(नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री)

(5) जी हां। उक्त कच्ची पुलिया को पक्की बनाने हेतु तकनीकी परीक्षण प्रारम्भ कर दिये हैं।

(6) उक्त पुलिया दिनांक 25.7.92 को हुई अतिवृष्टि के कारण क्षतिग्रस्त हुई। पुलिया को पक्की बनाने हेतु तकनीकी परीक्षण पश्चात् आगे कार्यवाही की जायेगी।

श्योपुर हाउस, जयपुर में अतिक्रमण की शिकायतें

256. श्री कन्हैया लाल (बस्सी) : क्या स्वायत्त शासन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि बाबा हरिश चन्द्र मार्ग, (चांदपोल बाजार), जयपुर चौकड़ी तोपखाना देश, अन्धेरी दरवाजे के पास, श्योपुर हाउस में म. नं. 1513, 14, 15 एवं 16 के सामने सरकारी जमीन पर कुछ अज्ञात लोगों ने अतिक्रमण कर रखा है ? यदि हां, तो किन-किन लोगों ने ?

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त कालोनी के लोगों द्वारा समय-समय पर सरकार को बार-बार लिखित तथा मौखिक शिकायत करने पर भी प्रशासन ने अब तक उस पर कोई कार्यवाही नहीं की है ? यदि हां, तो क्यों ?

(3) क्या सरकार उक्त अतिक्रमण को शीघ्र हटाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(4) सरकार उक्त जमीन पर अतिक्रमण करने वाले लोगों के विरुद्ध अब क्या कार्यवाही करने का विचार रखती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां। बाबा हरिश चन्द्र मार्ग, चांदपोल बाजार चौकड़ी तोपखाना देश, अन्धेरी दरवाजा के पास, श्योपुर हाउस में म. न. 1513, 14 15 एवं 16 के सामने सरकारी भूमि पर श्री फूलचन्द पुत्र श्री नाथूलाल ने अतिक्रमण कर रखा है।

(2) जी नहीं। नगर परिषद की जानकारी में आने पर उक्त अतिक्रमण को हटा दिया गया है।

(3) अतिक्रमण को हटा दिया गया है।

(4) अतिक्रमण हटा दिया गया है, इसलिये अब कोई कार्यवाही प्रस्तावित नहीं है।

नगर पालिका मण्डल, नावां द्वारा निर्माण कार्य

257. श्री हरिश्चन्द्र (नावां) : क्या स्वायत्त शासन मत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) नावां नगर पालिका द्वारा (1) श्री हनुमान के मकान से शिवकरण चौधरी के घर तक (2) राम जी खटीक के मकान से गौरव चौक तक (3) गौरव चौक से रेल्वे क्रोसिंग तक (4) पी.डब्लू.डी. के पीछे की बस्ती में बिटूमन रोड निर्माण कार्य क्रमशः दिनांक 20.7.91., 20.4.91, 5.4.91 एवं 20.7.91 को प्रारम्भ कर किया गया काम कब से बन्द है ?

(श्री हरिश्चन्द्र)

(2) इन अधूरे कार्यों को नगर पालिका मण्डल कब तक पूर्ण करा देगा, और शेष बचे कार्यों पर कितना-कितना खर्चा होगा? प्रत्येक का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) नगरपालिका अधिनियम के तहत अध्यक्ष नगरपालिका को कितनी राशि तक के निर्माण कार्यों की प्रशासनिक स्वीकृति देने का अधिकार है? नियम की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(4) अस्पताल के सामने सड़क की चौड़ाई बढ़ाने का कार्य सोभागमल जैन के घर से जीमल के प्लाट तक नाली, जगदीश शर्मा के पास नाली निर्माण, पालिका कैम्पस व गांधी उद्यान में रंग रोगन व मरम्मत कार्य की प्रशासनिक स्वीकृति नगरपालिका अध्यक्ष द्वारा क्रमशः 2.2.91, 28.12.91, 11.10.91 व 1.1.92 को राशि 20,000, 8,700, 4200 एवं 23,000 रुपये की दी गई। क्या इसकी पुष्टि मण्डल द्वारा की गई? यदि हां, तो प्रस्ताव की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(5) नगर मण्डल द्वारा पुष्टि करने से पूर्व भुगतान कर क्या तत्कालीन अध्यक्ष ने अपने पद का दुरुपयोग नहीं किया है? यदि हां, तो उनके खिलाफ क्या कार्यवाही की जावेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

(6) पालिका कैम्पस एवं गांधी उद्यान में किये गये रंग रोगन में कितनी मजदूरी लगी और कितना मेटेरियल कौन-कौन सा लगा?

उत्तर

(1) जी हां। चारों सड़कों का निर्माण कार्य क्रमशः दिनांक 18.1.92, 6.2.92, 10.2.92 व 16.1.92 से बन्द है।

(2) इन अधूरे कार्यों को नगरपालिका मण्डल द्वारा इस वित्तीय वर्ष में पूर्ण कराया जाना प्रस्तावित है। शेष बचे कार्यों पर 1,48,000 रुपये अनुमानित व्यय होगा। प्रत्येक कार्य पर व्यय राशि विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(3) नगरपालिका अधिनियम के अन्तर्गत निर्माण कार्यों बाबत अध्यक्ष को प्रशासनिक स्वीकृति देने का अधिकार नहीं है।

(4) जी हां। इसकी पुष्टि मण्डल द्वारा नहीं हुई है।

(5) जी हां। तत्कालीन अध्यक्ष के विरुद्ध कार्यवाही कर निलम्बन किया जा चुका है।

(6) पालिका कैम्पस व गांधी उद्यान में किये गये रंग रोगन पर मजदूरी के 2,850/– रुपये का व्यय किया गया। इस कार्य में लगाये गये मेटेरियल व मात्रा निम्न प्रकार है:—

1. रेड आक्साईड	6 लीटर
2. तारपीन थीनर	5 लीटर
3. पी.ओ. रेड ऐनामल	2 लीटर
4. सुपर व्हाइट सिनथेटिक	2 लीटर
5. सिल्वर पेन्ट	डेढ़ लीटर
6. ब्लेक सिनथेटिक	आधा लीटर
7. सफेद डिस्टेम्बर	7 किलो
8. आफ व्हाइट सिनथेटिक एनामल	1 लीटर

(स्वायत्त शासन मंत्री)

9. ट्यूब स्टाईनर ब्लेक 50 ग्राम
10. ट्यूब टुबम्बर स्टाईनर 200 ग्राम

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया।)

नगर परिषद् के कर्मचारियों का समायोजन

258. **श्री सुरेन्द्र गोयल** (जैतारण): क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे: -

- क्या सरकार तोड़ी गई नगर परिषदों के कार्यरत कर्मचारियों को पुनः नगर पालिका में नियुक्ति दिलाये जाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

जी नहीं, अभी तक किसी भी नगर परिषद को नहीं तोड़ा गया है। इसलिए कार्यरत कर्मचारियों को अन्यत्र नियुक्ति का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता है।

नगर परिषद्, जयपुर के कर्मचारियों को आवासीय सुविधा

259. **श्री रामकिशन** (भरतपुर) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे: —

(1) क्या नगर परिषद्, जयपुर द्वारा अपने कर्मचारियों को आवासीय सुविधा उपलब्ध कराने के लिए जयपुर की पुरातन बस्ती ब्रह्मपुरी में कर्मचारी आवासीय योजना का कोई मानचित्र तैयार किया गया था ? यदि हां, तो कब ? योजना के मानचित्र की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त योजना को प्रारूपित करते समय राजस्थान म्युनिस्पैलटीज (डिसपोजल आफ अरबन लैण्ड) रूल्स–1974 के भू-आवंटन संबंधी नियमों का पालन किया गया था ? यदि हां, तो भू-आवंटन नियम 8 व 9 के प्रावधानों की पूर्ति में इस क्षेत्र के सर्वांगीण विकास की दृष्टि से पाठशाला, डिस्पेन्सरी के प्रावधान को ध्यान में रखने की कार्यवाही क्यों नहीं की गई ? स्थलों को मानचित्र में चिन्हित करने की कृपा करें।

(3) क्या उक्त योजना को चीफ टाउन प्लानर राजस्थान से अनुमोदित तथा राज्य सरकार से स्वीकृत कराया गया था ? यदि हां, तो टाउन प्लानिंग विभाग का अनुमोदन पत्र और राज्य सरकार का स्वीकृति-पत्र सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या ब्रह्मपुरी स्थित छोटा अखाड़ा का यह भू-क्षेत्र राज्य सरकार के स्वायत्त शासन विभाग के पत्र दिनांक 28-5-84 के अनुसार कन्या विद्यालय के लिए सुरक्षित रखने का आदेश प्रशासक, नगर परिषद्, जयपुर को दिया था ? यदि हां, तो उक्त आदेश की अनुपालना क्यों नहीं की गई ?

(5) क्या नगर परिषद्, जयपुर के एक कर्मचारी ने राज्य सरकार एवं नगर परिषद् के विरुद्ध राजस्थान उच्च न्यायालय की जयपुर पीठ में सिविल राईट पिटिशन सं. 626/85 प्रस्तुत की थी ? यदि हां, तो क्या इस याचिका का निर्णय हो गया ? निर्णय की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(श्री रामकिशन)

(6) क्या उक्त निर्णय में माननीय न्यायमूर्ति डी.एल. मेहता ने अपनी टिप्पणी में यह व्यक्त किया है कि राज्य सरकार के अधिवक्ता इस स्थिति में नही थे कि वे अपनी ओर से जवाब प्रस्तुत कर सकें, क्यों कि कास्ट लगाकर पेशी बढ़ाने पर भी विभाग ने जवाब दावा प्रस्तुत नहीं किया ? यदि हां, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां। नगर परिषद्, जयपुर द्वारा अपने कर्मचारियों को आवासीय सुविधा उपलब्ध कराने हेतु ब्रह्मपुरी छोटा अखाड़ा में कर्मचारी आवासीय योजना का मानचित्र वर्ष 1978 में तैयार किया गया था। योजना के मानचित्र की प्रति सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) इस योजना में राजस्थान नगर पालिका डिस्पोजल ऑफ अरबन लैण्ड रूल्स-1974 के भू-आवंटन सम्बन्धी नियम 8 व 9 के प्रावधान की पूर्ति में एक छोटे पार्क का प्रावधान है। पाठशाला व डिस्पेंसरी का प्रावधान नहीं रखा गया है, क्योंकि यह योजना एक बहुत छोटी व छोटे क्षेत्र की है जिसमें 11 भू-खण्ड बनाये गये थे। प्रस्तावित पार्क को मानचित्र में क ख ग चिन्हित कर दिया गया है।

(3) उक्त योजना का मानचित्र चीफ टाऊन प्लानर राजस्थान के कार्यालय से अनुमोदित है तथा आवंटन की स्वीकृति राज्य सरकार से स्वीकृत कराली गई थी। टाऊन प्लानिंग विभाग का पत्र व राज्य सरकार का पत्र संलग्न है।

(4) जी हां, पालना कर दी गई थी।

(5) जी हां, निर्णय की प्रति सदन की मेज पर रख दी गई है।

(6) फैसले के अवलोकन से स्पष्ट है कि अतिरिक्त राजकीय अधिवक्ता द्वारा राज्य सरकार की ओर से उत्तर दिया जाना आवश्यक नहीं समझा गया था।

(मानचित्र की प्रति व अन्य विवरण विधान सभा पुस्तकालय में रखे गये।)

फालना में अधिशाषी अभियन्ता कार्यालय की स्थापना

260. **श्री अमृत लाल** (बाली) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि बाली विधान सभा क्षेत्र के फालना नगर में सहायक अभियन्ता का कार्यालय लम्बे समय से स्थित है जबकि अधिशाषी अभियन्ता का कार्यालय सुमेरपुर में रखा गया है ?

(2) क्या यह सही है कि एक विभाग के दो कार्यालय अलग-अलग स्थानों पर होने से आम जनता व विभागीय कर्मचारियों को काम निपटाने में असुविधा होती है ?

(3) क्या सरकार आम जनता की कठिनाई को दूर करने के लिए अधिशाषी अभियन्ता का कार्यालय सुमेरपुर से फालना स्थानान्तरित करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां ।

(2) जी नहीं। जन साधारण की सुविधा एवं प्रशासनिक दृष्टि से खण्ड व उप खण्ड कार्यालयों का अलग-अलग स्थानों पर होना उचित है ।

(3) जी नहीं। कार्यभार तथा जन साधारण की सुविधा को दृष्गित रखते हुए ही सुमेरपुर में खण्डीय कार्यालय रखा जाना उचित है ।

विधान सभा क्षेत्र निम्बाहेड़ा के हैण्ड पम्प्स

261. श्री श्रीचन्द कृपलानी (निम्बाहेड़ा) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) पिछले ढाई वर्षों में निम्बाहेड़ा (छोटी सादड़ी) विधान सभा क्षेत्र में जलदाय विभाग द्वारा कुल कितने हैण्डपम्प कहां-कहां लगाए गए ? कस्बे व ग्रामवार सूची सदन की मेज पर रखें ।

(2) स्वीकृत शुदा ग्रामों में अब हैण्डपम्प कब तक लगवा दिये जायेंगे ?

उत्तर

(1) उल्लेखित विधान सभा क्षेत्र में अप्रेल 1990 से अब तक स्थापित हैण्डपम्पों का वांछित विवरण परिशिष्ट "क" पर संलग्न है ।

(2) स्वीकृत हैण्डपम्प धन संसाधनों की उपलब्धता को दृष्टिगत रखते हुए लगाये जा सकेंगे ।

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया ।)

जलदाय विभाग, टौंक के कर्मियों के विरुद्ध शिकायतें

262. श्री महावीर प्रसाद जैन (टौंक): क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग जिला टौंक में वर्तमान एवं पूर्व में पदस्थापित कर्मचारियों एवं अधिकारियों के विरुद्ध राज्य सरकार को गबन व पद का दुरुपयोग करने के सम्बन्ध में कोई शिकायतें प्राप्त हुई हैं ? यदि हां, तो उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ? शिकायत कर्त्ताओं के नाम सहित पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

श्री ग्यारसी लाल परीडवाल, जनता दवाखाना निवाई, से कनिष्ठ अभियन्ता निवाई के विरुद्ध राजकीय राशि के दुरुपयोग एवं फर्जी मस्टररोल इत्यादि के सम्बन्ध में एक लिखित शिकायत प्राप्त हुई है । मामले में अधिशाषी अभियन्ता टौंक को जांच करने हेतु लिखा गया है ।

ग्राम जाटोली (भरतपुर) की पेयजल योजना

263. श्री नत्थी सिंह (कुम्हेर) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(श्री नत्थी सिंह)

(1) क्या यह सही है कि कुम्हेर व डीग तहसील के समस्याग्रस्त गांवों को पेयजल उपलब्ध कराने हेतु जाटोली ग्राम में कुए खोदने की कोई योजना बनाई गई थी ? यदि हां, तो योजना का प्रारूप सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त योजना की क्रियान्विति के सम्बन्ध में कोई कार्यवाही की गई है ? यदि हां, तो क्या तथा उससे किन-किन ग्रामों को लाभान्वित किया जाना प्रस्तावित है ?

उत्तर

(1) जी हां। योजना का वांछित संक्षिप्त प्रारूप परिशिष्ट "क" पर संलग्न है।

(2) योजना अभी प्रारम्भिक स्तर पर है। परन्तु स्वीकृति से पूर्व सफल स्त्रोत के निर्माण को सुनिश्चित करने की दृष्टि से एक नलकूप का निर्माण किया गया है तथा दूसरे का निर्माण किया जाना प्रस्तावित है। योजना में प्रस्तावित ग्रामों की सूची परिशिष्ट "ख" के क्रम संख्या 13 पर उपलब्ध है।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट-3 देखें।)

मकराना की पुरानी बस्तियों में पेयजल आपूर्ति

264. **श्री गुलाम मुरतुफा खान** (नागौर) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या यह सही है कि मकराना नगरपालिका क्षेत्र में 20 वर्ष से भी पुरानी बस्तियों अर्थात् चमनपुरा, देशवालियों की ढाणी, नूरपुरा, नया नगर (लोहारपुरा) गरीब नवाज कालोनी, खटीकों की गली (सम्राट स्कूल के पीछे) आदि में अभी तक पानी की पाइप लाइन नहीं डाली गई है ? यदि हां, तो अब कब तक उक्त मोहल्लों में पाइप लाइन डाल दी जायेगी ?

उत्तर

जी हां, परन्तु चैनपुरा में 3, नया नगर में 2 तथा गरीब नवाज कालोनी में एक हैण्डपम्प कार्यरत है। खटीकों की गली में विभागीय कुएं पर सार्वजनिक नल के माध्यम से पेयजल उपलब्ध हो रहा है। देशवालियों की ढाणी में हैण्डपम्प स्थापना का कार्य प्रगति में है तथा नूरपुरा में हैण्डपम्प लगाया जाना शेष है। पेयजल व्यवस्था उपलब्ध होने के कारण वर्तमान में पाइप लाइन डाली जानी प्रस्तावित नहीं है।

सिरोही एवं शिवगंज को पेयजल योजना

265. **श्रीमती तारा भण्डारी** (सिरोही) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या यह सही है कि सिरोही एवं शिवगंज शहर के पेयजल संवर्धन हेतु कोई योजनाएं बनाई गई हैं ? यदि हां, तो उनकी क्या स्थिति है तथा उक्त योजनाएं कब तक स्वीकृत की जाकर क्रियान्वित करवा दी जायेगी ?

उत्तर

जी हाँ। संदर्भित शहरों की प्रस्तावित संवर्धन योजनाओं को जुलाई, 1991 में हुडको से ऋण प्राप्त किये जाने हेतु सिद्धांतत सहमति प्रदान की गई थी योजनाओं के संशोधित प्रस्ताव पुनः स्वीकृति हेतु राजस्थान जल प्रदाय एवं सीवरेज प्रबंध मण्डल में विचाराधीन है। योजनाओं की स्वीकृति एवं क्रियान्विति आवश्यक धन राशि उपलब्ध होने पर की जा सकेगी।

किदवई स्टेडियम, मकराना

266. **श्री बिरधाराम चौधरी** (मकराना) : क्या खेलकूद मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या मकराना में खेलकूद के लिए एक स्टेडियम "किदवई स्टेडियम" के नाम से बनाया जा रहा है ?

(2) क्या ग्रामों व कस्बों में खेल को ज्यादा प्रोत्साहित करने के लिए मकराना की जनता यह स्टेडियम बनवा रही है जिसमें ज्यादा राशि जन सहयोग से प्राप्त है ?

(3) क्या सरकार इस स्टेडियम को पूरा कराने के लिए जनता की मांग पर राशि उपलब्ध कराने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक व कितनी ? यदि नहीं तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां, 80% (प्रतिशत) कार्य पूरा हो गया है।

(2) उक्त स्टेडियम का निर्माण नगर पालिका मण्डल मकराना द्वारा करवाया जा रहा है। इस स्टेडियम के निर्माण हेतु 4.97 लाख की राशि भारत सरकार से अनुदान स्वरूप तथा 2.79 लाख नगर पालिका के बजट से तथा 2.33 लाख जन-सहयोग से प्राप्त हुई है।

(3) यथा समय धन की उपलब्धता के आधार पर विचार किया जायेगा।

विधान सभा क्षेत्र खण्डार में सड़क निर्माण कार्य

267. **श्री चुन्नीलाल** (खण्डार) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या उप खण्ड III सार्वजनिक निर्माण विभाग, सवाई माधोपुर द्वारा खण्डार विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र में वर्ष 1992 में सड़कों को कटाव से बचाने के लिए पटरी पर मिट्टी डलवाने का कार्य करवाया है ? यदि हां, तो प्रत्येक सड़क पर कितनी-कितनी राशि की मिट्टी डलवाई गई ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि खण्डार विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र की सड़कों पर मिट्टी नहीं डलवाई गई और मिट्टी के नाम से संबंधित ए.ई.एन. व जे.ई.एन. द्वारा भुगतान उठा लिया गया ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त अधिकारी/कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) उपखण्ड तृतीय सा.नि.वि. सवाई-

(सार्वजनिक निर्माण मंत्री)

माधोपुर द्वारा वर्ष 1992 में खण्डार विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र में सड़कों पर पटरी की सुरक्षा हेतु मिट्टी के कार्य का विवरण एवं व्यय राशि संलग्न परिशिष्ट "क" में दर्शाई गई है।

(2) जी नहीं। यह सही नहीं है।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट-4 देखें।)

कृषि उपज मण्डी द्वारा बाली क्षेत्र में सड़क मरम्मत कार्य

268. **श्री अमृत लाल** (बाली) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(1) विधान सभा क्षेत्र बाली में कृषि उपज मण्डी समिति द्वारा बाली से सेसली, बाली से सुमेरपुर, बाली से सेवाड़ी, बाली से लुणावा सड़कों की मरम्मत कर दी गई है? यदि नहीं, तो क्यों?

(2) अब कब तक उक्त सड़कों की मरम्मत पूर्ण रूप से कर दी जायेगी?

(3) क्या यह सही है कि सादड़ी से सेवाड़ी तक ग्रेवल रोड की हालत बहुत खराब है? यदि हां, तो इस रोड का डामरीकरण कब तक कर दिया जायेगा?

उत्तर

(1) बाली से सेसली डामर सड़क कृषि उपज मण्डी समिति द्वारा बनाई गई थी और उनकी रख-रखाव सूची में है। बाली से सुमेरपुर सड़क (वोया जवाई बांध के भाग को छोड़कर जो कि सा. नि. वि. की रख-रखाव सूची में नहीं है) की मरम्मत का कार्य समय-समय पर करवा दिया गया है। वोया जवाई बांध सड़क भाग कृ.उ.म. समिति द्वारा निर्मित किया गया है व वोया से 6 कि.मी. तक नवीनीकरण भी कृ.उ.म.स. द्वारा हाल ही में करवाया गया है। बाली से सेवाड़ी सड़क पर मरम्मत कार्य समय-समय पर कर दिया गया था व अभी चालू है। बाली से लुणावा सड़क पर मरम्मत कार्य समय-समय पर करवा दिया गया है।

(2) बाली से सेवाड़ी सड़क के कि. मी. 12 की मरम्मत का कार्य 29.1.93 तक पूर्ण करने का अनुबन्ध है। इस वर्ष के बरसात के बाद पेच कार्य चालू है व दिनांक 15.10.92 तक पूर्ण करवा दिये जायेंगे।

(3) जी हां। कुल 21 कि मी. लम्बाई में से सिर्फ 3 कि.मी. ग्रेवल सड़क है व 1 कि.मी. कच्ची सड़क है। बाकी सड़क का अधिकांश भाग मेटल व कुछ डामर का है। इस सड़क के भाग कि.मी. 0/0 से 4/0 सादड़ी से भादरास तक डामरीकरण की स्वीकृति निर्बन्ध निधि योजना के अन्तर्गत जिला कलक्टर, पाली द्वारा रुपये 5.00 लाख की दिनांक 1.8.1992 को जारी की गई है। इस भाग का डामरीकरण इस वर्ष की समाप्ति तक पूर्ण हो जाने की सम्भावना है। बाकी सड़क का डामरीकरण राज्य सरकार के वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता एवं योजना-अन्तर्गत प्राथमिकता पर निर्भर करेगा।

भरतपुर जिले में सड़क निर्माण में आई भूमि का मुआवजा

269. **श्री नत्थी सिंह** (कुम्हेर) : क्या

(श्री नत्थी सिंह)

सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) भरतपुर जिले में सड़कों के निर्माण हेतु अवाप्त की गई कृषि भूमि के कितने मामले मुआवजे देने हेतु राज्य सरकार के विचाराधीन हैं ?

(2) ऐसे मामलों में कितनी धनराशि मुआवजे में दी जानी है तथा ये मामले कब से विचाराधीन हैं ?

(3) क्या ऐसे सभी मामलों में मुआवजा शीघ्र भुगतान करने की राज्य सरकार की योजना विचाराधीन है ?

उत्तर

(1) भरतपुर जिले में सड़कों के निर्माण हेतु अवाप्त की गई भूमि के 12 मामले मुआवजा देने हेतु विचाराधीन हैं।

(2) ऐसे मामलों की कुल अवार्ड राशि 47.76 लाख हैं जिसमें से 10.25 लाख का भुगतान किया जा चुका है शेष 37.51 लाख का भुगतान किया जाना है। विस्तृत विवरण संलग्न परिशिष्ट "अ" में अंकित है।

(3) जी हां।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट-5 देखें।)

रेडियोग्राफर्स की वरिष्ठता का निर्धारण

270. **श्री श्रीकिशन सोनगरा (अजमेर पूर्व)** : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं राजस्थान के पत्र क्रमांक पं. 1 (33) स्वास्थ्य/रेडियो/90/3067 दिनांक 20.9.1990 द्वारा दिनांक 31.8.1986 की स्थिति की रेडियोग्राफर्स की अन्तिम वरिष्ठता सूची जारी की गई है ? यदि हां, तो वरिष्ठता सूची की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि वरिष्ठता सूची जारी करते समय राज्य सेवा में प्रथम नियुक्ति तिथि और रेडियोग्राफर्स के पद पर कार्यभार सम्भालने की तिथि दोनों में से एक को भी वरिष्ठता का आधार नहीं माना गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ? यदि हां, तो वरिष्ठता निर्धारण के लिए किसको आधार माना गया है और किन नियमों के के अन्तर्गत ?

(3) क्या यह सही है कि प्रथम नियुक्ति तिथि वाले एवं रेडियोग्राफर्स का कार्यभार सम्भालने वाले कर्मचारियों की इस वरिष्ठता सूची में नाम ऊपर नीचे दर्शाये गये हैं जो किसी भी नियम की दृष्टि से एक रूपता नहीं रखती है ? यदि हां, तो क्यों ? अब इस वरिष्ठता सूची में संशोधन कब तक कर दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां। सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) जी नहीं, रेडियोग्राफर्स के पद पर नियुक्ति तिथि को वरिष्ठता का आधार माना गया है जैसा कि चिकित्सा एवं

(चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री)

स्वास्थ्य अधीनस्थ सेवा नियम, 1965 में वर्णित है।

(3) वरिष्ठता सूची वर्षवार दी गई पदोन्नति के आधार पर निर्धारित की जाती है। प्रसारित की गई वरिष्ठता सूची के संबंध में कुछ अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं जिसका नियमानुसार परीक्षण किया जा रहा है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई।)

सपोटरा में रेफरल अस्पताल की स्थापना

271. श्री प्रभुलाल (सपोटरा) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या सरकार सपोटरा की जनता के लिए चिकित्सा सुविधा मुहैया कराने के लिए सपोटरा में रेफरल अस्पताल खोलने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(2) क्या सरकार ने क्षेत्र की चिकित्सा सुविधा के लिए पर्याप्त व्यवस्था कर रखी है ? यदि हां, तो क्या तथा कहां-कहां पर ?

(3) क्या सपोटरा के लिए मन्जूर एक्सरे मशीन को सवाई माधोपुर में लगा रखा है ? यदि हां, तो ऐसा क्यों तथा अब कब तक एक्सरे मशीन उपलब्ध करा दी जायेगी ?

उत्तर

(1) राज्य सरकार की नीति के अनुसार एक पंचायत समिति क्षेत्र में एक लाख की जन संख्या तक एक सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र उपलब्ध कराने का प्रावधान है जिसके अनुरूप वित्तीय संसाधन उपलब्ध होने पर इस पंचायत समिति क्षेत्र सपोटरा में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, सपोटरा अथवा किसी अन्य चिकित्सा संस्थान को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र (रेफरल अस्पताल) में क्रमोन्नत करने पर विचार किया जा सकेगा।

(2) जी हां, सपोटरा क्षेत्र में चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने हेतु चिकित्सा संस्थान उपलब्ध कराये गये हैं जिनका विवरण संलग्न है।

(3) जी नहीं। प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र सपोटरा के लिए कोई एक्सरे मशीन स्वीकृत नहीं की गई है। प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में एक्सरे मशीन की व्यवस्था का प्रावधान नहीं होता।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट-6 देखें)

प्रतापगढ़ के सामान्य चिकित्सालय में पी. एम. ओ. पद का कार्यभार

272. श्री रतनचन्द मीणा (प्रतापगढ़) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या चित्तौड़गढ़ जिले के प्रतापगढ़ सामान्य चिकित्सालय में एक कनिष्ठ अधिकारी को पी.एम.ओ. का चार्ज दे रखा है ? यदि हां, तो क्यों ?

(2) उक्त सामान्य चिकित्सालय में वरिष्ठताक्रम में किन-किन चिकित्सा अधि-

(श्री रखबचन्द मीणा)

कारियों का नाम है ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) संयुक्त निदेशक उदयपुर द्वारा वरिष्ठ अधिकारी को ही पी. एम. ओ. का चार्ज के आदेश की पालना क्यों नहीं की जा रही है ? क्या सम्बन्धित अधिकारी के खिलाफ कार्यवाही की जा रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) डा. पी.सी. जोशी, वरिष्ठ विशेषज्ञ (मेडीसिन) के अवकाश के दौरान डा. गिरीश जैरथ, कनिष्ठ विशेषज्ञ (नेत्र) जो उस समय वरिष्ठता में द्वितीय स्थान पर थे द्वारा प्रमुख चिकित्सा अधिकारी का कार्य सम्पादित किया जा रहा था। डा जोशी द्वारा अवकाश से लौटने पर तथा अन्य विशेषज्ञ द्वारा प्रतापगढ़ में कार्यग्रहण करने के उपरांत भी प्रमुख चिकित्सा अधिकारी (पी.एम.ओ.) प्रतापगढ़ का चार्ज डा. गिरीश जैरथ के पास ही रहा। चिकित्सालय का सामान्य कार्य सुचारू रूप से क्रियान्वित होते रहने के कारण यह व्यवस्था 21-9-92 तक जारी रही। भविष्य के लिए वरिष्ठ अधिकारी को ही चार्ज देने के निर्देश दिये गये हैं।

(2) इस चिकित्सालय के वरिष्ठताक्रम में निम्न डाक्टर है:—

1–डा. पी. सी. जोशी, व. विशेषज्ञ (मेडीसिन)

2–डा. एच. एन. चन्देल, व. विशेषज्ञ (नेत्र)

3–डा. (श्रीमती) सी.के. शर्मा, व. वि. (स्त्री रोग)

(3) संयुक्त निदेशक, जोन, उदयपुर द्वारा दिनांक 21-9-92 के पूर्व इस सम्बन्ध में किसी प्रकार के स्पष्ट निर्देश जारी नहीं किये गये थे।

शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

पुल निर्माण निगम में प्रतिनियुक्ति

273. **श्री राजेन्द्र गहलोत** (सरदारपुरा) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राजस्थान राज्य पुल निर्माण निगम में अभियन्ताओं की सीधी भर्ती की जाती है या अन्य विभागों से प्रतिनियुक्ति की जाती है ? अधिकतम कितने वर्षों तक प्रतिनियुक्ति पर रखा जाता है तथा प्रतिनियुक्ति भत्ता कितना दिया जाता है ?

(2) प्रतिनियुक्ति पर लिये गये अभियंता कोन–कौन से विभाग से है व इनकी समय सीमा क्या है ? पांच वर्षों से अधिक प्रतिनियुक्ति पर रहे अभियंताओं की सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या प्रतिनियुक्ति समय सीमा से अधिक समय कार्य कर रहे अभियन्ताओं की विशेष उल्लेखनीय सेवायें हैं ? यदि हां, तो क्यों ? यदि नहीं, तो अन्य अभियन्ताओं को इसका अवसर नहीं देने के क्या कारण हैं ?

(श्री राजेन्द्र गहलोत)

(4) पिछले 10 वर्षों में निगम द्वारा प्रतिनियुक्ति पर लिये गये अभियन्ताओं के विरुद्ध अनियमितताओं की कितनी विभागीय जांचें चल रही हैं? वर्षवार विवरण सदन की मेज पर रखें तथा इनके विरुद्ध अब तक कार्यवाही नहीं करने का क्या कारण है?

उत्तर

(1) वर्तमान में राजस्थान स्टेट ब्रिज एण्ड कन्स्ट्रक्शन कारपोरेशन लि. में राज्य सरकार के केबीनेट निर्णय के अनुसार अभियन्ताओं की सीधी भर्ती नहीं की जाती है। सार्वजनिक निर्माण विभाग सिचाई विभाग तथा जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी आदि विभागों के अभियन्ताओं को प्रतिनियुक्ति पर लिया जाता है। राज्य सरकार के नियमानुसार प्रतिनियुक्ति की अवधि 4 वर्ष है जो कि प्रशासनिक विभाग द्वारा वित्त विभाग की स्वीकृति से बढ़ाई जा सकती है। प्रतिनियुक्ति भत्ता मूल वेतन का 7 प्रतिशत की दर से दिया जाता है जिसकी अधिकतम सीमा 300/- रुपये प्रति माह है।

(2) उपरोक्तानुसार। वर्तमान में जिन अभियन्ताओं ने 5 वर्ष पूरे कर लिये हैं उनकी सूची संलग्न है। (सूची-1 संलग्न)

(3) जी नहीं। समय सीमा से अधिक समय तक कार्य कर रहे अभियन्ताओं को वापिस भेजने की कार्यवाही की जा रही है। जैसे ही विभाग अन्य अधिकारियों को इनके स्थान पर प्रतिनियुक्ति पर भिजवा सकेगा इन्हें कार्यमुक्त कर दिया जावेगा।

(4) वांछित विवरण निम्न प्रकार है :—

	वर्ष	नाम	टिप्पणी
1.	1990	श्री जे. एन. पारीक सहायक अभियन्ता	विभाग के आदेश सं. जनरल 177 से. डी./4567 दि. 22/25-2-91 द्वारा दो वेतन वृद्धियां रोकी गई है।
2.	1990	श्री आर. जी. अग्रवाल, अधिशासी अभियन्ता	जांच विचाराधीन
3.	1990	श्री हेमराज शर्मा सहा. अभियन्ता (विद्युत)	—"—
4.	1990	श्री लक्ष्मीकान्त शर्मा क. अभि. (विद्युत)	—"—
5.	1990	श्री बी. एम. गुप्ता क. अभियन्ता (विद्युत)	—"—

(सार्वजनिक निर्माण मंत्री)

6.	1991	श्री बुद्धमल माथुर अधिशासी अभियन्ता	——"——
7.	1991	श्री एच. सी. माथुर सहा. अभियन्ता	——"——

अतः निगम द्वारा प्रस्तावित जांच के उपरोक्त सभी प्रकरणों में जांच की कार्यवाही की गई है/की जा रही है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट-7 देखें।)

राज्य के सार्वजनिक उपक्रमों की स्थिति

274. **श्री बुलाकीदास कल्ला** (बीकानेर) : क्या राजकीय उपक्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) गत दो वर्षों में राज्य में किन-किन सार्वजनिक उपक्रमों को हानि होने के कारण बन्द किया गया अथवा निजी लोगों को दिया गया ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) गत दो वर्षों में कौन-कौन से उपक्रम लाभ में रहे और कौन-कौन से उपक्रम में हानि हुई ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) राज्य को घाटा देने वाले राजकीय उपक्रम के सम्बन्ध में सरकार की क्या नीति है ? पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) गत दो वर्षों में राज्य में जिन-जिन सार्वजनिक उपक्रमों को हानि होने के कारण बन्द किया गया अथवा निजी लोगों को दिया गया की सूची तालिका "क" पर संलग्न कर सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) वर्ष 1989-90 एवं 1990-91 में उपक्रमों में लाभ एवं हानि की स्थिति का विवरण क्रमशः तालिका "ख" एवं "ग" में संलग्न है, सूची सदन की मेज पर रख दी गई हैं।

(3) राज्य में घाटा देने वाले राजकीय उपक्रमों के संबंध में राज्य सरकार द्वारा अक्टूबर, 91 में श्री मथुरादास माथुर की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया है जिसकी रिपोर्ट पर समुचित कार्यवाही की जावेगी।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई।)

पर्यटन साहित्य का प्रकाशन

275. **श्री श्रीकिशन सोनगरा** (अजमेर पूर्व) : क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(श्री श्रीकिशन सोनगरा)

(1) राज्य में पर्यटन विभाग ने अन्तिम बार किस वर्ष में पर्यटक स्थलों के साहित्य प्रकाशित कराये थे ?

(2) क्या यह सही है कि इनमें दिये गये जिला स्तरीय पर्यटक कार्यालयों व निदेशालय का पता व टेलीफोन नम्बर बदल चुके हैं ?

(3) क्या विभाग नया साहित्य छपाने के बारे में विचार कर रहा है ? यदि हां, तो यह कब तक प्रकाशित करा दिया जायेगा तथा इसके लिये कितना बजट प्रस्तावित है ?

उत्तर

(1) विभाग प्रत्येक वर्ष पर्यटक स्थलों पर साहित्य प्रकाशित करवाता रहा है। वर्ष 1991–92 में निम्न पर्यटक स्थलों का साहित्य प्रकाशित करवाया गया था—

1–झालावाड़ के पर्यटक स्थलों का फोल्डर।

2–शेखावाटी के पर्यटक स्थलों पर फोल्डर।

(2) जी हां। पर्यटन साहित्य मुद्रित/वितरित होने के पश्चात् निदेशालय का पता व टेलीफोन नम्बर तथा पर्यटक सूचना केन्द्र, जोधपुर का टेलीफोन नम्बर बदल गया है। अब जो नया पर्यटक साहित्य प्रकाशित कराया जा रहा है, उसमें सही टेलीफोन म्बर तथा पता अंकित किया जा रहा है।

(3) जी हां। वर्ष 1992–93 में पर्यटन साहित्य छपाया जा रहा है, जिसके लिये वार्षिक योजना में 30.00 लाख रुपये का बजट प्रावधान है। पर्यटन साहित्य की पहली खेप में 11 पोस्टर, 6 पेइंग गेस्ट डाइरेक्टरी तथा जयपुर का ब्रोशर इसी माह की 27 तारीख को प्रकाशित हो जाएगा तथा बाकी 31 मार्च 1993 तक प्रकाशित हो जाएगा।

वनों की अवैध कटाई एवं पर्यावरण

276. **श्री गोविन्द सिंह गुर्जर** (नसीराबाद) : क्या वन एवं पर्यावरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि वनों की अवैध कटाई व निरन्तर वन क्षेत्रों में कमी होने से पर्यावरण संतुलन व मानसून के सामयिक तथा अच्छी मात्रा में वर्षा न होने की समस्या उत्पन्न होती जा रही है ?

(2) यदि हां, तो राज्य सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही अथवा योजना प्रस्तावित है ? विवरण संदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) मानसून से सामयिक व अच्छी मात्रा में वर्षा वनों के घनत्व व प्रसार के अतिरिक्त भौगोलिक, जलवायु व अन्य कारकों पर भी निर्भर करती है।

(2) वनों के विकास हेतु प्रभावी सुरक्षा एवं संरक्षण प्रबन्ध, परिभाषित वनों के पुनरुत्थान, केन्द्र प्रवर्तित कार्यक्रम बंजड़

(वन एवं पर्यावरण मंत्री)

भूमि विकास, अरावली वृक्षारोपण योजना, इन्दिरा गांधी नहर परियोजना मरुस्थल वनारोपण एवं चारागाह विकास समन्वित जलग्रहण विकास योजना, राष्ट्रीय सामाजिक वानिकी कार्यक्रम एवं विभिन्न योजनाओं में जन भागीदारी कार्यक्रम प्रारम्भ किये गये हैं।

टोडाभीम एवं नादोती में वृक्षारोपण

277. **श्री रामस्वरूप मीणा** (टोडाभीम) : क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) जिला सवाई माधोपुर में वर्ष 1990 से 1992 तक वृक्ष लगाने के लिए कितना बजट प्रावधान रखा गया है एवं कितना किस मद में खर्च हुआ ? वर्षवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) टोडाभीम एवं नादोती में वन विभाग द्वारा 1990 से 1992 तक किस-किस किस्म के कितने वृक्ष लगाये गये और कितने अब मौजूद हैं ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विवरण सदन की मेज पर परिशिष्ट "क" के अनुसार रख दिया गया है।

(2) विवरण सदन की मेज पर परिशिष्ट "ख" के अनुसार रख दिया गया है।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट-8 देखें।)

पर्यावरण अदालतों की स्थापना

278. **श्री गोविन्द सिंह गुर्जर** (नसीराबाद) : क्या वन एवं पर्यावरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या राज्य सरकार पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वालों के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही करने के लिए प्रदेश में पर्यावरण अदालतों की तत्काल स्थापना करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो इन अदालतों की संरचना कैसी होगी ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

राज्य सरकार द्वारा अपने आदेश क्रमांक प. 5 (86) पर्या/85 दिनांक 28-1-91 के द्वारा सैशन न्यायालय, पाली सैशन डिवीजन में एक सैशन न्यायालय पर्यावरण संबंधी अभियोजनों के अन्वेशण हेतु सृजित किया गया। इसके अधीन पाली, जोधपुर व बाड़मेर क्षेत्रों का क्षेत्राधिकार प्रदत्त किया गया है।

पर्यावरण निबन्ध प्रतियोगिता

279. **श्री हरिश्चन्द्र** (नावां) : क्या वन एवं पर्यावरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे —

(1) क्या विद्यार्थियों हेतु पर्यावरण निबन्ध प्रतियोगिता और क्विज प्रतियोगिता का आयोजन वित्तीय वर्ष 1990–91 में आयोजित किया गया था ? यदि हां, तो प्रत्येक कार्यक्रम हेतु कुल कितना बजट प्रावधान रखा गया ?

(2) दोनों कार्यक्रम किसके द्वारा आयोजित किए गए ?

(श्री हरिश्चन्द्र)

(3) बिना पूर्व स्वीकृति या स्वीकृति के पश्चात् पूर्व निर्धारित बजट राशि से कितना अधिक खर्चा किया गया ?

(4) उक्त वर्णित प्रतियोगिताओं कार्यक्रमों में भाग लेने वालों को उनके प्रमाण-पत्र पुरस्कार की राशि एवं अन्य राशि किस–किस पत्रांक एवं आदेश द्वारा भेजी गई ?

(5) यथा समय पुरस्कार राशि प्रमाण-पत्र क्यों नहीं भेजे गये ? विलम्ब के लिए दोषी अधिकारी के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही अब तक क्यों नहीं की गई ?

(6) निबन्ध प्रतियोगिताओं के पुरस्कारों की राशि प्राप्त करने वालों की प्राप्ति की रसीद विभाग में उपलब्ध हुई या नहीं ? यदि हां, तो कितनी रसीद प्राप्त हो गई ?

उत्तर

(1) जी हां, वर्ष 1990–91 में पर्यावरण निबन्ध प्रतियोगिता और क्विज प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया था। इन प्रतियोगिताओं हेतु निम्न प्रकार बजट प्रावधान रखा गया था:—

राज्य स्तरीय निबन्ध लेखन प्रतियोगिता	1.30 लाख रु.
राज्य स्तरीय क्विज प्रतियोगिता	0.60 लाख रु.

(2) उक्त दोनों प्रतियोगितायें निदेशक, प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा बीकानेर के निर्देशन में व्यवस्थापक, गुरूनानक भवन संस्थान, आदर्शनगर, जयपुर के माध्यम से आयोजित कराया गया।

(3) व्यवस्थापक, गुरूनाकक भवन संस्थान, जयपुर द्वारा राज्य स्तरीय निबंध लेखन प्रतियोगिता 1990–91 हेतु आवंटित बजट राशि 1.30 लाख रु. के विपरीत वर्ष 1990–91 में 1.00 लाख 70 रु. 60 पैसे की राशि चैक व नकद भुगतान से व्यय करने हेतु जारी की गई थीं। चैक द्वारा दी गई राशि में से वर्ष 90–91 में 4206/– राशि बैंक से भुगतान नहीं हुई, इस प्रकार वर्ष 90–91 में उक्त आयोजन पर 95863.60 रु. व्यय हुये। वर्ष 91-92 के आरम्भ में संस्थान के पास 34135.40 रु. शेष थे। राशि बैंक में जमा रहने के कारण संस्थान को वर्ष 91–92 में 2313 रु. ब्याज के रूप में अर्जित हुये, इस प्रकार कुल राशि 36,448.40 रु. के विरुद्ध संस्थान द्वारा वर्ष 91–92 में 34,060.80 रु. व्यय किये गये। वर्ष 91–92 में खर्च की गई राशि रु. 34,060.90 का व्यय विभाग की बिना पूर्व स्वीकृति के किया गया है। संस्थान द्वारा कुल स्वीकृत राशि 1.30 लाख रु. के विरुद्ध वर्ष 90–91 एवं 91–92 में कुल 1,29,924.50 का व्यय किया गया। इस प्रकार संस्थान द्वारा कोई अधिक व्यय नहीं किया गया। राज्य स्तरीय क्विज प्रतियोगिता हेतु वर्ष 90–91 में स्वीकृत राशि 0.60 लाख रुपये के विपरीत मात्र 53,327.65 रुपये व्यय किये गये हैं। इस प्रकार कोई अधिक व्यय नहीं किया गया एवं राशि स्वीकृति के अनुरूप ही व्यय की गई है।

(वन एवं पर्यावरण मंत्री)

(4) राज्य स्तरीय क्विज प्रतियोगिता 90–91 दो चरणों में आयोजित की गई थी।

(1) जोनल स्तर पर कुल 6 स्थानों पर।

(2) राज्य स्तर हर मुख्यालय जयपुर में।

उक्त दोनों स्तरों पर ही विजेता प्रतियोगियों को प्रतियोगिता के समाप्ति के पश्चात् पुरस्कार राशि एवं प्रमाण पत्र आयोजक द्वारा दे दिये गये थे।

राज्य स्तरीय निबन्ध लेखन प्रतियोगिता 90–91 में राज्य स्तर पर विजेता प्रतियोगियों को एक राज्य स्तरीय समारोह मुख्यालय जयपुर में आयोजित कर पुरस्कार राशि एवं प्रमाण पत्र आयोजक संस्था द्वारा दे दिये गये हैं। केन्द्र स्तर पर विजेता प्रतियोगियों को उनके प्रमाण पत्र एवं पुरस्कार राशि संस्थान के पत्र क्रमांक स्पेशल/1–51 दिनांक 17–9–92 द्वारा 51 परीक्षा केन्द्रों पर भिजवाई जा चुकी है। शेष 214 केन्द्रों की राशि व प्रमाण पत्र आयोजक संस्थान द्वारा शीघ्र ही भिजवाई जाने की कार्यवाही की जा रही है।

अतः इसमें पत्रांक की आवश्यकता नहीं है। परन्तु जो प्रतियोगिता केन्द्र स्तर पर हुई थी उसमें पुरस्कार प्राप्त करने वालों की संख्या लगभग 800 से अधिक है। उन्हें राशि 17–9–92 से भेजना शुरू किया गया है और अभी 51 केन्द्रों की राशि व प्रमाण पत्र ही भेजे गये हैं, 214 केन्द्रों की राशि व प्रमाण पत्र भेजना शेष है। अतः पत्रांक व आदेश का विवरण देना उपरोक्त परिस्थिति में संभव नहीं है।

(5) व्यवस्थापक, गुरुनानक भवन संस्थान, आदर्शनगर, जयपुर द्वारा राज्य स्तरीय निबन्ध लेखन प्रतियोगिता 90–91 में हेतु स्वीकृत राशि 1.30 लाख रुपये का उपयोगिता प्रमाण पत्र समय पर प्रस्तुत नहीं करने के कारण पुरस्कार राशि व प्रमाण पत्र भेजने में विलम्ब हुआ है।

(6) निबन्ध लेखन प्रतियोगिता 1990–91 में राज्य स्तर पर विजेता प्रतियोगियों की रसीदें प्राप्त हो चुकी हैं। केन्द्र स्तर पर पुरस्कृत विजेताओं की रसीदें संस्थान से आनी अभी शेष हैं।

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

सांचौर के विद्युत अभियन्ता कार्यालय में विचाराधीन घरेलू कनेक्शन्स्

280. **श्री लक्ष्मी चन्द मेहता (सांचौर):** क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि जिला जालौर के सांचौर सहायक अभियन्ता के कार्यालय में घरों के कनेक्शन की फाइलें पेंडिंग हैं? यदि हां, तो किस–किस गांव की कितनी-कितनी तथा उनके क्या कारण हैं? इन कनेक्शनों को कब तक करने का सरकार विचार रखती है?

(श्री लक्ष्मी चन्द मेहता)

(2) क्या यह भी सही है कि गत वर्ष मांग राशि जमा होने पर भी किसानों को कुओं का कनेक्शन्स् अभी तक नहीं दिये गये हैं ? यदि हां, तो कब तक कनेक्शन दे दिये जावेंगे ?

(3) क्या यह भी सही है कि सांचौर तहसील के गांवों में 132 के.वी. लाइन भीनमाल से जोड़ने का कार्य पूरा हो गया है व 33 के.वी. पर चार्ज करना शुरू कर दिया है, किन्तु सांचौर में ओ. सी. नहीं लगाई है ? यदि हां, तो कब तक लगाने का सरकार विचार रखती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(4) क्या यह भी सही है कि जिन किसानों को मांग-पत्र जारी किये गये हैं, उन किसानों को ट्रांसफार्मस अभी तक इश्यू नहीं किये गये ? यदि हां, तो क्यों नहीं ? सरकार कब तक ट्रांसफार्मर्स देने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) जिला जालौर के सांचौर सहायक अभियन्ता कार्यालय में 66 ग्रामों के 1882 घरेलू आवेदन पत्र वर्तमान में विचाराधीन हैं, जिन पर कनेक्शन दिये जाने की कार्यवाही मण्डल नियमानुसार जारी है। जिन आवेदकों द्वारा मांग पत्र की राशि व अन्य औपचारिकताएं पूर्ण कर दी गई है उन्हें कनेक्शन वरीयतानुसार दिये जा रहे हैं। शेष आवेदन पत्रों में तकमीने आदि बनाने की कार्यवाही की जा रही है, इन्हें भी मांग पत्र की राशि प्राप्त होने व अन्य औपचारिकताएं पूर्ण करने के पश्चात् कनेक्शन दिये जा सकेंगे। ग्रामवार लम्बित आवेदन पत्रों की संख्या सूची संलग्न है।

(2) जी हां। जिन कृषि आवेदकों की मांग पत्र की राशि जमा हैं उन्हें इसी वर्ष आवेदकों द्वारा वांछित औपचारिकताएं पूर्ण करने के पश्चात् कनेक्शन दिये जाना प्रस्तावित है।

(3) सांचौर में 132 के. वी. लाइन भीनमाल से जोड़ने का कार्य पूर्ण हो चुका है तथा उन पर 33 के. वी. विद्युत प्रदाय की जा रही है। ओ.सी.बी. शीघ्र उपलब्ध करा कर लगाने के प्रयास किये जा रहे हैं।

(4) जिन कृषि आवेदकों द्वारा मांग पत्र की राशि जमा करवाई हुई है एवं औपचारिकताएं पूर्ण करली हैं उन्हें ट्रांसफारमर्स व अन्य सामान आवश्यकतानुसार उपलब्ध कराया जा रहा है तथा कनेक्शन दिये जा रहे हैं।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट-8 देखें।)

हिमाचल प्रदेश व राजस्थान के बीच पार्वती परियोजना

281. श्री बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) हिमाचल प्रदेश एवं राजस्थान सरकार के बीच कोल एवं पार्वती परियोजना हेतु क्या करार किया गया था ? सार संक्षेप सदन की मेज पर रखें।

(2) गत दो वर्षों में इन योजनाओं हेतु सरकार ने क्या-क्या प्रयास किये ? ये

(श्री बुलाकीदास कल्ला)

योजनायें कब तक क्रियान्वित हो जायेगी ? राज्य को इससे कितनी-कितनी मात्रा में बिजली उपलब्ध होगी ?

उत्तर

(1) हिमाचल प्रदेश व राजस्थान सरकार ने 12-9-1981 को एक आशय पत्र द्वारा कोल डेम पन विद्युत परियोजना को संयुक्त रूप में कार्य करने का निर्णय लिया व पार्वती पन विद्युत परियोजना के लिए पूर्ण जांच होने व तकनीकी स्वीकृति मिलने के बाद संयुक्त रूप से कार्य करने की सहमति प्रकट की। तदउपरान्त कोल डेम परियोजना का दोनों सरकारों के मध्य 30-6-1984 को एक करार हुआ जिसके अनुसार राजस्थान इस परियोजना की लागत का 75%हिस्सा देगा व 63% विद्युत प्राप्त करेगा। पार्वती पन विद्युत परियोजना का दोनों सरकारों के मध्य अभी करार नहीं हुआ है। वार्तालाप जारी है।

(2) (अ) **कोल डेम परियोजना** (800 मे. वा.) : पिछले दो वर्षों में परियोजना हेतु समय–समय राज्य के हिस्से के बारे में प्रयास किये जिसके माह अगस्त, 1990 व मार्च, 1991 के प्रतिवेदन उल्लेखनीय हैं। मुख्य मंत्री ने अपने अर्द्ध शासकीय पत्र दिनांक 6-8-1991 द्वारा केन्द्रीय ऊर्जा मंत्री से निवेदन किया कि दोनों राज्यों की मीटिंग जल्दी रखी जावे चूंकि उक्त परियोजना की पी.आई.बी. द्वारा स्वीकृति हो चुकी है। तदुपरान्त अन्य अर्द्ध शासकीय पत्र दिनांक 31-8-1991 द्वारा माननीय प्रधान मंत्री को निवेदन किया कि उक्त परियोजना नाथपा भाकरी पावर कारपोरेशन को पूर्ण करने को दी गई है व राजस्थान के हितों का कोई ध्यान नहीं रखा गया क्योंकि इसमें हिमाचल प्रदेश 25 प्रतिशत लागत व भारत सरकार 75 प्रतिशत लागत वहन करेंगे व राजस्थान के पुराने करार का ध्यान नहीं रखा गया। जिसके उत्तर में मा. प्रधान मंत्री ने अपने पत्र दिनांक 25-9-1991 द्वारा यह बताया कि इस बारे में दोनों सरकारें विचार करें व भारत सरकार के अनुसार राजस्थान का हिस्सा उक्त परियोजना से करीब 11 % होगा। इस मामले को ऊर्जा मंत्रियों की फरवरी, 1991, सितम्बर, 1991 व अप्रेल, 1992 की बैठकों में भी राज्य सरकार ने उठाया। राज्य सरकार के हिसाब से यह हिस्सा 63 प्रतिशत होना चाहिये, जो कि 30-6-1984 के करार के अनुसार है।

(ब) **पार्वती पन विद्युत परियोजना** (2051 मे. वा.) : इस परियोजना के बारे में प्रथम मीटिंग 21-3-1992 को दिल्ली में सम्पन्न हुई थी। जिसमें विभिन्न उत्तरी क्षेत्रीय राज्यों द्वारा इसमें ऊर्जा के हिस्से हेतु विचार विमर्श हुआ। तदुपरान्त दूसरी मीटिंग दिनांक 23-5-1992 को हुई जिसमें राजस्थान ने अपना हिस्सा 35 प्रतिशत या अधिक के लिये इच्छा जाहिर की। इस परियोजना की तीसरी मीटिंग 27-6-1992 को सम्पन्न हुई जिसमें मुख्य सचिव, हिमाचल प्रदेश ने राजस्थान के इक्वीटी पार्टीसिपेशन (लागत) 40 प्रतिशत हिस्से की बात कही, जबकि राजस्थान ने 50 प्रतिशत हिस्से की मांग की थी। इस पर मुख्य सचिव हिमाचल प्रदेश ने यह बताया कि यह हिस्सा फिलहाल तदर्थ (टन्टेटिव) है

(ऊर्जा मंत्री)

तथा आशय पत्र पर हस्ताक्षर के समय अन्तिम रूप से तय किया जायेगा। इस संदर्भ में दिनांक 15-9-1992 को हिमाचल प्रदेश सरकार ने एक बैठक आयोजित की जिसमें आशय पत्र (एम.ओ.यू) के बारे में सम्बन्धित राज्यों से विचार विमर्श किया गया। इसको अन्तिम रूप देना बाकी है।

जयपुर-सवाई माधोपुर रेल्वे लाइन की आवासीय कालोनियों में विद्युत सप्लाई

282. श्री दयाराम परमार (खेरवाड़ा): क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) जयपुर सवाई माधोपुर रेल्वे लाइन के पश्चिम की आवासीय कालोनियों जैसे महेशनगर बजरंग बिहार, जादव नगर त्रिवेणी आदि कालोनियों में बिजली सप्लाई किस सब–स्टेशन से दी जाती है?

(2) इन बस्तियों के लिए कितने ट्रांसफारमर्स किस स्थान पर लगे हुये हैं और वे गत एक वर्ष में कब-कब खराब हुये तथा उन्हें कितनी अवधि के पश्चात् ठीक करवाया गया?

(3) क्या उक्त बस्तियों के लिए लगे हुये ट्रान्सफार्मर्स की संख्या इस क्षेत्र के लिए पर्याप्त है? यदि नहीं, तो और ट्रांसफारमर्स कब तक लगा दिये जायेंगे?

(4) क्या यह सही है कि गत 4 माह से इन बस्तियों में बिजली समय–समय पर चली जाती है और पूरी क्षमता से बिजली प्रदाय नहीं होती जिससे बस्तियों में अन्धेरा रहता है?

(5) बिजली बोर्ड इन बस्तियों में पूरे वोल्टेज से 24 घण्टे बिजली प्रदाय करने के लिए क्या कार्यवाही करने का विचार रखता है, और यह कार्यवाही कब तक कर दी जायेगी?

(6) इन कालोनियों में लगे हुए पुराने ट्रांसफारमरों को कब तक बदल दिया जावेगा अथवा पूर्ण रूप से ठीक कर दिया जायेगा जिससे बिजली प्रदाय में रुकावट न आये?

(7) मानसरोवर और इस रेल्वे लाइन के पूर्व दिशा की ओर सभी कालोनियों में अनवरत 24 घण्टे बिजली प्रदाय होती है जबकि दोनों के मध्य की उक्त कालोनियों में बार–बार बिजली प्रदाय में व्यवधान होता है इस भेदभाव के क्या कारण हैं, और इसे कब तक दूर कर दिया जायेगा यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जयपुर के पास सवाई माधोपुर रेल्वे लाइन के पश्चिम की आवासीय कालोनियां जैसे महेशनगर, बजरंग विहार, जादव नगर, त्रिवेणी आदि कालोनियों में विद्युत आपूर्ति 132 के.वी. जी.एस.एस. चम्बल और 33 के.वी. सब स्टेशन दुर्गापुरा द्वारा की जाती है।

(2) उपरोक्त कालोनियों को विद्युत आपूर्ति हेतु वितरण के संलग्न सूची "ए"

(ऊर्जा मंत्री)

के अनुसार 19 ट्रांसफार्मर लगे हुये हैं। विगत एक वर्ष में दो ट्रांसफार्मर दिनांक 15-5-1992 एवं 27-6-1992 को क्षतिग्रस्त हुये थे जिन्हे उसी दिन बदल दिया गया।

(3) जी हां, वर्तमान में लगे हुये ट्रांसफारमरों पर क्षमतानुसार ही भार है। भविष्य में मांग अनुसार यदि आवश्यकता होगी तो और ट्रान्सफार्मर लगाने के प्रयास किये जा सकेंगे।

(4) जी नहीं, उपलब्ध सूचनानुसार विद्युत प्रदाय का कार्य नियमित जारी है।

(5) उक्त बस्तियों में 24 घण्टे मण्डल नियमानुसार विद्युत सप्लाई की जाती है? कभी कभी तकनीकी, प्राकृतिक एवं अन्य कारणों से व्यवधान हो सकता है, जिसको तुरन्त ठीक कर विद्युत सप्लाई नियमित कर दी जाती है।

(6) क्षतिग्रस्त ट्रान्सफार्मरों को उपलब्धि अनुसार शीघ्र बदलने के प्रयास किये जाते हैं तथा ट्रान्सफार्मरों पर क्षमता से अधिक भार बढ़ने पर तकनीकी मापदण्डों के अनुरूप पुराने ट्रान्सफार्मर बदले जाते हैं। वर्तमान में किसी ट्रान्सफार्मर को बदलने की आवश्यकता नहीं है।

(7) उक्त वर्णित बस्तियों के साथ विद्युत प्रदाय में कोई भेदभाव नहीं बरता जाता है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट-10 देखें।)

सांचोर तहसील के गांवों का विद्युतीकरण

283. **श्री लक्ष्मीचन्द मेहता** (सांचोर): क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि सांचोर तहसील के 120 ग्रामों के विद्युतीकरण करने की स्वीकृति जारी कर दी गई है? यदि हां, तो उसके रख–रखाव के लिये कितने वेतन भोगी कर्मचारी कार्यरत हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि सहायक अभियन्ता, विद्युत के पास जीप न होने के कारण लाइन के फाल्ट का समय पर पता न लगने से जनता में असन्तोष है? यदि हां, तो क्या व्यवस्था में सुधार करने का सरकार विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

(1) जी हां। सांचोर तहसील सांचोर उपखण्ड के कार्य क्षेत्र में आती हैं। इस तहसील में 116 ग्राम विद्युतीकृत हैं जिनकी विद्युत व्यवस्था/रख–रखाव आदि कार्य के लिये 44 कर्मचारी कार्यरत हैं। सूची सलग्न है।

(2) सहायक अभियन्ता सांचोर के पास वर्तमान में वाहन उपलब्ध नहीं है लेकिन विद्युत व्यवस्था/रख–रखाव तथा लाइन के फाल्ट आदि कार्य के लिए अन्य उपखण्डों से वाहन उपलब्ध करवा कर कार्य किया जाता है। सहायक अभियन्ता सांचोर को अब एक लाइट वाहन आवंटित किया जा चुका है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट-11 देखें।)

विद्युत दरों में वृद्धि

284. श्री नत्थीसिंह (कुम्हेर) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल द्वारा पिछले दिनों विद्युत दरों में वृद्धि की गई है ? यदि हां, तो कितनी-कितनी और क्यों ?

(2) क्या राज्य में अनेक उद्योगों को रियायती दर पर बिजली दी जाती है ? यदि हां, तो क्यों ? ऐसे उद्योगों की सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या विद्युत मण्डल के घाटे को देखते हुए ऐसी रियायती दरें समाप्त करने का राज्य सरकार कोई विचार रखती है ?

उत्तर

(1) जी हां। बिलिंग माह सितम्बर, 1992 से प्रत्येक श्रेणी में (कृषि के अलावा) 10 पैसे प्रति यूनिट की वृद्धि की गई है जबकि कृषि श्रेणी (मीटर सप्लाई) में 8 पैसा प्रति यूनिट की वृद्धि की गई है। फ्लेट रेट कृषि श्रेणी की विद्युत दरों में कोई वृद्धि नहीं की गई। इस वृद्धि के मुख्य कारण विद्युत प्रदाय से सम्बन्धित सामग्री की कीमतों में वृद्धि, माल भाड़े में वृद्धि, कृषि क्षेत्र में लागत से काफी कम दरों पर विद्युत प्रदाय करने से उत्पन्न घाटे रहे। इसके अलावा भारतीय विद्युत (प्रदाय) अधिनियम 1948 की धारा 59 में अनिवार्य रूप से 3 प्रतिशत सरप्लस अर्जित करने के प्रावधान इत्यादि कारणों से विद्युत दरों में वृद्धि करनी पड़ी।

(2) जी नहीं। राज्य में किसी भी उद्योग को रियायती दर पर विद्युत प्रदाय नहीं की जा रही है।

(3) चूंकि कोई रियायती दरों पर विद्युत प्रदाय की ही नहीं जा रही है, अतः इन्हें समाप्त करने का प्रश्न ही नहीं उठता।

राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल द्वारा उपकरणों/सामान की खरीद

285. श्री रामनारायण वर्मा (नैनवां): क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या वर्ष 1990–91 से अब तक राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल द्वारा एक करोड़ रुपये या इससे अधिक राशि के सामान एवं उपकरण क्रय किए गए हैं ? यदि हां, तो उक्त अवधि में एक ही बार में 10 लाख या इससे अधिक राशि के क्रय किए गए सामानों/उपकरणों की सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त समय में मुख्य–मुख्य आइटम क्रय करते समय उचित प्रचार-प्रसार नहीं करने से अधिक राशि (कीमत) पर सामान/उपकरण क्रय करने पड़े ? यदि हां, इसके लिए दोषी व्यक्तियों के खिलाफ कब तक क्या कार्यवाही की जायेगी ?

उत्तर

(1) जी हां, वर्ष 1990–91 से अब तक विद्युत मण्डल की विभिन्न विंग्स द्वारा एक करोड़ रुपये या इससे अधिक राशि के सामान व उपकरण क्रय किये गये हैं। एक

(ऊर्जा मंत्री)

ही बार में 10 लाख या उससे अधिक राशि के क्रय किये गये सामान/उपकरणों की सूचियां "अ" "ब" व "स" संलग्न है।

(2) उक्त अवधि में मुख्य-मुख्य आइटम क्रय करते समय उचित प्रचार-प्रसार करने के उपरान्त ही क्रय किए गए हैं। कुछ आइटम जैसे स्टील व सीमेन्ट आदि केन्द्र/राज्य सरकार के द्वारा नियन्त्रित/निर्धारित दरों पर क्रय की जाती है। अन्य प्रोपराइटरी आइटम डी.ओ.पी. 42 के तहत क्रय किये गये हैं। इस प्रकार उपरोक्त अवधि में कोई भी आइटम उचित प्रचार–प्रसार के बिना अधिक राशि (कीमत) पर नहीं खरीदा गया है। अतः किसी व्यक्ति के दोषी पाये जाने व उसके विरुद्ध कार्यवाही करने का प्रश्न ही नहीं उठता।

(सूचियां विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई।)

सिणधरी (बाड़मेर) में कृषि विभाग द्वारा कराये गये कार्य

286. **श्री हुकमाराम मेघवाल** (सिवाना) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) विधान सभा क्षेत्र सिवाना के ग्राम सिणधरी (बाड़मेर) में वर्ष 1989 से 1992 तक कृषि विभाग द्वारा करवाये गये विकास कार्यों की सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त समयावधि में किन-किन गांवों को कृषि विकास की सुविधाएं उपलब्ध करवाई गई ? नाम सहित सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र सिवाना, सिणधरी (बाड़मेर) में वर्ष 1989 से 1992 तक कृषि विभाग की विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत विकास कार्य कराये गये जिनकी सारणी (क) प्रस्तुत है।

(2) वर्ष 1989 से 1992 की समयावधि में सिवाणा एवं सिणधरी (बाड़मेर) के 65 गांवों को कृषि विकास की सुविधायें उपलब्ध करवाई गई, गांववार सारणी (ख) में प्रस्तुत है।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट-12 देखें।)

चूरू तहसील में कृषि उपज मंडी द्वारा निर्मित सम्पर्क सड़कें

287. **श्री रामस्वरूप मेघवाल** (रायसिंहनगर) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) चूरू तहसील में कृषि उपज मण्डी द्वारा कौन–कौन से सम्पर्क सड़क कितनी-कितनी राशि की गत 6 वर्षों में कब–कब स्वीकृत की गई तथा सम्पर्क सड़कों का कितना–कितना निर्माण हो चुका है ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि चूरू तहसील की कृषि उपज मंडी द्वारा बनाई जा र

(श्री रामस्वरूप मेघवाल)

सम्पर्क सड़कें धन के प्रभाव में अधूरी पड़ी है तथा ठेकेदारों व मजदूरों का भुगतान भी नहीं हो रहा है ? यदि हां, तो क्यों ? क्या सरकार सड़कों के निर्माण हेतु अतिरिक्त ऋण उपलब्ध करवाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक, यदि नहीं, तो क्यों ?

(3) सरकार चूरू कृषि उपज मण्डी में अनाज मण्डी कब तक स्थानान्तरित करने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) गत 6 वर्षों में स्वीकृत सं. सड़कों एवं उनके निर्माण की स्थिति की सूचना निम्न प्रकार है:—

क्र सं.	सं. सड़कों का नाम	स्वी. वर्ष	स्वी. लम्बाई	अनु. लागत	व्यय राशि	वर्तमान भौतिक स्थिति
1.	सं. सड़क सोमाली से झरिया जोन (द्वितीय)	दिसंबर 1989	2.00	6.00	5.09	2 कि.मी. डब्ल्यू. बी. एम. का कार्य पूर्ण डामरीकरण कार्य शेष
2.	दुदवाखारा से रणवा की ढाणी	फरवरी 1991	4.00	8.00	3.72	2 कि. मी. की सड़क सामग्री सप्लाई पूर्ण ।
3.	दादू से घांघू	"	4.00	8.00	4.90	3 कि.मी. का डब्ल्यू. बी. एम. का कार्य पूर्ण एवं डामरीकरण का कार्य शेष
4.	रतनगढ़ रोड से छाजूसर	"	4.00	8.00	1.90	2 कि. मी. की सड़क सामग्री की सप्लाई पूर्ण ।
5.	चूरू मालेरी रोड से कोटवाद ताल	"	6.00	12.00	3.41	——" "——

(2) जी हां । मण्डी समिति के पास धनाभाव से सड़कें अधूरी हैं । ठेकेदारों द्वारा किये गये कार्य का भुगतान बाकी नहीं है एवं मजदूरों का भी कोई भुगतान निर्माण द्वारा शाखा की तरफ बकाया नहीं है । विपणन बोर्ड द्वारा पूर्व में 21-12-90 को 10 लाख रु. का ऋण स्वीकृत कर मण्डी समिति को दिया जा चुका है । मण्डी समिति चूरू द्वारा अतिरिक्त ऋण की मांग की गई है । प्रस्ताव विपणन बोर्ड में विचाराधीन है ।

(3) कृषि उपज मण्डी समिति चूरू में आवंटित दुकानों में माह अक्टूबर, 1992 तक व्यापार स्थानान्तरित होने की सम्भावना है ।

गंगापुर कृषि मण्डी द्वारा विकास कार्य

288. **श्री प्रभुलाल (सपोटरा)** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) सपोटरा विधान सभा क्षेत्र के किसानों का कितना माल गंगापुर कृषि मंडी में बिकने आता है तथा उससे मण्डी को कितनी आय होती है ?

(2) अब तक मण्डी द्वारा सपोटरा क्षेत्र में सड़कों के विकास कार्यों में कितनी राशि खर्च की गई है ? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(3) क्या यह सही है कि जितनी राशि सपोटरा क्षेत्र पर खर्च होनी थी वह नहीं की गई, यदि हां, तो क्यों ? क्या सरकार इस क्षेत्र पर भी आय के अनुपात में खर्च करवाने के लिए मण्डी समिति को पाबन्द करने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) कृषि उपज मण्डी समिति, गंगापुर-सिटी में गत तीन वर्षों में विक्रय हेतु लाई गई कृषि जिन्स व मण्डी शुल्क के रूप में प्राप्त आय का विवरण निम्नांकित है:—

वर्ष	कृषि जिन्स आवक (लाख क्वि. में)	आय (लाखों में)
1989-90	7.40	51.85
1990-91	5.64	52.10
1991-92	5.79	83.68

मण्डी क्षेत्र में कृषि जिन्सों को लाने वाले कृषकों की सूचना विधान सभा क्षेत्रवार संकलित किये जाने का प्रावधान नहीं होने के कारण सपोटरा विधान सभा क्षेत्र के किसानों का कितना माल गंगापुर कृषि मण्डी में बिकने आता है तथा उससे मण्डी को कितनी आय होती है, उपलब्ध कराना संभव नहीं है ।

(2) गंगापुर मण्डी द्वारा सपोटरा विधान सभा क्षेत्र में सड़कों के विकास कार्यों पर अभी तक कोई राशि व्यय नहीं की गई है ।

(3) कृषि उपज मण्डियों में सड़क निर्माण कार्य क्षेत्र की आय के अनुपात के आधार पर नहीं बल्कि आवश्यकता के आधार पर किया जाता है । मण्डी समिति आवश्यकता के आधार पर सड़क निर्माण कार्यों का प्रस्ताव करती है । इस प्रकार किसी क्षेत्र में सडकों पर कितनी राशि व्यय की जानी चाहिये इसका कोई मापदण्ड निर्धारित नहीं है ।

जिला नागौर में अतिवृष्टि से क्षति

289. **श्री मोहन लाल (परबतसर)** : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) जिला नागौर में इस वर्ष अतिवृष्टि के कारण कौन-कौनसे बांध टूटे हैं ? बांधों के नाम सहित सूची सदन की मेज पर रखें ।

(2) इन बांधों के टूटने से काश्तकारों की कितनी-कितनी भूमि व खड़ी फसल को क्षति पहुंची है ? परबतसर निर्वाचन क्षेत्र के काश्तकारों की सूची मय नुकसान के सदन की मेज पर रखें ।

(श्री मोहन लाल)

(3) सरकार द्वारा क्षतिपूर्ति हेतु क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ? अब कब तक कार्यवाही कर दी जायेगी ?

उत्तर

(1) वर्ष 1992 के मानसून में नागौर जिले में अतिवृष्टि से सिचाई विभाग का कोई भी बांध नहीं टूटा है । इस वर्ष जवाहर रोजगार योजना द्वितीय (अकाल राहत) का एक कार्य कंवलाद बांध जो दिनांक 8 व 9 अगस्त की अतिवृष्टि से क्षतिग्रस्त हुआ है। यह अकाल राहत का अधूरा कार्य है जो अकाल राहत कार्य 31-7-92 तक बन्द किये जाने तक भी अपूर्ण रहा ।

(2) राजस्व व सहायता विभाग से संबंधित है । जिनसे सूचना प्राप्त होने पर प्रस्तुत की जा सकेगी ।

(3) उपरोक्तानुसार ।

कुशलगढ़ क्षेत्र की लिफ्ट योजना

290. श्री फतेह सिंह (कुशलगढ़) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि कुशलगढ़ क्षेत्र में सिचाई का अभाव है जबकि कुशलगढ़ विधान सभा क्षेत्र में अनास व हिरन नदी बहती है ?

(2) क्या राज्य सरकार के पास लिफ्ट लगाने बाबत पूर्व से कोई प्रस्ताव प्रस्तावित है ? यदि हां, तो दोनों नदियों पर कहां-कहां ? सूची सदन की मेज पर रखें ।

(3) क्या सरकार कुशलगढ़ क्षेत्र को लिफ्ट योजना के द्वारा सिचाई सुविधा की व्यवस्था करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) जी हां ।

(2) माही परियोजना में इस दोनों नदियों पर जलोत्थान योजना लगाने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है ।

(3) वर्तमान में माही परियोजना से कुशलगढ़ क्षेत्र के लिए जलोत्थान योजना द्वारा सिचाई सुविधा उपलब्ध कराने की कोई योजना विचाराधीन नहीं है ।

पीपल्दा व पीपलेट (खण्डार) लिफ्ट सिचाई योजना

291. श्री चुन्नीलाल (खण्डार) : क्या सिचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) तहसील खण्डार के ग्राम पीपल्दा व पीपलेट लिफ्ट इरिगेशन का सर्वे किस वर्ष में कराया गया ? तथा इससे कितनी भूमि सिंचित होने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था ?

(2) क्या यह सही है कि राज्य सरकार द्वारा उक्त सिंचाई योजनाओं की स्वीकृति दी गई ? यदि हां, तो कब व नहीं, तो क्यों ?

(3) क्या सरकार उक्त दोनों लिफ्ट सिचाई योजनाओं को शीघ्र शुरू करवाने का विचार रखती है, यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) ग्राम पीपलेट, पीपलदा लिफ्ट का सर्वे मार्च 1981 में करवाया गया था। पीपलेट से 9684 हैक्टेयर एवं पीपलदा से 11,766 हैक्टेयर सिंचित हो सकती हैं।

(2) जी नहीं। इन योजनाओं का आंकलन केन्द्रीय जल आयोग को स्वीकृति हेतु भेजा हुआ है।

(3) उपरोक्त योजनाओं को केन्द्रीय जल आयोग एवं योजना आयोग से स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात व वित्तीय संसाधन उपलब्ध होने पर कार्य करवाना संभव हो सकेगा।

सिलीसेड बांध (जिला अलवर) से सिंचाई

292. **श्री जुबेर खान** (रामगढ़) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) जिला अलवर में सिलीसेड बांध की नहरों से गत पांच वर्षों (1987-1992) में प्रत्येक वर्ष कितने बीघा जमीन की सिंचाई की गई ?

(2) यदि सिलीसेड का बांध पूर्ण रूप से भर जाता है, तो इसकी नहरों द्वारा कितनी जमीन को फसल हेतु सिंचित किया जा सकता है ?

उत्तर

(1) सीलीसेड बांध से वर्ष 1987 से 1992 तक सिंचाई के वर्ष वार आंकड़े निम्न प्रकार है:—

वर्ष	सिंचित रकबा, बीघों में
1987-88	1588
1988-89	2160
1989-90	1750
1990-91	1950
1991-92	2048

(2) सीलीसेड बांध पूरा भर जाता है, तो 2250 बीघा भूमि की सिंचाई की जा सकती है।

झालावाड़ जिले की विचाराधीन सिंचाई परियोजनाएं

293. **श्री बालचन्द आर्यवीर** (डग) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) झालावाड़ जिले में वर्ष 1977 से 1992 तक कौन-कौन सी सिंचाई योजनाएं स्वीकृत हुई और उनमें अब तक कितनी धनराशि स्वीकृत हुई ?

(2) उक्त जिले के लिए कितनी सिंचाई योजनाएं राज्य सरकार और केन्द्र सरकार के विचाराधीन हैं और कब तक स्वीकृत होने की आशा है ? सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) झालावाड़ जिले में सन् 1977 से 31-3-92 तक 2 मध्यम एवं 18 लघु सिंचाई परियोजनाएं स्वीकृत हुई हैं, जिन पर इस अवधि में कुल 33.654 करोड़ की धन राशि का आवंटन हुआ है।

(सिचाई मंत्री)

(2) झालावाड़ जिले की दो वृहद एवं तीन मध्यम परियोजनाएं राज्य सरकार/भारत सरकार के मध्य विचाराधीन हैं, 3 मध्यम परियोजनाएं सिचाई विभाग में पत्राचार में हैं तथा दो लघु सिचाई परियोजनाएं राज्य सरकार के विचाराधीन हैं। इसके अलावा सात लघु लिफ्ट सिचाई परियोजनाएं राज्य सरकार के विचाराधीन हैं। धन राशि की कम उपलब्धि के कारण चालू परियोजनाओं के पूरा होने के बाद ही नई परियोजनाओं पर विचार सम्भव होगा।

झालावाड़ जिले में अकाल राहत कार्य

294. श्री बालचन्द आर्यवीर (डग) : क्या अकाल राहत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) झालावाड़ जिले में वर्ष 1990 से 1992 तक अकाल राहत कार्य हेतु कितनी धन राशि जिले की किन-किन पंचायत समितियों में किस-किस निर्माण कार्य हेतु स्वीकृत की गई? कितनी राशि व्यय हुई तथा कितनी लेप्स हुई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) जिले की किन-किन पंचायत समितियों में वर्ष 1990 से 1992 तक निर्माण हेतु चालू किये गये, कौन-कौन से कार्य अधूरे पड़े हुए हैं? अधूरे कार्यों को पूरा करवाने की सरकार की क्या योजना है?

उत्तर

(1) झालावाड़ जिले में वर्ष 1900 में 62.27 लाख रुपये के तथा वर्ष 1992 में 100.25 लाख रुपये के राहत कार्य स्वीकृत किये गये। इन राहत कार्यों पर वर्ष 1990 तथा 1992 में क्रमश: 45.22 लाख रुपये व 86.27 लाख रुपये व्यय हुए। वर्ष 1991 में राहत कार्य नहीं किये गये। पंचायत समितियों को व्यय के आधार पर राशि का आवंटन किया जाता है। अत: राशि लेप्स होने का प्रश्न नहीं उठता। पंचायत समितिवार विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है (परिशिष्ट-"क")।

(2) जिले की पंचायत समितियों में वर्ष 1990 व 1992 में निर्माण किए गए कार्यों में से 39 राहत कार्य अपूर्ण हैं, जिसकी सूची सदन की मेज पर रख दी गई है (परिशिष्ट-"ख") अधूरे कार्यों को पूर्ण कराने की योजना बनाने का कार्य प्रगति पर है।

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया।)

मकराना में अतिवृष्टि से नुकसान

295. श्री गुलाम मुस्तुफा खान (नागौर) : क्या अकाल राहत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि मकराना में पिछले दिनों आई बहुत अधिक वर्षा के कारण गुलजारपुरा भाकरों की ढाणी के कई मकानों में 4-5 फीट पानी भर गया था इस कारण इन बस्तियों को बचाने के

(श्री गुलाम मुस्तुफा खान)

लिए प्रशासन एवं नागरिकों ने मिलकर उस पानी का रास्ता बनाकर खानों में पानी पहुंचाया था, जिससे खानों में 50–60 फुट पानी भर गया है ? यदि हां, तो प्रशासन द्वारा नागरिकों को बचाने के लिए खानों में छोड़े गए पानी को निकालने की जिम्मेदारी सरकार की बनती है या नहीं ? यदि बनती है तो सरकार इसके लिए क्या कदम उठा रही है ?

(2) क्या यह सही है कि पिछले दिनों अतिवृष्टि से मकराना की अधिकतर सड़कें टूट गई हैं और अभी तक सड़कों पर डेढ़-दो फुट पानी भरा हुआ है, जिससे आवागमन अवरुद्ध पड़ा है ?

(3) क्या सरकार ने इन सड़कों के सुधार के लिए तथा भरा पानी निकालने के लिए कोई कार्य प्रारम्भ किया है ? यदि नहीं तो, इसे कब प्रारम्भ किया जावेगा ?

उत्तर

(1) जी हां, मकराना में बहुत अधिक वर्षा होने से गुलजारपुरा, माकरों की ढाणी के कई मकानों में 5–5 फीट पानी भर गया था। अतिवृष्टि के कारण काला नाड़ा का मलबे का ढेर बह जाने से पानी खानों में चला गया। सरकार द्वारा खानों से पानी निकालने का कार्य निजी खान मालिकों के लिए नहीं किया जाता है। खान मालिकों को स्वयं को ही पानी निकालने की व्यवस्था करनी पड़ती है।

(2) जी हां, अतिवृष्टि से मकराना की अधिकतर सड़कें टूट गई हैं। वर्षा का पानी रोड पर भर गया था। उक्त पानी अब सूख गया है। यातायात आवागमन यथावत चालू है।

(3) नगरपालिका मकराना ने क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत कार्य हेतु 6266500 रुपये के प्रस्ताव स्वायत्त शासन विभाग को भेजे हैं। स्वायत्त शासन विभाग ने नगर पालिका मकराना से विस्तृत लागत कीमत की जानकारी चाही गई है।

आपरेशन ब्लैक बोर्ड कार्यक्रमान्तर्गत प्राथमिक शालाओं का चयन

296. श्री फतेहसिंह (कुशलगढ़) : क्या पंचायत राज राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि बांसवाड़ा जिले में ब्लैक बोर्ड आपरेशन में प्राथमिक शालाओं का चयन किया है ? पंचायत समितिवार चयनित शालाओं की सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) प्रत्येक चयनित शालाओं में कितनी महिला अध्यापक लगी हुई हैं व ऐसी कितनी शालाएं हैं जहां अभी तक एक भी महिला अध्यापिका नहीं लगाई गई ? पंचायत समितिवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) जिले में प्रत्येक पंचायत समिति में अब तक कितनी महिला अध्यापिकाएं कार्यरत हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। सूची सदन की पटल पर रख दी गई है।

(2) आपरेशन ब्लैक बोर्ड के अन्तर्गत 496 महिला अध्यापिकायें लगी हुई हैं। 77 विद्यालयों में महिला अध्यापिकाएं नहीं लगी है। सूची सदन के पटल पर रख दी गई है।

(3) पंचायत समिति वार कुल 496 महिला अध्यापिकाएं कार्यरत है। सूची सदन के पटल पर रख दी गई है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई।)

जिला परिषद (नागौर) में अध्यापकों के रिक्त पद

297. **श्री मोहनलाल** (परबतसर) : क्या पंचायत राज राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) जिला परिषद, नागौर के अन्तर्गत समस्त पंचायत समितियों में कितने–कितने अध्यापकों के पद कब से रिक्त हैं? पंचायत समितिवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) इन रिक्त पदों की पूर्ति अब कब तक कर दी जायेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जिला परिषद, नागौर के अन्तर्गत विभिन्न पंचायत समितियों में अध्यापकों के रिक्त पदों का पंचायत समितिवार विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

(2) डी. बी. सिविल रिट संख्या 6401/91 के निस्तारण के बाद ही अध्यापकों के सामान्य श्रेणी के पदों पर नियुक्ति की कार्यवाही की जा सकेगी। विज्ञापन संख्या 6/91 द्वारा श्याम पट्ट योजनान्तर्गत विज्ञापित पदों के विरुद्ध नियुक्ति पर राज्य सरकार द्वारा रोक लगा रखी है। रोक हटने पर इनकी नियुक्ति की कार्यवाही की जा सकेगी।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट-13 देखें।)

गांव खडात में अनाधिकृत कब्जे

298. **श्री हुक्मराम मेघवाल** (सिवाना) : क्या पंचायत राज राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या सिरोही जिले की पंचायत समिति आबू रोड के गांव खडात में गांव के चौहटे (गुन्दरें) व हनुमानजी मंदिर के आस–पास अनाधिकृत कब्जे हुए हैं? यदि हां, तो पंचायत प्रशासन मण्डल या विकास अधिकारी ने इसे हटाने की क्या कार्यवाही की? यदि नहीं, तो क्यों?

(2) क्या इस विषय में जनहितार्थ कोई कार्यवाही करने की प्रशासन मंशा रखता है? यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

(1) जी हां। सम्पूर्ण ग्राम में आबादी भूमि के अवैध कब्जों की जांच हेतु सर्वे

(पंचायत राज राज्य मंत्री)

करवाया जा रहा है। प्रशासक ग्राम पंचायत तरतौली को सम्पूर्ण ग्राम की आबादी में हुए अवैध कब्जों का सर्वे कर रिपोर्ट प्रस्तुत हेतु निर्देशित किया गया है।

(2) प्रशासन इन अवैध कब्जों को हटायेगा तथा यदि नियमन योग्य मामला पाया गया तो नियमन किया जावेगा। सम्पूर्ण कार्यवाही में एक माह का समय लगने की सम्भावना है।

जोधपुर जिले में खनन क्षेत्र

299. **श्री राजेन्द्र गहलोत** (सरदारपुरा) : क्या खनिज राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या यह सही है कि जोधपुर जिले में विभिन्न खनन क्षेत्रों में खान संख्या के माप की जानकारी के लिए रेफरेन्स पिलर्स नहीं हैं? यदि हां, तो ऐसा क्यों?

उत्तर

जी नहीं। खानों व क्वारी लाइसेंस बाउन्ड्रीज के प्रारम्भिक बिन्दू से प्रत्येक खान का नाप किया जा सकता है।

ग्राम सिणला (जिला पाली) में अवैध खनन

300. **श्री सुरेन्द्र गोयल** (जैतारण)। क्या खनिज राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि जिला पाली जैतहसील तारण के ग्राम सिणला के खसरा नम्बर 735 गौचर भूमि एवं तालाब की अंगोरा में किये जा रहे अवैध खनन को रुकवाने हेतु सहायक अभियन्ता (खनिज) सोजत सिटी को शिकायत पत्र प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो शिकायत पत्र, की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या शिकायत पत्र की जांच कर अवैध खनन को रुकवा दिया गया है? यदि नहीं, तो क्या अवैध खनन को अब कब तक रुकवा दिया जायेगा?

(3) सम्बन्धित अधिकारी द्वारा की गई जांच रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) प्रश्न के खण्ड–1 में अंकित शिकायत प्राप्त ही नहीं हुई, इसलिये इसकी जांच का कोई मामला नहीं है। सहायक खनि अभियन्ता, सोजत ने दिनांक 17-9-92 को चैकिंग के दौरान क्षेत्र में कोई अवैध खनन कार्य चालू नहीं पाया।

(3) जांच रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रखने का प्रश्न ही नहीं उठता।

सिवाना सिणधरी (बाड़मेर) में खनन पट्टे

301. **श्री हुकमाराम मेघवाल** (सिवाना): क्या खनिज राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) विधान सभा क्षेत्र सिवाना सिणधरी (बाड़मेर) में वर्ष 1989 से 1992

(श्री हुकमाराम मेघवाल)

तक किन–किन नये आवंटियों को स्टोन-खान के पट्टे एवं ग्रेनाइट टाइल्स खनन के पट्टे का आवंटन किया गया ? सूची नाम सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या राज्य सरकार नये व्यक्तियों को रोजगार उपलब्ध करवाने हेतु लीज पट्टे स्टोन इत्यादि का आवंटन करना चाहती है ? यदि हां, तो किन–किन व्यक्तियों को ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र सिवाना सिणधरी (बाड़मेर) में वर्ष 1989 से 1992 तक खनिज मैसेनरी स्टोन के 4 एवं खनिज ग्रेनाइट के "45" खनन-पट्टे आवंटित किये गये हैं। जिसका विवरण क्रमशः संलग्न परिशिष्ट "अ" एवं "ब" अनुसार सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(2) जी हां। राज्य सरकार रोजगार उपलब्ध कराने की दृष्टि से सदैव ही नियमानुसार प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर पात्रता रखने वाले प्रार्थीयों को नये खनन पट्टे आवंटित करने हेतु तत्पर है।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट–14 देखें।)

अरनोद तहसील में दलोढ बालिका छात्रावास भवन की स्वीकृति

302. **श्री रखबचन्द मीणा**(प्रतापगढ़): क्या जनजाति क्षेत्रीय विकास राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) अरनोद तहसील में दलोढ बालिका छात्रावास भवन की स्वीकृति कब हुई और कितनी राशि स्वीकृत हुई अब तक क्या प्रगति हुई ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) सरकार इस भवन को कब तक पूरा करना चाहती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(3) क्या सरकार इस भवन हेतु और भी राशि स्वीकृत करना चाहती है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) अरनोद तहसील में दलोढ बालिका छात्रावास भवन हेतु 7.79 लाख रु. की प्रथम स्वीकृति दिनांक 30-3-87 को दी गई। दिनांक 18 मार्च, 1988 को संशोधित अनुमोदित लागत की अन्तर राशि 0.81 लाख रुपये की स्वीकृति भी जारी कर दी गई। 7.79 लाख रु. की राशि पी. डी. खाते में जमा न होने की वजह से पुनः राज्य सरकार द्वारा दिनांक 30-3-91 को 7.79 लाख रुपये स्वीकृत किये गये हैं। इस प्रकार उक्त छात्रावास भवन हेतु कुल 8.60 लाख रुपये की राशि स्वीकृत की गई है। उक्त छात्रावास हेतु भूमि आवंटित हो चुकी है। परन्तु अभी निर्माण कार्य प्रारम्भ नहीं हुआ है।

(2) अधिशाषी अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग ने दिनांक 23-1-92 को पत्र के जरिये यह अवगत कराया है कि मेटेरियल और मजदूरी की दरों में वृद्धि के कारण उक्त स्वीकृत राशि से भवन का

(जनजाति क्षेत्रीय विकास राज्य मंत्री)

निर्माण किया जाना संभव नहीं है। तदनुसार उक्त भवन निर्माण हेतु संशोधित तखमीना 24.60 लाख रुपये का बताया गया है। संशोधित तखमीने के अनुसार वांछित राशि उपलब्ध होने पर भवन को पूर्ण कराने की व्यवस्था हो सकेगी।

(3) संशोधित तखमीने के अनुसार आवश्यक अतिरिक्त राशि राज्य सरकार व केन्द्रीय सरकार से उपलब्ध होने पर स्वीकृति जारी की जा सकेगी।

अजमेर दरगाह विकास योजना के तहत स्वीकृत राशि

303. **श्री श्रीकिशन सोनगरा** (अजमेर पूर्व) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) अजमेर दरगाह विकास योजना के तहत कितनी राशि स्वीकृत की गई तथा उसमें से जिला प्रशासन को कितनी राशि दी जा चुकी है ? प्राप्त राशि में से कितना उपभोग कर लिया गया है ?

(2) दरगाह कमेटी द्वारा इस योजना पर क्या आपत्तियां उठाई गई और अभी दरगाह विकास कार्यक्रम की क्या स्थिति है ?

उत्तर

(1) अजमेर दरगाह विकास योजना के तहत सा.नि. विभाग को वर्ष 91–92 में रुपये 39.50 लाख और वर्ष 92–93 में रुपये 225.00 लाख की राशि स्वीकृत हुई है। इसमें से जिला प्रशासन को कोई भी राशि नहीं दी गई है। उपरोक्त स्वीकृतियों के अन्तर्गत माह अगस्त 1992 तक कुल 25.67 लाख रुपये की राशि उपयोग की गई है।

(2) दरगाह कमेटी द्वारा इस योजना पर उठाई गई आपत्तियां एवं सुझाव संलग्न परिशिष्ट "अ" में दर्शाये गये हैं। दरगाह विकास कार्यक्रम की वर्तमान स्थिति परिशिष्ट "ब" में संलग्न है।

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया।)

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

श्री उपाध्यक्ष : मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई है:—

(1) श्री हरिसिंह व 11 अन्य सदस्य, विधान सभा की ओर से राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर के कतिपय प्राध्यापकों व टीचिंग स्टाफ के सदस्यों द्वारा दिये ज्ञापन से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(2) श्री रामस्वरूप मीणा व तीन अन्य सदस्य, विधान सभा की ओर से विधान सभा क्षेत्र टोडाभीम की विगत तीन वर्षों में एक भी नल योजना स्वीकृत न होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(3) श्री परसादीलाल, सदस्य, विधान सभा की ओर से सहकारिता विभाग में ग्राम सेवा सहकारी समितियों में कार्यरत

(श्री उपाध्यक्ष)

व्यवस्थापकों के वेतन भत्तों का निर्धारण करने के सम्बन्ध में (व्यवधान)

(4) श्री रामनारायण वर्मा, सदस्य, विधान सभा की ओर से दवाइयों के क्रय एवं विक्रय पर निर्धारित कमीशन निश्चित न होने से उपभोक्ता होलसेल भण्डार में व्याप्त कथित भ्रष्टाचार से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(5) श्री घासीलाल चोपड़ा, सदस्य, विधान सभा की ओर से टोडारायसिंह के ग्राम बावड़ी में 33 के. वी. का सब स्टेशन स्थापित करने के सम्बन्ध में।

(6) श्री हेतराम बेनीवाल, सदस्य, विधान सभा की ओर से चूरू नगर की चौकी में पुलिस हिरासत में रफीक नामक व्यक्ति की मृत्यु से व्याप्त आक्रोष के सम्बन्ध में।

उपरोक्त स्थगन प्रस्तावों पर राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त की जा रही है और जानकारी प्राप्त होने पर निर्णय लिया जायेगा।

मुझे माननीय सदस्यों को यह भी सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों के सम्बन्ध में राज्य सरकार से सूचना प्राप्त हुई है:—

(1) श्री सोमा व दो अन्य सदस्य, विधान सभा की ओर से बूंदी जिले में चारागाह में भूमि अतिक्रमियों द्वारा पशुओं को चरने से वंचित किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में। राज्य सरकार ने उत्तर में सूचित किया है कि बूंदी जिले में चारागाह के अतिक्रमणों को हटाने के सम्बन्ध में प्रशासन द्वारा सभी स्थानों पर सक्रियता से कार्यवाही की गई है और किसी भी प्रकार की कोई शिथिलता नहीं बरती गई है। जिले में चारागाह भूमि सहित सभी सार्वजनिक उपयोग की भूमियों पर हुए अतिक्रमणों को हटाने की कार्यवाही को गति देने के लिए कुछ समय पूर्व तक एक अभियान भी आरम्भ किया गया है, जो सम्बन्धित तहसीलदारों की अगुवाई में माह अक्टूबर, 1992 के अन्तिम सप्ताह तक निरन्तर चलेगा।

(2) श्री परसादी लाल, सदस्य, विधान सभा की ओर से दौसा जिले की लालसोट तहसील में चारागाह व सिवाय चक भूमि पर अतिक्रमण होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में। राज्य सरकार ने उत्तर में सूचित किया है कि लालसोट तहसील में सिवाय चक/चारागाह पर किये गये अतिक्रमणों के सम्बन्ध में जिला प्रशासन द्वारा मुस्तैदी से कार्यवाही की जा रही है। यह सही नहीं है कि राजस्व अधिकारीगण ऐसे अतिक्रमणों को प्रोत्साहित कर रहे हैं।

उपरोक्त स्थगन प्रस्ताव अविलम्बनीय लोक महत्व के नहीं है, अतः इन पर अनुमति देने में असमर्थ हूं। माननीय सदस्यों को बोलने की अनुमति नहीं होगी।

(3) श्री मोहन लाल चौहान, व चार अन्य सदस्य, विधान सभा की ओर से जिला नागौर में वर्षा के कारण ट्रांसफारमर्स के जलने के कारण काश्तकारों को हो रही असुविधा के सम्बन्ध में।

(श्री उपाध्यक्ष)

(4) श्री मनीराम सियाग, सदस्य, विधान सभा की ओर से लूणकरनसर कस्बे के खसरा नम्बर-682 गैर मुमकिन भूमि तथा खसरा नम्बर-683 के कृषि मण्डी की आबादी भूमि पर कब्जा करने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

उपरोक्त स्थगन प्रस्तावों के सम्बन्ध में राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त हुई है, यह अविलम्बनीय लोक महत्व के नहीं है, अतः इन पर अनुमति देने में असमर्थ हूं। प्रस्तावक माननीय सदस्य को दो मिनट बोलने की अनुमति होगी।

प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत सूचनाएं

(1) श्री लक्ष्मीचन्द मेहता, सदस्य, विधान सभा की ओर से जालोर जिले को डार्क जोन घोषित करने से जनता को हो रही परेशानी के सम्बन्ध में।

(2) श्री मोहम्मद माहिर आजाद, सदस्य, विधान सभा की ओर से झुंझुनूं शहर स्थित करबला कब्रिस्तान, दरगाह हजरत, कमरुद्दीन शाह की भूमि खसरा नम्बर 536, 538, 541,543,545,546 का राजस्व रिकार्ड दुरुस्त करवाने के सम्बन्ध में।

(3) श्री चुन्नीलाल इन्दलिया, सदस्य, विधान सभा की ओर से ग्राम ठीकरिया, तहसील, सांगानेर जिला जयपुर के अनुसूचित जाति के व्यक्तियों की काश्तकार भूमि का सीमाज्ञान समय पर नहीं कराने के सम्बन्ध में।

(4) श्री महावीर प्रसाद जैन, सदस्य, विधान सभा की ओर से राज्य के प्राथमिक स्कूलों में शिक्षण सामग्री, उनकी साफ सफाई एवं पेयजल की सुचारू व्यवस्था करवाये जाने के सम्बन्ध में।

(5) श्री रामकरण चौधरी, सदस्य, विधान सभा की ओर से विधान सभा क्षेत्र मेडता, जिला नागौर के गांव रिथा बड़ी के सीनियर हायर सैकण्डरी स्कूल में प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल व अध्यापकों के पद रिक्त होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(6) श्री सुरेन्द्र गोयल, सदस्य, विधान सभा की ओर से विधान सभा क्षेत्र जैतारण में अतिवृष्टि के कारण ट्रांसफार्मर्स जलने से किसानों को हो रही परेशानी से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(7) श्रीमती मदन कौर, सदस्य, विधान सभा की ओर से प्रांत के मरूस्थलीय जिलों में पशुधन की रक्षार्थ सेवण घास लगाने के सम्बन्ध में।

(8) श्री गोपाल सिंह खण्डेला, सदस्य, विधान सभा की ओर से सीकर जिले के श्रीमाधोपुर में ए. सी. जे. एम. न्यायालय स्थापित करने के सम्बन्ध में।

(9) श्री जोगेश्वर गर्ग, सदस्य, विधान सभा की ओर से पाली शहर में बांगड़ कालेज के सम्मुख स्थित बसंत विहार कालोनी में गत अगस्त माह में हुई वर्षा से पानी भर जाने तथा अभी तक उसके निकास की व्यवस्था नहीं किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(श्री उपाध्यक्ष)

(10) श्री रतनाराम चौधरी, सदस्य, विधान सभा की ओर से जालौर जिले के ग्राम पूरण (सांतरू) एवं दातवाड़ा के सिंचाई बांधों को अतिवृष्टि से हुए नुकसान से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(11) श्री हीरालाल इन्दोरा, सदस्य, विधान सभा की ओर से राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग में पदोन्नतियों में अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को उचित आरक्षण का लाभ दिलवाये जाने के सम्बन्ध में।

(12) श्री शिवजीराम मीणा, सदस्य, विधान सभा की ओर से पुलिस थाना मालवीय नगर, जयपुर में दर्ज मुकदमा नम्बर 144/92 पर शीघ्र कार्यवाही करने के सम्बन्ध में।

(13) श्री बुलाकीदास कल्ला, सदस्य, विधान सभा की ओर से राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा बीकानेर में पुश्तैनी काश्तकारों की भूमि पर बिना मुआवजा दिये पेड़ लगाने व राज्य के अन्य हिस्सों में आवासन मण्डल द्वारा अधिगृहित की गई भूमि को राज्य सरकार द्वारा "डि-एक्वायर" करने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

माननीय सदस्यों को उनके द्वारा दिये गये प्रस्तावों को पढ़ने की अनुमति होगी। माननीय श्री मोहन लाल चौहान। (व्यवधान)

स्थगन प्रस्ताव आदि पर चर्चा

श्री मोहन लाल चौहान : माननीय उपाध्यक्ष महोदय.... (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप मीणा : उपाध्यक्ष महोदय, स्वास्थ्य निरीक्षकों की 420 दिन से ज्यादा की हड़ताल चली आ रही है, उसके बारे में आज तक कोई विचार नहीं कर रहे हैं। स्वास्थ्य निरीक्षकों की 420 दिन से चली आ रही है....(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : बैठिये। (व्यवधान) बिराजिये। आप बिराजिये प्लीज। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : उपाध्यक्ष महोदय, स्वास्थ्य निरीक्षकों की, खाद्य निरीक्षकों की 420 दिन से.... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : बैठिये। श्री परसादी लाल जी क्या कह रहे हैं। हां, बोलिये।

श्री परसादी लाल मीणा : उपाध्यक्ष महोदय....

डा. चन्द्रभान : मैंने आपको लिखा था कि....

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिये आप। आपको बुला लिया जायेगा सबको। आप बैठो तो सही। सब एक साथ तो नहीं बोल सकते।

श्री परसादी लाल मीणा : उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान में खाद की दरें निश्चित नहीं होने के कारण किसानों के लिए एक अनिश्चितता का वातावरण बना हुआ है। कल हमने कलक्टर से, कृषि अधिकारियों से सम्पर्क किया तो भारत सरकार से एक टेलेक्स संदेश राजस्थान सरकार को मिला है, उसमें यह कहा गया है कि राजस्थान

(श्री परसादी लाल मीणा)

का वेयर हाउस हो सेन्ट्रल वेयर हाउस हो, उसमें रखा हुआ खाद जो 24-7-92 को स्टाक में जितना खाद है, उसको पुरानी दरों पर बेचा जायेगा। इसलिए एक अनिश्चितता का वातावरण बना हुआ है। बाजार में खाद नहीं है, वेयर हाउस में खाद भरा हुआ है। कृषि विभाग के अधिकारी आज, उपाध्यक्ष महोदय, यह तय नहीं कर पा रहे हैं कि खाद को किस दर पर बेचा जायेगा। जबकि भारत सरकार के स्पष्ट आदेश है कि 24-7-92 के पहले जो भी डी.ए.पी. खाद स्टाक में होगा, उसको पुरानी दर पर बेचा जायेगा। जो यह डी.ए.पी. खाद स्टाक में वेयर हाउस में पड़ा हुआ है, आज किसानों को खाद नहीं मिलने के कारण बून्दी जिले के दहीखेड़ा में आंदोलन हुआ, अभी महुआ में हुआ, लालसोट में हुआ, दौसा में हुआ। सरकार को स्पष्ट करना चाहिये कि 24-7-92 के पहले का जो खाद रखा हुआ है डीलरों के पास, वह उसको पुरानी दर पर बेचने की व्यवस्था करावें। मैं उपाध्यक्ष महोदय, आपकी जानकारी में लाना चाहूंगा कि दौसा में 10,000 कट्टों का स्टाक है, लालसोट में 13,500 कट्टों का स्टाक है जबकि आज किसान को कट्टों के लिए दर–दर भटकना पड़ रहा है। ये कृषि विभाग के अधिकारी, उपाध्यक्ष महोदय, यह बहुत ही लोक महत्व का प्रश्न है....

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिये। आपने ध्यान आकर्षित कर दिया है।

श्री परसादी लाल मीणा : उपाध्यक्ष महोदय, ये कृषि विभाग के अधिकारी आज यह तय नहीं कर पा रहे हैं, कल मैं स्वयं कलक्टर के यहां गया, वे भी तय नहीं कर पा रहे हैं कि जो वेयर हाउस में खाद रखा हुआ है, उसको हम पुरानी दर पर बेचेंगे या नई दर पर बेचेंगे। मैं मुख्य मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि किसानों की सरसो की बुवाई का समय नजदीक आ गया है, उसके लिए जो स्टाक में खाद रखा हुआ है, उसके लिए आप नीति स्पष्ट करें, उसकी दर निश्चित करें।

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजिये। आप सुन लीजिये। माननीय नेता महोदय बोल रहे हैं। आर्डर प्लीज।

श्री भैरोंसिंह शेखावत (मुख्यमंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं इतना ही निवेदन कर दूं कि भारत सरकार ने जो भी निर्देश दिये हैं, उनका अक्षरशः पालन किया जायेगा। कहीं इंस्ट्रक्शन्स की कमी नहीं है। लेकिन आप जैसा कह रहे हैं कि समस्या निश्चित रूप से है, मैं कलक्टर्स को इस सम्बन्ध में और निर्देश देकर इसकी व्यवस्था कर दूंगा।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय डा. चन्द्रभान। (व्यवधान) बिराजिये आप।

श्री परसादी लाल मीणा : मैं एक निवेदन और कर दूं....

श्री उपाध्यक्ष : परसादी लाल जी, बहुत हो गया है। इससे ज्यादा अलाऊ नहीं करूंगा। माननीय डा. चन्द्रभान।

डा. चन्द्रभान (मण्डावा) : उपाध्यक्ष, महोदय, सरकार द्वारा नौकरियों पर जो पाबन्दी लगा रखी है, छात्र-नौजवानों में बेकारी की समस्या विकराल रूप धारण करती जा रही है, बिजली खाद और पेट्रोलियम पदार्थों के मूल्यों में वृद्धि को लेकर आज हमारे दल की छात्र युवा शाखा की ओर से विधान सभा के समक्ष हजारों की संख्या में छात्र, नौजवान प्रदर्शन कर रहे हैं। महिला कांग्रेस और भारतीय जनता युवा मोर्चा भी इसी सवाल को लेकर

(डा. चन्द्रभान)

प्रदर्शन कर रहे हैं। मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्य मन्त्रीजी से पूछना चाहूंगा कि आपने इस बेकारी की समस्या के समाधान के लिए कमेटी बना रखी है और आपने आज से करीब डेढ़ साल पहले सार्वजनिक रूप से घोषणा की थी कि नौकरी तो नहीं दिला सकते लेकिन जो छात्र, नौजवान अपना रोजगार चलाना चाहते हैं उनको मैं अवसर दिलाने की व्यवस्था करूंगा।

मैं आपके माध्यम से मुख्य मन्त्रीज से निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार के पास में क्या व्यवस्था है व सरकार बेकारी की समस्या के निदान के लिए क्या महत्वपूर्ण कदम उठाने जा रही है? ढाई साल हो गये, मुख्य मन्त्रीजी स्पष्ट करें, और जो छात्र नौजवान आज विधान सभा के सामने प्रदर्शन कर रहे हैं उनसे सरकार के प्रतिनिधि मिलें। उपाध्यक्ष महोदय, वैसे लोग आपको भी ज्ञापन देंगे और मेरा आपसे अनुरोध है कि उस ज्ञापन के ऊपर आज इस सदन के अन्दर चर्चा होनी चाहिए। बेरोजगारी का सवाल हिन्दुस्तान के नौजवानों के लिए जीने-मरने का सवाल है। मैं पुनः आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि माननीय मुख्य मन्त्रीजी अपनी सरकार की रोजगार के सम्बन्ध में नीति स्पष्ट करें और इस सवाल पर यहां चर्चा होनी चाहिए।

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिए। माननीय नत्थीसिंह जी।

श्री नत्थीसिंह (कुम्हेर) : उपाध्यक्ष महोदय, इस मामले में मुख्य मन्त्रीजी ने एक बार घोषणा की थी, मैं याद दिलाना चाहता हूं कि अगर सबको नहीं तो ट्रेंड जो लोग हैं चाहे वे इंजीनियर्स हों, चाहे डॉक्टर हों, चाहे पुस्तकालयाध्यक्ष हों, चाहे बी.एड. हों, उन सबको तो मैं तुरन्त नौकरी पर लगाऊंगा और रोजगार दूंगा। लेकिन आज जो टेक्निकल और ट्रेंड लोग हैं वे भी बेरोजगार हैं और आपके यहां तंबू लगे हुए हैं। उसके साथ-साथ जो दूसरे बेरोजगार नौजवान हैं, सारी हालत खराब है। इस सम्बन्ध में व्यास कमेटी की रिपोर्ट भी आपके पास आ गई। टेक्निकल लोगों को भी रोजगार नहीं मिला। बेरोजगारों की समस्या से सारे संगठन चाहे जनता दल (अ) हो चाहे कांग्रेस महिला हो, चाहे भारतीय जनता का युवा मोर्चा हो, सबके सब इससे पीड़ित हैं और यह सबकी पीड़ा है। तो मैं चाहता हूं हमारे मुख्य मन्त्रीजी यह कहें, उनको इस बात की चिन्ता जरूर रहती है कि हमारा विद्युत मण्डल घाटे में चल रहा है लेकिन ये सब नौजवान घाटे में ही मर रहे हैं, भूखे ही मर रहे हैं, निराश हैं। इनकी चिन्ता भी आपको है? इसके लिए आप क्या उपाय कर रहे हैं? इसके लिए मैं आपकी मार्फत निवेदन करता हूं कि हम और ज्यादा कहें उससे पहले आप स्वयं ही इस सम्बन्ध में वक्तव्य देकर उन युवा लोगों को जिनमें बहुत आक्रोश है और पीड़ित हैं उनको शांत करने की कृपा करेंगे। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : नहीं, नहीं, सबको नहीं बोलना है। माननीय पं० रामकिशन जी।

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : उपाध्यक्ष महोदय, उसमें मेरा नाम है।

श्री उपाध्यक्ष : दो आदमियों ने कह दिया सबको थोड़े ही कहना है।

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : मेरी लिखित में पहले से सूचना दी हुई है। आप सनको बुलवा रहे हैं, मुझे भी बुलवाईये।

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजिए। आप कहिए।

श्री मोहम्मद माहिर आजाद (झुंझुनूं) : मैं यही कहना चाहता हूं कि आज जो प्रदेश के हजारों लोग विधान सभा के सामने आपके ऊपर आशा और विश्वास के साथ आए हैं। आज आप सरकार को निर्देश दें कि सरकार समान शिक्षा और रोजगारोन्मुखी शिक्षा पद्धति लागू करें अन्यथा जो शिक्षित बेरोजगार हैं उनको रोजगार के अवसर सुलभ करायें। रोजगार सुलभ नहीं करायें तो उनको निर्वाह भत्ता यानि बेरोजगारी भत्ता दिया जाय। उनके सामने आज भूखों मरने जैसी स्थिति पैदा हो रही है। इसलिए अपना घर-बार छोड़कर प्रान्त के हजारों नौजवान विधान सभा के सम्मुख आ रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : पं. रामकिशन जी। (व्यवधान)

श्री रामकिशन शर्मा : उपाध्यक्ष महोदय, जो सवाल डॉ. चन्द्रभानजी ने उठाया है यह अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है और सरकार को निश्चित तौर पर कोई बयान देना चाहिए, कोई नीति निर्धारित करनी चाहिए। लेकिन मैं तो एक दूसरे सवाल के लिए खड़ा हूं। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : हां, बोलिए आप। (व्यवधान)

श्री नत्थीसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, हम तो यह निवेदन करना चाहते हैं कि मुख्य मन्त्रीजी इस सम्बन्ध में कुछ बयान दें। युवा छात्र जो बेरोजगार हैं उनके सम्बन्ध में क्या कहना चाहते हैं?

श्री उपाध्यक्ष : पंडितजी आप नहीं बोलना चाह रहे हैं क्या? (व्यवधान)

डा. चन्द्रभान : उपाध्यक्ष महोदय, पहले इसका मुख्य मन्त्रीजी से जवाब दिलाइये।

श्री उपाध्यक्ष : ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि मुख्य मन्त्रीजी आपकी बात का उत्तर देवे ही। आसन की तरफ से नहीं कहा जा सकता। बिराजिए आप। (व्यवधान)

डा. चन्द्रभान : हजारों की संख्या में छात्र नौजवान प्रदर्शन कर रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : डॉक्टर साहब बिराजिए। मैं अलाउ नहीं करूंगा।

श्री महिपाल यादव (बहरोड) : उपाध्यक्ष महोदय, लाखों नौजवान बेरोजगारों का सवाल है। इसको सबको गम्भीरता से लेना चाहिए। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आप व्यवस्था दे रहे हैं क्या हेतरामजी? आपका नाम नहीं पुकारा है।....(व्यवधान) आप बिराजिए। पण्डित रामकिशनजी बोल रहे हैं।

श्री महावीर प्रसाद जैन : इनको किसी प्रकार का ज्ञान नहीं है। आप वहां नीचे जाकर के भाषण दे आओ।

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजिए।

श्री महावीर प्रसाद जैन : मैं डाक्टर साहब से निवेदन करना चाहता हूं कि वहां जाकर भाषण दे आओ और उन्हें मुख्य मन्त्रीजी से मिलवा लो।

श्री हेतराम बेनीवाल : उपाध्यक्ष महोदय, आज जनता दल की तरफ से प्रदर्शन किया जा रहा है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजिये महावीर प्रसाद जी। पंडित जी।

श्री रामकिशन शर्मा : उपाध्यक्ष महोदय, 24 तारीख को जनता दल के महामंत्री मानसिंह और उनके साथ कुछ लोगों पर हमला किया गया है। उपाध्यक्ष महोदय, इसकी रिपोर्ट भी सदर थाना रेलवे स्टेशन में दर्ज कराई गई थी। अपराधी खुले आम घूम रहे हैं और सरकार इस मामले में पूरी तरह से निष्क्रिय बनी हुई है। ये मानसिंह गुर्जर जनता दल के महामंत्री हैं।

श्री सम्पत सिंह : आप जनता दल में क्या कर रहे हैं ?

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : इतना गंभीर मामला है और आप इसको मजाक में टाल रहे हैं।

श्री रामकिशन शर्मा : जब इस तरह के लोगों पर हमला हो और पुलिस किसी कारण से निष्क्रिय बनी हुई हो तो यह बहुत चिन्ता की बात है। मैं माननीय मंत्री जी से, मुख्य मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि जिनके खिलाफ नामजद रिपोर्ट है, उन्होंने बाकायदा नामजद रिपोर्ट भी की है और उस रिपोर्ट में रमेश, बंशी है, मनोहरलाल है, चंदाराम है, बन्नासिंह है, कैलाश वगैरह हैं। तो उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि ऐसे गंभीर मामलों में चोट काफी गहरी है, आप खुद देख लें, 2–3 आदमी घायल हुए हैं। इस पर तत्काल कार्यवाही नहीं की तो अराजकता फैलेगी। मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी से चाहूंगा कि इस मामले को गंभीरता से लें।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय हेमराज जी मीणा। (व्यवधान)

डा. चन्द्रभान : उपाध्यक्ष जी, यदि बोलना चाहें....

श्री उपाध्यक्ष : डा. चन्द्रभान जी, यह ठीक नहीं है।

डा. चन्द्रभान : मैं केवल निवेदन कर रहा हूं सरकार से।

श्री उपाध्यक्ष : सी.एम. साहब ने सुन लिया। कोई जरूरी है कि नेता महोदय से आपका उत्तर दिलाऊं ही ? ऐसा नहीं होता, बिराजिए आप। आपने अपनी बात रख दी है चन्द्रभान जी।

डा. चन्द्रभान : यह बहुत महत्वपूर्ण मसला है। राजस्थान के छात्रों का, डेढ़ लाख लोगों का मसला है।

श्री उपाध्यक्ष : आप अपनी ही बात रखेंगे ? अन्य सदस्य भी बैठे हैं। आप बिराजिए। माननीय हेमराज मीणा।

डा. चन्द्रभान : इस सरकार के पास कोई रोजगार की नीति ही नहीं है। यह सरकार कोई जवाब दे ही नहीं सकती।

श्री उपाध्यक्ष : हां, ठीक। (व्यवधान)

श्री नत्थी सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, सरकार बेरोजगारी के मामले में भी कुछ नहीं कहना चाहती है। इतनी + + + नाकारा और अनरेस्पोंसेबल है तो मैं उनकी इस नीति के विरोध में जनता दल (अ) की ओर से सदन से बहिर्गमन करता हूं।

+ + + शब्द अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

श्री उपाध्यक्ष : हां, जाइये आप। (श्री नत्थी सिंह व जनता दल (अ) के अन्य माननीय सदस्यों ने सदन से बहिर्गमन किया।)

श्री हेमराज मीणा। आप जल्दी कहिए।

श्री हेमराज मीणा (शिवगंज) : उपाध्यक्ष महोदय, कोटा के अन्दर कोटा जंक्शन पर एक इमानुएल स्कूल है जो कि एक रजिस्टर्ड स्कूल है। उस स्कूल में 7 जुलाई, 1992 को बजरंग लाल नाम का एक लड़का भर्ती हुआ व दूसरा उमाशंकर नाम का लड़का भर्ती हुआ। उस लड़के को माता-पिता न होने के कारण स्कूल में भर्ती होना पड़ा, वह छात्रावास में रह रहा था। उस पर दबाव डाला गया कि तुमको इसाई धर्म में परिवर्तन होना पड़ेगा, बाइबिल को पढ़ना पड़ेगा और तुमको धर्मान्तरण करना पड़ेगा।

उपाध्यक्ष महोदय, यह कतई बर्दाश्त करने वाली बात नहीं है। जो ऐसा स्कूल है, जो धर्म परिवर्तन पर दबाव डालते हैं ऐसे स्कूलों का रजिस्ट्रेशन खत्म करना चाहिए और ऐसे कृत्य में स्कूल के प्रधानाचार्य, व्यवस्थापक सम्मिलित हैं उनके खिलाफ कठोर कार्यवाही की जानी चाहिए।

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिए माननीय श्री बालचद आर्यवीर।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : इस सम्बन्ध में पूरी जांच करा ली जायेगी।

श्री उपाध्यक्ष : मुख्य मंत्री जी ने फरीमाया है कि जांच करा लेंगे। आर्यवीर जी-बैठे, आपका भी यही है। जांच कराने का आश्वासन दे दिया है।

श्री रामस्वरूप मीणा : उपाध्यक्ष महोदय, मैं पहले से बोल रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष : हां, बोलिए, क्या है ?

श्री रामस्वरूप मीणा : उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान में अनेकों ट्रेनिंगशुदा स्वास्थ्य निरीक्षक बैठे हुए हैं जो 420 दिन से ज्यादा धरने पर बैठे हुए हैं। पहले उन्होंने भूख हड़ताल भी की थी। मुख्य मंत्री जी ने एक बार उनकी भूख हड़ताल रस पिलाकर तुड़वाई थी और कहा था कि स्वास्थ्य निरीक्षकों को रोजगार दे दिया जायेगा। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, स्वास्थ्य निरीक्षकों ने 3 दिन पहले ही माननीय स्वास्थ्य मंत्रीजी का पुतला भी जलाया था और यह बहुत परेशान हैं। इनके घर वाले हैं जिन्होंने इनको ट्रेनिंग दिलाकर यहां भेज दिया। पैसा वो देते नहीं है आखिर इन स्वास्थ्य निरीक्षकों का कौन रखवाला है ? इसलिए उपाध्यक्ष महोदय, इनको रोजगार देने के लिए व्यवस्था कराई जाय। अगर हम युवाओं को रोजगार नहीं दिला सकते, हम इन ट्रेनिंगशुदाओं की भी व्यवस्था नहीं करा सकते तो हम सदन में बैठने के अधिकारी नहीं है। मैं सदन में इसका विरोध करता हूं। (व्यवधान)

श्री बुलाकीदास कल्ला : उपाध्यक्ष महोदय, व्यवस्था करिये, सरकार ध्यान नहीं दे रही है (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : इनको तो बोलने दीजिए आप।

श्री रामस्वरूप मीणा : हड़ताल करते हुए 420 दिन से भी ज्यादा दिन हो गये स्वास्थ्य निरीक्षकोंकोराजस्थान में बेरोजगार युवक ओवरएज होने जा रहे हैं, इनके बारे में आप विचार भी कर रहे हो....

श्री परसादीलाल मीणा : इनको हड़ताल करते हुए सवा चार सौ दिन हो गये या तो यह कह दे इनके लिए सरकार कुछ करेगी, कुछ समाधान करेगी यह करना ही नहीं चाहते....(व्यवधान)

श्री रामस्वरूप मीणा : इसलिए उपाध्यक्ष महोदय, उनके रोजगार की सोचिये। स्वास्थ्य मंत्रीजी के यहाँ जगह खाली पड़ी हुई हैं। माननीय स्वास्थ्य मंत्रीजी...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : बैठिये, बैठिये। बिराजिए आप।

श्री रामस्वरूप मीणा : चार सौ बीस दिन हो गये, आपने अभी तक स्वास्थ्य निरीक्षकों के बारे में घोषणा नहीं की। उपाध्यक्ष महोदय, इस बात के बारे में माननीय मंत्री महोदय जानकारी दें कि इन स्वास्थ्य निरीक्षकों को कब तक रोजगार दे दिया जायेगा ?

श्री उपाध्यक्ष : अब आप बिराजिए।

श्री रामस्वरूप मीणा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, ऐसे नहीं होगा साहब, इनकी रोजी-रोटी का सवाल है...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : सरकार का ध्यान आकर्षित...

श्री रामस्वरूप मीणा : मैं धरने पर बैठता हूं, चार सौ बीस दिन हो गये...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय महावीर प्रसादजी।

श्री बिरधाराम चौधरी : माननीय उपाध्यक्ष महोदय,...

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिए। देखिये, ठहरिये आप जरा, आप बिराजिए थोड़ा।

श्री महावीर प्रसाद जैन : उपाध्यक्ष महोदय, हमको राजस्थान की प्यासी धरती के लिए...

श्री प्रभुलाल पटेल : उनकी तरफ बिल्कुल ही ध्यान नहीं दे रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : पटेल साहब, आप बिराजिए। वह बोल रहे हैं।

श्री प्रभुलाल पटेल : नहीं, बोल किस को रहे हैं वह तो+ + +कर रहे है। यह बोल नहीं रहे,+ + +कर रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : क्या कह रहे हैं आप।

श्री प्रभुलाल पटेल : मेरा कहना यह है कि जिनको सवा चार सौ दिन हो जाय स्ट्राइक पर बैठे और सरकार उनकी तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं दे, यह कितनी + + + की बात है, आखिर उनके बच्चे हैं, उनके

+ + + शब्द अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया

(श्री प्रभुलाल पटेल)

घरवाले हैं, आखिर उनके लिए सोचना तो जरूरी है।

श्री उपाध्यक्ष : ठीक है, अब बिराजिए। वह कह चुके हैं। बिराजिए...(व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन : प्रद्युम्न सिंह जी, यह आपको नेता नहीं मानते....(व्यवधान)

श्री परसादीलाल मीणा : स्वास्थ्य मंत्री जी को स्वास्थ्य निरीक्षकों के बारे में कोई आश्वासन देना चाहिए या कुछ उनको कहना तो चाहिए कि भाई, आपको लगा देंगे, आपको इस तरह करेंगे, आपको कुछ न कुछ कहना तो चाहिए स्वास्थ्य मंत्रीजी। इस तरह सवा चार सौ दिन हो गये हैं, आप चुपचाप बैठे हैं...

श्री रामस्वरूप मीणा : स्वास्थ्य मंत्री जी मौन धारण किये हुए बैठे हुए है, यह बोलते क्यों नहीं हैं...(व्यवधान)

श्री प्रभुलाल पटेल : स्वास्थ्य मंत्री महोदय, आप भी जरा गौर कीजियेगा... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : रामस्वरूपजी, बैठिये। ...(व्यवधान)

श्री रामस्वरूप मीणा : और रोजगार नहीं दे रहे है आप उनको...(व्यवधान) स्वास्थ्य मंत्रीजी बोलते क्यों नहीं हैं साहब,

श्री उपाध्यक्ष : मैं आपका नाम पुकारूंगा, बैठिये आप।

श्री परसादीलाल मीणा : यह सदन में दो-तीन बार पहले भी मामला उठ चुका है, कुछ करना ही नहीं चाहते।

श्री उपाध्यक्ष : कुछ कहना चाहेंगे आप (व्यवधान) माननीय रामस्वरूपजी, बैठिये। माननीय महावीर प्रसादजी।

श्री रामस्वरूप मीणा : 420 दिन से ज्यादा हो गये...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : अजी बैठिये आप।

श्री प्रभुलाल पटेल : उनको बैठाइये आप।

श्री उपाध्यक्ष : आप बैठिये।

श्री प्रभुलाल पटेल : उनको बैठाइये आप। यह मंत्री हैं, क्या हैं...

श्री महावीर प्रसाद जैन : उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान में जहां पानी की बहुत बड़ी कमी है वहीं मुझे खुशी है कि टोंक में बनास नदी बहती है। यह भी खुशी की बात है कि वहां बीसलपुर बांध बन रहा है और 1994 में बांध का कार्य पूरा हो जायेगा और उसकी जितनी भराव क्षमता है उसके अलावा दस हजार एम. सी फीट पानी का एक बांध वहां पर और बनना आवश्यक है। और जो जयपुर में पेयजल की दृष्टि से एक समस्या बनी हुई है और जयपुर से बीच में आने वाले टोंक जिले और जयपुर का एक तो जल स्तर ठीक होगा और एक पेयजल का समाधान होगा और सिंचाई होगी। इसी के साथ-साथ जहां बांध 1994 में पूरा हो जायेगा वहां उस पानी के उपयोग के लिए नहर बनाना आवश्यक है। तीन करोड़ रुपये से इस बार

(श्री महावीर प्रसाद जैन)

नहर बनाने का प्रावधान भी किया गया है लेकिन आज तक तकनीकी कारणों से उसका कार्य प्रारम्भ नहीं हुआ और वह तीन करोड़ रुपये भी खर्च नहीं होंगे। यदि ठीक गति से काम हुआ तो उस नहर के निर्माण में कम से कम पांच-छह साल लगेंगे तो 1994 में पानी के ठहराव के बाद भी उस पानी के उपयोग को कोई भी गति नहीं मिलेगी। इसलिए मेरा माननीय मुख्य मंत्री जी, पी. एच. ई. डी. मंत्रीजी से निवेदन है कि उस बांध का सर्वे पूरा हो चुका है, ईशरदा और बनेठा के बीच में यह बांध बनेगा, उसका सर्वे कार्य पूरा हो चुका है, उसका कार्य तुरंत प्रारम्भ करवाया जाय। यह बात सही है कि इस बार पर्याप्त बारिश हुई है और इसकी वजह से वह बात अभी हमको नहीं दिखाई देती लेकिन उस बांध के निर्माण में टाइम लगेगा इसलिए इसी वर्ष उस बांध का निर्माण कार्य चालू करवाया जाय, नहर का निर्माण कार्य चालू करवाया जाय और राज्य सरकार की यह मंशा है कि एक-एक बूंद पानी का उपयोग किया जायेगा उस बारे में सरकार को निश्चित रूप से चिंता करके उसका तुरंत उपाय करना चाहिए...

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिए।

श्री महावीर प्रसाद जैन : वरना हमारा पानी इस बार भी, उपाध्यक्ष महोदय एक महीने लगातार बनास नदी चली है और जितना अनुमान लगाया जाता है उससे लगभग दुगना, तिगुना पानी उसमें आया है लेकिन हमारे पास उस पानी के उपयोग करने का अभी तक कोई इंतजाम नहीं है। इसलिए मैं निवेदन करता हूं कि जल्दी ही इस प्रकार का आश्वासन दें और कार्य तुरंत प्रारम्भ करवायें। यह मेरा निवेदन है।

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिए। श्री प्रभुलालजी पटेल...(व्यवधान) आप क्या कहने वाले हैं, आपका काल अटेन्शन है, आप क्या बोलेंगे फिर? काल अटेन्शन लग रहा है आपका तो आज, मकराना के बारे में। अब बिराजिए आप, इनको बोलने दीजिए।

श्री महावीर प्रसाद जैन : उपाध्यक्ष महोदय, यह जयपुर के पेयजल की दृष्टि का मामला है, पानी का मामला है...

श्री उपाध्यक्ष : आप कह चुके हैं श्री महावीर प्रसाद जी।

श्री महावीर प्रसाद जैन : उसका सर्वे पूरा हो चुका है, सरकार को निश्चित रूप से कहना चाहिए कि यह कब कार्य प्रारम्भ करवा रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : आप किसके सामने बोल रहे हैं, इस सरकार का ध्यान आकर्षित करने के लिए ही तो कह चुके हैं आप।

श्री महावीर प्रसाद जैन : सरकार का ध्यान आकर्षित नहीं हुआ न।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : ध्यान आकर्षित हो गया।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय प्रभुलालजी पटेल...(व्यवधान) इनको बोलने दीजिए।

श्री प्रभुलाल पटेल (सपोटरा) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे मेरे क्षेत्र में चल रही स्कूलों में जो मास्टरों की कमी है उसके

(श्री प्रभुलाल पटेल)

बारे में निवेदन करना चाहूंगा। अभी 17 तारीख को भी मैंने इसका स्थगन प्रस्ताव दिया था, न तो कोई उसका जवाब आया और न आपने कोई व्यवस्था दी और अब विधान सभा एक-दो-तीन दिन और चलेगी उसके बाद में सारे मामले गोलमोल रह जाते हैं। यह बड़ी..,

श्री उपाध्यक्ष : आप अपनी बात कहिये ना।

श्री प्रभुलाल पटेल : कह रहा हूं न, वह भी बात है। मैंने 17 तारीख को स्थगन प्रस्ताव दिया था उसका क्या हुआ, साहब पहला पाइंट तो यह है।

श्री उपाध्यक्ष : नहीं-नहीं, मुझे सूचना दी है वह बात कहो आप।

श्री प्रभुलाल पटेल : दूसरा यह है सर, मेरे सपोटरा क्षेत्र में सारे ही स्कूलों में मास्टर कम हैं पर जो सबसे बड़ा स्कूल है हायर सैकण्डरी स्कूल, सपोटरा, जिसमें 1200 लड़के हैं और सिर्फ एक पद सैकण्ड ग्रेड का दे रखा है, सिर्फ एक मास्टर है। तीन साल से सारे पद खाली चले आ रहे हैं। मैंने बजट सत्र में माननीय मुख्य मंत्री जी से निवेदन किया था, मेरे प्रश्न के जवाब में उन्होंने कहा था कि इस अप्रेल के महीने में...

श्री उपाध्यक्ष : अब बिराजिए, आप अपनी बात कह चुके हैं।

श्री प्रभुलाल पटेल : कह क्या दिया, मैं कहूंगा तो सही। अप्रेल के महीने में...

श्री उपाध्यक्ष : क्या कहोगे।

श्री प्रभुलाल पटेल : सुन तो लीजिए, साहब। करना-धरना तो कुछ है नहीं, मेरी बात को तो सुनिये।

श्री उपाध्यक्ष : स्कूलों में मास्टर नहीं है, यह कह दिया है आपने।

श्री प्रभुलाल पटेल : मंत्रीजी ने यह घोषणा की थी, आप सुनियेगा तो सही साहब, कि अप्रेल के महीने में आपके 12 पद सैकण्ड ग्रेड के कर देंगे, मास्टर लगा देंगे और उस समय चेयर पर अध्यक्ष महोदय विराजमान थे, उन्होंने भी कहा था कि एम. एल. ए. साहब इस अप्रेल के महीने का आप इंतजार कीजियेगा। मैंने उनकी वजह से इंतजार किया, आज उसको कितने महीने हो गये उपाध्यक्ष महोदय, ऐसी बेदर्द सरकार, आज तक वह 1200 लड़कों के भाग्य के साथ खिलवाड़ कर रहे है...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिए।

श्री प्रभुलाल पटेल : उपाध्यक्ष महोदय, आप गौर कीजियेगा कि उनके भाग्य का क्या होगा।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय श्री बिरदा रामजी चौधरी। बिराजिए आप। नहीं, बिराजिए आप।

श्री प्रभुलाल पटेल : उनके भाग्य का क्या होगा, तीन साल से जो अध्ययन कर रहे हैं, उनके लिए आप इनसे कहलवाइये, साहब।

श्री बिरदा राम चौधरी (मकराना) : उपाध्यक्ष महोदय, मकराना के अन्दर जो

(श्री बिरदा राम चौधरी)

मार्बल की खानें हैं, इस साल अतिवृष्टि के अन्दर जो खानें...

श्री उपाध्यक्ष : मैं कह चुका हूं, आपका ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लग रहा है, अलग क्या कहोगे आप ।

श्री बिरदाराम चौधरी : नहीं मेरी बात हुई थी । ध्यानाकर्षण लगा हुआ है, मेरा यह था कि मेरी अध्यक्ष महोदय से बात हुई थी कि ध्यानाकर्षण प्रस्ताव जो आज लगेगा उस पर बोलने का मौका दे दिया जाय जबकि मेरा नाम नहीं है उसमें ।

श्री उपाध्यक्ष : क्या हां, बुला देंगे आपको । बिराजिए आप । वर्मा साहब ।

श्री रामनारायण वर्मा (नैनवां) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कुछ बातें राजस्थान में ऐसी होने जा रही हैं जिससे भेदभाव झलकता है । मैं आपके माध्यम से, मुख्य मंत्रीजी यहां बिराजमान हैं, निवेदन करना चाहूंगा । शिक्षा में कालेजेज खोलने की बात की जा रही है, तीस किलोमीटर की बात की जा रही है...

श्री उपाध्यक्ष : यह जनरल कैसे कह रहे हैं आप ।

श्री रामनारायण वर्मा : बिल्कुल ।

श्री उपाध्यक्ष : क्या है ?

श्री रामनारायण वर्मा : प्रुफ हैं ! मैं...

श्री उपाध्यक्ष : नहीं-नहीं, क्या कहना चाह रहे हैं । आप ।

श्री रामनारायण वर्मा : मैं यह कहना चाह रहा हूं कि कुछ ऐसे स्थान जहां पर लोग पैसे देने की स्थिति में है वहां तो कालेजेज खोलने की बात की जा रही है । नैनवां जैसी जगह जो बैकवर्ड इलाका है, पहाड़ी जैसा इलाका है, नैनवां में सर्व हुआ है, पूरी जमीन है, बिल्डिंग है, सब कुछ है और उस बैकवर्ड इलाके में कालेजेज खोलने की बात नहीं की जा रही है । माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बीसलपुर के बारे में बात हुई । तीन सौ गांव 14 नवम्बर, 1992 को काट दिये गये राजस्थान सरकार के द्वारा, किसानों का गला काट दिया गया...

श्री उपाध्यक्ष : आप क्या जनरल बात कह रहे हैं । घासीलालजी चौपड़ा । बिराजिए वर्मा साहब, मैं अलाउ नहीं करूंगा जनरल

श्री रामनारायण वर्मा : मैं आपको एक निवेदन कर रहा हूं । राज्य सरकार इस बारे में घोषणा करें कि तीन सौ गांवों को वापस जोड़ा जायेगा, किसानों को पानी दिया जायेगा । खाद बीज के मामले में उपाध्यक्ष महोदय...

श्री उपाध्यक्ष : मैं जनरल अलाउ नहीं करूंगा । घासी लालजी चौपड़ा । आप बिराजिए ।

श्री रामनारायण वर्मा : मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा...

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजिए । ऐसा नहीं है यहां पर, आप बिराजिए वर्मा साहब ।

श्री रामनारायण वर्मा : टोंक में दो हजार रुपये का खाद बताया जा रहा है, पचास हजार रुपये का खाद वहां कापरेटिव सोसायटी में है...

श्री उपाध्यक्ष : इसमें बोलने का अवसर दिया है, स्पेसिफिक बात करने का अवसर दिया है। आप तो जनरल डिबेट कर रहे हैं। (व्यवधान) नहीं, आप बिराजिए। घासी लाल जी चौपड़ा, बोलना चाहते हैं क्या ? आप बोलिये।

श्री घासीलाल चौपड़ा : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय कृषि मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : प्लीज वर्मा साहब... (व्यवधान)

श्री रामनारायण वर्मा : ..आप सरकार से क्यों नहीं स्टेटमेंट दिलाते हैं...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आप कह चुके हैं।.... (व्यवधान) आप क्या दल के नेता के रूप में बोल रहे हैं ? (व्यवधान) आप बिराजिये... माननीय वर्मा जी बैठिये प्लीज (व्यवधान) आप बिराजिये श्री घासीलाल जी चौपड़ा।

श्री घासीलाल चौपड़ा (टोडारायसिंह): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय कृषि मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अभी हमारे लालसोट से आने वाले माननीय विधायक महोदय ने खाद का प्रश्न उठाया। निवेदन यह है कि बुवाई का समय आ चुका है। सरकार के पजेशन में जो खाद है उसके संबंध में तो माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने जवाब दे दिया कि उसका हम कुछ इन्तजाम करेंगे लेकिन मेरा निवेदन यह है कि जब रेटें बढ़ी उसके पूर्व का जो प्राइवेट डीलर्स के पास स्टाक है उसके संबंध में माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि उनके गोडाउन्स सीज करवा कर या छापा डलवाकर या कैसी भी व्यवस्था करके, आफिसर्स लेकर सारी मालूमात करके जो प्राइवेट डीलर्स के पास खाद है वह भी ओल्ड रेट से ही डिस्ट्रिब्यूट करवायें और इसकी व्यवस्था फरमावें। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, दूसरा मेरा निवेदन है....

श्री उपाध्यक्ष : आ चुकी है बात। श्री हेतराम जी बेनीवाल।

श्री हेतराम बेनीवाल (संगरिया) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक मसले पर आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा। प्रशासन की जो संवेदनशीलता है वह कितनी नीचे तक समाप्त हो चुकी है, मैं देखता हूं। घटनायें जो राजस्थान में हो रही हैं, अभी घटना हुई है 18 तारीख को बंजारा लोग एक चारागाह पर बैठे हैं, हल्दवानी गांव जिला अलवर में। वह चार–पांच साल से उस पर काबिज हैं और उनकी फसलें हैं और वह करीब 150–200 बीघा में काबिज हैं। उन बंजारों का और गांव के लोगों से इस बात का झगड़ा चल रहा है कि उस पर गांव के लोग काबिज रहे या बंजारे काबिज रहें। उन्होंने इस बात को लेकर 18 तारीख को जिला प्रशासन के पास प्रदर्शन का प्रोग्राम बनाया और 500-600 लोग एक प्रदर्शन जुलूस लेकर जिला

(श्री हेतराम बेनीवाल)

प्रशासन के पास गये यह कहने के लिए कि हमारी खेती खड़ी है और उस पर सरकार ने पैसा वसूल कर लिया है 5100-5100 रुपया और उनको नहीं उजाड़ा जाये। वह प्रशासन के पास, जिला कलक्टर के पास जाते हैं जुलूस निकालने के लिए और जब मर्द चले गये तो उनके पीछे से उनकी औरतें और बच्चे रह गये। वहां पर कुछ शरारती लोगों ने जाकर जिसमें नायब तहसीलदार भी शामिल है, जिसमें पटवारी भी शामिल है और दूसरे असरदार सवर्ण जाति के लोग भी शामिल हैं, उन्होंने उनके सारे पशु के लिए और सारी उनकी 250 बीघा पर फसल खड़ी थी जो कि पिछले पांच छः सालों में इसी साल ही फसल हुई, इसी साल उनको अनाज की उम्मीद थी और वह फसल उन्होंने चौपट कर दी। मैं माननीय उपाध्यक्ष महोदय, निवेदन करना चाहूंगा कि वह वातावरण जो राजस्थान में धीरे-धीरे बन रहा है कि बड़े लोग, सवर्ण जाति के लोगों के खिलाफ पुलिस कदम नहीं उठाये और सरकार कदम नहीं उठाये और चुपचाप बैठी रहे और उनको मौका दे कि गड़बड़ी करे। मैं निवेदन करूंगा कि इसके बारे में राज्य सरकार जो भरतपुर के बाद अलवर में हो रहा है इसके लिए चिन्ता करे।

श्री उपाध्यक्ष : श्री मदनलाल सैनी।

श्री मदनलाल सैनी (गुढ़ा) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान राजस्थान स्टेट लॉटरीज के बारे में दिलाना चाहूंगा। राजस्थान स्टेट लाटरीज ने एक टिकट जारी किया 'ए' सीरिज में-यह 23 तारीख को खुल गया है। मान्यवर ऐसे कई टिकट चल रहे हैं जिनके ऊपर कोई नम्बर नहीं और नम्बर नहीं होना एक अपराध है। इस प्रकार के जो टिकट हैं इन टिकटों पर कोई भी नम्बर प्रिन्ट करके जिसका नम्बर निकला हो इस सिरीज में और किसी के हक को मारा जा सकता है और रिजर्व बैंक में जब किसी नोट पर और कोई नम्बर नहीं छपता है तो 2 रुपये के नोट पर नम्बर नहीं छपे तो दो रुपये का नुकसान हुआ लेकिन 5 रुपये का टिकट खरीदने वाला व्यक्ति इस विश्वास में टिकट खरीदता है कि नम्बर आयेगा और इस कारण से मुझे इतना रुपया मिलेगा। उसकी एक मनःस्थिति गड़बड़ होगी और उसके साथ धोखाधड़ी हो जायेगी। इस प्रकार की अनियमितता स्टेट लाटरीज में हो रही है। इसके बारे में सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि भविष्य में इस प्रकार के जो लाटरीज के टिकट निकलते हैं बिना नम्बर के जो टिकट निकल रहे हैं इसको गम्भीरता से लेकर इसके बारे में कार्यवाही की जाये।

श्री उपाध्यक्ष : श्री मोहनलाल चौहान।

श्री मोहनलाल चौहान (परबतसर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा स्थगन प्रस्ताव 17 तारीख का है जिला नागौर में जले हुए ट्रांसफार्मर्स और बिजली डिस्ट्रिब्यूशन के संबंध में। यह बिजली संबंधी मामला है और ऊर्जा मंत्री जी यहां पर है नहीं। जिला नागौर में सैकड़ों की तादाद में जले हुए ट्रांसफार्मर्स पड़े हुए हैं। काश्तकारों को दो, दो और तीन, तीन

(श्री मोहनलाल चौहान)

महीने से ट्रांसफार्मर्स नहीं मिल रहे हैं। काश्तकारों में त्राहि-त्राहि मची हुई है। काश्तकारों की कपास की फसल जल रही है, मक्का की फसल जल रही है, मिर्च की फसल जल रही है। तो काश्तकारों को ट्रांसफारमर्स नहीं मिलने से हमारे नागौर जिले के काश्तकारों को बहुत दुःख है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जिला नागौर में ट्रांसफारमर्स के कारण जिन काश्तकारों ने 31 मार्च, 1992 के पहले सिक्योरिटी जमा करा दी थी, सैंकड़ों की तादाद में काश्तकारों की रकम जमा है और ट्रांसफारमर्स नहीं मिलने के अभाव में काश्तकारों को कनेक्शन्स रिलीज नहीं हो रहे हैं। काश्तकारों के 'एल' फार्म जमा हैं, कईयों को खम्बे नहीं मिल रहे हैं, कइयों को तार नहीं मिल रहे हैं। तो मैं आपकी मार्फत व्यवस्था चाहूंगा कि माननीय मुख्य मंत्री जो बिराजे हैं, नागौर जिले में ट्रांसफार्मर्स नहीं मिलने के कारण से काश्तकारों की दशा बहुत बुरी है। इसलिए मैं आज ही आसन की तरफ से व्यवस्था चाहूंगा। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, ऊर्जा मंत्री जी नहीं हैं""(व्यवधान)""

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजें ....(व्यवधान)....

श्री मोहनलाल चौहान : माननीय मुख्य मंत्रीजी बिराजे हैं। यह काश्तकारों के लिए व्यवस्था होनी चाहिए। अगर नहीं होगी तो मैं धरने बैठूंगा।

श्री बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर) : पाइन्ट आॅफ इनफोरमेशन, सर। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान इस विषय में दिलाना चाहता हूं कि हाउस में प्रक्रिया के नियम 50 के अन्तर्गत जो एडजनमेन्ट मोशन दिये जाते हैं उसमें हाउस की यह परम्परा रही है कि या तो उसी दिन राज्य सरकार अपना वक्तव्य देती है और उसी दिन किसी भी कारण से कोई इन्फर्मेशन लम्बी हो, पूरे राजस्थान से संबंधित हो तो 24 घण्टे के अन्दर-अन्दर उसका वक्तव्य देने की परम्परा रही है अथवा राज्य सरकार को उसका वक्तव्य देना होता है, कोई इनफोर्मेशन आपके पास रह जाती है, आप उसको रिजेक्ट कर देते हैं तो माननीय सदस्यों को दो-दो मिनट बोलने का समय दिया जाता है एडजनमेंट मोशन के ऊपर। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सदन का सत्रकाल बहुत थोड़ा और कई ऐसे विषय जो कि पब्लिक इम्पोर्टेन्स के हैं वह हाउस में उठाये जा रहे हैं....

श्री उपाध्यक्ष : माननीय कल्ला साहब प्रक्रिया क्या है आप भी जानते हैं, सदन के सभी माननीय सदस्य भी जानते हैं। यह कोई आपका पाइन्ट आफ आर्डर नहीं बनता, बिराजिये।

श्री बुलाकीदास कल्ला : पाइन्ट आफ आर्डर तो नहीं है लेकिन मैं आपको सूचना देना चाहता हूं। सात, सात और आठ, आठ दिन तक राज्य सरकार से जवाब नहीं आता और हमारे एड्जर्नमेंट मोशन ऐसे ही रह जाते हैं। एडजर्नमेंट मोशन की सेंक्टिटी खत्म हो गई है इसलिए आप हमारे रक्षक हैं। आप कृपया एडजर्नमेंट मोशन पर यह व्यवस्था दें कि उसी दिन या तो रिजेक्ट करके माननीय सदस्यों को दो-दो मिनट का

(श्री बुलाकीदास कल्ला)

समय बोलने का दिया जाये अन्यथा राज्य सरकार की तरफ से वक्तव्य दिलाया जाये। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : श्री रिछपाल सिंह।

श्री रिछपाल सिंह (डेगाना) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि नागौर जिले में किसानों को ट्रांसफार्मर्स नहीं मिलने से बहुत ही हालत खराब है और आज भी नागौर में एस.ई. आफिस में 5–5 सौ और 6–6 सौ किसान रोज डेरा लगाये हुए बैठे रहते हैं और उनकी दशा यह है कि बाहर वह भिखारी की तरह बैठे रहते हैं। जिन किसानों ने 31 मार्च के पहले-पहले पैसा जमा करा दिये उनके कनेक्शन्स क्यों नही रिलीज हो रहे हैं? वहां एस.ई. आफिस में जाते हैं तो कहते हैं 25 का ट्रांसफार्मर नहीं है। तो माननीय मुख्य मंत्री जी से मैं नम्र निवेदन करूंगा कि 25 के ट्रांसफार्मर नागौर जिले में भिजवायें। रायड़े की बुवाई का सीजन चल रहा है तो किसानों को ट्रांसफार्मर्स दिलायें और किसानों की समस्या का निराकरण कराने की कृपा करें।

श्री भैरोंसिंह शेखावत (मुख्य मंत्री) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों ने ट्रांसफार्मर्स के लिए कहा है। मैं आज ही इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को बुलाकर बात करूंगा और अभी इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के पास उपलब्ध ट्रांसफारमर हैं उनको तुरन्त नागौर जिले में भेजने की कोशिश करूंगा।

श्री उपाध्यक्ष : श्री मनीराम सियाग– (अनुपस्थित)

295 के अन्तर्गत–श्री लक्ष्मीचन्द जी मेहता....(व्यवधान)....

श्री किशनाराम : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने 22 तारीख को ही आपको निवेदन किया था कि मेरा 295 नहीं मिल रहा है।

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिये आप।

नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख

जालौर जिले को डार्क जोन घोषित करने से जनता को असुविधा

श्री लक्ष्मीचन्द मेहता (सांचौर) : मान्यवर, जालौर जिला के सांचोर तहसील, भीनमाल तहसील, रानीवाड़ा तहसील, सायला, आहोर व जालौर तहसील में रायड़ा, जीरा की फसल बहुत अच्छी होती है व बेरों में अथाह पानी होते हुए भू-सर्वेक्षण विभाग ने उपरोक्त तहसीलों को डार्क जोन घोषित किया जिसके परिणामस्वरूप किसानों को बेरा खोदने एवं अनुसूचित जाति व जन जाति के लोगों को जीवनधारा के अन्तर्गत बेरा का निर्माण कराने हेतु राज्य सरकार से अनुदान की राशि मिलती थी वह कतई बन्द कर दी है जबकि बाढ़ के आने व अतिवृष्टि से बेरों के पानी का तह बढ़ गया है। वह अन्तर्राष्ट्रीय जगत में लाखों रुपयों का जीरा व रायड़ा सांचोर, भीनमाल इत्यादि तहसीलों से भेजा जाता है उसके बावजूद भी डार्क जोन घोषित करने से जनता में बड़ा भारी

(श्री लक्ष्मीचन्द मेहता)

(2.52 म.प.)

(श्री रमाकान्त शर्मा, सभापति पदासीन),

असंतोष व्याप्त है एवं जिस पिछड़ी जाति के काश्तकारों को जीवनधारा का लाभ दिलाकर ऊंचा उठाना चाहते हैं वह मन्शा भी सरकार की समाप्त हो जाती है। जिले की गर्वनिंग कौंसिल ने सर्वसम्मति से डार्क जोन समाप्त करने का प्रस्ताव भेजा मगर उस पर किसी प्रकार का ध्यान नहीं दिया गया। अतः मैं राजस्थान विधानसभा की कार्य प्रणाली के अन्तर्गत नियम 295 के अन्तर्गत माननीय भू-प्रबन्ध मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित कर निवेदन करता हूं कि सम्पूर्ण जालोर जिले का डार्क जोन समाप्त कर जनता सरकार द्वारा मिली सुविधा का उपयोग करने में सहयोग प्रदान करावें।

श्री सभापति : माननीय श्री मोहम्मद माहिर आजाद।

झुंझुनूं शहर स्थित करबला, कब्रिस्तान, दरगाह हजरत कमरुद्दीन शाह की भूमि के राजस्व अभिलेख की दुरस्ती

श्री मोहम्मद माहिर आजाद(झुंझुनूं): माननीय सभापति महोदय, मैं राजस्थान विधान सभा की प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत झुंझुनूं के कर्बला, दरगाह, कब्रिस्तान की वक्फ जायजाद है उसके राजस्व रिकार्ड में सुधार के लिए निवेदन करना चाहता हूं। माननीय राजस्व मंत्री जी तो यहां आज है नहीं।

महोदय, उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रार्थना पत्र निम्न प्रकार है :—

(1) खसरा नम्बर 536, 538, 541, 543 दरगाह को पंचपाना राजपूत ठिकानों द्वारा पट्टे पर दान में दिया हुआ है तथा यह भूमि दरगाह के चारों ओर हरे भरे पेड़ पौधों से सुसज्जित होकर दरगाह की सुन्दरता में चार चांद लगाये हुए हैं। उक्त चारों खसरा नम्बरों को सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक दरगाह की सम्पत्ति वक्फ में होना दर्शाया गया था परन्तु राजकीय गजट, 1965 में केवल खसरा नम्बर 538 ही वक्फ सम्पत्ति दर्शायी गई है जो कि गलत है। यह पूरी भूमि वक्फ सम्पत्ति है और वक्फ भूमि को हस्तांतरित नहीं किया जा सकता। जमीन पर दरगाह की तरफ से सैकण्डरी स्कूल का निर्माण कार्य चालू है। जिला प्रशासन भी दरगाह की उक्त खसरा नम्बरों की जमीन नगरपालिका व अन्य संस्थाओं को आवंटित करना चाहता है। अतः उक्त खसरा नम्बरों की भूमि राजकीय की जगह दरगाह हजरत कमरूद्दीन शाह झुंझुनूं के नाम राजस्व रिकार्ड में दुरुस्त करवायें। खसरा नम्बर 536, 543 की जितनी जमीन नगरपालिका झुंझुनूं व शमशान भूमि आवंटित कर दी थी उसका वर्तमान बाजार दर से दरगाह को मुआवजा दिलवाये तथा उक्त दरगाह के चारों ओर बाउण्डरी बनाने की इजाजत दिलवायें।

(2) झुंझुनूं शहर में रोडवेज बस डिपो के पास मुसलमानों की एक सामूहिक भूमि है जिसे मुसलमान सैंकड़ों वर्षों से मोहर्रम दफनाने के काम में लेते आ रहे हैं। उक्त जमीन पर कब्जा मुसलमानों का ही है।

(श्री मोहम्मद माहिर आजाद)

(3) उक्त जमीन मुसलमानों को मोहर्रम के ताजिये दफनाने वास्ते तत्कालीन राजपूत ठिकानों द्वारा पट्टे पर दान में दी हुई है तथा उक्त जमीन का खसरा नम्बर नम्बर 545 व 546 है।

(4) उक्त दोनों खसरा नम्बर 545, 546 की भूमि को राजकीय गजट 1965 के अनुसार कर्बला भूमि व वक्फ सम्पत्ति स्वीकार किया गया है तथा वक्फ बोर्ड की तरफ से उक्त जमीन के लिए मुतवल्ली भी मुकर्रर है।

(5) राजस्व रिकार्ड में उक्त भूमि राजकीय दर्ज होने से वर्तमान जिला प्रशासन इस भूमि को प्राइवेट बस स्टेण्ड के लिए नगरपालिका, झुंझुनूं को आवंटित करना चाहता है जो कि राजस्व व वक्फ कानून के विरुद्ध होने के साथ-साथ मुसलमानों के साथ खिलवाड़ है।

(6) उक्त भूमि के चारों ओर बाउण्डरी बनाने के लिए कई वर्षों से मुसलमान प्रशासन के चक्कर लगा रहे परन्तु निर्माण की अनुमति नहीं दी जा रही है।

अतः माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से राज्य सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि:—

(1) राजस्व रिकार्ड के खसरा नम्बर 545 व 546 को कर्बला कब्रिस्तान के नाम दुरुस्त करवायें।

(2) पूरी जमीन के चारों ओर बाउण्डरीवाल बनाने की इजाजत दिलवायें।

(3) जिला प्रशासन झुंझुनूं द्वारा इस भूमि के मामले में की जा रही छेड़छाड़ को रोका जाय।

श्री सभापति : माननीय श्री चुन्नीलाल इन्दलिया। (अनुपस्थित) माननीय श्री महावीर प्रसाद जैन।

श्री महावीर प्रसाद जैन (टोंक) : माननीय सभापति महोदय, जिस समय आपका मामला आया आप अनुपस्थित थे, आप कह सकते हो बीसलपुर के मामले में और वह ईसरदा बांध के निर्माण के मामले में।

श्री सभापति : कृपया भाषण नहीं, अपना 295 पढ़ें।....(व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन : इन्होंने टोका है इसलिए....(व्यवधान)....

श्री सभापति : कृपया प्रारम्भ करें.... (व्यवधान)

राज्य के प्राथमिक स्कूलों में शिक्षण सामग्री, साफ-सफाई एवं पेयजल की व्यवस्था

श्री महावीर प्रसाद जैन : प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत औचित्य के सवाल पर शिक्षा मंत्रीजी का और पंचायत मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करने के लिए निवेदन है। महोदय, राजस्थान में प्राथमिक शिक्षा की दृष्टि से शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र में प्राथमिक विद्यालय कार्यरत है, किसी विद्यालय में 40 छात्र हैं तो किसी में 500 छात्र अध्ययनरत हैं, स्कूल में पढ़ाने के लिए किसी में एक अध्यापक है तो किसी में 15

(श्री महावीर प्रसाद जैन)

अध्यापक कार्यरत है एवं स्कूल भवन भी छात्र संख्या के अनुसार छोटा या बड़ा है। प्रारम्भ से ही लगभग 30–35 सालों से ही स्कूलों की व्यवस्था जैसे शिक्षा सामग्री, बोर्ड, दरी पट्टी, चार्ट, कुर्सी, टेबल इत्यादि एवं अन्य खर्चों के लिए शहरी क्षेत्रों के लिए जो रुपये 50 प्रति माह एवं ग्रामीण क्षेत्रों के लिए लगभग 20 रुपये अभी दे रहे रहे हैं, ऐसी स्थिति में पढ़ाई की व्यवस्था नहीं हो सकती है। इससे चाक भी खरीदना सम्भव नहीं लगता है। जब पहले 10 पैसे में मटकी आती थी उस समय भी यही प्रावधान था और आज 4 रुपये में मटकी आती है। तो मैं समझता हूं पानी की सफाई की, किसी प्रकार की व्यवस्था नहीं है। ऐसा लगता है कि राज्य सरकार के अब तक ध्यान में नहीं आया है। इसलिए माननीय शिक्षा मंत्रीजी से भी और पंचायत राज मंत्री से भी मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह जो प्रावधान है, 25 रुपये, 50 रुपये का, इसको बढ़ा के आज के अनुरूप और पूरी व्यवस्था हो, इस प्रकार की व्यवस्था की जाय। मंत्रीजी यहां उपस्थित हैं। मैं चाहता हूं कि यह शिक्षा का मामला है, छोटे–छोटे बच्चों का, तो आप भी यह चाहेंगे, माननीय सभापति महोदय, कि मंत्रीजी कुछ राहत दें तो अच्छा रहे।

श्री सभापति : माननीय श्री रामकरण चौधरी (अनुपस्थित)

श्री हरलाल सिंह खर्रा (पंचायत राज मंत्री) : माननीय सभापति महोदय, वैसे पंचायत राज में प्राइमरी स्कूलों में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की जगह नहीं लेकिन जहां छात्रों के अनुपात से, जहां छात्र अधिक हैं 200 या कुछ क्राइटेरिया फिक्स कर के राज्य सरकार वहां चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी रखने की व्यवस्था पर विचार कर रही है और जहां कहीं हैं, जो कि माननीय सदस्य ने बताया, जो पैसे दे रहे हैं उन पर भी बढ़ोतरी पर विचार किया जायेगा।

श्री सभापति : माननीय श्री रामकरण चौधरी (अनुपस्थित) माननीय श्री सुरेन्द्र गोयल।

जैतारण में ट्रांसफार्मर्स जलने से किसानों को असुविधा

श्री सुरेन्द्र गोयल (जैतारण) : माननीय सभापति महोदय, मैं मेरे विधान सभा क्षेत्र जैतारण से सहायक अभियन्ता, राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल, जैतारण के कार्यालय में पिछले 2 महीने से करीब 50 ट्रांसफार्मर बरसात ज्यादा होने से जल गये और अभी भी जले पड़े हैं। अभी तक वहां पर ट्रांसफार्मर नहीं लगने से काश्तकार आने वाली रबी की फसल से महरूम रह रहे हैं व अभी जो फसल कपास की खड़ी है वह भी सूख रही है। इसलिए मेरा निवेदन है कि राज्य सरकार कब तक ट्रांसफार्मर भेज देगी ? तुरन्त प्राथमिक योजना, जो पिछले साल भर से बंद पड़ी है, परन्तु काश्तकारों ने साल भर पहले 30–30 हजार, 40–40 हजार रुपये डिमाण्ड नोटिस के जमा करवा दिये फिर भी उनको ट्रांसफार्मर, खम्भे व इन्सोलेटर के अभाव में कनेक्शन नहीं दिये जा रहे हैं। तो मेरा निवेदन है कि राज्य सरकार का नियम है

(श्री सुरेन्द्र गोयल)

कि 2 महीने के भीतर–भीतर तुरन्त प्राथमिक योजना में कनेक्शन दे दिये जायेंगे परन्तु आज तक उनको कनेक्शन नहीं दिये जा रहे हैं। इसलिए तुरन्त उनको कनेक्शन दे दिये जावें व ट्रांसफार्मर जले हुए पड़े हैं, जल्दी से जल्दी काश्तकारों को ट्रांसफार्मर उपलब्ध करवाये जावे जिससे काश्तकार राहत की सांस महसूस कर सके।

(1.00 म.प.)

माननीय सभापति महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र जैतारण के 33 के. वी. सब स्टेशन आगेवा में 1600 का ट्रांसफार्मर एक ही और वहां पर ज्यादा कनेक्शन हो रखे हैं। इसलिये एक 1600 का ट्रांसफार्मर और भेजा जावे। पृथ्वीपुरा 33 के. वी. सब स्टेशन पर 3.15 के ट्रांसफार्मर की आवश्यकता है, वह भी जल्दी से जल्दी व्यवस्था करके भेजा जावे जिससे काश्तकारों को राहत मिलेगी। इस सम्बन्ध में मंत्री महोदय बतायें कि कब तक ट्रांसफार्मर भेज दिये जायेंगे ?

श्री सभापति : माननीय श्रीमती मदन कौर।

मरूस्थलीय जिलों में पशुधन की रक्षार्थ सेवण घास

श्रीमती मदन कौर (गुढा मालानी) : सभापति महोदय, कार्य संचालन और प्रक्रिया नियम 295 के अन्तर्गत मैं यह प्रस्ताव सदन के सामने प्रस्तुत करती हूं।

प्रान्त के मरुस्थलीय जिले बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर और बीकानेर मूल रूप से पशुपालन पर निर्भर थे। इन जिलों में सेवण जैसा पौष्टिक घास बहुतायत से होती थी और यही इस क्षेत्र के अच्छे दुधारू पशुओं का आधार था। सेवण घास अच्छा पौष्टिक चारा होने के साथ ही उसकी मजबूत जड़ें और बूजे कृषि भूमि को आंधियों से उड़ने से रोकने में बहुत प्रभावी होती है। आज घास की यह प्रजाति लुप्त होने के कगार पर है। सेवण घास एक ऐसी घास है जो हरा चारा तो है ही, साथ ही जिसे सुखाकर लम्बे समय तक रखा भी जा सकता है। राजस्थान जैसे बहुधा अकालग्रस्त रहने वाले प्रान्त के लिये तो यह घास एक तरह से वरदान है। इस प्रजाति का लुप्त प्रायः होना हमारे प्रान्त के लिये नुकसानदेह साबित होगा। इसके फलस्वरूप एक तरफ जहां हमारी उपजाऊ कृषि भूमि को क्षति होगी, दूसरी तरफ हमारा पशुधन एक पौष्टिक घास से वंचित रहेगा। सेवण घास को जीवित ही नहीं मरुस्थलीय जिलों में व्यापक रूप से लगाने एवं खेतों की मेड़ों पर कृषक लगा सकें इसकी सरकार द्वारा सचेष्ट और जागरूक रहकर व्यवस्था करने की आवश्यकता है। राज्य सरकार इस सम्बन्ध में समय रहते कारगर कार्यवाही करें।

श्री सभापति : माननीय श्री गोपालसिंह खण्डेला।

श्री माधोपुर में ए. सी. जे. एम. न्यायालय।

श्री गोपालसिंह (खण्डेला) : माननीय सभापतिजी, मैं प्रक्रिया नियम 295 के अन्तर्गत सीकर जिले के श्री माधोपुर कस्बे

86

(श्री गोपालसिंह)

में ए. सी. जे. एम. न्यायालय स्थापित करने के बारे में सदन का ध्यान आकर्षित करता हूं।

मान्यवर, सीकर जिले की श्रीमाधोपुर तहसील के मुख्यालय पर सन् 1977 से एम. जे. एम. कोर्ट स्थापित है, जिसके अन्तर्गत श्रीमाधोपुर तहसील, खण्डेला उप तहसील, श्री माधोपुर पंचायत समिति, खण्डेला पंचायत समिति एवं श्रीमाधोपुर रींगस, खण्डेला, थोई थानों के क्षेत्र है। इस अदालत में सीकर मुख्यालय की अदालत को छोड़कर सबसे ज्यादा मामलों का इन्स्टीट्यूशन है और आज वहां कार्यभार ज्यादा होने से चार हजार से भी अधिक मामले विचाराधीन चल रहे हैं इस अदालत के कार्य क्षेत्र में अभी हाल ही में रींगस में उप अधीक्षक पुलिस का सर्किल कायम किया गया है तथा अजीतगढ़ में पुलिस थाना स्थापित किया गया है। इस अदालत में अत्यधिक विचाराधीन मामलों को ध्यान में रखते हुए तथा रोजमर्रा अत्यधिक नये मामले पेश होने से श्रीमाधोपुर में एक एडीशनल सिविल एण्ड जुडिशियल मजिस्ट्रेट कोर्ट का स्थापित होना बहुत आवश्यक है। इससे वहां के आम लोगों को शीघ्र और सस्ता न्याय मिलेगा। अभी हाल ही में सीकर जिले के अन्य भागों में जहां अदालतों में नाम मात्र के मामले हैं और नया इन्स्टीट्यूशन भी नाम मात्र का ही है, एडीशनल सिविल एण्ड जुडिशियल मजिस्ट्रेट की अदालत कायम करने से राज्य सरकार की पक्षपातपूर्ण नीति से जनता में भारी निराशा और आक्रोश है। श्री माधोपुर के अभिभाषक संघ ने राज्य सरकार के पक्षपातपूर्ण रवैये से क्षुब्द होकर विरोधस्वरूप पिछले एक सप्ताह से अदालत में जाना बन्द कर रखा है। यह लोक महत्व का एक गम्भीर मामला है। अतः जनभावना का आदर करते हुए तथा शीघ्र और सस्ता न्याय उपलब्ध कराने के लिये राज्य सरकार शीघ्र ही श्रीमाधोपुर में ए. सी. जे. एम. की अदालत स्थापित करें।

श्री सभापति : माननीय श्री जोगेश्वर गर्ग (अनुपस्थित) माननीय श्री रतनाराम चौधरी (अनुपस्थित) माननीय श्री हीरालाल इन्दौरा।

राज्य बीमा एवम् प्रावधायी निधि कार्यालय में अनुसूचित जाति के कर्मचारियों की पदोन्नति

श्री हीरालाल इन्दौरा (केशरीसिंह पुर) : सभापति महोदय, प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि कार्यालय में अनुसूचित जाति के कर्मचारियों की पदोन्नति के सम्बन्ध में।

महोदय, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि कार्यालय के आम अनुसूचित जाति के कर्मचारियों की शिकायत है कि उन्हें सही मापदण्डों पर खरा उतरने के बाद भी पदोन्नति नहीं दी जाती और उनको छोड़ कर आगे के कर्मचारी को पदोन्नति दे दी गयी है। उदाहरण के तौर पर श्री भंवरलाल धीया, कार्यालय सहायक को राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग द्वारा आरक्षित रिक्त पद पर दिनांक 14.8.86 से पदोन्नति नहीं दी गयी जबकि उसके नीचे के व्यक्ति को पदोन्नति दे दी गयी। इस

(श्री हीरालाल इन्दौरा)

सम्बन्ध में घीया ने बार-बार विभाग को लिखा है तथा मैंने भी मंत्री महोदय को लिखा है लेकिन विभाग ने कोई कार्यवाही नहीं की है। जब कि विभाग इस पदोन्नति को सही मानता है। अतः मेरा आपसे सादर निवेदन है कि अनुसूचित जाति के कर्मचारी को राहत पहुंचावें।

श्री सभापति : माननीय श्री शिवजीराम मीणा। (अनुपस्थित) माननीय श्री बुलाकीदास कल्ला।

राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा बीकानेर में पुश्तैनी काश्तकारों की भूमि पर बिना मुआवजा दिये पेड़ लगाने तथा अन्य हिस्सों में मण्डल द्वारा भूमि का अधिग्रहण

श्री बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर) : सभापति महोदय, राजस्थान विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन सम्बन्धी नियम 295 के अन्तर्गत पुश्तैनी कास्तकारों की भूमि को राजस्थान आवासन मण्डल, बीकानेर द्वारा मुआवजा दिये बिना ही पेड़ों को काट कर अनधिकृत निर्माण कर व भूमि का स्वरूप बदलने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में तथा राज्य के अन्य हिस्सों में आवासन मण्डल द्वारा अधिगृहित की गयी भूमि को राज्य सरकार द्वारा डिएक्वायर करने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

मान्यवर, बीकानेर शहर के पास मुक्ता प्रसाद कालोनी आवासन मण्डल, बीकानेर के पास पुश्तैनी काश्तकारों की भूमि बीकानेर के भूतपूर्व महाराजा द्वारा काश्तकारों के दादा, परदादाओं के समय की है, गैर खातेदारों के रूप में आबंटित की गयी थी। यह काश्तकार कुओं से पानी निकालने का काम करते थे। धीरे-धीरे कुओं में बिजली लगने से तथा नलों से पानी मिलने से वह अपना काम करने लगे। इनको भूतपूर्व महाराजा के मौखिक आदेशों से ग्राम चक गरबी बीकानेर की कृषि भूमि रहने एवं काश्त करने के लिये दी गयी थी। जहां वे शुष्क खेती का कार्य करते थे। हाल ही में मुक्ता प्रसाद पश्चिम विस्तार योजना, नगर के अन्तर्गत उक्त पुश्तैनी काश्तकरों को गैर कानूनी तरीके से बेदखल किया जा रहा है।

(1·10 म. प)

(श्री हीरासिंह चौहान, उपाध्यक्ष, पदासीन)

जहां माली जाति के काश्तकारों के जीवन यापन का एक मात्र साधन शुष्क है, वे गरीब व अनपढ़ होने के कारण खातेदारी से वंचित रह गये हैं। कृषि भूमि पर इनके पुरखों द्वारा कच्ची साल, कमरा, पानी की कुण्डी और भैरूजी व मोमाजी के स्थान तथा बैर के अनेक पेड़ लगाये हुए हैं, काश्त करने के लिये चारों तरफ बाड़ व खाई कर कोनों पर पट्टियों के टुकड़े भी कहीं कहीं लगाये हुए हैं तथा बरसात के मौसम में परिवार के सारे लोग यहीं रहते हैं। इन गैर खातेदारों के पुश्तैनी जमीन, खेत खसरा नम्बर 578 तादादी 15 बीघा, नम्बर 730 तादादी पांच बीघा, खसरा नम्बर 735 तादादी 25 बीघा 19 बिस्वा कृषि भूमि लीलाधर के नाम काश्त पर थी। इन्तकाल के बाद इनके तीन पुत्र एवं 14

(श्री बुलाकीदास कल्ला)

अन्य परिवार के सदस्यों के पास कब्जा काश्त के रूप में यहां खेती कर रहे थे। इसी प्रकार के अनेक गैर खातेदार इस स्थान पर गैर खातेदारों के रूप में काश्त कर रहे हैं। उक्त कृषि भूमि को हाउसिंग बोर्ड बीकानेर के रेजीडेण्ट इंजीनियर तथा अधिशाषी अभियन्ता के द्वारा उक्त कृषि भूमि का मुआवजा दिये बिना ही एवं भूमि के बदले दूसरी अन्य जगह कृषि भूमि दिये बिना ही किसानों के खेतों में लगे पेड़ों को काट कर एवं बाड़ों को हटा कर पट्टिओं को तोड़ कर जबर्दस्ती डरा धमका कर उक्त भूमि पर जबरन कब्जा किया जा रहा है। इन गरीब काश्तकारों के हकों की कहीं सुनवाई नहीं हो रही है। राम रोटी और मकान का नारा देने वाले पुश्तैनी काश्तकारों के हकों को छीन रहे हैं। कुछ काश्तकारों ने उच्च न्यायालय तथा न्यायालय उप खण्ड अधिकारी (उत्तर), बीकानेर से स्थगन आदेश लेकर यथा स्थिति बनाये रखने के आदेश प्राप्त किये हैं। इसके बावजूद राजस्थान आवासन मण्डल इन काश्तकारों को बेदखल कर वहां मकान बना रहा है। बीकानेर में जमीन की कहीं कमी नहीं हैं राज्य सरकार एक ओर गैर खातेदार जो 50 वर्ष से अधिक समय से खेती का कार्य कर रहे हैं उनको खातेदारी के अधिकार नहीं दे रही है, दूसरी ओर जयपुर स्थित सांगानेर के पास हाउसिंग बोर्ड की आवासीय योजना के लिए अधिग्रहित की गई भूमि को राज्य सरकार ने डिएक्वायर किया है। बीकानेर में पुश्तैनी माली जाति के काश्तकारों की भूमि को बिना मुआवजा दिये तथा बिना जमीन के बदले जमीन दिये आवासन मण्डल द्वारा उक्त जमीन को जबरन कब्जा कर लिये जाने से वहां के काश्तकार तथा नागरिकों में भारी रोष व्याप्त है। राज्य सरकार को चाहिए कि पुश्तैनी काश्तकारों को उनकी कृषि भूमि का खातेदारी का हक कब तक प्रदान करेगी। काश्तकारों की कृषि भूमि में उनको अपने परिवारों के सदस्यों को मकान बनाने की स्वीकृति दी जाये। कृषि भूमि में काश्तकारों के मकान, मंदिर में पानी व बिजली के कनेक्शन अविलम्ब दिये जायें। अधिशाषी अभियंता, राजस्थान आवासन मण्डल, बीकानेर को पाबंद किया जावे कि पुश्तैनी काश्तकारों की कृषि भूमि पर वे पेड़ नहीं काटें, भूमि पर नाजायज कब्जा नहीं करें तथा मकानों का निर्माण अविलम्ब बंद किया जावे। राज्य सरकार को आवासन मण्डल हेतु उक्त भूमि को उपयोग में लेना यदि आवश्यक समझे तो पहले काश्तकारों को जमीन के बदले जमीन दी जाये और यदि जमीन नहीं दी जाये तो जमीन का उचित मुआवजा दिया जावे।

आशा है राज्य सरकार उक्त समस्याओं का अविलम्ब समाधान कर काश्तकारों को अपने हकों को प्रदान करायेगी।

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव

थानागाजी एवं राजगढ़ में बसों का संचालन

श्री उपाध्यक्ष : ध्यानाकर्षण प्रस्ताव। प्रक्रिया के नियम 131 के अंतर्गत श्री रमाकांत शर्मा, परियोजना अधिकारियों द्वारा बंद करवाये जाने से वहां की जनता को हो

(श्री उपाध्यक्ष)

रही परेशानी से उत्पन्न स्थिति के लिए वन मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करेंगे ।

श्री रमाकांत शर्मा (थानागाजी) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय वन मंत्रीजी का राजगढ़ के जो कतिपय गांव हैं, उनमें सरिस्का बाघ परियोजना के अधिकारियों ने बस जाने से रोक लगा रखी है, उस बारे में ध्यान आकर्षित करता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मंत्रीजी ।

श्री लालचन्द डूडी (वन मंत्री) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राजगढ़ पंचायत समिति के गांव टहला, खोह, दरीबा, बलदेवगढ़ व गोला का बास आदि थानागाजी से मात्र काली घाटी–सरिस्का मार्ग के जरिये नहीं जुड़े हुए हैं बल्कि इन्हें जोड़ने वाली एक दूसरी पक्की सड़क और भी है । यह सड़क अजबगढ़–प्रतापगढ़ होकर थानागाजी पहुंचती है । पिछले दिनों राजगढ़ होकर टहला से अलवर जाने वाला मार्ग वर्षा के पानी के कारण अवरूद्ध हुआ है । किन्तु टहला से अलवर जाने के लिए काली घाटी सरिस्का वाले मार्ग से जाने की अनिवार्यता या आवश्यकता नहीं है । इस मार्ग के विकल्प के रूप में टहला से अजबगढ़, प्रतापगढ़ थानागाजी होकर अलवर जाने की पक्की डामर की सड़क चालू है । उल्लेखनीय है कि इस मार्ग को राजस्थान पथ परिवहन निगम द्वारा राष्ट्रीयकृत मार्ग बना रखा है तथा इस पर बसें इत्यादि नियमित रूप से चल रही हैं ।

टहला से काली घाटी होता हुआ सरिस्का जाने वाली सडक पूरे संघन वन क्षेत्र से होकर गुजरती है तथा इस रास्ते में एक भी गांव नहीं है । यहां पर असंख्य वन्य जीव विचरण करते हैं । अतः इस मार्ग पर वाहनों को आमद रफ्त को नियंत्रित रखना अनिवार्य है ।

दिनांक 21.8.92 को राज्य परिवहन निगम ने दो बसे बिना पूर्व सूचना एवं स्वीकृति के टहला–सरिस्का मार्ग पर लगा दी थी जो कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अन्तर्गत बने वन्य जीव अभयारण्य में प्रवेश नियमों के विरूद्ध है अतः दिनांक 24.8.92 को उक्त अतिरिक्त बसे रोक दी गई किन्तु पूर्व से चल रही बसों को नहीं रोका गया ।

श्री गोविन्द प्रसाद गुप्ता की मृत्यु गैर कानूनी तरीके से बस की छत पर यात्रा करने के कारण लापरवाहीवश हुई है । यह घटना सरिस्का–अलवर राज्य मार्ग पर हुई है । जहां पर अनेक राज्य परिवहन निगम की बसे उपलब्ध थी ।

जिला कलक्टर अलवर के द्वारा दिनांक 27.8.92 को दो अतिरिक्त बसे लगाई गई जिन्हें बाघ परियोजना प्रशासन द्वारा कभी नहीं रोका गया और आज भी चल रही हैं ।

उपरोक्त विवरण से विदित है कि सरिस्का परियोजना अधिकारी द्वारा स्थानीय लोगों के लिए किसी प्रकार की कठिनाई पैदा नहीं की जा रही है । वे तो मात्र सरिस्का अभयारण्य से गुजरने वाले उक्त मार्ग पर अभयारण्य में प्रवेश के लिए बने कानून व नियमों के अन्तर्गत आवागमन को

(श्री लालचन्द डूडी)

नियन्त्रित करने का दायित्व निभाने का प्रयास करते हैं।

अतः ध्यानाकर्षण प्रस्ताव करने योग्य नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय रमाकांत जी।

श्री रमाकांत शर्मा : उपाध्यक्ष महोदय, वैसे तो मैं मंत्री महोदय का बहुत-बहुत आभार व्यक्त करता हूं जब भी मैं इनके पास इस सिलसिले में कोई भी मुश्किलात लेकर गया तो इन्होंने बहुत ही जल्दी और उसका तत्क्षण समाधान किया है परन्तु इन्होंने आज मुझे बहुत ही डिसअपाइन्ट किया है। आज जिस प्रकार का इन्होंने विभाग का लिखा हुआ भाषण पढ़ा, उससे मुझे इतना फस्टेशन हुआ है कि मैं बोलने में भी दुख महसूस कर रहा हूं। उपाध्यक्ष महोदय, सरिस्का का जो वन्य क्षेत्र है, वह थानागाजी विधान सभा क्षेत्र के लिए गौरव की चीज है। हम सेकड़ों वर्षों से इसको लेकर एक प्रकार का गौरव महसूस कर रहे हैं और जहां कहीं भी दुनिया में जिक्र होता है, हम उसका जिक्र करते हैं। हमारे थानागाजी विधान सभा क्षेत्र के अन्दर यह इस प्रकार का वन क्षेत्र है कि ऐसा वन क्षेत्र जहां हजारों वर्षों पूर्व पांडवों ने वहां पर आकर निवास किया था। वह जानते थे कि हिन्दुस्तान के अन्दर इतना सुदर जंगल कोई नहीं है जहां पर वह छिप सकते हैं, दूसरी जगह वे पहचान लिये जायेंगे। यह वह वन क्षेत्र है जहां पर अपने जन्म स्थान को भरतरि जी छोड़ कर यहां तपस्या करने के लिए आये थे और यहां उन्होंने तपस्या की थी और जो नीति शतक, श्रृंगार शतक, वैराग्य शतक उन्होंने लिखा, वह इस वन क्षेत्र के अन्दर ही लिखा गया था। यह वह जगह है जहां गुर्जर प्रतिहारों का जो बहुत बड़ा राज्य साम्राज्य चल रहा था उस समय उन्होंने उस जगह को तलाश किया और वहां पर नीलकंठ का एक मंदिर नहीं, वहां पर कई प्रकार के दसवीं शताब्दी के अन्दर 55 मंदिर हैं। यह वह जगह है, जिसके बारे में हमको बोलना है। मैं पुरानी बात निवेदन नहीं कर रहा, मैं मेरे बाल्यकाल की बात बताता हूं। उस समय वहां पर सूर्य की किरण जमीन को नहीं छू सकती थी। इतना सुदर वह वन क्षेत्र था, 550 से उपर वहां शेर थे। शेर और मनुष्य इतने सह अस्तित्व से रहते थे, यहां कोई दिक्कत नहीं थी। उस जंगल के अन्दर 10-20 गांव थे और हजारों गायें थीं वह गायें भी वहां पर चरती थीं, पेड़ भी दिन पर दिन बढ़ते चले जा रहे थे और वन्य पशु भी सारे के सारे बढ़ते चले जा रहे थे। कहीं कोई तकलीफ नहीं थी। हमारे लिए तकलीफ का समय आया 1972 में, जिस समय इस क्षेत्र को नोटिफाई कर दिया गया। और उस क्षेत्र को नोटिफाई करने का परिणाम क्या हुआ? वहां एक प्रकार का डायरेक्टर आकर बैठ गया, बहुत लम्बी चौड़ी फौज उसके पास आकर बैठ गई और उन्होंने सबसे ज्यादा जो बहुत ही बुरा काम किया, वह यह कि जो आस पास के लोग वहां रह रहे थे, उन लोगों का उस जंगल के प्रति एक मोह था, उस मोह पर उन्होंने कुठाराघात किया। वह तो वहां पर दो पत्ते तोड़ लाये, यदि सूखी लकड़ी चिनने आयें, तो उसी समय उनके उपर मुकदमे चला दिये जाते हैं। आज

(श्री रमाकांत शर्मा)

उन लोगों के ऊपर कम से कम पांच सौ मुकदमें चल रहे हैं और खुद वहां पर रात दिन ट्रक भर भर कर वहां से गाड़ियां की गाड़ियां, जंगल से पेड़ ले जाये जा रहे हैं, काटे जा रहे हैं। दिन प्रति दिन उस फौज के आधार पर, वहां पर जो स्थानीय अधिकारी हैं, वह स्थानीय अधिकारी मैं समझता हूं 1/3 जंगल भी नहीं बचा पाये हैं। जो जंगल मैंने अपने बाल्यकाल के अन्दर देखा था, वहां पर जो वन्य पशु हैं, उनकी भी जो हालत है, मुझे पता नहीं है कि वहां पर 4-5 शेर भी हैं या नहीं। बताये जाते हैं 10-15 शेर हैं। 4 है कि 5 हैं मुझे पता नहीं कितने हैं। उपाध्यक्ष महोदय, वहां के क्षेत्र के लोगों को कभी कोई तकलीफ नहीं थी। हनुमानजी के यहां पर जाया करते थे पांडवपोल और पांडवों के टाइम से हम समझा करते हैं, वहां पर हनुमान जी का मंदिर है, आज वहां जाने से रोक दिया जाता है, वहां लोग जा नहीं सकते और दूसरे जो हमारे तीर्थ हैं, भरतरि जी का तीर्थ है, वहां पर रोक दिया जाता है। परंतु जिस बात के लिए में आज यहां पर निवेदन कर रहा हूं, जो मेरे लिए बहुत ही परेशानी का विषय है, वह विषय यह है कि जयपुर से जो अलवर सड़क जाती है, वह सरिस्का के बिल्कुल मध्य से गुजरती है, उस सड़क पर कभी रोकने की बात नहीं सोची। क्योंकि वह सड़क तो दो शहरों को मिला रही है। यह उस सड़क को रोकने की बात क्यों सोचेंगे। सरिस्का के मध्य के अन्दर वहां पर सरिस्का के डायरेक्टर साहब का बहुत बड़ा महल बना हुआ है, वहां पर बिजली है, वहां पर एयर कण्डीशनर है, वहां पर सारा का सारा जो कुछ भी है, वहां पर मौजूद है। बिजली को उनको कोई तकलीफ नहीं होती। हम यदि पास किसी गांव के अन्दर सरिस्का से दूर, उसकी टेरेटरी के अन्दर एक बिजली का लट्ठा गाड़ देते हैं तो हमारी यह सारी फौज आ जाती है और जो गांव टहला जिसके बारे में मैं आज निवेदन कर रहा हूं, वह सड़क गांव को जाती है सरिस्का के बीच में से, इसलिए इनके पेट में दर्द होता है कि यह गांव को सड़क क्यों जाती है। जयपुर और अलवर के बीच में से जो सड़क जा रही है परन्तु जो टहला सड़क जा रही है उस सड़क पर इनको बहुत बड़ी परेशानी पैदा हो रही है। माननीय, इनके अन्दर मनुष्यता, मानवीयता भी नहीं है। इस समय टहला के अन्दर क्या हुआ। अभी बरसात के अन्दर क्या हुआ। अभी बरसात के अन्दर एक सड़क राजगढ़ को जाती है, माननीय पी. डब्ल्यू. डी. मिनिस्टर साहब थोड़ा ध्यान दें। सड़क जाती है राजगढ़ को उस सड़क पर तीन तीन फीट पानी अभी भी भरा हुआ है करीब 6 किलोमीटर तक। राजगढ़ टहला का आदमी नहीं जा सकता। कुछ समय पूर्व, 10 वर्ष पूर्व भी समस्या आयी थी उस समय एक बाई पास रोड़ बनाने की बात थी, कुछ बनी भी थी, वह अधूरी पड़ी हुयी है परन्तु स्थिति आज यह है कि उधर से कोई जा नहीं सकता। दूसरा रास्ता टहला से जाने का है। टहला से जाने का रास्ता दौसा के अन्दर है जिसका जिक्र अभी माननीय मंत्रीजी ने किया है प्रतापगढ़ की तरफ से एक सड़क है उस सड़क के बीच के अन्दर एक सिरसा नदी आती है उसका पुल अभी तक चालू नहीं

(श्री रमाकान्त शर्मा)

हुआ है इसलिए उधर से भी वे नही जा सकते। मैं इस बात का जवाब तो बाद में दूंगा जो अभी इन्होंने बताया है माननीय वन मंत्रीजी ने कि दूसरी सड़क और मोजूद है। परन्तु आज स्थिति यह है कि उधर से जा नहीं सकते। जाने का एक मात्र केवल रास्ता बच गया था जो सरिस्का से बीच से 25 किलोमीटर सड़क है, वन के लोगों ने उसको रोक दिया और इन दिनों के अन्दर वहां पर न सब्जी मिले, न दवाई मिले, न खाने की चीज मिले, न चाय मिले, कुछ चीज नहीं मिले, 10–15 दिन तक वहां के लोग परेशान रहे और इनके सामने जाकर हाथ जोड़े कि आप हमें दो बसें चलाने दीजिये। दो बसें चलाई गई, दो दिन चली उसके बाद बन्द कर दी। ठीक है मैं कलेक्टर साहब की तारीफ करूंगा, कलेक्टर साहब से मेरी बातचीत हुयी और उन्होंने वहां पर/ दुबारा चलवा दी है। मुझे भ्रम है, विश्वास है, अब ये लोग उसके अन्दर कुछ गड़बड़ी कर रहे हैं फिर दुबारा उन दोनों बसों को बन्द करने की कोशिश कर रहे हैं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बस ही बन्द नहीं कर दी हमारे वहां के जो लोग हैं उनके रोजगार के उपर इनका आक्रमण है। हजारों वर्षों से कुछ मीणों, कुछ गूर्जर, कृषक जाति के लोग हैं, वे गाय, भैंस रखते हैं, वे वहां से दूध ले जाकर बेचते हैं, दूध का खोवा भी बना लेते हैं। परन्तु उनको जाने नहीं देते हैं। 500 रुपया प्रति किसान, प्रति घर 500 रुपये दे दीजिये जाने की अनुमति ले लीजिये पर वैसे उनको जाने नहीं दिया जाता है। वे दूध पैदा करेंगे। गाये हैं, भैंसे है, आप गोली मार दीजिये उन सबको, निकाल दीजिये उन सब गांव वालों को मुझे एतराज की बात नहीं है। आपकी स्कीम हो तो मैं आपके साथ हूं, हटाइये किस तरह से हटा सकते हैं। परन्तु यदि वे वहां पर जिन्दा रह रहे हैं गाव के अन्दर और उनकी भैंसे हैं, गायें हैं तो वे दूध का क्या करेंगे। वह आपको पिलायेंगे क्या सारा का सारा। मेरा निवेदन यह है कि उस रास्ते पर इस प्रकार की, कई प्रकार की रुकावटें है और जिन रूकावटों के कारण से हमारे थानागाजी क्षेत्र का जन जीवन सारा का सारा परेशानी के अन्दर है। हम जिस चीज के बारे में गौरव महसूस करते थे आज हमारे आंखों के सामने देखते हुये तो सारे के सारे लोग दुःखी हैं, किसान दुःखी है। हजारों की संख्या में आकर सारी की सारी खेती को बरबाद कर देते हैं, शेर वगैरह आकर हमारे आदमियों को खा जाते हैं। एक आध बघेरा वह भीतर क्यों नहीं रहता है। उनकी गड़गड़ाहट जीपें चलती रहती है कोई तकलीफ नहीं है। वहां पर पर्यटक आते हैं, उनकी 20–20 जीपें कारें रात दिन चक्कर लगाती हैं कोई तकलीफ नहीं है। टहला के रास्ते से यदि एक बस निकल जाय तो बड़े परेशान है। केवल एक आध, दो मोटर साइकिल हैं, गरीब आदमी है, बहुत परेशान है। सारी की सारी रूकावटें पैदा की जाती है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अभी वन मंत्रीजी ने कहा कि एक सड़क और है एक सड़क क्यों है?, 25–30 सड़कें हैं। टहला से बम्बई जाइये फिर बम्बई से कलकत्ता, कलकत्ता

(श्री रमाकान्त शर्मा)

से अलवर आ जाइये, पहुंच जाइये। बहुत जगह है। अहमदाबाद चले जाइये फिर वापस आ जाइये। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्रीजी को यह नहीं बताया गया कि दूसरी सड़क 104 किलोमीटर लम्बी है और यह सड़क, जिसकी बात कर रहे हैं वह 20 किलोमीटर के द्वारा अपने क्षेत्र के अन्दर विचरण मत कीजिये, दूध मत बेचिये, अपने मकानों के अन्दर पत्थर की आवश्यकता नहीं है, शादी-ब्याह करनी है तो कहीं बाहर चले जाइये, आपका आदमी बीमार पड़ गया तो बीमारी का इलाज मत करवाइये और करवाना है तो 104 किलोमीटर का चक्कर लगाकर चले जाइये। किस प्रकार का प्रस्ताव इस बड़े पवित्र सदन के अन्दर रखा जाता है। मुझे बड़ा सख्त अफसोस है इस बात के अन्दर, मुझे परेशानी है इस बात को सुन कर, यह कैसे बता दिया गया। 20 किलोमीटर के अन्दर क्या परेशानी है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह तो वह दिन है जबकि वन्य पशु वहां पर नीचे रहता ही नहीं है। मैं भी जानता हूं, इस वन्य जीव को बहुत अच्छी तरह से, मेरा भी अध्ययन है, मैं विशेषज्ञ नहीं हो, स्टूडेण्ट था। बरसात के अन्दर नीचे कोई शेर, बघेबा वगैरह नहीं है, हिरण भी नहीं है। सब पहाड़ों की चोटी पर चले चले गये हैं, इस जमाने के अन्दर वहां पर यह बात कह कर कि हमारे जो वन्य पशु है उनको परेशानी पैदा हो जायेगी। वन्य पशु को परेशानी पैदा नहीं होती है यह तो जो इनकी मनमानी है उस बात से परेशानी होती है। इसलिये मैं पुनः सरकार का और माननीय मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करता हूं कि इस रास्ते के मामले के अन्दर अड़चन न डालें। दो लाख जनता मेरे थानागाजी क्षेत्र की है। जिस भरतरिजी के नाम से सारा कुछ शुरू करते हैं, उधर वन की तरफ देखते हैं तो उनको बहुत बड़ी तकलीफ पैदा होती है। इसलिये इस सड़क को निर्विवाद रूप से चलने के लिये छोड़ दें। धन्यवाद।

श्री रतनाराम चौधरी : उपाध्यक्ष महोदय, 295 के लिये मेरा आपने नाम पुकारा था, मैं थोड़ा बीमार था, इसलिये मैं डाक्टर साहब के पास चला गया था।

श्री उपाध्यक्ष : वह तो टाइम चला गया।

श्री रतनाराम चौधरी : 295 का टाइम चला गया पर कृपया कल के लिये आप लगवा दीजिये बहुत महत्वपूर्ण है। कल के लिये आप आदेश कर दीजिये।

श्री उपाध्यक्ष : कल की बात कल देखेंगे, मिल लें, आप विराजें। यह यहां नहीं होता है। आप विराजें।

श्री केदारनाथ शर्मा : आन ए पाइंट आफ कलेरीफिकेशन। माननीय सदस्य बड़े विद्वान हैं, रिटायर्ड आई. ए. एस. आफिसर है। उन्होंने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के दौरान जवाब के बाद क्वेशन पेश किया कि जब भी मैं वन मंत्रीजी से चेम्बर में, घर पर या इनके आफिस में मिलता हूं तो बहुत ही जवाब प्रोम्पट रेसपोंस देते हैं मगर हाउस के अन्दर जवाब बड़ा निराशा से भरा हुआ है। इसलिये, माननीय सदस्य यह क्लियर इन्डक्टमेंट है हमारे वन मंत्रीजी के खिलाफ।

श्री रमाकांत शर्मा : मेरी प्रति बहुत ही साफ उदार भावना रहती है और यहां पर भी उदार भावना रही है, परन्तु विभाग ने जो लिख कर दे दिया वह तो उनको पढ़ना ही था। (व्यवधान)

श्री हेतराम बेनीवाल : अब आपका राजीनामा हो गया है।

श्री उपाध्यक्ष: बैठे आप। वन मंत्रीजी।

श्री लालचन्द डूडी : उपाध्यक्ष महोदय, थानागाजी से आने वाले माननीय सदस्य का इस रास्ते को खुलवाने का सवाल है और किसानों को वहां के रहने वालों को आवागमन के अन्दर तकलीफ का सवाल है। उपाध्यक्ष महोदय, वन्य जीव के बारे में जितनी यहां चर्चा हो रही है और जिस तरह से वन्य जीव खत्म होते जा रहे है उनको बचाना बहुत जरूरी है। इसलिये इनको बचाने के लिये अलग-अलग वक्तों पर अलग अलग कानून बनाये गये हैं। उपाध्यक्ष महोदय, अगर वन्य जीवों को बचाना है तो इन्सान को कुछ तो तकलीफ उठानी पड़ेगा। अगर इन्सान तकलीफ नहीं उठायेगा तो वन्य जीव नहीं बच सकते। जिस रास्ते के लिये माननीय सदस्य ने आग्रह किया है। पहले भी कई दफा इस बारे में बात की। उसके बारे में मैं क्लियर कर दूं कि वहां किसानों के आवागमन के ऊपर किसी तरह की कोई तकलीफ नहीं है लेकिन उस रास्ते को थोरोफियर नहीं बनाया जा सकता अगर थोरोफियर बन जायेगा उस पर ट्रक, गाड़ियां, बसें अनियंत्रित तरीके से जायेगी तो वन्य जीव, सेंक्चुअरी कायम नहीं रह पायेगी। अगर हाउस यह फैसला ले कि हमें सेंक्चुअरी नहीं रखनी है और इन वन्य जीवों की कोई चिन्ता नहीं करनी है तो यह हाउस की मर्जी है तो मुझे कहने की जरूरत नहीं है। अगर इन जीवों को बचाना है तो उसके अन्दर से रास्ता रोकना ही पड़ेगा, आवागमन को कन्ट्रोल करना ही पड़ेगा।

श्री रमाकांत शर्मा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक वाक्य में अपने सारे भाषण के अन्दर सारी रामायण रोयी वह निरर्थक चली गयी। मैं यह निवेदन कर रहा था, पहले वन जीव ज्यादा थे, 550 आज से 50 साल पहले उस समय यह वन विभाग नहीं था और आज 550 से 5-5 रह गये हैं वह वन विभाग की कृपा से है। हम तो थानागाजी के लोग तो समर्पित है पूरी तरह से वनों के लिये और वन्य जीवों के लिये। हमारे ही कारण से वन्य जीव वहां पैदा हुये थे वहां कोई सरकार क्रियेट नहीं करने गयी थी। प्रकृतिक और हम लोगों का सम्मिश्रण था। हम इस बात को तो नहीं करना चाहते। आज भी 50 सौ गाड़ियां, ट्रक चलते हैं उससे वन्य जीव डिस्टर्ब नहीं होता है। वहां पर किसान रहते हैं, हमारा कोई बिजनेस नहीं है। थानागाजी के अन्दर कौन सा ट्रेड, कौन सी इन्डस्ट्री है, वहां तो कोई धन्धा ही नहीं है लोगों के पास, सिवाय किसानों के इधर से उधर जाने के, न उनके पास गाड़िया है। मुश्किल से एक आध मोटर साइकिल है। माननीय मंत्रीजी को मैं यह ध्यान दिलाता हूं कि इसको कन्फर्म समझे अब वह रास्ता किसानों के लिये निर्विवाद रूप से खुला हुआ है।

श्री लालचन्द डूडी : जैसा आपने वन्य जीवों की घटती हुयी संख्या के बारे में बताया कि वहां 500 थे और आज 5 रह गये हैं। यह बात तो सत्य है कि 40 हजार टाइगर्स थे शुरू में, 72 से पहले तक और वह आज 18 सौ केवल मात्र सारे हिन्दुस्तान में रह गये।

तो जिस तरह से वन्य जीव घट रहा है उसको बचाये रखने की इन्सान की, आदमी की जिम्मेदारी है तो उसके लिए वे कर ही रहे हैं। किसानों के लिए जैसे बात कही है, किसानों को वहां आने-जाने में कहीं कोई रूकावट नहीं है। पर्यटकों के बारे में कहा गया है। पर्यटक टाइगर्स देखने के लिए, उस जंगल को देखने के लिए बाहर से आते हैं। तो मैं मानता हूं कि आजकल पर्यटकों की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ी हुई है, उसको भी किस तरीके से नियंत्रित करें, यह भी करना होगा लेकिन उसको रोक तो नहीं सकते और उसको उस तरह से खुला थोरोफेर नहीं बना सकते।

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिये।

श्री रमाकान्त शर्मा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, किसानों से मतलब किसानों के वाहनों से है, पैदल से मतलब नहीं है, उन्हें मैं क्लियर कर दूं। किसानों के जो वाहन हैं उन वाहनों से मतलब है।

आयुर्वेदाचार्य में प्रवेश हेतु पूर्व परीक्षा की न्यूनतम योग्यता

श्री उपाध्यक्ष : प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमावली, नियम 131 के अन्तर्गत श्री जोगेश्वर गर्ग, श्री मदन दिलावर, श्री हेमराज मीणा, श्रीमती तारा भण्डारी श्री गोविन्द सहाय, श्री रामेश्वर भारद्वाज सदस्य विधान सभा आयुर्वेदाचार्य में प्रवेश हेतु पूर्व परीक्षा में न्यूनतम योग्यता में संस्कृत विषय के विद्यार्थियों को वंचित किये जाने से उत्पन्न स्थिति की ओर शिक्षा मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करेंगे। माननीय श्री जोगेश्वर गर्ग।

श्री जोगेश्वर गर्ग : मैं कह सकता हूं, संस्कृत, राजस्थानी, हिन्दी, उर्दू किसी में बुला लो, बोलूंगा। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आयुर्वेदाचार्य में प्रवेश हेतु जो पूर्व परीक्षा आयोजित होती है उसकी न्यूनतम योग्यता में जो परिवर्तन किया जा रहा है उसमें संस्कृत पढ़े छात्रों को वंचित किया जा रहा है। उस सम्बन्ध में न केवल शिक्षा मंत्री जी बल्कि आयुर्वेद मंत्रीजी का भी ध्यान आकर्षित करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय आयुर्वेद, क्या। व्यवधान।

श्रीमती उजला अरोड़ा : मैंने शायद इसी सम्बन्ध में 295 दिया था। मुझे भी इसमें बोलने का मौका देंगे।

श्री उपाध्यक्ष : हां, बुला दूंगा आपको।

(1.32 म.प.)

(श्री रमाकांत शर्मा, सभापति, पदासीन)

श्री. रतन लाल जाट : माननीय सभापति महोदय, राजस्थान विश्वविद्यालय द्वारा आयुर्वेदाचार्य प्रथम वर्ष में प्रवेश हेतु पात्रता परीक्षा आयोजित की जाती रही है। आयुर्वेदाचार्य प्रथम वर्ष के लिए पूर्व में

(श्री रतनलाल जाट)

निम्नलिखित पात्रता निर्धारित थी। विज्ञान, जीव विज्ञान व संस्कृत ऐच्छिक विषय के साथ सीनियर हायर सैकण्डरी परीक्षा पास पास व राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की सीनियर उपाध्याय परीक्षा पास व विश्वविद्यालय द्वारा किसी समकक्ष घोषित परीक्षा पास। इसी बीच भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् ने भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम 1970 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद्. केन्द्रीय सरकार की पूर्व स्वीकृति से भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् भारतीय चिकित्सा में शिक्षा के न्यूनतम मानक विनिमय 1986 में संशोधन करते हुए उपरोक्त पाठ्यक्रम के लिए निर्धारित अर्हताओं में संशोधन किया है। यह संशोधन भारत के राजपत्र दिनांक 5 अगस्त, 1989 संख्या 31 भाग 3 खण्ड 4 में प्रकाशित किये गये हैं। भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् ने आयुर्वेद की शिक्षा में प्रकाण्डत्युक्त स्नातक उत्पन्न करने के उद्देश्य से पूर्णतय सक्षम कार्य चिकित्सक एवं शल्य चिकित्सक, योग्य एवं दक्ष अध्यापक तथा अनुसंधानकर्ता बनाने के उद्देश्य से उपरोक्त अर्हताओं में संशोधन किया है। इन संशोधनों के अनुसार नवीन अर्हताएं निम्न प्रकार है। विज्ञान, भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र और जीव विज्ञान तथा संस्कृत सहित 12वीं पास जहां 12वीं कक्षा जीव विज्ञान वर्ग में वैकल्पिक विषय के रूप में संस्कृत की शिक्षा प्रावधान और सुविधाएं उपलब्ध नहीं है वहां 12वीं कक्षा जीव विज्ञान वर्ग के छात्रों को प्रवेश दिया जावे और संस्कृत को मुख्य पाठ्यक्रम में पढ़ाया जावे अथवा सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्याय की विज्ञान एवं अंग्रेजी सहित उत्तर मध्यमा व राज्य सरकारों की परीक्षा से सम्बन्धित राज्य शिक्षा मण्डलों द्वारा मान्य अन्य कोई समक्ष अर्हता। दूसरा, यदि राज्य सरकार या विश्वविद्यालय यह चाहे तो उत्तर मध्यमा अथवा वरीयता संस्कृत सहित हायर सैकण्डरी, पी.यू.सी. या उसके समकक्ष कोई अन्य परीक्षा में एक वर्ष की अवधि का फार्माआयुर्वेद पाठ्यक्रम या वरीयता संस्कृत सहित एस.एस.बी. मैट्रिक या समकक्ष परीक्षा के सम्बन्ध में दो वर्ष की अवधि का फार्माआयुर्वेद का पाठ्यक्रम वर्ष 1990 तक जारी रहेगा। उल्लेखनीय है कि इसी सम्बन्ध में माननीय उच्च न्यायालय की खण्ड पीठ का दिनांक 24 अप्रैल. 1992 के निर्णयानुसार विश्वविद्यालय द्वारा पूर्व में निर्धारित पात्रता में परिवर्तन कर दिया है तथा भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् द्वारा निर्धारित पात्रता को लागू करने के निर्देश प्रदान कर दिये हैं। उपरोक्त परिस्थितियों में विश्वविद्यालय के लिए यह आवश्यक हो गया हैं कि आयुर्वेदाचार्य प्रथम वर्ष में प्रवेष हेतु आयोजित परीक्षा में केवल सीनियर हायर सैकण्डरी विज्ञान विषय में उत्तीर्ण छात्रों को ही सम्मिलित किया जावे तथा संस्कृत विषय के साथ सीनियर हायर सैकण्डरी परीक्षा पास छात्रों को सम्मिलित न किया जावे। राजस्थान विश्वविद्यालय ने संस्कृत विषय के साथ सीनियर हायर सैकण्डरी परीक्षा पास छात्रों को उपरोक्त आयुर्वेदाचार्य में प्रथम वर्ष में ही प्रवेष दिलवाने के उद्देश्य से माननीय उच्च न्यायालय की खण्डपीठ द्वारा दिये गये निर्णय के विरुद्ध माननीय सर्वोच्च न्यायालय में दिनांक 7 अगस्त, 1992 को विशेष अपील दायर कर दी है जिसमें विश्वविद्या-

(डा. रतनलाल जाट)

लय द्वारा पूर्व में निर्धारित पात्रता को लागू करने की अनुमति चाही गई है। उपरोक्त अपील अभी सर्वोच्च न्यायालय में निर्माणाधीन है। इस प्रकार प्रकरण अन्तिम निर्णय हेतु सर्वोच्च न्यायालय में विचाराधीन है।

श्री सभापति : माननीय सदस्य।

श्री जोगेश्वर गर्ग : सभापति महोदय, आयुर्वेद इस देश की माटी से उत्पन्न हुई प्राचीनतम शिक्षा पद्धति है जो दुनिया की–

श्रीमती विद्या पाठक : माननीय सभापति महोदय, अगर आसन की ओर से आदेश होता हैं, क्योंकि आयुर्वेद विभाग इस विषय के साथ जुड़ा हुआ है। तो अगर इसमें आसन की तरफ से आदेश होता है तो विस्तार से आयुर्वेद का मैं प्रस्तुत कर दूं।

श्री सभापति : उचित होगा आप बोलिये।

श्रीमती विद्या पाठक : माननीय सभापति महोदय, पहले 84 से (पी.ए.टी.), प्री आयुर्वेद टेस्ट आरम्भ हुआ। प्री आयुर्वेद टेस्ट जो आरम्भ हुआ उसमें सरकार की ओर से योग्यताएं रखी गई। वाराणसी के सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय की उत्तर मध्यमा, राजस्थान सैकण्डरी बोर्ड की सैकण्डरी विथ संस्कृत उपाध्याय या प्री यूनिवर्सिटी विथ संस्कृत एण्ड अदर सच इक्विलेंट क्वालिफिकेशन्स। यह प्रीविलेण्ट रहा 1984 से 1987–88 तक 1989 में (एन.सी.आई.) भारतीय चिकित्सा पद्धति ने निम्नांकित योग्यताएं पूरे भारतवर्ष में समकक्ष एक समान निर्धारित करने के लिए उन्होंने कुछ योग्यताएं घोषित की। एन.सी.आई. ने घोषित की कि पूरे भारतवर्ष में इन योग्यता वाले (पी.ए.टी.) प्री आयुर्वेद टेस्ट में बैठ सकेंगे। उसमें तय किया साइन्स बायलोजी और संस्कृत सहित 12वीं क्लास या जहां 12वीं क्लास में संस्कृत ऑप्सनल नहीं है–साइन्स बायलोजी के साथ, वहां केवल साइन्स बायलोजी। परन्तु उस हालत में संस्कृत को मुख्य पाठ्यक्रम आयुर्वेद में पढ़ाया जायेगा अथवा वाराणसी सम्पूर्णानन्द विश्वविद्यालय की साइन्स इंगलिश ओप्सनल सहित उत्तर, मध्यमा या राज्य शिक्षा मण्डलों द्वारा समकक्ष अन्य कोई ऐसी इक्विलेंट क्वालिफिकेशन, परन्तु राजस्थान द्वारा अगर पी.यू.सी. के विद्यार्थी इस परीक्षा में बैठते हैं तो, उनके लिए प्री आयुर्वेद कोर्स एक साल के लिए निर्धारित किया। अगर हायर सैकण्डरी के लोग इसमें बैठते हैं तो वह प्री आयुर्वेद कोर्स होगा एक साल के लिए और पी.यू.सी. वाले बैठते हैं तो प्री आयुर्वेद कोर्स होगा दो साल के लिए और यह केवल 1990 तक व्यवस्था लागू रहेगी। अब ऐसी स्थिति में राजस्थान के लिए यह आवश्यक हो गया कि वह भी अपनी क्वालिफिकेशन केन्द्र एन.सी.आई. की कन्सोनेंस में क्वालिफिकेशन ले आउट करे और उसके अनुसार विद्यार्थियों की परीक्षाएं लें। तो राजस्थान सरकार ने निम्न क्वालिफिकेशन 1991 में निर्धारित की है। उसमें राजस्थान का हायर सैकण्डरी विथ बायोलोजी एज ऑप्सनल सब्जेक्ट और संस्कृत एज ऑप्सनल सब्जेक्ट या सीनियर उपाध्याय विथ इंगलिश

98

(श्रीमती विद्या पाठक)

अल्सनल सब्जेक्ट या राजस्थान विश्व-विद्यालय की इक्विलेंट कोई परीक्षा। सीनियर हायर सैकण्डरी हमारे यहां सभी यूनिवर्सिटी की इम्तहानों में एडमिशन के लिए एक इलीजिबल क्वालिफिकेशन है। 1991 में पी.ए.टी. की उक्त क्वालिफिकेशन के लिए पी.ए.टी. का एक्जामिनेशन कण्डक्ट किया गया यूनिवर्सिटी द्वारा। इस पर कुछ एप्लीकेण्ट एम.सी.आई. से कुछ एनामली होने के इश्यु को लेकर राजस्थान हाई कोर्ट में गये उन्होंने पैरवी की। 1992 में इस हाई कोर्ट ने एम सी.आई. की क्वालिफिकेशन को अप हेल्ड करते हुए निर्णय दिया और अगर आप इजाजत दें तो मैं उसकी चार लाइनें निर्णय की पढ़कर सुना दूं। उन्होंने कहा है—

"We direct the respondents to prepare a fresh merit list of candidates other than those who have already been admitted in accordance with the eligiblity criteria prescrided in regulation (2) formed by Central Council and to give admission to the remaining seats to the candidates in order of merit in any of the five colleges. This exercise should be complied with as soon as possible but in no case later than 15 days."

अब क्योंकि राजस्थान यूनिवर्सिटी ने परीक्षा ली थी इसलिए वह इस हाई कोर्ट के निर्णय के विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट में स्पेशल अपील में गये और उसमें अब विद्यार्थियों में कुछ बीच में हेजीटेशन किया उसको लेकर अब निर्धारित परिक्षाओं में विद्यार्थियों को कोई नुकसान नहीं हो इसलिए गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी के साथ सुप्रीम कोर्ट के केस में पार्टी बनने का विचार रखती है जिसका परीक्षण करवाया जा रहा है। राज्य में एम.सी.आई. की क्वालिफिकेशन के इक्विलेण्ट कोम्बीनेशन और सब्जेक्ट नहीं है। इसलिए इसे एम.सी.आई. से टेक अप करने की बात सोचती है और प्रकरण प्रोसेस में है। सैकण्डरी बोर्ड को भी राज्य सरकार ने पत्र लिखा है कि इस तरह के कोम्बीनेशन यहां पर भी शुरू करें। सभापति महोदय, यह कोम्बीनेशन जो एम.सी.आई. ने तय किये हैं जो केवल वाराणसी और कुछ स्टेट्स में यह कोम्बीनेशन और सब्जेक्ट्स हैं जिसकी प्रेक्टिकल डिफिकल्टी यह है कि राजस्थान में बोर्ड में या यूनिवर्सिटी में इस तरह की कोई क्वालिफिकेशन और इस तरह का कोम्बीनेशन नहीं है। इस बीच में जो व्यवधान पैदा हो गया है या कन्फ्यूजन हो रहा हैं, ऐसी परिस्थिति में क्या किया जाय। सरकार इस ओर सजग है और बहुत जल्दी इसका निर्णय करवा पायेगी।

श्री सभापति : माननीय सदस्य मैं समझता हूं कोई प्रश्न बाकी नहीं रह गया है।

श्री जोगेश्वर गर्ग : एक दो बात कहनी बाकी है।

सभापति महोदय, मैं निवेदन कर रहा था आयुर्वेद इस देश की मिट्टी से उत्पन्न हुई एक चिकित्सा पद्धति है जो दुनिया क प्राचीनतम चिकित्सा पद्धतियों में से एक है और मैं यह दावा करना चाहूंगा कि यह एक मात्र चिकित्सा पद्धति है जो पूर्णत:

(श्री जोगेश्वर गर्ग)

वैज्ञानिक है, पूर्णतः शास्त्रीय चिकित्सा पद्धति है और इसकी एक विशेषता यह भी हैं कि इसका सारा साहित्य संस्कृत में लिखा है। और जैसे कि इस देश की परम्परा रही है इस देश के उस समय के लोगों का स्वभाव रहा है कि कठिन से कठिन विषय को हम ने संस्कृत में पद्य में बांध करके लिखा है। दुनिया के किसी भी देश में, किसी भी भाषा में यह विशेषता नहीं है। अर्थशास्त्र, चिकित्सा शास्त्र यहां तक कि गणित जैसे शुष्क विषय को भी पद्य में बांध करके लिखा गया, प्रस्तुत किया गया है। सभापति महोदय, यह हाउस मुझे से सहमत होगा कि सामान्य गद्य में लिखी गयी भाषा को पढ़ना समझना आसान हो सकता है परन्तु पद्य में लिखी भाषा को वही समझ सकता है जो उस भाषा का गहन ज्ञान रखता हो, उस पूरी भाषा में गहरी पैठ रखता हो अब मैं निवेदन करूं चरक संहिता, अभी कल परसों मैं पढ़ रहा था इसी की तैयारी में, उसके तीसरे अध्याय के पहले श्लोक में आयुर्वेद किसे कहते हैं उसका वर्णन किया है, केवल आधा श्लोक पढ़कर सुनाऊंगा—हिता हितम- सुख दुखम् आयु तस्य हिता हितम आयुर्वेद च..। इसमें हिता हितम शब्द दो बार प्रयोग किया गया। दोनों बार अलग-अलग अर्थ है जिसको प्रारम्भिक जानकारी है संस्कृत की, साइंस बायलोजी के विद्यार्थी को ले लिया और प्रथम वर्ष में थोड़ी सी संस्कृत की वर्णमाला, व्याकरण सिखा दी, कुछ विभक्तियां, कुछ शब्द रूप सिखा दिये उतने मात्र से जो व्यक्ति संस्कृत की चरक संहिता को पढने बैठेगा वह इस हिता हितम के अर्थ को भी पूरा नहीं समझ पायेगा उसकी गहराई में जाना तो बहुत दूर की बात है। मैं निवेदन करूंगा कि इस एक हिता हितम के दो प्रयोग यहां हुए हैं इन दोनों की व्याख्या करते बैठे तो कम से कम दो सौ पेज की एक पुस्तक लिखी जा सकती है। इतना ज्ञान, इतनी गहन पृष्ठ भूमि को बिना संस्कृत पढ़े, सामान्य भाषा ज्ञान वाला व्यक्ति नहीं समझ सकता है। इस बात को आयुर्वेद के जानकार तो जानते हैं परन्तु दुर्भाग्य है कि सी. सी. आई. एम. भारतीय चिकित्सा पद्धति की उसके कर्ता-धर्ता लोग हैं, उसके निर्णायक लोग हैं, वह लोग आयुर्वेद के बारे में मैं समझता हूं शून्य हैं, कुछ नहीं जानते हैं इसलिए उन्होंने यह दुर्भाग्यपूर्ण निर्णय किया कि संस्कृत को इससे तिरोहित किया जाय। पहले उन्होंने विषय निर्धारित किये थे। उसमें यह था कि विज्ञान विषय अथवा संस्कृत अथवा में दोनों आते थे। सामान्यतः संस्कृत वाले आते थे। बाद में उन्होंने इसको तथा किया। लिखित में तथा है। विज्ञान विषय तथा संस्कृत। बाद में प्रेक्टिकल लागू किया है उसमें केवल विज्ञान विषय लिया गया है, क्या करना चाहते हैं इस पद्धति का आप? इस पद्धति को किधर ले जाना चाहते हैं? बायलोजी पढने वाले को यह पद्धति पढ़ना है तो फिर इसकी आवश्यकता क्या है, इसको समाप्त किया जाय। सबको एलोपैथी पढ़ायी जाय। इसको अलग से रखने की आवश्यकता नहीं है। अधकचरे लोग पैदा करने के लिए जो पद्धति लागू की जा रही है वह न एलोपैथी का होगा, न आयुर्वेद का होगा ऐसी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति पैदा की जा रही है।

(श्री जोगेश्वर गर्ग)

सभापति महोदय, मैं निवेदन करूं कि संस्कृत में, गूढ़ क्षमता है जो आयुर्वेद के बारे में थोड़ा बहुत जानते हैं उनको मालूम होगा एक श्लोक में ढ़ेर सारी बात कहते हैं। रोग क्या है, उसके लक्षण क्या हैं? उसका निदान क्या है, उसके कारण क्या हैं? उपचार क्या है, प्रिकाशन क्या है? यह सारी चीजें एक बात में, एक श्लोक में जें आ जाती है ऐसे श्लोक इसमें मिलेंगे। एक उदाहरण देना चाहूंगा कि नित्यम हितान्ना विहार...निरोग:। निरोग वही हो सकता है। उसके सारे क्रायटेरिया दे दिये हैं और ऐसे क्रायटेरिया दिये हैं, ऐसी बातें बतायी हैं कि एलोपैथी वालों से पूछा जाय, डा० चन्द्रभान नहीं है, उनसे पूछा जाय तो कहेंगे इसका चिकित्सा पद्धति से लेना देना नहीं है। मैं इसका अर्थ करता हूं वही निरोगी होता है जो प्रतिदिन हितकर आहार विहार का सेवन करता है यह चिकित्सा है। विवेचनापूर्वक कार्य करता है, विषयों में आशक्ति रहित होता है, उदार होता है यहां से दर्शन शुरु होता है चिकित्सा पद्धति के साथ दर्शन का तालमेल देखिए उदार होता है, समदर्शी होता है, सत्यवादी होता है, क्षमाशील होता है, वृद्ध और विद्वानों की सेवा करता है। इतनी गहराई तक जाना दुनिया की चिकित्सा पद्धति के बस का नहीं है। दुनिया की किसी भाषा के बस का रोग नहीं है। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि संस्कृत और आयुर्वेद का चोली दामन का साथ है, इसको अलग नहीं किया जा सकता है, किसी कीमत पर अलग नहीं किया जा सकता है। इसको अलग किया गया तो फिर आयुर्वेद आयुर्वेद नहीं रहेगा, आयुर्वेद समाप्त हो जायेगा। यह निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान सरकार ने इसके लिए बहुत कुछ किया है। मैं राजस्थान सरकार से कुछ प्रश्न करना चाहता हूं।

एक तो माननीय उच्च शिक्षा मंत्री ने बताया कि केन्द्रीय सरकार की सहमति से सी. सी. आई. एम. ने नये नियम लागू किये। मैं पूछना चाहता हूं कि इसके लिए क्या राज्य सरकार से भी स्वीकृति ली गयी तो कब ली गई और इसका जवाब क्या दिया गया?

दूसरी बात इसमें यह कही गयी, परिवर्तन का कारण बताया है प्रताण्डत्वयुक्त स्नातक मूर्धन्य विद्वान बनाना चाहते हैं—संस्कृत के बिना आयुर्वेद में पूर्णतया सक्षम कार्य चिकित्सा एवं शल्य चिकित्सक। मैं निवेदन करना चाहता हूं, शल्य चिकित्सा कोई एलोपैथी की बपौती नहीं है। शल्य चिकित्सा आयुर्वेद में है। हम नहीं जानते हैं वह हमारी गलती है पद्धति की गलती नहीं है। शल्य चिकित्सा यदि सिखानी है आयुर्वेद के छात्र को, वैसे तो सिखाते ही हैं और उसको यदि दक्ष बनाना है तो उसका मार्ग आयुर्वेद ही है, संस्कृत ही हैं, एलोपैथी की तरफ जाने की आवश्यकता नहीं। दूसरा प्रश्न पूछना चाहता हूं हाई कोर्ट में केस लड़ा और हार गये। मैं पूछना चाहता हूं कि ढंग से केस को प्लीड किया गया था? प्लीड किया गया तो क्या उसमें यह तर्क दिया गया था कि पहले तो उसमें चार विषय दिये गये थे उसमें विज्ञान विषय के अलावा संस्कृत, सीनियर उपाध्याय परीक्षा, राजस्थान का सैकण्डरी एजुकेशन

(श्री जोगेश्वर गर्ग)

बोर्ड जो लेता है या उसके समकक्ष घोषित कोई और परीक्षा थी। समकक्ष हमारे विश्वविद्यालय ने घोषित की होगी या हमारे बोर्ड ने घोषित की होगी। उन विकल्पों को लागू करने के बारे में क्या हमने उसमें प्ली दिया था, यह मेरा प्रश्न है माननीय शिक्षा मंत्रीजी से और आयुर्वेद मन्त्री जी से। दूसरी बात यह कि इस निर्णय पर पुनर्विचार करने के लिए क्या राज्य सरकार ने सी. सी. आई. एम. को और केन्द्र सरकार को लिखा है कि नहीं? कृपया मुझे जानकारी दिलावें।

श्री समापति: माननीय मन्त्री जी, जवाब देना चाहेंगी?

श्रीमती विद्या पाठक: माननीय समापति महोदय, माननीय भूतपूर्व मन्त्री जी ने जो अभी कहा, इसमें कोई डिस्प्यूट नहीं है। संस्कृत और आयुर्वेद की महिमा के बारे में कहीं कोई डिस्प्युट नहीं है। आयुर्वेद और एलोपैथी में कहीं कोई कन्फ्लिक्ट भी नहीं है। सवाल सिर्फ इतना है...

श्री मोहम्मद माहिर आजाद: ये यूनानी में भी उर्दू हटा रहे हैं।

श्री जोगेश्वर गर्ग: आपको गलत जानकारी है। नहीं हटा रहे हैं। यूनानी के विषय में भी यही सोचा गया था। मेरी बात हुई है, उसमें यह कहा गया था कि उर्दू के बिना...

श्री समापति: आप इंटरप्ट नहीं करें, मन्त्री जी बोल रही हैं। आप भी विराजिये।

श्री जोगेश्वर गर्ग: इण्टरप्शन का जवाब दे रहा हूं।

श्री समापति: यह अच्छा तरीका नहीं है। माननीय मन्त्री जी सब जवाब दे देंगी, जो आपने पूछा है।

श्री जोगेश्वर गर्ग: सिर्फ एक बात। उस समय रशीद मसूद राज्य मंत्री थे चिकित्सा के केन्द्र में। उन्होंने जो शब्द उपयोग किये वे बताना चाहता हूं। उन्होंने कहा था कि उर्दू के बिना यूनानी की कल्पना नहीं हो सकती। मैं भी पूछना चाहता हूं कि क्या संस्कृत के बिना आयुर्वेद की कल्पना हो सकती है?

श्रीमती विद्या पाठक: माननीय समापति महोदय, इसमें कोई दो राय नहीं की संस्कृत ही आयुर्वेद का बेस है। सारे फार्मूला, ग्रन्थ संस्कृत में ही उपलब्ध हैं, इसमें भी कोई शक नहीं, पर सवाल यह आता है कि एम. सी. आई. की जो लैड क्वालिफिकेशन हैं वे पूरे भारतवर्ष में मान्य होंगी। जब बनी थी तो स्टेट गवर्नमेण्ट से पूछा गया कि नहीं। ऐसा कोई प्रोविजन भी नहीं है कि पूछा जाय। पहले यह जो प्रैक्टिकल डिफिकल्टी काम्बिनेशन आफ सब्जैक्ट्स की आ रही है, उसको निश्चित रूप से राज्य सरकार देख रही है।

आपने एक प्रश्न यह भी पूछा है कि हाई कोर्ट में जब गये तब यह तर्क दिया था कि नहीं कि संस्कृत जरूरी है। माननीय समापति महोदय, हाई कोर्ट में तो विद्यार्थी

(श्रीमती विद्या पाठक)

लोग गये थे और हाई कोर्ट में तर्क देने से मतलब नहीं। हाई कोर्ट ने तो निर्णय यह दिया है कि एम. सी. आई. की क्वालिफिकेशन को आप लागू कर दीजिए। एक बड़ा प्रश्न यह जरुर है कि एम. सी. आई. की लेड डाउन क्वालिफिकेशंस के कण्ट्रावेंशन में दूसरी क्वालिफिकेशंस लागू क्यों की गयी, उस स्टेज पर सैण्टर से प्रोटेस्ट क्यों नहीं किया गया, जो अब किया जा रहा है। एम. सी. आई. को प्रोटेस्ट किया है कि नहीं, यह ऐसा सब्जेक्ट नहीं है, प्रैक्टिकल डिफिकल्टी को देखते हुए कोई एमीकेबल साल्यूशन निकले। यूनिवर्सिटी इसमें गयी हुई है सुप्रीम कोर्ट में और इसके लिए राज्य सरकार भी प्रयासरत है।

श्री जोगेश्वर गर्ग : सभापति महोदय, आपके जवाब से यह लगता है कि हाई कोर्ट में एक्स पार्टी फैसला हुआ है, यह मैं जानना चाहता हूं।

श्रीमती विद्या पाठक : आई डोण्ट नो

श्री मदन दिलावर : माननीय सभापति महोदय, जिस किसी ने भी इस प्रकार का निर्णय लिया हैं वह निश्चित रूप से विकृत बुद्धि वाला व्यक्ति होगा। संस्कृत के बिना आयुर्वेद की कल्पना किस प्रकार की जा सकती है। अणु इलेक्ट्रोन, प्रोटोन, न्यूट्रोन इन सबकी संस्कृत में हजारों वर्ष पहले कल्पना की गयी हैं कणाद मुनि द्वारा। पुष्पक विमान संस्कृत पढ़कर बनाये गये हैं। आज जो वायुयान हमारे देश में चल रहे हैं वे भी संस्कृत से ही लिये गये थे। बेतार की कल्पना भी संस्कृत में की गयी है। सारा का सारा हमारा ज्ञान और विज्ञान संस्कृत में भरा पड़ा है। फिर किस प्रकार की कल्पना करके आयुर्वेद को बिना संस्कृत के पढ़ाना चाहते हैं? हमारी सरकार ने जो इस प्रकार से अपील की है वह बहुत बढ़िया काम किया है, सराहनीय काम है।

श्री सभापति : संक्षेप में कीजिए। आपका नाम ध्यानाकर्षण प्रस्ताव में नहीं हैं।

श्री मदन दिलावर : अच्छी तरह मेरा नाम देख लीजिए, ध्यानाकर्षण में है। दूसरा नम्बर है।

श्री सभापति : मेरे सामने तो नहीं है। इन बातों का जवाब आ गया, माननीय मन्त्रीजी खुद सहमत हैं आप से।

श्री मदन दिलावर : माननीय सभापति महोदय, मैं यह कहना चाह रहा था कि वह व्यक्ति किस प्रकार का था? उस समय उसको हास्पिटल में दिखाया गया था कि नहीं? वह पागल तो नहीं था जिसने इस प्रकार की कल्पना कर ली? हिन्दुस्तान को आग में झोंकने का प्रयत्न किया जा रहा है। माननीय सभापति महोदय, यह इस भारतीय संस्कृति को तहस-नहस करने का षड्यन्त्र है, कि हिन्दुस्तान की संस्कृति किस प्रकार खत्म कर दी जाय, इस देश को गर्त में कैसे डाल दिया जाय। यह कदापि नहीं होने दिया जाएगा। यदि ऐसा हुआ तो भारत सरकार के खिलाफ जबर्दस्त आन्दोलन खड़ा किया जाएगा। मैं राजस्थान

(श्री मदन दिलावर)

सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूं, वह प्रशंसा की पात्र है कि इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में गयी है। मुझे आशा है कि विद्वान न्यायाधीश जो वहां बैठे हैं, निश्चित रूप से इसके पक्ष में फैसला देंगे।

श्री समापति : जवाब देना चाहेंगी ? चर्चा समाप्त हुई।

श्रीमती तारा भण्डारी : हम भी बोलेंगे।

श्री समापति : अच्छा, बोलिये।

श्री हेमराज मीणा : मेरा भी नाम है।

श्री समापति : आपको भी बुलाएंगे। विराजिये।

श्रीमती तारा भण्डारी : समापति महोदय, आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति हमारे देश की मूल चिकित्सा पद्धति है और संस्कृत हमारी मूल भाषा है। आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति के जितने भी ग्रन्थ हैं...

श्रीमती विद्या पाठक : माननीय समापति महोदय, मूल प्रश्न तो अदालत में अण्डर डिस्प्यूट है और संस्कृत और आयुर्वेद के बारे में कहीं कोई दो ओपीनियन नहीं हैं ...

श्री समापति : वही मैं कह रहा हूं कि डिफ़रेण्ट तो ओपीनियन हैं ही नहीं।

श्रीमती विद्या पाठक : और राजस्थान सरकार इसके प्रेक्टिकल सोल्यूशन के लिए प्रयासरत भी है।

श्री समापति : रिकार्ड के लिए बोलना चाहती हैं, ठीक है बोल लीजिए।

श्रीमती तारा भण्डारी : रिकार्ड के लिए नहीं, सदन को यह सुझाव दे रही हूं। मैं यह कहना चाह रही थी, जैसा जोगेश्वर जी ने बताया कि संस्कृत भाषा में इस प्रकार के दोहे और साहित्य हैं कि वह नैतिकता से भरी पड़ी है। हमारी राजस्थान सरकार ने भी मूलत. यह स्वीकार किया है कि शिक्षा पद्धति में नैतिक शिक्षा आवश्यक है। आये दिन हम सुनते हैं, आज ही सदन के फ्लोर पर डाक्टर के सम्बन्ध में जो चर्चाएं हुई, आप उससे अनभिज्ञ नहीं होंगे। एलोपैथी हो या यूनानी, सारी पद्धतियां हमने बाहर से एडाप्ट की हैं। आयुर्वेद हमारा मूल चिकित्सा विज्ञान है। आज हम देखते हैं कि जो डॉक्टर एलोपैथी से शिक्षित होकर चिकित्सा व्यवसाय में लगे हुए हैं उन्होंने इसको एक व्यापार, एक व्यवसाय बना लिया है। मरीजों का शोषण होता है, उनमें सेवा की कोई भावना नहीं होती; नैतिकता की कोई बात नहीं होती। आये दिन हमें फेस करना पड़ता है कि आज इस डाक्टर ने इस प्रकार का शोषण किया; फलाना डाक्टर हास्पिटल में रहते हुए भी प्राइवेट नर्सिंग होम खोल कर काम करता है। इस प्रकार की अनेकों विडम्बनाएं हमारे सामने आये दिन आती हैं। आयुर्वेद संस्कृत पढ़ा हुआ विद्यार्थी ठीक से समझ पाएगा और उसमें नैतिकता के गुणों का विकास निश्चित रूप से होगा। उसमें सेवा की भावना भी होगी। मेरे कहने का मत-

(श्रीमती तारा भण्डारी)

लब यही था कि हमारी जो संस्कृत भाषा है उसका अगर कोई एक बार स्वाद चख ले तो उसे छोड़ना नहीं चाहेगा। इस प्रकार का साहित्य, इस प्रकार की सेवा भावना, धर्म की भावना और मूल सिद्धान्त इसमें हैं। राजस्थान सरकार की स्थिति हमारे सामने है। मैं धन्यवाद देना चाहूंगी आयुर्वेद मन्त्री जी को कि जिन्होंने क्लीयर ही कर दिया। उनकी मंशा भी साफ है, लेकिन हमारे छात्रों की स्थिति भी देखिये। दिल्ली की भारतीय चिकित्सा परिषद् ने तय किया है कि बायलॉजी और संस्कृत दोनों साथ हों।

(2·00 म. प.)

यहां के बोर्ड की जो शिक्षा पद्धति है, उसमें साइंस फैकल्टी अलग है, आर्ट्स फैकल्टी अलग है। जो आर्ट्स पढ़ते हैं, वे साइंस नहीं ले सकते, जो साइंस पढ़ते हैं, वे आर्ट्स नहीं ले सकते। अब जिस प्रकार की न्यूनतम क्वालिफिकेशन तय की है, बायलोजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स और संस्कृत। मैं यहीं ध्यान दिलाना चाहती हूं कि चार सब्जेक्ट्स एक साथ हायर सैकण्डरी और सीनियर हायर सैकण्डरी के विद्यार्थी कैसे पढ़ेंगे।

इसलिये मेरा इस सदन के माध्यम से सरकार से यह निवेदन है कि सरकार छात्रों के अन्धकारमय भविष्य को देखते हुए या तो दिल्ली की भारतीय चिकित्सा परिषद् से बात करें, विचार विमर्श करें, समन्वय करें और इन तीन सब्जेक्ट्स को एक तरफ और संस्कृत को एक तरफ मनवाने की कोशिश है या तो साइंस वर्ग का विद्यार्थी या संस्कृत विषय का विद्यार्थी और अगर यह नहीं कर पा रही है हमारी राजस्थान सरकार तो शिक्षा बोर्ड से बात करें। इस प्रकार की व्यवस्था करें कि हमारे छात्र साइंस के साथ संस्कृत भी पढ़ सकें वरना यह जो आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति है वह धीरे-धीरे लुप्त हो जायेगी।

सभापति महोदय, एलोपैथी पद्धति है, इसकी दवायें, आपको ध्यान होगा, कितनी मंहगी आती हैं। दवा रिएक्शन करती है। पेट में इन्फेक्शन हो, दवाई खाई, एंटीबायोटिक ली तो अन्दर के सारे जीवाणु मर गये, आदमी दस्त का मरीज हो गया। इस प्रकार का रिएक्शन, महंगी से महंगी दवा आती है ऐलोपैथी की, तरह-तरह के रिएक्शन होते हैं, उससे ऊब कर भारतीय जनता का मानस आयुर्वेद की तरफ गया है। शल्य चिकित्सा पद्धति ऐलोपैथी के पास नहीं है, वह पद्धति आज तक आयुर्वेद के पास है। किसी को भी आंख, भगन्दर और फिशर का अगर इलाज कराना है तो बजाय ऐलोपैथी के आयुर्वेद में दौड़ता है क्योंकि उनके पास इस प्रकार के धागे हैं जो बिना घाव किये, बिना खून बहाये रोग का इलाज कर सकते हैं।

तो मेरा आपसे यही निवेदन है कि यह सरल पद्धति है, सस्ती पद्धति है और रोग को जड़ से निकालने वाली पद्धति है। इस पद्धति को आबाद रखने के लिए, छात्रों में संस्कृत और आयुर्वेद के बारे में रूझान बना रहे, इसके लिये हमारी सरकार गम्भीरता से या तो दिल्ली की कौंसिल से बात करें या राजस्थान शिक्षा बोर्ड में यह व्यवस्था करें

(श्रीमती तारा भण्डारी)

ताकि छात्र संस्कृत के साथ विज्ञान पढ़ कर उसमें प्रवेश ले सकें। धन्यवाद।

श्री सभापति : माननीय श्री हेमराज मीणा।

श्री हेमराज मीणा : सभापति महोदय, जो उत्तर इस सम्बन्ध में आया है, उसमें एक लेकूना है और वह दूसरे पेज के तीसरे पैरा में है-"राज्य सरकार/परीक्षाओं से सम्बन्धित राज्य शिक्षा मण्डलों द्वारा मान्य अन्य समकक्ष अर्हता" इस लेकूना के आधार पर मेरे ख्याल से जिस सम्बन्ध में यह सी.सी.आई.एम. ने जो परिवर्तन करने की बात कही है, इसके माध्यम से अपने यहां की पद्धति है, उसके आधार पर हम परीक्षा ले सकते हैं और लड़कों को इस माध्यम से इसमें परीक्षा देने की अनुमति दे सकते हैं।

दूसरा, मेरा इसमें यह कहना है कि पहले सीनियर उपाध्याय लड़के इसमें एडमिशन लेते थे, प्री-टेस्ट के अन्दर भाग लेते थे। अगर सीनियर उपाध्याय को इसमें खत्म कर दिया गया तो मेरे ख्याल से सीनियर उपाध्याय में विद्यार्थी एडमिशन लेंगे ही नहीं। फिर क्यों करेंगे? इसलिये इसको भी आवश्यक रूप से लागू किया जाना चाहिये।

इसमें अंग्रेजी कम्पलसरी इन्होंने की है। तो यह जो अंग्रेजी कम्पलसरी की है; यह भी बिल्कुल गलत है। मेरे ख्याल से इसको भी समाप्त करने के लिये हम प्रयास करें।

मैंने जो दो-तीन बातें ध्यान में लाई हैं, उसके अलावा मैं चाहूंगा कि जो प्रस्ताव सी.सी.आई.एम. ने पास करा या जिन योग्यताओं में परिवर्तन किया है, उसकी योग्यता के खिलाफ हम राज्य विधान सभा की ओर से और सदन की ओर से प्रस्ताव पास करके भेजें ताकि भारत सरकार की भी इस सम्बन्ध में आंख खुले। कोर्ट में तो हम लड़ ही रहे हैं, राज्य सरकार कोर्ट में लड़ रही है, यह तो बहुत अच्छी बात है, यह प्रयास ठीक है, प्रशंसनीय है लेकिन हम यहां से प्रस्ताव पास करके भेजेंगे और सदन की भावना उसके अन्दर रहेगी, सर्वसम्मत प्रस्ताव पास करके भेजें तो सम्भवतया भारत सरकार इस बात पर विचार करने के लिए बाध्य होगी। मैं चाहूंगा कि इस संबंध में हम प्रस्ताव पास करके भेजें। इतना मेरा निवेदन है।

2-3 बातें जो मैंने आपके ध्यान में लाई हैं, इनको जरा माननीय मंत्रीजी स्पष्ट करें कि इसका मतलब क्या है, दूसरा पेज जो मैंने पढ़कर के सुनाया है, जिससे यह बात स्पष्ट हो जाय।

श्री सभापति : मंत्री महोदय, क्या जवाब देना चाहेंगे?

श्रीमती उजला अरोड़ा : सभापति महोदय, मैं पहले बोलना चाहूंगी, पहले मुझे अनुमति दी गई है। आप बोल लीजियेगा, आपको अधिकार है बोलने का।

श्री सभापति : आप कृपा करेंगी, आपको अनुमति नहीं है इसके अन्दर। माननीय मंत्रीजी। (व्यवधान) नहीं, परम्परा नहीं है।

श्रीमती उजला अरोड़ा : नहीं, परम्परा नहीं है, आदेश है। अभी उपाध्यक्ष महोदय, इसलिये मेरा नाम जोड़कर गये हैं कि मैंने 295 में दिया था और आज इसलिये जोड़ा है।

श्री सभापति : 295 का टाइम चला गया। यदि समय होगा तो बाद में आपको चान्स दिया जायेगा।

श्रीमती उजला अरोड़ा : उन्होंने मुझे बोलने की अनुमति दी है। आप देख लीजिये।

श्री सभापति : आप अनुपस्थित थीं उस वक्त।

श्रीमती उजला अरोड़ा : आप मेरे अधिकार को समाप्त नहीं कर सकते।

श्री सभापति : बिराजिये। माननीय मंत्रीजी।

श्रीमती उजला अरोड़ा : सभापति महोदय, देख लीजिये। अगर उन्होंने अनुमति नहीं दी होती तो मैं कभी नहीं बोलती।

श्री सभापति : अभी 295 का समय नहीं चल रहा है, आप नियमों के अन्दर रहिये।

श्रीमती उजला अरोड़ा : आप समझिये। सभापति महोदय, उन्होंने मुझे यह कहा था कि चूंकि आपका 295 में है, उस पर मुझे नहीं बोलने दिया, अतः इस समय में आप बोलेंगी।

श्री सभापति : अभी आप बिराजिये। अभी ध्यानाकर्षण प्रस्ताव चल रहा है, उसको पूरा होने दीजिये।

श्रीमती उजला अरोड़ा : उन्होंने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर बोलने की अनुमति दी है मुझे। आप समझिये तो सही।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री) : माननीय सभापति महोदय, माननीय उपाध्यक्ष महोदय जब यहां सीट पर थे तब माननीय सदस्या ने यह बात उठाई थी कि मैंने 295 पर इसी विषय को मूव किया है तो उन्होंने कहा कि 295 पर मत बोलो, जिस समय यह बोलेंगे उस समय आपको प्रश्न करने का अधिकार होगा। इसलिए अधिकार दे दिया।

श्रीमती उजला अरोड़ा : आप मेरे अधिकार क्यों समाप्त कर रहे है ?

श्री सभापति : मुझे इस बात का पता नहीं था।

श्रीमती उजला अरोड़ा : आप देख लीजिए, उसमें लिखा हुआ है। मैं निवेदन करना चाहूंगी कि अखिल भारतीय हमारी जो परिषद् है, उसके आयुर्वेद प्रवेश परीक्षा के जो नियम हैं, उनकी योग्यता की अहर्ता में परिवर्तन किया है। मैं प्रश्न पूछना चाहती हूं कि इस वर्ष प्रवेश परीक्षा किस आधार पर ली जायेगी। जो इसमें स्नातकोत्तर परीक्षा पास कर चुके हैं, आयुर्वेद जो परीक्षाएं हैं आयुर्वेद वाचस्पति, आयुर्वेद आचार्य और अन्य परीक्षाएं। तो मुझे यह

(श्रीमती उजला अरोड़ा)

बतायेंगे कि जो प्रवेश परीक्षा पहले दे चुके संस्कृत से, अब भविष्य में उनको जो प्रमाण-पत्र मिलने वाले हैं परीक्षा पास करने के बाद, उनकी क्या गति–मति होगी ? और इस वर्ष शून्य के लिए दोषी कौन होगा ? चाहे वह केन्द्रीय मंत्री श्री रसद मसूद ने परिवर्तन के लिए कर दिया हो, वह जानते नहीं होंगे। मैं और कोई बात तो नहीं कह सकती, अनभिज्ञ होंगे, अज्ञानी होंगे, यही कह सकती हूं। हमारे यहां न्यायालय ने फैसला दे दिया, दुःख की बात है। आज गये हैं कोर्ट में, यह बात तो ठीक है, लेकिन कोर्ट में जाने के बाद, सरकार जब–जब कोर्ट में जाती है, एक बार जाने के बाद सारा मामला वकील पर छोड़ देती है, फिर तारीख पर तारीख पड़ती है, उसको सम्बन्धित पत्रावली दी नहीं जाती और वकील की हालत भी खस्ता हो जाती और परिणाम यह होता है कि फैसला रुक जाता है।

मेरा निवेदन है कि आप कोर्ट में गये, आपको धन्यवाद, आपने इस विषय को समझा, इसके लिये भी धन्यवाद, लेकिन इस वर्ष की शून्यता के लिए आप केन्द्र में जाकर बातचीत करें, यह मेरा सुझाव है और आपको इस पर ध्यान देना चाहिये। और भविष्य के लिए, जिन ने इस वर्ष परीक्षा पास कर ली, उत्तीर्ण हो गये, उनके प्रमाण-पत्र आप कैसे बनायेंगे, क्या करेंगे ? इस चिकित्सा पद्धति से जो चिकित्सा कर पायेंगे, वे अयोग्य घोषित कर दिये जायेंगे। मैं निवेदन करना चाहूंगी कि कई मामले इसमें उठते हैं, उनकी तरफ आपको ध्यान देना चाहिये। अब इस चिकित्सा में जो वृहतत्रे रही हैं, ये दोनों ही संस्कृत के हैं। और अगर केवल अंग्रेजी वाले को मान्यता कर दी तो इसमें न तो वे ज्ञान प्राप्त कर पायेंगे, न परीक्षा दे पायेंगे। क्या करेंगे इसमें ? आयुर्वेद की जो मुख्यतः अपने प्रवेश में पीठ रही है, अब क्या उन्नति होगी ? हमारे यहां आयुर्वेद संस्थान है जो अखिल भारतीय आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति से यहां मान्य हैं, उसकी क्या स्थिति रहेगी? मान्यवर, इस चीज को समझें कि यह चिकित्सा पद्धति सर्वमान्य है। अंग्रेजी चिकित्सा पद्धति जो आई है, वह तो केवल शहरों में नाम मात्र है, पर यह बात जरूर है कि हमारी कमजोरी से उसको ज्यादा पैसा मिलता रहा है और इस पद्धति को दवाइयां कम मिल पाती हैं। लेकिन जिनका इस पद्धति में विश्वास है, चिकित्सा करानी है, वे इससे ही करायेंगे। भविष्य में भी चिकित्सक पैदा हों, इस पर भी आपको चिन्तन करना होगा। मैं कहना चाहूंगी कि 90 प्रतिशत जनता आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति पर निर्भर है उसका आप ध्यान रखेंगे और सम्बन्धित पत्रावलियां उपलब्ध करवा कर अगर सुप्रीम कोर्ट में गए हैं तो आप जीत कर आए।

श्री जोगेश्वर गर्ग : सभापति महोदय, केवल एक प्रश्न करना चाहता हूं। उच्च-शिक्षा मंत्रीजी यहां बैठे हुए हैं मैं उनसे यह जानना चाहता हूं कि हाई कोर्ट में जो डीसीजन हुआ है क्या वह एक्स पार्टी हुआ है और एक्स पार्टी नहीं हुआ है तो उसके हमने क्या तर्क दिये थे ? जरा बता दें।

दूसरा प्रश्न यह है, ऐसी मेरी जानकारी में आया है कृपा आप स्पष्ट करें कि क्या

(श्री जोगेश्वर गर्ग)

इस केस के कारण आयुर्वेद में संस्कृत के विद्यार्थी नहीं जायेंगे, उत्तर उपाध्याय की परीक्षा की उपयोगिता नहीं रह जायेगी, इस कारण से संस्कृत के लिये शिक्षा शास्त्री, बी.एड. परीक्षा कहलाती है। उस शिक्षा शास्त्री में प्रवेश लेने वालों की संख्या कुछ तो इनपलो भी कम हुआ है, कुछ हमने भी सीट्स घटाई हैं, ऐसी कुछ आशंका, जानकारी मिली है। कृपा कर उसका स्पष्टीकरण करें।

श्रीमती विद्या पाठक : माननीय सभापति महोदय, माननीय पूर्व मंत्री महोदय ने पूछा कि हाई कोर्ट में जो सरकार गई है.... (व्यवधान)

श्री जोगेश्वर गर्ग : माननीय सभापति महोदय, मुझे एतराज है, मुझे सामान्य सदस्य के रूप में ही सम्बोधित किया जाए।

श्रीमती विद्या पाठक : हैं नहीं क्या ? I don't mean to offend

श्री जोगेश्वर गर्ग : नहीं, सभापति महोदय, (व्यवधान)

श्री सभापति : इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है।

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : भूत से डर गए क्या ?

श्रीमती विद्या पाठक : माननीय सदस्य ने पूछा, क्योंकि मूल रूप से हम सभी सदस्य हैं। इसलिए अगर माननीय सदस्य यह प्रिफर करते हैं, माननीय सदस्य ने पूछा कि सरकार हाई कोर्ट में गई है, पहले तो मैं यही क्लियर कर दूं कि सरकार हाई कोर्ट में गई नहीं है। विद्यार्थियों का एक सेक्शन जिसने इस बात को आब्जैक्ट किया कि जो वर्तमान में परीक्षाएं ली जा रही हैं और सरकार ने जो योग्यता इस परीक्षा के लिए निर्धारित की और जिसके आधार पर यूनिवर्सिटी इम्तहान ले रही है। वह कान्ट्राबेंशन में हैं, दिल्ली एम. सी. आई. की ले डाउन क्वालिफिकेशन के विपरीत है। (व्यवधान)

श्री सभापति : कृपया कर इन्टरवीन नहीं करें। यह परिपाटी सही नहीं है। जब माननीय मंत्रीजी कुछ बोल रहे हैं तो बीच में बोलना उचित नहीं है। उनकी बात कम्प्लीट हो जाए फिर आप पूछ लेना।

श्रीमती विद्या पाठक : नहीं मैं गलत सूचना नहीं दे रही हूं, माननीय सभापति महोदय, तो विद्यार्थी कोर्ट में गए हैं और जब उन्होंने वहां अपील की कि हमारे अधिकारों का हनन हो रहा है। उसमें यूनिवर्सिटी को हाई कोर्ट ने आदेश दिया कि आप सिर्फ एम. सी. आई. की क्वालिफिकेशन मानेंगे और बाकी जो विद्यार्थी, जिन्होंने आब्जैक्शन किया है उनको भी बची हुई सीट्स में स्थान दें, उनको भी रिक्त पद जो बचे हुए हैं विद्यार्थियों के वह उस क्वालिफकेशन से भरें। तो वह तो एक तरह से देखा जाए तो वाया मीडिया हाई कोर्ट ने निकाला। मगर इस हाई कोर्ट के निर्णय के विरूद्ध यूनिवर्सिटी सुप्रीम कोर्ट में गई है। यूनिवर्सिटी ने हाई कोर्ट में इनिशिएट नहीं किया, सिर्फ जवाब देने वाली थी उन विद्यार्थियों के केस का। अगर अपनी क्वालिफिकेशन के चैलेंज होने

(श्रीमती विद्या पाठक)

की वजह से और हाउ कोर्ट द्वारा स्ट्राइक डाउन करने की वजह से यूनिवर्सिटी सुप्रीम कोर्ट में गये हैं तो अब जो उसका निर्णय होगा उस पर काफी चीज निर्भर करेगी।

अभी माननीय सदस्य ने यह बताया कि कोर्ट के इस डायलाग को एम. सी. आई. में अब ओपन करना चाहिए। आलरेडी एम. सी. आई. से इस विषय में चर्चा चल रही है, हमारे अधिकारी भी गये हैं, टेलीफोन भी हुए हैं और है सोचती हूं कि कोई न कोई ऐसा सोल्युशन निकाला जायेगा। आपने बिल्कुल दुरूस्त फरमाया, बहुत ही पर्टीनेंट एक प्रश्न उठाया है कि है कि इस वर्ष जो परीक्षाएं हुई हैं उसके विद्यार्थी अयोग्य घोषित कर दिए जायेंगे क्या। इस पाइंट को दिल्ली की एम. सी. आई. से क्लेरीफिकेशन किया गया है, कोई कोई न कोई वाया मीडिया निकालेंगे ताकि हमारे विद्यार्थियों को इस वर्ष भी कोई नुकसान न हो।

श्री सभापति : अब माननीय सदस्य और कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछ लीजिये।

श्री जोगेश्वर गर्ग : माननीय सभापति महोदय, मेरा प्रश्न अब भी अनुत्तरित है। आपके जवाब से लगता है कि हाई कोर्ट ने बिना यूनिवर्सिटी को सुने फैसला दे दिया। यही मेरा प्रश्न है कि क्या यूनिवर्सिटी को सुना गया ?

श्री सभापति : माननीय शिक्षा मंत्रीजी।

डा. रतनलाल जाट : माननीय सभापति महोदय, माननीय सदस्यों ने आयुर्वेदाचार्य की प्रवेश परीक्षा में संस्कृत के बारे में अपने विचार व्यक्त किए हैं। यूनिवर्सिटी एकेडेमिक कौंसिल भी यह भावना रखती है और उसी भावना के अनुरूप न केवल सुप्रीम कोर्ट में एस.एल. पी. में चली गई थी और जो 7 अगस्त, 1992 को एक्सेप्ट कर ली गई थी। आपने जो यूनिवर्सिटी का पत्र एम. सी. आई. को लिखने के बारे में कहा है मैं उसके बारे में निवेदन करना चाहूंगा कि यूनिवर्सिटी ने अपनी एकेडेमिक कौंसिल की 25 अगस्त, 1992 को आयोजित बैठक में सचिव, भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद को एक पत्र लिखा है, जिसमें उन्होंने संस्कृत विषय के महत्व के बारे में कहा है कि यह परिसद सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित करती है कि आयुर्वेद के समस्त ग्रन्थ, टीकाएं आदि संस्कृत में रखी जाएं क्योंकि इस विश्वविद्यालय के अध्ययन में स्नातक और स्नातकोत्तर एवं पी. एच. डी. स्तर का अध्ययन गत 3 दशकों से चल रहा है। यह पत्र एम. सी. आई. को माननीय सचिव महोदय ने लिखा है।

श्री सभापति : चर्चा समाप्त हुई।

माननीय श्री मोहम्मद माहिर आजाद माननीय खनिज राज्य मन्त्रीजी का ध्यान आकर्षित करेंगे।

मकराना स्थित संगमरमर में खानों में पानी भरने से असुविधा

श्री मोहम्मद माहिर आजाद (झुन्झुनू) : माननीय सभापति महोदय, मैं मकराना स्थित संगमरमर खानों में पानी

(श्री मोहम्मद माहिर आजाद)

भर जाने से खान मजदूरों एवं मालिकों को हो रही असुविधा की ओर माननीय खनिज मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूं।

श्री कालूलाल गुर्जर (खनिज राज्य मंत्री) : माननीय सभापति महोदय, मकराना स्थित संगमरमर खानों में पानी भर जाने से खान मजदूरों एवं मालिकों को हो रही असुविधा के सम्बन्ध में राज्य विधान सभा के कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 131 के तहत श्री मोहम्मद माहिर आजाद, सदस्य द्वारा किए गए ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर टिप्पणी।

मकराना में खनिज मार्बल की खाने हैं व उस पर आधारित उद्योग भी स्थापित हैं, जिसमें आस-पास के लोग इस व्यवसाय में लगे हुए हैं।

खानों में वर्षा के दिनों में पानी आना आम बात है। जिन खानधारियों को खाने लावंटित हैं उसमें खनन कार्य, जिसमें खान का पानी निकालना भी शामिल है, उन्हें अपने स्तर से ही करना होता है। देश की अन्य खानों में जहां खान में पानी आता है, पानी निकालने का कार्य स्वयं खान मालिक द्वारा ही किया जाता है।

इन परिस्थितियों में जो काम खान मालिकों को निजी स्तर से अपने व्यय पर करना होता है, उसे सरकारी स्तर पर किया जाना उचित नहीं है।

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : माननीय सभापति महोदय, माननीय मंत्रीजी ने जो अभी यहां उत्तर दिया है वह अस्पष्ट है। तीन कमियां तो ऐसी हैं जो आपके उत्तर से स्पष्ट झलकती हैं। पहली बात तो आपने कहा कि मकराना में खनिज मार्बल की खाने हैं, कितनी खाने हैं यह आपने नहीं बताया। दूसरी बात आपने कहा कि खानों में वर्षा के दिनों में पानी आना आम बात है। यानि आप यह मानते हैं कि हमेशा खानों के अन्दर पानी भर जाता हैं। मैं भी आपको यही निवेदन करना चाहता हूं लेकिन इसके स्थाई समाधान के सम्बन्ध में आपने क्या किया ? मैं नहीं कहता हूं कि खानों के अन्दर जो पानी भर जाता है उसको निकालने की जिम्मेदारी सरकार की है। नीचे पानी निकालना एक अलग बात है, जो आप खनन कार्य करते हुए, खान का दोहन करते हुए इतने डीप चले जाएंगे, गहरे चले जाएंगे और वहां नीचे से पानी निकलेगा वह अलग बात है। लेकिन वर्षा का पानी जो शहर से निकास नहीं होकर, दूसरे स्थान पर जाएगा और इस वजह से खानों के अन्दर आकर वह भर जाए वह एक अलग बात है। पानी कौन सा निकल आया या दूसरे शहर का पानी वहां जाकर भर गया। तीसरी बात, आपने इसमें यह कही है कि इन परिस्थितियों में जो काम खान मालिकों को निजी स्तर से आपने व्यय पर करना होता है. उसे सरकारी स्तर पर किया जाना उचित नहीं है। उचित से आपका अभिप्राय क्या है ? इसमें अनुचित क्या है ? अगर उचित नहीं है तो मैं भी आपसे पूछना चाहता हूं कि अनुचित क्या है ? माननीय सभापति महोदय, राजस्थान में ही नहीं, देश के अन्य दूसरे हिस्सों में भी जैसा आपने इसमें कोट किया है। मैं आपको बिहार की कोयला खानें, उड़िया

(श्री मोहम्मद माहिर आजाद)

और कटक की दूसरी खानों का उदाहरण देना चाहता हूं। जहां पर इस तरह का पानी, फ्लड का पानी खानों में भर जाता है तो सरकार ने इरिगेशन डिपार्टमेंट के पम्पों से डी-वार्टरिंग का काम किया है।

मैं आपसे जानना चाहता हूं कि क्या यह कालानाड़ा और ओराडी रेंज की खानों में, जिसमें 70-80 खानें ऐसी हैं जिनमें हमेशा वर्षा का पानी और शहर का गन्दा पानी जाकर भर जाता है। इस सम्बन्ध में एक प्रतिनिधि मण्डल माननीय मुख्य मंत्रीजी से गत वर्ष मिला था। माननीय सभापति महोदय, माननीय खनिज राज्य मंत्रीजी भी उस समय वहां मौजूद थे, माननीय मुख्य मंत्रीजी ने यह आश्वासन दिया था कि जो पानी भर जाता है हम इसकी रोक-थाम करेंगे। लेकिन आज तक इसकी रोकथाम नहीं हुई। आज स्थिति यह बन गई कि राजस्थान का प्रमुख नगर मकराना जिसको संगमरमर नगरी के नाम से जाना जाता है इस हिन्दुस्तान में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में ऐतिहासिक स्थल, राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय स्मारक बने हुए हैं, उनमें संगमरमर (व्यवधान)

श्री सम्पत सिंह : पत्थर के नाम से मकराना पिट गया। आज कल तो साम्प्रदायिक दंगे होते हैं उस नगरी के नाम से जाना जाता है।

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : सभापति महोदय, आई आब्जेक्ट। एक तो भूतपूर्व मंत्रीजी अपने स्थान से नहीं बोल रहे हैं और दूसरा मुझे गलत इन्टरवीन कर रहे हैं। उनको आप रोकिये। उनको आप प्रताड़ना तो दें कि वह अपने स्थान से बोलें।

माननीय सभापति महोदय, मैं यह कह रहा था कि यह आश्वासन तो दे दिया। राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय स्मारक चाहे ताजमहल हो चाहे दूसरे हो, संगमरमर का जो राजथान का कस्बा मकराना है आज वहां पांच हजार श्रमिक बेकार हो गये हैं। उनके सामने भूखों मरने जैसी स्थिति पैदा हो गई। लगभग तीस हजार लोगों की रोजी-रोटी का सवाल पैदा हो गया। सभापति महोदय, खान मालिक, खान के मजदूर लोग और इस व्यवसाय से ग्रसित लोग कोई एक जाति, धर्म के लोग नहीं हैं उसमें अल्पसंख्यक समुदाय के लोग भी है, उसमें हरिजन अनुसूचित जाति और जन जाति के लोग भी हैं। पिछड़े हुए समाज के लोगों के सामने रोजी-रोटी का संकट पैदा हो गया है। माननीय मंत्रीजी ने दो लाइनों का जवाब दे दिया कि सरकारी स्तर पर पानी निकालना उचित नहीं होगा। लोगों को अगर रोजगार के साधन मुहैया हो जायें तो इसमें अनुचित क्या होगा। मैं आपको कहना चाहता हूं कि इसके समाधान के सम्बन्ध में स्थाई योजना बनाई जाय ताकि इस समस्या का समाधान हो सके और बरसात में पानी जाकर इन खानों में नहीं भरे। माननीय सभापति महोदय, यह वहां के कुछ चित्र हैं जो मैं आपकी आज्ञा से सदन के पटल पर रख दूंगा। 40-40, 50-50, 60-60' फुट गहरी खानें जिनमें पानी भर गया, ऊपर तक पानी बह रहा है, इस प्रकार की

(श्री मौहम्मद माहिर आजाद)

स्थिति वहां उत्पन्न हो गई है। इससे न सिर्फ लोगों के रोजगार को धक्का लगा है बल्कि उनके सामने रोजी-रोटी का संकट उत्पन्न हो गया है। मैं राज्य सरकार से आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि 2 लाख रुपये प्रति दिन रायल्टी का टैक्स के रूप में जो आय होती थी वह आय नहीं हो रही है। आपकी उस आय पर काफी फर्क पड़ा है। दो लाख रूपये एक दिन के और एक महीने के साट लाख रूपये और तीन महीने का हिसाब लगायें तो 2 करोड़ के आस पास का नुकसान पहुच जाता है। अगर इस पानी को सरकारी स्तर पर निकाल सकते हैं तो निकालें। आपको तो आय की प्राप्ति होती है।

यह तो आपका इन्वेस्टमेंट है, इस दृष्टि से आपको देखना चाहिये। माननीय समापति महोदय, इतना नहीं मैं आपके माध्यम से यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि आज आपने खानों के पानी को निकालने की व्यवस्था नहीं की तो पांच हजार खान मजदूर बेकार होने और 20 हजार लोगों की रोजी रोटी का सवाल है। मकराना कस्बे के आस-पास 80 हजार की आबादी रहती है, आज आपने इसके स्थाई समाधान की बात नहीं सोची तो कल को भीषण रूख ले लेगा। अबके बारीश ज्यादा हुई, भगवान की कृपा हो और अगले वर्ष और भी ज्यादा बरसात हुई तो मकराना कस्बे के डूबने और बहने की सम्भावना पैदा हो जाती है। इन लोगों के जीवन के साथ एक खिलवाड़ होगा। इसलिये समय रहते आप चेते और उनकी कोई राहत मुहैया नहीं करवायी तो लोग बेकार हो जायेंगे। समापति महोदय, डेड रेन्ट और ले रहे हैं। आज तक जब आप यह मानते हैं कि पानी भर जाता है, तीन महीने तक खानों में कोई काम नहीं किया जाता है तो कम से कम से कम को डेड रेन्ट है इसको तो माफ नरना चाहिये। मैं आपके माध्यम से चन्द सवाल करना चाहता हूं और साथ में मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि जब मुख्य मंत्री जी ने आश्वासन दिया उस समय आप मौजूद थे। उसके बावजूद भी उस पर कार्यवाही नहीं हुई। आप नियम और कायदे-कानून की बात छोड़ दीजिये। कई बार लोगों के घरों के अन्दर जब विपत्ति आ जाती है, लोगों को रोटी खाने का भी संकट पैदा हो जाता है तो अकालग्रस्त क्षेत्रों के अन्दर उनको अनाज देते हैं। सरकारी कानून से अलग हट कर मानवता की दृष्टि से और प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों को सोचते हुये उन लोगों के लिये कुछ न कुछ करना चाहिये।

श्री समापति : माननीय मंत्री।

श्री कालूलाल गुजर : पहले और भी बोल लें।

श्री बिरधाराम चौधरी (मकराना) : समापति महोदय, मेरे को यह आशा तो मंत्री महोदय से नहीं थी कि खनिज के बारे में वात करते हैं, विकास की बात करेंगे और सरकार ने जवाब दिया और पढ़ दिया। यह हमेशा का सिलसिला चलता आया है और चलेगा। सभापति महोदय, मकराना की खानों में पानी भर गया है इसके लिये स्थगन प्रस्ताव दिया था और उसमें तीन विभाग सम्मिलित थे। उसमें

(श्री बिरधाराम चौधरी)

बाढ़ का मामला भी है उसके अन्दर सीवरेज का मामला भी है और खनिज विभाग का मामला भी है। इसी सम्बन्ध में स्थगन प्रस्ताव दिया था। यह बहुत महत्वपूर्ण मामला है, खान मालिक बेकार हो गये हैं, मजदूरों के लिये रोजी रोटी का कोई साधन नहीं रहा और उसी आधार पर मेरे को व्यवस्था दी गई थी, अध्यक्ष महोदय ने कहा था कि ध्यानकर्षण प्रस्ताव आयेगा उसमें यह डिस्कस हो जायेगा।

सभापति महोदय, मकराना एक नगर है यह मार्बल के हिसाब से विश्व विख्यात नगरी है। जिस मकराना शहर में मार्बल के ऊपर करीब 50 हजार मजदूर राजस्थान में काम पर आते हैं और 50 हजार मजदूरों की रोजी रोटी का सवाल है। यह खानों का ही मामला नहीं है अगर मकराना के खनिज की खानें बन्द हो जाती है तो आज करीब मकराना में पांचसौ औद्योगिक इकाइयां हैं जो इन खानों से निकलने वाले पत्थरों की छिलाई करती हैं तो वह भी बन्द होने की स्थिति में आ जायेंगी। इसके साथ-साथ आज सरकार का करोड़ों रुपया वित्त निगम का और जो उद्योग लगे हुये हैं उन पर ऋण भी बकाया है, कल वह ऋण नहीं चुका सकेंगे और उनकी हालत खराब हो जायेगी। सभापति महोदय, मेरा यही निवेदन है कि खान में पानी भरने का मामला आज का नहीं है, यह 10–15 साल से सरकार को ज्ञापन देते आये हैं कि मकराना के अन्दर खानें बहुत गहरी चली गई है और नीचे से पानी आ गया है इस पानी को कहीं पर निकालने की व्यवस्था की जाय। सभापति महोदय, बार-बार यह कह देते हैं कि हमारे नियम नहीं हैं लेकिन यह बात नहीं है. (व्यवधान)

श्री सभापति : कृपया डिस्टर्ब मत करिये। जो कहना है वह बाद में कह दीजिये।

श्री बिरधाराम चौधरी : सभापति महोदय, इसके लिये बार-बार यह निवेदन किया जाता रहा है कि खानों में नीचे से पानी आ गया है और इस पानी की व्यवस्था की जाये। मैं मंत्री महोदय को याद दिलाना चाहता हूं कि क्या आपके ध्यान में नहीं लाया गया कि यह कार्यवाही चल रही है। पहले हमारे पास सरकार के कागज भी आये हैं कि हम इस पर विचार कर रहे हैं। सभापति महोदय, इस साल जो बरसात का पानी गया? और उसमें कालानाड़ा एक जगह है जिसमें मकराना का पूरा गन्दा पानी इकट्ठा होता है। इनके साथ-साथ ही मकराना के पास में एक बालाजी का बन्धा है वहां से पानी आ गया और पानी से मकराना की पूरी बस्ती लबालब हो गई भाटों की ढाणी है उस कस्बे में पानी आ गया। कलक्टर ने, एस. डी. ओ. ने जांच की है कम से कम 22–23 लाख का नुकसान बताया है जो बाढ़ से नुकसान हो गया। सभापति महोदय, यह ढाणी बाढ़ से बह रही थी लोगों ने क्या किया कि ढाणी का पानी निकालने के लिये कि ढाणी नहीं डूबे और पानी खानों में छोड़ दिया। सभापति महोदय, आज कम से कम 128 खानें ऐसी हैं जो पानी से बिल्कुल लबालब हो गई, 23 खानें कालानाड़ा, 45 बिलोड़ी,

114

(श्री बिरधाराम चौधरी)

40 डक डूंगरी, 20 गुलाबी और इसके अलावा 128 खानें तो ऐसी हैं कि आज वहां पर एक भी मजदूर अन्दर नहीं जा सकता। खान मालिक हाथ पर हाथ धरे बैठे हुये हैं और बेरोजगार हो गये हैं। आप अन्दाजा लगाइये 128 खानों में कितना मार्बल निकलता है और जिसमें सरकार को कितनी रायल्टी का नुकसान हो रहा है। सभापति महोदय, इसके लिये हमने सरकार को ज्ञापन भी दिया और हमको आश्वासन भी दिया कि इन खानों से पानी निकाला जायेगा, उनको चालू हालत में किया जाये। इसके बावजूद आज जैसा फरमाया गया कि हमारे पास कोई नियम नहीं हैं? यह नियम बनायेगा कौन? आज खनिज विभाग से करोड़ों रुपयों की आमदनी हो रही है यदि खानें बन्द हो गई तो आज आपको रॉयल्टी कहां से मिलेगी? मकराना की जनता, मकराना के मजदूर क्या खायेंगे। तो इस प्रकार, मंत्री महोदय, बैठे हुये हैं मैं उनसे निवेदन करूंगा कि जो कलक्टर ने रिपोर्ट मंगवाई है कम से कम 22 लाख का तो नुकसान इस पानी से भाटों की ढाणी में हुआ है। उसके लिये जब तक स्थाई व्यवस्था नहीं होगी, आये साल भी 128 खानें भरी हैं और जो ढाणी आज डूबी है इससे ज्यादा भी भयंकर स्थिति होने की सम्भावना है। मकराना की बस्ती और मकराना की आबादी है वह डूबने की दरकार में है। सभापति महोदय, मकराना का मार्बल निकलता है और जो खानें हैं वह मकराना की आबादी के नजदीक है। हम बार बार यह कोशिश करते हैं और सरकार भी यह कहती है कि खानों के विकास के लिए, खनिज विभाग के विकास के लिए कारगर कदम उठा रहे हैं। तो मैं माननीय मंत्री महोदय से पूछना चाह रहा हूं कि मकराना के अन्दर कितने रुपये की हर साल रायल्टी की आमदनी होती है और खानों पर कितना खर्चा किया जाता है? एक तो यह....

श्री सभापति : माननीय सदस्य, यह बात आप कह चुके हैं।

श्री बिरधाराम चौधरी : नहीं, मैंने यह कहां कहा। दूसरी बात, सभापति महोदय, मेरा निवेदन है कि जो खनिज विभाग के अधिकारी हैं, उनका ध्यान मकराना की जो खान व्यवस्था है और मकराना में जो खान मालिक है, उनको सपोर्ट करने का न होकर उनको नुकसान पहुंचाने का ही है। आज 128 खानों में पानी भर गया, उसके कारण 200 खानें ऐसी हैं जिनमें नीचे से पानी आ गया और कम से कम 50....

श्री सभापति : माननीय सदस्य, ये सब बातें आपकी आ चुकी हैं। आप 3–4 बार कह चुके हैं। अब आप समाप्त कीजिये।

श्री बिरधाराम चौधरी : ....50 खानें ऐसी हैं जिनको अभी माइनिंग विभाग ने यह कह कर कि ये रेल्वे लाइन के पास में आ रही है, इसलिए इनको बंद कर दिया जाय। वे भी मनमानी करते हैं; मतलब खानें बहुत हैं लेकिन जिसकी मर्जी आई उनके काम को बंद घोषित कर दिया और जिसकी मर्जी नहीं आई उनको चालू कर दिया आज अवैध खनन भी हो रहा है। अवैध खनन...

श्री सभापति : माननीय सदस्य, कहां अवैध खनन की बात कह रहे हैं। आप पानी भरने की बात कह चुके हैं। अब आप बिराजिये।

श्री बिरधाराम चौधरी : पानी भरने वाली बात के सम्बन्ध में मेरा निवेदन है इसके लिए तो मैं माननीय मंत्री महोदय से यह निवेदन करना चाहता हूं कि खान विकास के लिए, मान लो आज की स्थिति में 128 खानों के अन्दर पानी भरा है और 100–200 खानों में नीचे का पानी है; इनके बारे में यदि कोई विचार नहीं किया गया तो....

श्री सभापति : कृपया समाप्त कीजिये।

श्री बिरधाराम चौधरी : ....खान मालिक बेरोजगार हो जायेंगे। इसकी क्या व्यवस्था है और सरकार क्या करने जा रही है? यह मेरे तीन–चार प्रश्न हैं उनके मंत्री महोदय जवाब देंगे।

श्री सभापति : धन्यवाद। माननीय मंत्री जी।

श्री कालूलाल गूजर : माननीय सभापति महोदय, माननीय सदस्यों ने जो विचार रखे और कुछ प्रश्न किये, उसमें जैसा कि मैंने निवेदन किया कि मकराना में मार्बल की कुल 691 खानें हैं। 691 में से 128 खानों में पानी आया है। 128 में से सिर्फ 23 खानें ऐसी हैं जो पूर्णतया बंद हैं, बाकी खानें आंशिक रूप से चल रही हैं। उनका काम सारा बंद नहीं हुआ है। अभी आपका यह कहना कि 50,000 मजदूर बेकार हो गये। खान तो सिर्फ 23 बन्द हुई हैं, बाकी खानों में आंशिक रूप से काम चल रहा है और वह भी 691 में से 128 में है पानी, बाकी सारी खानें चालू है। 128 में से केवल 23 खानें बिल्कुल बन्द हैं, बाकी खानों में आंशिक रूप से काम चल रहा है और यहां कहा जा रहा है कि 50,000 मजदूर बेकार हो गये। ऐसी कोई बात नहीं है।

एक माननीय सदस्य : 5000 के लिए कहा है।

श्री कालूलाल गूजर : 5,000 के लिए कहा होगा लेकिन 23 खानों में 5000 मजदूर काम कर सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा 10 आदमी भी अगर काम करें तो 200-300–350 मजदूर अगर बेकार हुए तो इसमें ज्यादा कोई बहुत बड़ी बात नहीं।

जहां तक....(व्यवधान) पहले सुन तो लीजिये आप। सुन तो लें।

श्री हेतराम बेनीवाल : 250–300 आदमियों की कोई कीमत नहीं। आप मंत्री महोदय यह स्टेटमेंट दे रहे हैं। माननीय सभापति महोदय (व्यवधान)

श्री सभापति : । आप उनकी बात सुन लीजिये।

श्री हेतराम बेनीवाल : सुन लिया। माननीय सभापति महोदय,....

श्री सभापति : वे 5000 के कम्पेरीजन में बता रहे हैं कि 250–300 हैं। 200–300 भी कोई मायने रखते हैं। आप बिराजिये। वे भी मायने रखते हैं।

116

श्री कालूलाल गूजर : माननीय सभापति महोदय, आपने यह कहा कि खानों में पानी नीचे से आता है। खान खोदने से पानी और इसको डिस्चार्ज करने का काम खान मालिक करें, ऐसी बात नहीं है। जब जितना भी पानी चाहे खान के नीचे से आये, चाहे बरसात का पानी खान के अन्दर भरे, इसमें खान से पानी निकालने का कार्य खान मालिकों द्वारा ही किया जाता है, पूरे राजस्थान में किया जाता है और कहीं पर भी इस तरह का नहीं है कि बाहर से पानी अगर उसमें भर जाये तो सरकार उसे निकाले। इस तरह का नहीं मे नियमों में भी, चाहे सेन्टर का एक्ट हो, चाहे राजस्थान का एक्ट हो, इसमें किसी भी तरह का कोई प्रावधान नहीं है। जहां तक आपने कहा कि प्रतिनिधि मण्डल मिला और मुख्य मंत्री जी ने कोई आश्वासन दिया। इसकी जानकारी मुझे तो है नहीं।

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : मुख्य मंत्री जी के घर में आप मौजूद थे।

श्री कालूलाल गूजर : मैं कहां था। माननीय सभापति महोदय, मैं नहीं था और अगर इस तरह का कोई आश्वासन दिया है या नहीं दिया, यह कल्पना मात्र है।

श्री सभापति : इस पर डिबेट थोड़े ही हो सकती है। (व्यवधान)

श्री कालूलाल गूजर : तो इस तरह की कोई बात मेरे ध्यान में नहीं है। जहां तक आपने एक बात और कहीं डेड रेंट कम करना चाहिए क्योंकि जिस समय खान में पानी भरा रहता है तो डेड रेंट उस समय का, तीन महीने का कम करना चाहिए। मेरा निवेदन करना यह है कि डेड रेंट एक मिनिमम चार्ज है, मिनिमम रायल्टी है साल भर के लिए और डेड रेंट के अगेंस्ट में रखा दिया जाता है और रखा रायल्टी के अगेन्स्ट में एडजस्ट होता है। इसलिए माननीय सभापति महोदय, माननीय सदस्य को ध्यान में नहीं है कि वहां डेड रेंट लगता हीं नहीं। इसलिए नहीं लगता कि वहां तो सारा का सारा टैक्स हमारी रायल्टी पर है वह भी फिनिश माल पर वसूल किया जाता है। जो पाटिये चीर करके फाइनल माल होता है, वह बिकता है, उसके ऊपर रायल्टी वसूल की जाती है। आपको यह ध्यान नहीं, उसमें डेड रेंट कितना लिया जाता है, क्या नहीं लिया जाता है। क्योंकि डेड रेंट हमेशा रायल्टी के अगेन्स्ट में एडजस्ट होता है। इसलिए अगर तीन महीने खान बन्द रही तथा बाद में चली तो भी माल ज्यादा निकल गया तथा वह डेड रेंट उस रायल्टी के अगेन्स्ट में एडजस्ट हो जाता है। इसलिए ईस बात का कोई प्रश्न ही पैदा नहीं होता। माननीय सभापति महोदय, एक यह बात कही कि एस.डी.ओ. साहब ने और इन्होंने कोई मौका देखा और 22 लाख का नुकसान बताया। इस तरह की रिपोर्ट हमारे पास तो आई नहीं है खानें केवल 23 बन्द हैं, इससे कोई भारी नुकसान होने का सवाल नहीं है। जहां तक आपने यह कहा कि (व्यवधान) नियमों में इस तरह का प्रावधान नहीं है। अगर इस तरह की बात है तो नियमों को बनाने के लिए तो एक प्रक्रिया है। यदि कोई रिप्रजेन्टेशन आयेगा तो विभाग उस पर विचार करेगा और यदि कोई नियमों में

(श्री कालूलाल गूजर)

संशोधन करने की आवश्यकता पड़ी तो विचार करने के बाद काम हो सकता है।

समापति महोदय, जहां तक रेल्वे लाइन और अवैध खनन की बात कही है, वह तो इस ध्यानाकर्षण प्रस्ताव से सम्बन्धित नहीं है। इसलिए मैं सोचता हूं कि इस तरह का जिक्र करना कोई उचित नहीं है; न इसके जवाब की आवश्यकता है। रेल्वे लाइन का क्या मामला है और अवैध खनन कितना हो रहा है, इसके ऊपर माननीय सदस्य, अलग कोई ध्यानाकर्षण लगायेंगे तो हम उसका जवाब देंगे इसलिए मेरा निवेदन है कि इन सब बातों को देखते हुए खान मालिक स्वयं अपनी खान से पानी निकलवा सकते हैं। विभाग की ओर से इस तरह की कोई व्यवस्था नहीं होती है (व्यवधान)

श्री समापति : धन्यवाद। चर्चा समाप्त हुई। (व्यवधान) आपका प्रश्न नहीं है माननीय बेनीवाल जी। (व्यवधान) माननीय मोहम्मद माहिर जी।

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : माननीय समापति महोदय, मंत्रीजी ने जवाब दिया वह सही नहीं है। (व्यवधान) माननीय समापति महोदय, एक तो मंत्रीजी ने यह बात कही कि जानकारी नहीं है सदस्य को कि उसमें डेड रेंट नहीं लगता। पूरा पत्थर मार्बल से निकलता है, इसके ब्लाक भी जाते हैं। किशनगढ़ में फैक्ट्री लग रही है और दूसरी जगह लग रही है। उसके उपर क्या लेते हैं? चलिये, सैल्स टैक्स तो आप जो चीर कर ले जाते हैं उसके ऊपर लेते हैं। जो ब्लाक जाते हैं ऐसे के ऐसे, उस पर क्या लेते हैं?

श्री समापति : ठीक है, एक पाइंटेड प्रश्न हो गया।

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : दूसरा, मैं यह बात कहना चाहता हूं, आपने यह कहा कि प्रतिनिधि मण्डल मुख्य मंत्री से नहीं मिला या आप वहां मौजूद नहीं थे। आपको शायद याद नहीं रहा, उसके लिए तो मैं आयुर्वेद मंत्रीजी से सिफारिश करूंगा कि इनको कोई च्वनप्राश या कानूनी खमीरा इत्यादि दें। यह ज्ञापन मेरे पास मौजूद है जो तारीख सहित उस समय दिया था। मैं आपकी आज्ञा से, मेरी चर्चा खत्म होने के बाद, सदन के पटल पर रख दूंगा। यह प्रस्ताव मानें और आगे के लिए उसकी स्थाई समाधान की व्यवस्था क्या करना चाहते हैं, वह करें।

तीसरा, इन्होंने हल्के फुल्के तरीके से यह दिया कि सिर्फ 23 खानों के अन्दर ही काम रूका है और इसमें इतने मजदूर काम करते होंगे। इन्होंने एक केल्कुलेशन अपने हिसाब से लगा कि एक खान में 10 मजदूर काम करते होंगे तो 230 हो गये। उसमें से जो पत्थर निकलता है उसकी चिराई होती है, उसके पाटे बनते हैं, उसके बाद उसकी जो दूसरी चीजें, गड़ाई, जड़ाई का काम करने वाले होते हैं, उन सबको जोड़ेंगे। ....(व्यवधान).... सवाल इस बात का नहीं है। सवाल चाहे एक आदमी की रोजी रोटी का हो, चाहे 5000 की रोजी रोटी का सवाल हो। यह जन कल्याणकारी राज्य है और सरकार को उतनी ही गम्भीरता से

(श्री मोहम्मद माहिर आजाद)

लेना चाहिये। मैं यह कहना चाहता हूं, आपने यह कह दिया कि रूल्स में इस तरह का कोई प्रावधान नहीं है। आप कौनसे रूल्स के तहत यह बात कह रहे हैं। कृपया मुझे बतायें। (व्यवधान) राजस्थान का माइनिंग एक्ट है, इसके अन्दर रनिंग एण्ड मेन्टीनेंस एसपेंसेज का जो प्रोवीजन दिया है, यह प्रोवीजन मैं आपको बताऊं। उससे पहले मैं मंत्री महोदय से आपसे सभापति महोदय, यह जानना चाहता हूं कि कौन से रूल्स के तहत यह प्रावधान आप बता रहे हैं कि उन खानों से पानी आपका विभाग नहीं निकाल सकता। यह आप बतायें, फिर मैं यह बताऊंगा।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, मंत्रीजी यह कह रहे हैं कि पानी निकालने के संबंध में उनके पास में जो भी रूल्स हैं, जिसके तहत इजाजत दे रखी है, उन नियमों में प्रावधान नहीं है।

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : सभापति महोदय, किसी के तहत तो कोई प्रोवीजन होगा ही। अण्डर रूल्स; अण्डर एक्ट। (व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय मंत्री महोदय जवाब देंगे।

श्री कालूलाल गूजर : माननीय सभापति महोदय, हमारे यहां माइंस के रूल्स बने हुए हैं एम.एम.सी.आर, इनमें कहीं भी पानी निकालने का प्रावधान नहीं है और न ही सेन्ट्रल एक्ट में है और हमारे यहां जिस प्रकार की पालना की जाती है, जैसे हमारे डवलपमेंट करने के लिए सड़क वगैरह बनाने का प्रावधान है तो हम उसका डवलपमेंट करते हैं लेकिन खानों में बरसात का पानी भर जाय व उस खान मालिक को नुकासान हो जाय और उसमें सरकार पानी निकाले इस प्रकार का कहीं प्रावधान नहीं है। आप बतायें इस तरह का प्रावधान किस एक्ट में है।

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : कानून ने एक्ट को स्वीकार किया है। माननीय सभापति महोदय,

The Mines and Querrys Equiment Hire Rules, 1976.

इसका जो कंटेंट्स है, इसमें 10 नम्बर पर दिया हुआ है रनिंग एण्ड मेंटीनेंस एक्सपेंसेज और यह आगे कहते हैं.

Clause–I–The running and maintenance expenses of the equipment approval specification by the Department.

आप भी यह कह रहे हैं कि उसका विकास करने की विभाग की जिम्मेदारी है। मैं आपके माध्यम से सरकार से इतना चाहता हूं। चलिए, आप यह कह रहे हैं कि जो पानी भर गया उनको आप इर्रिगेशन डिपार्टमेंट के पम्प मुहैया करा दें वे निकलवा लेंगे या उसका खर्चा होगा वह दे देंगे लेकिन क्या आप यह कह रहे हैं कि विकास की जिम्मेदारी तो आपकी है? आइंदा पानी उसमें नहीं भरे उसको रोकने के लिए आपको स्थायी समाधान की व्यवस्था करनी चाहिए।

श्री सभापति : माननीय सदस्य अब आप बैठ जाइये।

श्री बिरधाराम चौधरी : सभापति महोदय, उन्होंने मेरे से ववेरी की है। मैंने जो बात बताई उसका जवाब दिया है कि इतनी खानों पर पानी नहीं भरा। सभापति महोदय, आपने एडमिट किया है कि 128 खानों में बरसात का पानी भर गया और 23 पूर्णतया बन्द हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। सभापति महोदय, 691 खानें हैं उनमें इनका पानी नीचे से रिस-रिस कर जायेगा और फिर पूरी खानें बंद हो जायेंगी, इसका फिर क्या करेंगे ?

श्री सभापति : आप कह चुके हैं, दुबारा क्या कहना है ? (व्यवधान) यह आ गया।

श्री बिरधाराम चौधरी : आप यह कह रहे हैं कि हम इसमें कुछ नहीं कर सकते तो क्या ये कोई कमेटी बिठाकर जांच करायेंगे कि इसमें पानी नहीं भरे व वहां मजदूर बेरोजगार नहीं होवे। दूसरी इन्होंने डेड रेंट की बात कही है....

श्री सभापति : अब आप बैठिये।.... (व्यवधान) माननीय सदस्य आप बिराजें। आप यह बात कह चुके हैं।

श्री कालूलाल गूजर : माननीय सभापति महोदय, आपने एक प्रश्न किया कि जिन खानों में पानी है और पास की खान का पानी उसमें आ सकता है। तो मेरा निवेदन है कि 128 खानों में से 23 तो पूरी भरी हुई हैं जिनमें वर्किंग बिलकुल बन्द हैं बाकी में पानी भरा हुआ है और उनके ऊपर जो पिट लगा हुआ है उनमें काम हो रहा है और वह काम होता रहेगा। पानी आने का सवाल ही नहीं है उसमें जितना आ सकता है वह पानी आ गया, अब कोई गुंजाइश नहीं है।

श्री सभापति : माननीय आजाद साहब, आप अपना ज्ञापन इन्हें दे दीजिएगा। नियमों के तहत यह इस पर पूर्ण विचार करेंगे। चर्चा समाप्त हुई।

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : सभापति महोदय, आपके माध्यम से मेरा एक अन्तिम प्रश्न है। वह यह है कि आगे से बाढ़ का पानी उसमें नहीं जाय उसको रोकने के लिए आप क्या कर रहे हैं ?

श्री सभापति : आप अपना ज्ञापन इनको दे दीजिये। ज्ञापन पटल पर रख दीजिये। नियमों के अन्तर्गत उस पर पूरी तरह विचार करेंगे। चर्चा समाप्त हुई। माननीय श्री हरलाल सिंह खर्रा, ग्रामीण विकास एवं पंचायत राज विभाग की 8 अधिसूचनाएं सदन की मेज पर रखेंगे।

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : सभापति महोदय, यह एश्योरेंस तो इन्हीं से दिलवाइये।

श्री सभापति : हो गया।

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : नहीं, इनसे दिलवा दो। यह क्या बात हुई.... (व्यवधान)

श्री बिरधाराम चौधरी : सभापति महोदय, हजारों मजदूर बेकार हो रहे हैं।

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : आप यह तो आश्वासन इनसे दिलवाइये। आपको क्या आपत्ति हो रही है ? मंत्रीजी

(श्री मोहम्मद माहिर आजाद)

देंगे आश्वासन। यह क्या बात हुई? मंत्रीजी से आश्वासन दिलवाइये। आगे से पानी नहीं आये इसके लिए क्या कर रहे हैं। विकास के नाम पर दीजिए।

श्री सभापति : बिराजिए।

श्री बिरधाराम चौधरी : हजारों मजदूर बेकार हो रहे हैं और आज मकराना के अन्दर आप कह रहे हैं कुछ नहीं हुआ।

श्री सभापति : आप कोई आश्वासन दे रहे हैं क्या?

श्री कालूलाल गूजर : कोई आश्वासन नहीं।

श्री सभापति : नहीं दे रहे हैं, बिराजिये।

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : सभापति महोदय, ये रोकथाम करेंगे कि नहीं करेंगे। पानी भरता रहे। आज 23 खानों में भरा है, कल 128 खानों में भर जायेगा, परसों 900 खानों में भर जायेगा।

श्री बिरधाराम चौधरी : सभापति महोदय, मकराना की जनता आपको माफ नहीं करेगी। आज हजारों रुपये की रायल्टी वहां से आती है। (व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्य, मैं इनसे कोई भी आश्वासन नहीं दिला सकता।

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : पहले तो खुद कह रहे थे पूछिए और अब आप कह रहे हैं। आप दे रहे हैं क्या?

श्री सभापति : आपने अपनी बात कह दी, अब आश्वासन देने की कोई चीज नहीं हो सकती। (व्यवधान) माननीय सदस्य आप जानते हैं कि कोई आश्वासन दिया जा सकता है क्या?

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : आप ना करवा दीजिए इनसे।

श्री बिरधाराम चौधरी : सभापति महोदय, महत्वपूर्ण सवाल है। मकराना के अन्दर 50 हजार मजदूर बेरोजगार हैं। (व्यवधान)

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : आप यह कहला दीजिए कि नहीं करेंगे। सभापति महोदय, अगर माननीय मंत्रीजी आश्वासन नहीं दे रहे तो यह मना कर दें कि हम पानी की रोकथाम भी नहीं करेंगे, हम कोई मकराना का विकास भी नहीं करेंगे। मना कर दें। यह क्या बात हुई?

श्री सभापति : माननीय सदस्य आप अपना ज्ञापन दीजिए।

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : ज्ञापन तो दे रहा हूं।

श्री सभापति : नियमों के अन्तर्गत जो भी यह कर सकेंगे, करेंगे। माननीय ग्रामीण विकास मंत्रीजी।

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : तो यही बात अभी क्यों नहीं करते?

श्री बिरधा राम चौधरी : सभापति महोदय, या तो कह दें कि हम कुछ नहीं कह सकते ।

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : इनको नियमों के तहत कुछ तो करना चाहिए ।

श्री बिरधा राम चौधरी : या तो यह कह दें कि हमारी सरकार कुछ नहीं कर सकती । (व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्य ऐसा प्रावधान नहीं है कि आपसे हां या ना कहें । ऐसा कुछ नहीं होता है ।

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : कुछ तो कहेंगे, यह ऐसे कैसे चलेगा । आश्वासन नहीं देते हैं तो मना कर दें कि हमारे से कुछ नहीं होता है । यह क्या बात हुई ?

श्री सभापति : माननीय ग्रामीण विकास मंत्री जी (व्यवधान) चर्चा समाप्त हुई, कृपया विराजिए । माननीय ग्रामीण विकास मंत्रीजी ।

श्री बिरधाराम चौधरी : सभापति महोदय, या तो यह दें कि हम कुछ नहीं कर सकते, यह सरकार माइनिंग के लिए कुछ नहीं कर सकती । सभापति महोदय, मेरा यह निवेदन है कि जहां पर हजारों मजदूर बेकार हो रहे हैं और माइनिंग मंत्री तैयार ही नहीं है कि हम कुछ नहीं कर सकते । यह श्रमिक विरोधी सरकार कुछ करने की बात करती है (व्यवधान)

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : ना तो कह दें । सभापति महोदय, मैं यह ज्ञापन सदन के पटल पर रख रहा हूं ।

(श्री मोहम्मद माहिर आजाद ने सदन के पटल पर ज्ञापन रखा ।)

श्री सभापति : कभी भी ऐसा नहीं होता है । माननीय ग्रामीण विकास मंत्रीजी आप बोलें । क्या रखना चाहते हैं आप ?

(2.45 म.प.)

(श्री हीरासिंह चौहान, उपाध्यक्ष, पदासीन)

श्री उपाध्यक्ष : इस विषय पर काफी चर्चा हो चुकी है ।

श्री बिरधा राम चौधरी : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन दूसरा है ।

श्री उपाध्यक्ष : यह तो कोई बोलने की जगह नहीं है, आप बहुत पुराने सदस्य हैं ।

श्री बिरधा राम चौधरी : उपाध्यक्ष महोदय, हमारे मकराना में जो खानों के मजदूर बेकार हो गए, जो खानें बेकार हो गई (व्यवधान) या तो यह कह दें कि हमारी सरकार पानी के लिए कुछ करने वाली नहीं है । (व्यवधान) खनिज विभाग क्यों नहीं कर सकता ?

श्री उपाध्यक्ष : बहुत चर्चा हो चुकी है, कृपया विराजें आप ।

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : विकास करने का काम खनिज विभाग का है कि आइन्दा पानी नहीं मरे । आज 23 खानों में मरा है, कल 128 खानों में मरेगा,

(श्री मोहम्मद माहिर आजाद)

परसों 961 खानों में और पूरे मकराना में भर जायेगा। मंत्रीजी को चिन्ता ही नहीं है और आप इसको बहुत हल्केपन से ले रहे हैं। मंत्रीजी को यहां खड़े होकर कहना पड़ेगा कि इसके लिए यह क्या कर रहे हैं, इसकी क्या योजना है ?

श्री कृष्ण कुमार गोयल : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं इसमें निवेदन करना चाहूंगा। माननीय सदस्यों को मालूम है कि माइन्स केवल मकराना में ही नहीं है। राजस्थान के विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार की माइन्स हैं और बरसात के अन्दर, यानि मैं भी जिस क्षेत्र से आता हूं वहां भी माइन्स हैं और 15–20 साल से देखता हूं कि जब भी बरसात का पानी माइंस मे भर जाता है तो वहां माइंस वाले ही इसको निकालते हैं और कोई एक साल बता दें कि कोई माइंस डिपार्टमेंट ने माइंस का पानी निकाला हो ?

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : इसको रोकने के लिए व्यवस्था तो करें। पूरे शहर का पानी जा रहा है। मैं तो यही तो कहलवाना चाहता हूं कि इसको रोकने की व्यवस्था करें। (व्यवधान) महावीरजी बिराजें। खान मंत्रीजी क्या कह रहे हैं।

श्री महावीर प्रसाद जैन : कोई चन्दा लेने का मामला होगा। किसकी पैरवी कर रहे हैं, इसमें इनका हित होगा। इनका हित निहित है।

श्री बिरधा राम चौधरी : आपको क्या पता मजदूर बेकार हो रहे हैं। आप पूंजीपतियों की बात कर रहे हैं। वहां रोजी-रोटी के लाले पड़ रहे हैं। (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन : आप यह चाहते हैं कि बरसात नहीं हो।

श्री बिरधा राम चौधरी : आप बिराजें। आप पूंजीपतियों की बात कर रहे हैं। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : बैठिए आप। माननीय मंत्रीजी।

श्री कालूलाल गुर्जर : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इन खानों में जो पानी आता है और जैसा माननीय सदस्यों ने यहां चिन्ता व्यक्त की कि बाहर का पानी बहकर आता है और खान में चला जाता है। अगर माननीय सदस्यों या खान मालिकों की ओर से कोई ज्ञापन आयेगा तो निश्चित रूप से इसका स्थायी समाधान कैसे हो सकता है क्योंकि यह अकेले माइन्स विभाग का मामला नहीं है, इरिगेशन, जिला प्रशासन भी इसमें है क्योंकि वहां पानी बस्ती में भी भरता है। सारी बातें देखकर यदि कोई रास्ता निकलता है तो जरूर निकालेंगे।

श्री उपाध्यक्ष : बहुत बढ़िया। माननीय श्री हरलाल सिंह खर्रा।

सदन की मेज पर रखे गये पत्रादि

अधिसूचनाएं

श्री हरलाल सिंह खर्रा : उपाध्यक्ष महोदय, मैं ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग की निम्नांकित 8 अधिसूचनाएं सदन के पटल पर रखता हूं।

(श्री हरलाल सिंह खर्रा)

(1) अधिसूचना क्रमांक एफ. 4 (1) एल. एण्ड. जे./आरडीपी/87/192 दिनांक 17.3.89 जिसके द्वारा राजस्थान पंचायत समिति तथा जिला परिषद् अधिनियम (1959 का राजस्थान अधिनियम 37) 1959 के अन्तर्गत निर्मित राजस्थान पंचायत समिति एवं जिला परिषद सेवा नियम, 1959 में संशोधन किये गये हैं।

(2) अधिसूचना क्रमांक एफ. 4 (2) एल. एण्ड. जे./आरडीपी/88/223 दिनांक 18.3.89 जिसके द्वारा राजस्थान पंचायत अधिनियम, 1953 (1953 का अधिनियम संख्या 21) के अन्तर्गत निर्मित राजस्थान पंचायत (सामान्य) नियम, 1961 में संशोधन किये गये हैं,

(3) अधिसूचना क्रमांक एफ. (3) एल. एण्ड. जे./आरडीपी/89/585 दिनांक 28.4.89 जिसके द्वारा राजस्थान पंचायत समिति तथा जिला परिषद अधिनियम, 1959 (1959 का अधिनियम संख्या 37) के अन्तर्गत निर्मित राजस्थान पंचायत समिति (सदस्यों को भत्ते का संदाय) नियम 1961 में संशोधन किये गये हैं,

(4) अधिसूचना क्रमांक एफ. 4 (3) एल. एण्ड. जे./आरडीपी/89/586 दिनांक 28.4.89 जिसके द्वारा राजस्थान पंचायत समिति तथा जिला परिषद् अधिनियम 1959 (1959 का राजस्थान अधिनियम संख्या 37) के अन्तर्गत राजस्थान जिला परिषद् (सदस्यों को भत्ते का संदाय) नियम, 1961 में संशोधन किये गये हैं,

(5) अधिसूचना क्रमांक एफ. 4 (6) एल. एण्ड. जे/आरडीपी/89/1310 दिनांक 25.7.89 जिसके द्वारा राजस्थान पंचायत अधिनियम, 1953 (1953 का अधिनियम संख्या 21) के अन्तर्गत निर्मित राजस्थान पंचायत तथा न्याय उप समिति निर्वाचन नियम, 1960 में संशोधन किये गये हैं,

(6) अधिसूचना क्रमांक एफ. 4 (9) एल. एण्ड. जे./आरडीपी/89/1789 दिनांक 25.9.89 जिसके द्वारा राजस्थान पंचायत अधिनियम 1953 (1953 का अधिनियम संख्या 21) के अन्तर्गत निर्मित राजस्थान पंचायत तथा न्याय उप समिति निर्वाचन नियम, 1960 में संशोधन किये गये हैं,

(7) अधिसूचना क्रमांक एफ. 4 (9) एल. एण्ड. जे./आरडीपी/89/1789 दिनांक 26.9.89 जिसके द्वारा राजस्थान पंचायत समिति तथा जिला परिषद् अधिनियम, 1959 (1959 का राजस्थान अधिनियम संख्या 37) के अन्तर्गत निर्मित राजस्थान पंचायत समिति (सदस्यों को भत्ते का भुगतान) नियम, 1961 में संशोधन किये गये हैं, एवं

(8) अधिसूचना क्रमांक एफ. 4 (9) एल. एण्ड. जे./आरडीपी/89/1790 दिनांक 26.9.89 जिसके द्वारा राजस्थान पंचायत समिति एवं जिला परिषद् अधिनियम, 1959 (1959 का राजस्थान अधिनियम संख्या 37) के अन्तर्गत निर्मित राजस्थान जिला परिषद् (सदस्यों को भत्तों का भुगतान) नियम, 1961 में संशोधन किये गये हैं,

श्री उपाध्यक्ष : याचिकाओं का उपस्थापन। माननीय श्री रामनारायण जी वर्मा।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : यह तो बताइये कि कौन–कौनसी अधिसूचनाएं रखी हैं ?

श्री उपाध्यक्ष : वह लिस्टेड थी, सभी आपको मिल चुकी हैं।

श्री बुलाकीदास कल्ला : नहीं बताइये, सब लिस्टेड क्या है ?

श्री उपाध्यक्ष : कोई जरूरी नहीं है।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : बिलकुल जरूरी है, उपाध्यक्ष महोदय। कभी भी इस तरह से नहीं होता है कि 8 अधिसूचनाएं रख रहे हों। अधिसूचनाएं पढ़कर सुनानी पड़ती हैं।

श्री बुलाकीदास कल्ला : सरकार लेट चल रही है 3–3 वर्ष।

श्री उपाध्यक्ष : पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, लिस्ट के साथ दी हुई हैं।

श्री बुलाकीदास कल्ला : उपाध्यक्ष महोदय, 1989 की अधिसूचना अब रखी जा रही है। कितनी विधान सभाएं हो गई इसके बीच में ?

श्रीमती सुमित्रा सिंह : अधिसूचना पढ़कर सुनानी पड़ती है।

श्री उपाध्यक्ष : ऐसा नहीं है।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : कैसे नहीं है ऐसा ?

श्री उपाध्यक्ष : लिस्टेड है, लिस्ट में दे दी हैं सारी। माननीय श्री वर्मा साहब।

याचिकाओं का उपस्थापन

रामपुरिया ग्राम के लिए सम्पर्क सड़क का निर्माण

श्री रामनारायण वर्मा (नैनवां) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं तहसील नैनवां के ग्राम रामपुरिया के लिए सम्पर्क सड़क निर्माण बाबत 5 व्यक्तियों द्वारा हस्ताक्षरित

खजूरी ग्राम के लिए सम्पर्क सड़क का निर्माण

ग्राम पंचायत मुख्यालय खजूरी जिला बूंदी हेतु सम्पर्क सड़क के निर्माण बाबत 6 व्यक्तियों द्वारा हस्ताक्षरित याचिकाएं उप स्थापित करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय अमीन खां जी।

शिव तहसिल के नये राजस्व ग्रामों में पेयजल योजना

श्री अमीन खां : उपाध्यक्ष महोदय, मैं जिला बाड़मेर तहसील शिव के नये राजस्व ग्राम लंगों की ढाणी, मुहड़ों की ढाणी एवं रामपुरा में पेयजल योजया स्वीकृत कराने बाबत पांच व्यक्तियों द्वारा हस्ताक्षरित एक याचिका उपस्थापित करता हूं।

समिति का प्रतिवेदन

अनुसूचित जाति कल्याण समिति, 1992-93 का पांचवां प्रतिवेदन

श्री उपाध्यक्ष : श्री टीकमचन्द कान्त सभापति, अनुसूचित जाति कल्याण समिति,

(श्री उपाध्यक्ष)

1992–93 समिति का एक प्रतिवेदन उपस्थापित करेंगे।

श्री टीकमचन्द कान्त : उपाध्यक्ष महोदय, मैं सभापति अनुसूचित जाति कल्याण समिति 1992–93– राज्य महिला सदन, शिशु गृह, राजकीय छात्रावास, बापू आश्रम एवं अनुदानित छात्रावास, जयपुर विषयक अनुसूचित जाति कल्याण समिति 1991–92 के द्वितीय प्रतिवेदन में समाविष्ट सिफारिशों पर शासन द्वारा की गई कार्यवाही विषयक समिति का पंचम प्रतिवेदन उपस्थापित करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिए।

श्रीमती उजला अरोड़ा : उपाध्यक्ष महोदय,....

श्री उपाध्यक्ष : पहले आप बिराजिए।

सदन की कार्यवाही

कार्य सूची में सम्मिलित विधेयक पर विचार के समय में परिवर्तन

श्री शान्तिलाल चपलोत : (राज्य मन्त्री, विधि) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान सिविल-न्यायालय (संशोधन) विधेयक, 1992 को आज की कार्यसूची में विचार एवं पारण के लिए रखा गया है उसे दिनांक 29 सितम्बर, 1992 को विचार एवं पारण हेतु रखा जाये।

श्रीमती उजला अरोड़ा : यह गलत है उपाध्यक्ष महोदय, गैर सरकारी....

श्री उपाध्यक्ष : आप थोड़ा धैर्य रखिये।

श्रीमती उजला अरोड़ा : आप कैसे बीच में ले सकते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : गैर सरकारी लिया जा रहा है। आप बैठिये तो सही।

श्रीमती उजला अरोड़ा : आप मेरी बात सुनिये।

श्री उपाध्यक्ष : वहां प्रारम्भ हो रहा है, बैठिये आप। कृपया एक मिनट के लिए बैठिये। एक मिनट के लिए बैठ जाइये।

श्रीमती उजला अरोड़ा : सुनिये। मुझे विधान सभा की तरफ से जो लिस्टेड प्रोग्राम दिया गया है वह मैं आपको कहना चाहती हूं।

श्री उपाध्यक्ष : मैं एक मिनट में आपका नाम पुकार रहा हूं। बिराजिये तो सही।

श्रीमती उजला अरोड़ा : पहले मेरी बात सुनिये।

श्री उपाध्यक्ष : नहीं, पहले बैठिये आप। प्लीज।

श्रीमती उजला अरोड़ा : क्या बाई पास करके बात करेंगे। आप मुझे सुनिये।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान सिविल न्यायालय (संशोधन) विधेयक, 1992 को आज की कार्यसूची में

(श्री उपाध्यक्ष)

विचार एवं पारण हेतु रखा गया था उसे दिनांक 29 सितम्बर, 1992 को विचार एवं पारण हेतु रखा जावे ?

(स्वीकृत)

प्रस्ताव स्वीकार किया।

गैर सरकारी विधेयक।

श्रीमती उजला अरोड़ा : उपाध्यक्ष महोदय, जिस क्रम में....

श्री बुलाकीदास कल्ला : उपाध्यक्ष महोदय,....

श्री उपाध्यक्ष : एक मिनट प्लीज, मैं मौका दे रहा हूं आपको।

श्रीमती उजला अरोड़ा : जिस क्रम में आज विषय लिखे जाने थे, आप या तो मुझसे पूछिये।

श्री उपाध्यक्ष : क्या ?

श्रीमती सुमित्रा सिंह : आपसे क्या पूछेंगे।

श्रीमती उजला अरोड़ा अभी पहले मुझे समझाइये, कौन से नियमों के माध्यमों से आज जो विषय लिये जाने थे उसको पीछे करके आगे पहले कोई और विषय ले रहे हैं जब कि....

श्री बुलाकीदास कल्ला : इनको पता ही नहीं है।

श्रीमती उजला अरोड़ा : आप पढ़िये।

श्री उपाध्यक्ष : मैं माननीय सदस्या को सूचित करना चाहता हूं कि सारा ही शेष समय इसी काम के लिए रखा जा रहा है। दो मिनट चाहता हूं, आप बिराजिये।

श्रीमती उजला अरोड़ा : पहले मेरी बात सुनिये।

श्री उपाध्यक्ष : आप फिर भी नहीं मान रही हैं।

श्रीमती उजला अरोड़ा : मेरी बात सुनिये।

श्री बुलाकीदास कल्ला : आन ए पाइंट आफ इन्फोर्मेशन।

श्रीमती उजला अरोड़ा : आप यह विषय पहले भी रख सकते थे, मुझे कोई आपत्ति नहीं हो सकती थी।....

श्री उपाध्यक्ष : मैं दो मिनट चाह रहा हूं। आप बिराजिए।

श्रीमती उजला अरोड़ा : लिस्ट में परिवर्तन किस प्रकार हुआ, यह तो आप मुझे बतायेंगे।

श्री उपाध्यक्ष : काहे का ? क्या चेंज हुआ ? कुछ भी नहीं हुआ है।

श्री बुलाकीदास कल्ला : इनको पता ही नहीं है। लिस्ट में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है।

श्री उपाध्यक्ष : एज इट इज लिया जा रहा है।

श्रीमती उजला अरोड़ा : आगे-पीछे कैसे कर रहे हैं।

श्री बुलाकीदास कल्ला : नहीं, वह तो 29 तारीख को चला गया। आपने सुना ही नहीं।

श्री उपाध्यक्ष : 29 तारीख को चला गया, यह रखा है, आप समझे ही नहीं। एक मिनट बिराजिए। वह ही ले रहे हैं। हां, और क्या....

श्री बुलाकीदास कल्ला : वह 29 तारीख को रखा है।

श्री उपाध्यक्ष : पुरःस्थापित किये जाने वाला विधेयक।

विधायी कार्य

विधेयक का पुरःस्थापन राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) विधेयक, 1992

श्री शांतिलाल चपलोत (प्रभारी मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, मैं, राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) विधेयक, 1992 को पुरःस्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) विधेयक, 1992 को पुरःस्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति प्रदान की गई।

प्रभारी मंत्रीजी विधेयक को पुरःस्थापित भी करेंगे।

श्री शान्तिलाल चपलोत : उपाध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) विधेयक, 1992 को पुरःस्थापित करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : अब विराजिये आप।

श्री बुलाकीदास कल्ला : इसके कारण भी रखे हैं या नहीं ?

श्री उपाध्यक्ष : गैर सरकारी कार्य।

श्री सम्पत सिंह : पाइंट आफ आर्डर।

श्री बुलाकीदास कल्ला : पांइट आफ इन्फार्मेशन।

श्री उपाध्यक्ष : पाइंट आफ इन्फार्मेशन और पाइंट आफ आर्डर। पहले पाइंट आफ आर्डर लिया जायेगा।

व्यवस्था का प्रश्न

अश्लील विज्ञापनों के विरूद्ध संकल्प पर चर्चा

श्री सम्पत सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, कल जब यह प्रोग्राम विधान सभा सचिवालय से गया मैंने दो सत्र पहले अश्लील विज्ञापनों के विरूद्ध एक संकल्प लगा रखा था। और माननीय कालीचरण सराफ ने मेरे प्रस्ताव का समर्थन किया था, वह तो बोल लिये और मुझे आज दिन तक उस संकल्प के बारे में कोई जानकारी नहीं है कि उसका क्या हश्र हुआ और अब नये संकल्प आ गये।

श्रीमती उजला अरोड़ा : यह तो पास हो गया।

श्री सम्पत सिंह : पास हो गया, मुझे तो बोलने ही नहीं दिया।....

श्रीमती उजला अरोड़ा : तो आप थे ही नहीं।

श्री सम्पत सिंह : कहां कैसे नहीं था।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सम्पत सिंहजी, इसमें बैलट निकलता है, बैलट में जो निकल जाता है उन सब को कार्यसूची में सम्मिलित कर लिया जाता है।

श्री सम्पत सिंह : यह बैलट हमारी ही पार्टी का नहीं निकलता, और सब का निकलता है।

श्री उपाध्यक्ष : नहीं, ऐसा नहीं है। बैलट में ऐसा नहीं होता है, प्लीज बैलट में ऐसा नहीं होता। आपको समुचित अवसर और भी, जब मौका होगा, दे दिया जायेगा।

श्री सम्पत सिंह : मैं इसकी पृष्ठ भूमि निवेदन कर दूं।

श्री उपाध्यक्ष : आज ?

श्री सम्पत सिंह : आज।

श्री उपाध्यक्ष : अभी नहीं, सॉरी, प्लीज। नहीं, अभी नहीं।

श्री सम्पत सिंह : आप आज्ञा दें तो दो मिनट में....

श्री उपाध्यक्ष : आपका नाम आया हुआ है बोलने के लिए, बुला देंगे आपको, इन्हीं पर बोल जाइये।

श्री सम्पत सिंह : मुझे बोलने की कोई बीमारी नहीं है, मैं तो अपने अधिकारों की आप से रक्षा चाह रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष : वह क्या ?

श्री सम्पत सिंह : आज माननीय अध्यक्ष होते तो उनसे भी निवेदन करता। जब मैंने प्रस्ताव किया था, कालीचरणजी सराफ साहब को बुलवा दिया और आपको स्मरण हो तो मैंने यहां धरना दिया था और मुझे उस वक्त आश्वस्त किया गया था कि आपको इस पर बोलने की मोहलत दी जायेगी। आज प्रांत में अजमेर जैसे काण्ड हो गये, रोजमर्रा की जो सारी व्यथा थी हमको यहां निवेदन करनी थी, सिर्फ मुझे ही इसमें क्यों रोका गया, मैं यह सचिवालय से जानना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : आपको रोका नहीं जायेगा। जानकारी लेकर इसकी व्यवस्था कल दे दी जायेगी।...(व्यवधान)... पाइंट ऑफ इन्फोर्मेशन क्या है ?

सूचना

राजस्थानी भाषा को संविधान की आंठवी अनुसूची से सम्मिलितकराने हेतु दो नागरिकों का अनशन

श्री बुलाकीदास कल्ला : उपाध्यक्ष महोदय, मैं सदन को आपके माध्यम से सूचित करना चाहता हूं कि राजस्थान के बड़े विद्वान कन्हैयालालजी सेठिया, जो न केवल राजस्थानी भाषा के ही विद्वान हैं

(श्री बुलाकीदास कल्ला)

बल्कि बहुत अच्छे साहित्यकार हैं पूरे देश के, वे आज अनशन पर बैठे हुए हैं और इसी के साथ-साथ हमारे माणक्य के सम्पादक पदमजी मेहता आज अनशन पर हैं और वे चाहते हैं कि राजस्थानी भाषा को संविधान की आठवीं अनुसूची में सम्मिलित किया जावे। इस सम्बन्ध में समय-समय पर राजस्थान के मुख्य मंत्रीजी से राजस्थानी भाषा से संबंधित लोग और अन्य अनेक लोग मिले हैं बार-बार और उन्होंने यह आश्वासन दिया था कि इसी सदन के सत्र में राजस्थानी भाषा से सम्बन्धित सरकारी विधेयक लाया जायेगा अथवा गैर सरकारी दिवस के अवसर पर कोई संकल्प पारित करके इस सम्बन्ध में कोई निर्णय कराया जायेगा। मैं चाहता हूं, कि माननीय मुख्य मंत्रीजी भी सदन में आ गये है, वे साहित्यकारों की और राजस्थानी भाषा से संबंधित राजस्थान के चार-साढ़े चार करोड़ लोगों की आवाज को सुनकर विद्रत होंगे और मैं उम्मीद करता हूं कि वे इस सम्बन्ध में आज गैर सरकारी दिवस के अवसर पर इस संकल्प को पारित करा कर भारत सरकार को भेजेंगे ताकि राजस्थानी भाषा जो न केवल भारत में बल्कि विदेशों में भी राजस्थानी भाषा के बारे में साहित्य के ऊपर रिसर्च हो रही है और यह एक ऐसी भाषा है उपाध्यक्ष महोदय, जिसमें एक-एक शब्द के दो सौ पर्यायवाची शब्द हैं। हिन्दी को हम पूरा सम्मान देते हैं, वह हमारी राष्ट्र भाषा है।...

श्री उपाध्यक्ष : पाइंट ऑफ इन्फोर्मेशन तो आप दे चुके हैं न. काफी बोल चुके हैं।

श्री बुलाकीदास कल्ला : मैं खत्म कर रहा हूं। उपाध्यक्ष महोदय, हिन्दी हमारी राष्ट्र भाषा है उसके प्रति पूरा सम्मान है लेकिन राजस्थानी भाषा, जो प्रदेश के अनेक हिस्सों में, पूरे प्रदेश में बोली जाती है और अब तो राजस्थानी भाषा का शब्दकोष बन गया है और पूरे प्रदेश के साहित्यकार इस बात पर एकमत हैं कि इसको संविधान की आठवीं अनुसूची में सम्मिलित किया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : विराजिए।

श्री बुलाकीदास कल्ला : मुझे पूरा विश्वास है कि माननीय मुख्य मंत्रीजी हमारे साहित्यकारों की और राजस्थानी जनता की भावनाओं को समझ कर इसके बारे में संकल्प पारित करवायेंगे।

श्री राजेन्द्र गहलोत : उपाध्यक्ष महोदय,...

श्री नत्थी सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, एक मिनट, इसी संबंध में कहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : पहले राजेन्द्रजी।

श्री नत्थी सिंह : इस संबंध में कोई भी बात हो, हमें गर्व है राजस्थानी भाषा के प्रति सब के प्रति और उन साहित्यकारों के प्रति, जो आज अपनी मांग को लेकर धरने पर बैठे हैं लेकिन राजस्थान को एक रखना है, राजस्थान के प्रत्येक भाग को एक रखना है, उन सब की बातों का, भावनाओं का सम्मान करना है, एक-दूसरे तरह की इसमें जल्दबाजी जो की जा रही है, वह नहीं की जानी चाहिए। हमारी इस बात में दूसरी बात है। हम समझते हैं बोली पांच-छह हैं। राजस्थान में राज-

(श्री नत्थी सिंह)

स्थानी के नाम पर बृजभाषा भी है, मेवाती भी है, हाडौती भी है, मेवाडी भी है, मारवाड़ी भी है। मैं चाहता हूं इस सम्बन्ध में पहले इस हाउस से बाहर सब लोगों से, सब भाग के लोगों से बात की जाये। उसके बाद हाउस में बात की जाये। यह नहीं किया जाय, इस नाम पर बुलडोजर की तरह राजस्थान को बांटने का नहीं काम किया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : राजेन्द्रजी गहलोत कुछ कहना चाह रहे हैं।

श्री राजेन्द्र गहलोत : उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थानी भाषा के सम्बन्ध में आज दो साहित्यकार जो उपवास करके अपनी मांग रख रहे हैं– आपणो राजस्थान आज सूं नहीं, आ बोली सदिया ऊं राजस्थान में चाले है, अलग-अलग भाषा में अलग-अलग हिस्सा में अलग-अलग बोली हो सके है, ओ सारा राजस्थान एक है और इरी भाषा राजस्थानी हैं, उण सारा ऊं मिलकर आ भाषा राजस्थानी बन सकी है। जैसा माननीय नत्थी सिंह जी ने यह कहा है कि भाषा के नाम पर राजस्थान बंट सक है, घणो म्हारी वीरता री सारी ऐतिहासिक कथा, राजस्थान री अखण्डता री कथा और सारी बोली और वीर रस, ओ सारो इतिहास राजस्थान रो एक ही है, इन राजपूताणों इतिहास एक है. यदि कोई भी भाषा है, उमं राजस्थान रो यदि स्थान दिया जाव, राजस्थानी नू दूसरी भाषा बनाई जाव और इ प्रकार सूं आठवीं अनुसूची में उन सम्मिलित करणे री मांग उठाई जाव या प्रस्ताव पास किया जावे, पूरो राजस्थान रो गौरव बढलो, राजस्थान रा कवियारो गौरव बढालो, राजस्थान के ऐतिहासिक पुरुषा रो गौरव बढ़ लो। आज म्हारो सौभाग्य है कि आज राजस्थान रा सारा चुनेड़ा इ बड़ी पंचायत में बैठकर ओ निर्णय लेवां और सदन ओ निर्णय लेकर राजस्थान रो गौरव बढावो। मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी ऊं निवेदन करूंला कि आपणा इण हाथा ऊं इत्तो बड़ो काम हो जाव तो राजस्थान रो चाहे मीरा हो, चाहे म्हाराणा प्रताप हो, चाहे दुर्गादास हो, चाहे जयनारायण व्यास हो, वे हमेशा इ बात नूं उठायो है और आज ओ संकल्प आपां पारित करां और राजस्थान री एकता, सांस्कृतिक धरोहर, ऐतिहासिक धरोहर और सांस्कृतिक और जो परम्परा री धरोहर है इने आगे उठाणे रो काम करेला।

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिए, माननीय पण्डित रामकिशन जी।

(3.00 म. प.)

श्री रामकिशन (भरतपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि माननीय कल्ला साहब ने जो सूचना दी है वह तो बहुत दुखत है। हमारे राज्य के शिक्षा शास्त्री या राजस्थानी भाषा के विशेष समर्थक भूख हड़ताल करें तो मैं समझता हूं कि वह अनुचित है और इस दबाव से इस भाषा का फायदा होने के बजाय नुकसान ही होगा। मैं तो केवल इतना सा निवेदन करना चाहता हूं...

श्री बुलाकीदास कल्ला : उपवास पर हैं अनशन पर नहीं।

श्री रामकिशन : उपवास और अनशन में क्या फर्क है।

श्री बुलाकीदास कल्ला : अनशन तो अनलिमिटेड होता है।

श्री रामकिशन : मैंने भैरोंसिंह जी को दो-दो घंटे अनशन करते देखा है। वह नहीं है, उपवास नहीं है। तो आखिर इस संबंध में मैं निवेदन यह करना चाहता हूं ...

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आप तो दो घंटे बैठे थे और उस समय मैंने खाना खिलाया था।

श्री रामकिशन : ..तो मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस सवाल को इस तरह से नहीं लिया जाये और खास तौर पर जब हमारा संविधान बना था उस समय हिन्दी भाषी राज्यों की एक सूची थी 'क' श्रेणी की उसमें राजस्थानी को शामिल किया गया गया था। अगर हम इस तरह की भाषाओं के नाम पर जैसें राजस्थानी के लिए क्लेम किया जा रहा है कि 8 करोड़ लोग राजस्थानी भाषा जानते हैं तो इसका मतलब यह हो गया कि हिन्दी बोलने वालों की संख्या कम हो जावेगी और उसके बाद अंग्रेजी जो लादना चाहते हैं देश पर उनका रास्ता सरल हो जायेगा। मेरा इस संबंध में सिर्फ इतना सा कहना है कि राजस्थानी भाषा है या नहीं है बृज वाले भी अपनी भाषा को बृज भाषा कहते हैं जबकि मैं उसको बोली मानता हूं। रेवाती बोली है, मेवाड़ी बोली है, राजस्थान की कई बोलियां हैं लेकिन सम्भव है भाषा भी है तो हम पूरे सम्मान के साथ बात करेंगे लेकिन इसमें जल्दी नहीं की जाये और आप जानते हैं कि भरतपुर में इसका कोई अर्थ नहीं है, अलवर में इसका कोई अर्थ नहीं है सवाई माधोपुर में इसका कोई अर्थ नहीं है, कोटा बूंदी और झालावाड़ में इसका कोई अर्थ नहीं है और खास तौर पर आदिवासी क्षेत्रों में इसका कोई अर्थ नहीं है। अब रह जाते हैं राजस्थान के अन्दर जोधपुर और उदयपुर के दोनों इलाके उनकी भी बोलियों में काफी फर्क है। इसलिए सारे मामले को एकदम जल्दी से नहीं करके और समझते हैं कि अगर यह भाषा है तो भाषा शास्त्रियों से इसकी थोड़ी चर्चा हो जानी चाहिए। हम तो कोई भाषा शास्त्री नहीं हैं। हम तो केवल भावना के आधार पर कह सकते हैं कि इसमें जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है और हमारे हिसाब से यह बोलियां हैं जैसे हिन्दी में भोजपुरी है और बीसयों तरह की बोलियां हैं, भोजपुरी हैं लेकिन अगर भाषा भी है जैसा एक तर्क यह दिया जाता है कि 200 शब्द हैं तो सारे संसार की किसी न किसी बोल में बहुत शब्द होते और किसी में बिलकुल नहीं होते हैं, तो मेरे हिसाब से जो देवनागिरी में लिपि होती है हम तो हमारे हिसाब से मराठी और गुजराती को भी हिन्दी की छोटी बहिन ही मानते हैं। उनकी भी लिपि और बोली में जिस तरह का फर्क होता है, वह मैं कहना चाहता हूं कि इसमें कोई जल्दबाजी नहीं की जाये और सदन से अगर कोई प्रस्ताव सर्वसम्मति से करने की कोशिश करनी हैं तो जो हमारे मन में शंकायें हैं इससे जो नुकसान होगा उसका पहले निराकरण हो जाये। इसी निवेदन के साथ मैं निवेदन कर रहा हूं कि इस कठोर काम को अपने हाथ में न लें।

श्री सम्पत सिंह (नगर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं सदन के नेता से भी निवेदन करूंगा और माननीय सदस्यों से भी कि राजस्थानी भाषा के समर्थन में जो भी हम प्रस्ताव पास करें हमारा तो इसमें सौभाग्य है लेकिन साथ ही साथ जैसा कुम्हेर से आने वाले माननीय सदस्य ने अपनी बात कही है, मैं उनके समर्थन में अपनी बात निवेदन कर रहा हूं कि भरतपुर से आने वाले माननीय सदस्य अभी कह रहे थे कि बृज भाषा नहीं है बल्कि बोली है। मैं उनसे तो ज्यादा बिलकुल नहीं समझता लेकिन मेरी राय में बृज भाषा अपने आप में बहुत धनी कोष है और भाषाओं के हिसाब से और मैं तो उसको गंगोत्री के रूप में मानता हूं। अगर राजस्थान की तमाम क्षेत्रीय भाषाओं के साथ साथ मैं यह नहीं कहता कि बृज भाषा को आप सर्वोपरि रख लें, बृज भाषा को भी रखा जाये। आम साधारण आदमी जो जैसलमेर से लेकर ठेठ धौलपुर तक बोल रहा है उनमें कुछ शब्द ऐसे हैं, आप बेहतर समझते हैं कि जो सभी भाषाओं में कौमन शब्द हैं। तो अव्वल तो है राजस्थानी भाषा के जिन्होंने यह प्रस्ताव किया है मैं उनसे निवेदन करूंगा कि इसको राजस्थानी भाषा आप कब से कह रहे हैं। राजस्थान बना है। 1947–48 के बाद और भाषा तो बहुत पुरानी है। जैसा कुम्हेर से आने वाले माननीय सदस्य कह रहे थे कि इसका नाम आप मारवाड़ी करें, हाड़ौती करें जो भी हमारा ठेठ पहले का नाम है मौलिक उसको करें। राजस्थान तो बिलकुल बाद में बना है उसके बाद राजस्थानी इसका नाम देना मेरे ख्याल से बहुत सारी उंगलियां उठेंगीं। आप यह प्रस्ताव तो पास करें ही लेकिन रसखान से लेकर वी. पी. सिंह के जमाने तक...।

श्रीमती तारा भण्डारी : ओह !

श्री सम्पत सिंह : ओहे क्या ? आपकी पार्टी से बड़ी भारी यह दिक्कत है कि कोई ज्ञान–ध्यान की बात कहते हैं तो यह नहीं समझते। श्री वी. पी. सिंह ने संसद में एक रिमार्क दिया था। हमारे मुख्य मंत्री जी कहते हैं कि किसी पर आरोप लगाओ तो ऐसे मत लगाओ जैसे लिमटे से चींट कर रहे हों, गुलगुली करके आरोप लगाओ तो उनको भी बुरा नहीं लगेगा और आपका सन्देश भी पहुंच जायेगा। तो ठीक उसी भावना के तहत 'बोफोर्स' पर एक आरोप लगाया गया था और वह संसद में कितने बड़े मुलायम तरीके से और कोई भाषा नहीं मिली वी. पी. सिंह जी को, जनता दल के लोगों को और दूसरे विपक्ष के लोगों को उन्होंने कहा 'मैया मेरी मैं नहीं माखन खायो'। स्व. राजीव गांधी किस तरह से डिफण्ड कर रहे थे अपने आपको उस भावना को व्यंग्य करने के लिए उनको बृज भाषा से उदाहरण मिला। रसखान जब दिल्ली के दरबार से आकर बृज भाषा के क्षेत्र में और बृज मण्डल में आये तो उन्होंने एक नहीं करोड़ों ऐसे उदाहरण आपको मिल जायेंगे जो ठेठ जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर तक बृज भाषा के संस्कार, बृज भाषा से निकली हुई चीजें आपको भाषा में ही नहीं रहन–सहन में और हमारी जीवन शैली में मिलेंगे, जिस तरह से हरबंसराय बच्चन ने कहा है कि कविता लिखना अपने आप में

(श्री सम्पत सिंह)

बड़ी चीज नहीं है, कविता तो वह चीज है जो स्वयं जीवन में जीयी जाती है और वह कविता रच जाती है। तो बृज भाषा के स्वरूप के सामने तो हम बहुत बौने हैं। हरिदास से लेकर तमाम स्वामियों से लेकर बृज भाषा को समझने के लिए हमारी समझ बहुत बड़ी होनी चाहिए। कोई भी भाषा में किसी भी तरीके का टकराव नहीं है। साथ-साथ में अगर आप इस तरह का कोई प्रस्ताव लाते हैं तो हमारा सब का सौभाग्य होगा और इस प्रान्त के एक-एक नागरिक को इस पर गर्व होगा।

श्री उपाध्यक्ष : श्री गोपालसिंह जी।

श्री गोपालसिंह (आहोर) : उपाध्यक्ष महोदय, प्रदेश की भाषा तो एक ही हुआ करती है बोलियां बहुत सारी होती हैं। बोली के हिसाब से हाड़ोती एक बोली है, जैसे बृज भरतपुर की बोली है उसी तरीके से आप अलवर जायें तो जो हरियाणा से मिला हुआ इलाका है वहां हरियाणा की बोली है लेकिन आखिर में वह राजस्थात की ही भाषा कही जाती है। तो भाषा तो राजस्थानी है जिसमें बृज भाषा भी उतनी ही राजस्थानी भाषा बनेगी जैसी कि अलवर की भाषा लेकिन यह मेवाती, मेवाड़ी, हाड़ोती वगैहर यह सब भाषायें मिलकर राजस्थानी भाषा का एक रूप लेंगी और इस रूप को लेने के लिए मुख्यतः यह बेस बनाया जा रहा है जिससे कि राजस्थानी भाषा को 8 वें शिड्यूल में हम शामिल करवा सकें। जिस तरीके से नेपाल की भाषा को 8 वीं शिड्यूल में मान लिया गया है जो कि हमारे देश के बाहर की भाषा है तो राजस्थान तो हिन्दुस्तान का ही एक हिस्सा हमेशा से रहा है इसके लिए मेरा निवेदन है कि राजस्थानी भाषा को मेवाड़ी मत मानो या इसको मारबाड़ी नहीं मानो, इसको बृज भाषा मत मानो क्योंकि बृज भाषा ऐसी भाषा है जिसको आप बोलेंगे तो मैं समझूंगा और मेरा ख्याल है कि मैं अभी जो बोल रहा हूं तो बृज भाषी मेरी बात को समझते होंगे और इसका मतलब निकाल रहे होंगे। तो मैं यही निवेदन कर रहा हूं कि राजस्थानी भाषा को मान्यता दिलाने के लिए केन्द्र से 8 वें शिड्यूल में शामिल करने के लिए राजस्थानी भाषा के लिए यहां से प्रस्ताव पारित करा कर केन्द्र को भिजवायें और उसके साथ-साथ अपने आप ही शिक्षाविद बैठेंगे और इसका एक रूप, एक प्रारूप बनायेंगे और राजस्थानी भाषा में भरतपुर के भी शिक्षाविद होंगे, पढ़े लिखे लोग होंगे, अलवर के भी लोग बैठेंगे और सारे राजस्थान के लोग बैठकर इसको राजस्थानी का रूप देंगे। मैं इसमें इतना ही बताना चाहता हूं कि आज गुजरात के अन्दर काठियाबाड़ी भाषा है, कच्छी भाषा भी है, बनासकांठा में अलग से भाषा बोली जाती है। आप महाराष्ट्र के बार्डर पर चले जायेंगे तो वहां दूसरी भाषा बोली जाती है लेकित गुजरात के अन्दर दूसरी राजभाषा गुजराती है हिन्दी के अलावा और यही मांग यहां हो रही है राजस्थान के अन्दर सारा काम तो हिन्दी में ही होगा लेकिन दूसरी राजभाषा हम इसको मानेंगे और इस पंचायत से पास करके भिजवायेंगे तो हम दिल्ली में जाकर मांग करेंगे। इस भाषा में हजारों ग्रन्थ पड़े हैं, हस्तलिखित हमारे हजारों ग्रन्थ पड़े हैं जिसमें कई आयुर्वेद के हैं, कई इतिहास के बारे में लिखे हुए हैं। कई और तरह री

(श्री गोपाल सिंह)

जिकोसाइन्स है या विधवां है उने बारे में लिख्योड़ा है कि सबरा सब ग्रंथ यूं खराब हो जावेला और बेकार हो जावेला आपां की जो या समृद्धि है आपणी या संस्कृति है, आ कदी नष्ट नहीं हो जावे, ऊं हस्तलिखित ग्रंथां रे मायने पड़ी नी रह जावे, इन वास्ते आप सभी माननीय सदस्यां ने निवेदन करूं हूं कि आप ई राजस्थानी भाषा सूं चमको मति, आपरे भरतपुर री भाषा भी म्हानीज भाषा है, राजस्थान री भाषा है, आपणी भाषा है अर अलवर री भाषा जिको भी आपणी भाषा है, आ भाषा कोई दूजी कोनी बोली री फरक तो हर 14 किलोमीटर माथे है, आप 20 किलोमीटर पधारो, आपने बोली रा फरक लागेड़ा। तो बोली रो फरक ने आप लेवां तो वा बात नी है ऊंमें तो आपां एक ढंग बनावां लेकिन बेसिक तरीका सूं आपां अगर इने मान्यता दे देवारां तो आगे जार आठवां शिड्यूल में आपां ले सकांगां। मने इसो ही आपणे अरज करनो है।

श्री उपाध्यक्ष : श्री जोगेश्वर गर्गजी।

श्री जोगेश्वर गर्ग : उपाध्यक्ष महोदय, नगर से आने वाले माननीय सदस्य ने अभी जो प्रश्न खड़ा किया कि राजस्थानी भाषा राजस्थान अभी बना है तो राजस्थानी भाषा पहले कहां से आ गयी? इस विषय में मैं स्पष्ट करना चाहता हूं, मेरा निवेदन है कि संस्कृत प्राकृत अपभ्रंश, उसके बाद 9वीं शताब्दी विक्रम, उस समय राजस्थानी के अंकुर फूटने लग गये थे, किसी और से नहीं अपभ्रंश में से। अब उस समय इसमें राजस्थानी नाम नहीं था। यह बात सत्य है, उस समय उनका डिंगल नाम था। कई जगह मरुवाणी, मरुभाषा इस प्रकार के उसके नाम थे लेकिन डिंगल सर्वाधिक लोकप्रिय नाम था। उसके बिल्कुल समानान्तर पिंगल भाषा थी जिसका बाद में विकसित रूप बृज भाषा हुआ। बृज भाषा और राजस्थानी, दोनों समानान्तर शाखायें हैं। डिंगल से राजस्थानी बनी, पिंगल से बृज भाषा बनी। बृज का भी अपना समृद्ध साहित्य है, स्वतन्त्र अपने आप में वह भाषा है और इसी प्रकार से राजस्थानी भी अपने आप में समृद्ध और स्वतन्त्र भाषा है। उसकी बोलियां बहुत सारी है। हर भाषा में, जो भी दुनिया में समृद्ध भाषा है उसकी बोलियां होती ही हैं। कोई टटपुंजिया भाषा हो तो उसकी बोलियां नहीं होती बाकी समृद्ध भाषा की बोलियां होंगी ही और जितनी अधिक भाषा शास्त्री जानते हैं, जितनी अधिक बोलियां होती हैं उतनी ही भाषा अधिक समृद्ध माना जाता है। मैं गर्व के साथ कहना चाहूंगा कि राजस्थानी के 73 बोलियां हैं और इतनी उसमें भाषायें या इतनी बोलियां अपने देश की अन्य किसी भाषा की नहीं है। 73 बोलियां हैं जिनमें से प्रमुख है। मेवाड़ी, मेवाती, ढूंडाड़ी, हाड़ोती, मारवाड़ी, बागड़ी, ऐसे ही पांचसात जो हैं यह सारी प्रमुख हैं उसकी बाकी छोटी-छोटी भाषायें हर अपने जिले की जैसे मेरा जालोर जिला एक छोटा-सा जिला है लेकिन उस छोटे जिले में 3 तरह की बोलियां हैं सांचोर की अलग बोली है, भीनमाल वाले खण्ड की अलग बोली है और हमारे जालोर, आहोर तहसील की अलग तरह की बोली है। तो यह तो फर्क रहना ही है दूरी के साथ लेकिन इसको भाषा के साथ नहीं जोड़ा जाय। भाषा और बोली में फर्क यह

(श्री जोगेश्वर गर्ग)

है कि बोली जो जन सामान्य बोलता है, भाषा जो लिखित रूप होता है। हिन्दी का लिखित रूप अलग है, स्टैण्डर्ड हिन्दी अलग है लेकिन बोली 50 तरह की हिन्दी की भी है। पश्चिमी राजस्थान का हिन्दी बोलेगा, वह अलग तरह की बोले, पूर्व राजस्थान वाले हिन्दी बोलेगा, अलग तरह की बोलेगा, उत्तर प्रदेश अलग, अपने आप में पांच-बात तरह की हिन्दी सुनने में आती हैं लेकिन लिखित रूप सब का एक ही रहता है, तो लिखित रूप है वह भाषा कहलाती है। राजस्थानी भाषा के बारे में बोलते समय हमारा उद्देश्य है कि जो राजस्थानी भाषा का लिखित रूप कम से कम 12 सौ, 13 सौ साल से जो चला आ रहा है उसके सम्बन्ध में हम निवेदन करना चाहते हैं उसको मान्यता दी जाय, उसको इस प्रदेश की द्वितीय भाषा के रूप में मान्यता दी जाय। यदि राजस्थान में भी राजस्थानी भाषा को स्थान नहीं मिलता है तो फिर अन्य कहीं नहीं मिल पायेगा। मैं समझता हूं इससे हिन्दी कमजोर नहीं होने वाली है। हिन्दी को भी इससे मजबूती मिलनी है। इसका जो समृद्ध शब्द कोश है, राजस्थानी भाषा में कम से कम ढाई, तीन लाख शब्द हैं। इतने शब्द हिन्दी में भी नहीं हैं, इंग्लिश में तो मात्र 80, 90 हजार शब्द हैं, पूरी दुनिया में मिला कर। तो इससे हिन्दी को मजबूती ही मिलेगी, ऐसा मेरा निवेदन है। इसलिए इस विषय पर गम्भीरता से विचार करें, यही मेरा आपसे निवेदन है।

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिये। माननीय सी. एम. साहब बोल रहे हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत (मुख्य मन्त्री) : उपाध्यक्ष महोदय, बीकानेर से आने वाले माननीय सदस्य ने राजस्थानी भाषा को भाषा को संविधान की आठवीं सूचि में शामिल किया जाय, इस सम्बन्ध में सदन में प्रस्तुत प्रस्ताव सर्व सम्मति से पास हो.... (व्यवधान) ....

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजिये तो सही।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आप बैठ तो जाओ। आप कहां बीच में बोल रही हैं, मतलब क्या है। आठवीं सूची में इसको शामिल किया जाय, इस प्रकार के सम्बन्ध में जो प्रस्ताव आया है, उस प्रस्ताव के सम्बन्ध में आपने कहा है कि इसको सर्व सम्मति से पारित कर दिया जाय। मैं ऐसा समझता हूं कि कल्ला साहब ने जो बात कही है वह राजस्थानी जनता की भावनाओं की प्रतीक है। राजस्थान में आप चाहें हिन्दी में बोलें, चाहे राजस्थानी में बोलें लेकिन जो लोगों के हृदय को छूती है, अपने वहां की भाषा में यदि आप कोई बात कहेंगे तो निश्चित रूप से उसका दूसरी प्रकार का प्रभाव होगा। मैं अपने ही बारे में कह सकता हूं कि यहां तो मैं हिन्दी में बोल रहा हूं लेकिन गांवों में जहां भी सम्मेलन होते हैं, मैं राजस्थानी भाषा का प्रयोग करता हूं और मुझे खुद को ऐसा महसूस होता है, कि यदि कोई मैसेज कन्वे करना है, कोई बात कहनी है, लोगों के गले उतारनी है तो राजस्थानी भाषा का प्रयोग किया जाय, उस से ज्यादा कोई दूसरा बढ़िया साधन नहीं हो सकता।

उपाध्यक्ष महोदय, यहां अभी आहोर से

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

आने वाले माननीय सदस्य ने दूसरी भाषा या बोली से राजस्थान का कितना मेल है, इस प्रसंग में कुछ बातें कहीं। मैं समझता हूं कि वह तथ्यात्मक रूप से सही हैं लेकिन मैं यह बात मानने को तैयार नहीं हूं कि राजस्थानी भाषा को 8वीं सूची में शामिल कर दिया गया तो हिन्दी की इसके कारण से उपेक्षा होगी और देश बंटवारे की ओर आगे बढ़ सकता है। अगर इस प्रकार की स्थिति हो कि इसके कारण से कोई देश का बंटवारा हो सकता है, मैं तो मानता नहीं।

एक माननीय सदस्य : जिलों का हो सकता है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : न जिलों का बंटवारा होगा, न दिलों का बंटवारा होगा, न राजस्थान का बंटवारा होगा, न देश का बंटवारा होगा, कोई बंटवारा नहीं होने वाला है और इसलिए इस भाषा के साथ हम बंटवारे की बात नहीं जोड़े तो ज्यादा अच्छा होगा। प्रश्न यह आता है कि आज राजस्थान का आदमी केवल राजस्थान में नहीं है, यदि आप कलकत्ता में जायेंगे तो मैं कह सकता हूं कलकत्ता में राजस्थान का सबसे बड़ा यदि पापुलेशन का केन्द्र है तो कलकत्ता है जिसमें राजस्थान वासी बहुत ज्यादा, बड़ी संख्या में हैं और जयपुर में जितनी संख्या है उससे भी ज्यादा संख्या है।

एक माननीय सदस्य : बड़े बाजार में।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : बड़े बाजार में नहीं, पूरे कलकत्ता में, बंगाल में आप कहीं भी चले जायं, वह लोग जब बोलते हैं तो ठेठ राजस्थानी में बोलते हैं। वह हिन्दी का प्रयोग नहीं करते, घर में भी नहीं करते और यदि व्यवसाय राजस्थान और राजस्थान के लोगों के बीच में, कोई विषय राजस्थान और राजस्थान के लोगों के बीच में चर्चा के लिए आता है, ठेठ राजस्थानी में बोलते हैं और उस राजस्थानी को देखने के बाद आपको यह लगे कि जो कलकत्ता में पीढ़ियों से रह रहे हैं वह लोग भी आज राजस्थानी बोल रहे हैं। तो कइयों को तो आश्चर्य होता है और कइयों को इस बात के लिए गर्व होता है कि इन्होंने घर छोड़ा, परिवार छोड़ा, अपना क्षेत्र छोड़ा लेकिन भाषा नहीं छोड़ी। इसी प्रकार से आप बम्बई में जायं, बैंगलोर में जायं, तमिलनाडु में चले जायं, उड़िसा में चले जायं, आसाम में चले जायं, जहां कहीं भी चले जायं वहां पर आपको इस बात की जानकारी मिलेगी कि राजस्थान से जो लोग आये हैं, न केवल वही राजस्थानी भाषा का प्रयोग करते हैं लेकिन उनके कारोबार में और बाकी के जो लोग शामिल हैं वह भी राजस्थानी भाषा का प्रयोग करते हैं। अब उस दृष्टि से अगर राजस्थान में ही यह भाषा बोली जा रही हो, इस प्रकार की स्थिति नहीं है, राजस्थान के बाहर भी इसका काफी उपयोग हो रहा है।

कन्हैयालालजी सेठिया ने आज उपवास किया है। मैं समझता हूं उनके प्रति मेरी तो बहुत श्रद्धा है। मैं उस व्यक्ति को अच्छी तरह से जानता हूं कि इस दृष्टि से कितना उच्च व्यक्तित्व उनका है। वह कोई दुराग्रह के लिए कोई उपवास कर रहे हों, इस प्रकार की स्थिति नहीं है, उनके पीछे एक

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

मगर आग्रह है और आग्रह यह है कि अपने राज्यकी जिस प्रकार की भाषा है उस भाषा को सम्मान मिले। उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह भी कहना चाहूंगा कि यह सम्मान मिलने से हिन्दी कमजोर हो जायेगी और बाकी की भाषायें ज्यादा आगे बढ़ जायेंगी, इस प्रकार की स्थिति नहीं है। यह तो वही थ्योरी है कि अगर राज्य मजबूत हो जायेंगे तो केन्द्र कमजोर हो जायेगा, मैं इस थ्योरी को कभी मानने वाला नहीं हूं। राज्य जितने मजबूत होंगे उतना ही केन्द्र मजबूत होगा और यदि इस प्रकार की भाषायें मजबूत होंगी तो निश्चित रूप से जिनकी देवनागरी लिपि है वह भाषा निश्चित रूप से धनी होगी। उसके साहित्य का विकास होगा। यहां प्रश्न यह आया कि उस दृष्टि से हम सर्वसम्मति से इस प्रस्ताव को पारित करना चाहें। नत्थी सिंहजी ने यह कहा कि सब से सलाह ली जाय, तो मैं ऐसा समझता हूं कि पहले कल्ला साहब इस बात की सलाह करेंगे कि उनकी पार्टी सर्व सम्मति से इस बात को स्वीकार करती है या नहीं करती है? वहां से इसको आप अगर शुरु करें तो नत्थी सिंहजी, पंडितजी और सम्पत सिंहजी, इनसे मैं चर्चा करूंगा, आग्रह करूंगा कि लोगों की जो इस प्रकार की मान्यता बनी हुई है....

श्री बुलाकीदास कल्ला : आप प्रस्ताव सदन में ले आयें, आज प्राईवेट मेम्बर डे है, सब लोग कर देंगे।.... (व्यवधान)

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं इसलिये कह रहा हूं, यदि आपने निर्णय कर लिया तो बहुत खुशी की बात है। मैं आपको बधाई देना चाहता हूं कि आपने इस प्रकार का निर्णय कर लिया। तो आप शामिल हो जाते हैं, हम शामिल हो जाते हैं उसके बाद बाकी के दल, केदारजी को तो, इनको तो विरोध है नहीं और सम्पत सिंहजी को ब्रज भाषा के लिये जो आपने जवाब दिया है मैं इसको रिपीट नहीं करना चाहता कि राजस्थानी भाषा में चाहे भरतपुर में ब्रज भाषा बोली जाती हो, चाहे डूंगरपुर में, बांसवाडा में बागड़ी बोली जाती हो, उनमें भी आज कोई साहित्य है, किसी भी प्रकार का साहित्य है तो उस साहित्य को पुनर्जीवित करने के लिये और उस साहित्य को अक्षुण्ण बनाये रखने के लिये कोई न कोई व्यवस्था आपको करनी पड़ेगी। आज राजस्थानी भाषा को संविधान की सूची में शामिल कर लिया जाता है तो राजस्थान में चाहे ब्रज भाषा है, चाहे बागड़ी है, चाहे हाड़ोती की भाषा है, चाहे मेवाड़ी आये, चाहे मारवाड़ी आये; इसमें जितना भी साहित्य बना हुआ है उस साहित्य को सुरक्षित रखने और साहित्य की संरचना निरन्तर चलती रहे इस सम्बन्ध में प्रयास करने के लिये जब तक हम इसको मान्यता इस प्रकार की नहीं देंगे उस समय तक न तो उतने साधन जुटा सकते और न उस प्रकार की व्यवस्था कर सकते। इसलिये मैं माननीय नत्थीसिंहजी से भी आग्रह करना चाहूंगा, यदि सदन सर्वसम्मति से इसको करता है तो मैं इसके पक्ष में हूं। सर्वसम्मति से यदि सदन नहीं करता तो मैं आपसे चर्चा करने के लिए तैयार हूं। तो मेरा विश्वास है कि आज राजस्थानी भाषा को हम मान्यता देकर राजस्थान के प्रति एक बहुत बड़ा ऐसा कार्य करेंगे जिस कार्य के कारण से राजस्थान का साहित्य पुनर्जीवित हो सके। इसमें न ब्रज भाषा का

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

विरोध है, न बाकी की किसी भाषा का विरोध है। आज अगर उस दृष्टि से देखें तो मैं सीकर जिले में जिस गांव का रहने वाला हूं वह दांतारामगढ़ तहसील में सीकर जिले के एक कार्नर पर है और उस कार्नर से सीकर जिले के दूसरे हिस्से रामगढ़ शेखावटी में जाते हैं बोली में दोनों में अन्तर है। जयपुर में जिस प्रकार की बोली बोली जाती है, यदि आप चौमूं में चले जायें तो दूसरी भाषा समझेंगे. चौमूं से रींगस चले गये तो आपको दूसरी बोली मिलेगी, रींगस से यदि आप पलसाना चले गये तो वहां दूसरी बोली मिलेगी। तो यह बोली में तो स्वाभाविक अन्तर है, वह अन्तर रहेगा लेकिन उस कारण से राजस्थानी भाषा की कोई क्षति हो या हिन्दी भाषा की क्षति हो, इस प्रकार की स्थिति नहीं बनती। इसलिये मैं अपील करना चाहूंगा, अभी तो यह प्रस्ताव आया नहीं है लेकिन यदि आप चाहें तो इस प्रस्ताव को प्राथमिकता के आधार पर ले लिया जाय और सर्वसम्मति से इसको पारित करवा दिया जाय।

श्री चन्दनमल बैद (तारानगर) : उपाध्यक्ष महोदय, सदन के नेता ने जो उद्‌गार प्रकट किये हैं उसमें हमें कोई एतराज नहीं है। मैं इस बात को अच्छी तरह से मानता हूं कि बोली और भाषा में बड़ा फर्क है। बोलियां भिन्न हो सकती हैं। जैसे कि अपने एक कहावत है कि हर चौदह कोस पर बोलियां बदलती रहती हैं। तो बोली को भाषा से हमको कन्फ्यूज नहीं करना चाहिये। ऐसा मेरा मानना है कि बोलियां अलग-अलग हो सकती हैं लेकिन राजस्थान की भाषा एक है। जब तक राजस्थान की भाषा एक नहीं होगी उन बोलियों को भी हम समाहूत नहीं कर सकेंगे, उनको भी हम अच्छी तरीके से अपने आप में शामिल नहीं कर सकेंगे। राजस्थानी भाषा को जब मान्यता मिल जायेगी तो जो अलग-अलग बोलियां हैं उनके अच्छे-अच्छे शब्द, अच्छे-अच्छे उद्‌गार जो हैं, अच्छे-अच्छे साहित्य को हम अपने में शामिल कर सकेंगे और शामिल करके एक बहुत समृद्ध भाषा हम बना सकेंगे, ऐसा मेरा मानना है। इस वास्ते सदन के नेता ने जो उद्‌गार प्रकट किये हैं, जो भावनाएं प्रकट की हैं उसमें मैं अपनी भावना मिलाता हूं और मैं समझता हूं कि हमें इसमें कोई एतराज नहीं है।

श्री केदारनाथ शर्मा (श्री गंगानगर) : एक निवेदन मैं भी करना चाहता हूं। मैं भी सुन रहा था भाषण, हमारे भरतपुर के जो माननीय सदस्य आये हैं, राजस्थानी भाषा क्यों नहीं है ? अगर अनुसंधान देखो, रिसर्च देखो, शोध देखो, साहित्य देखो, उसकी अलग अपनी डिक्शनरी देखिये, वाक्यूलेबरी जिसे कहते हैं, तो मेरा ख्याल है, राजस्थानी भाषा के रूप में अपना क्लेम साबित करती है। कोई भी भाषा देखिये, मान्यवर, उसका ओरिजन कुछ और था। आर्य आये, उनकी भाषा क्या थी ? उस भाषा में इन्वाल्व कैसे हुई आगे जा करके ? यह हरेक भाषा के पीछे अपना एक इतिहास है। तो हमारे राजस्थान का प्राइड जो है, राजस्थान की कल्चर है, जिसे संस्कृति कहते हैं, उसका प्रतीक तो राजस्थानी भाषा ही है। अब वीरगाथाएं हैं हमारी, मैं यह नहीं कहता कि आपके नहीं हुए, भरतपुर में भी काफी वीर हुए हैं, आजादी की लड़ाई काफी लड़ी है, शानदार लड़ाई लड़ी है ऐसी बात नहीं है

(श्री केदारनाथ शर्मा)

राजस्थान के लिहाज से जो वीर गाथा है वह तो राजस्थान की भाषा में है। उसके बाद रजवाड़ों के साथ जो लड़ाई लड़ी गयी है, मोस्टली वह भी राजस्थानी भाषा में आती है। आप प्रोज देखिये, इनकी पोइम्स देखिये, इनके लिरिक्स देखिये, इनकी स्टाइल देखिये, इनके लोकगीत देखिये आप। भाषा के आखिर कई फेजेज हैं। तो मैंने खुद चासर की हिस्ट्री पढ़ी है, इंगलिश मेरा सब्जेक्ट था, अब तो मैं भूल भाल गया मेरा चासर सब्जेक्ट था, लैंग्वेज का ओरिजन कैसे होता है, यह अलग बात है। इसलिये आपकी भी बोली है। डायलक्ट में, बोली भाषा में, इनमें कुछ फर्क है बारीक। मगर जो भाषा, कोई रूप ले लेती है वह सारे राजस्थान के आधार पर है। मेजोरिटी जिनके खुद के सेंटीमेंट्स या आम लोग, कामन मैन, मैन इन दी स्ट्रीट है उसकी कौनसी भाषा है, सरलता से कौनसी बोल सकते हैं, अपनी भावनाओं को कैसे व्यक्त कर सकते हैं तो राजस्थानी भाषा के अलावा और कोई है नहीं। इसलिये जो माननीय सदस्य है, कोई बैठ करके हम आपस में रास्ता निकाल लें, विवाद का सवाल नहीं है।

श्री नत्थी सिह (कुम्हेर) : मैं इतना अर्ज करना चाहता हूं अभी प्रोफेसर साहब ने कहा, औरों ने कहा, मैं तो यह नहीं चाहता था, मैंने जैसा पहले निवेदन किया था, इस पर पहले अलग से फिर सदन में विचार किया जाय। अभी गंगानगर से आने वाले माननीय सदस्य कह रहे थे कि बड़ी आसानी से, बड़ी मधुरता से समझ के साथ अपने आपको व्यक्त किया जाय। वही तो हम कहना चाहते है कि जब भाषा की और राजस्थान की भाषा की बात करते हो तो राजस्थान के उन जिलों की भी बात सोचो। मैं कहता हूं, हमारे गांवों में चले जाइये, हमारे शहरों में चले जाइये, नहीं समझेंगे, आप राजस्थानी कहते हैं, उसे नहीं समझते हम। हमारे बच्चों को जो आप स्कूल में किताबें देते हैं, मुश्किल आ जाती है। तो आप करना क्या चाहते हैं? मैंने कहा, मैंने शब्द यूज किया था, इसको बुलडोज मत करिये। आप निश्चित रूप से पहले अगर बहस कराना चाहते हैं तब तो इस पर भाषा के रूप में भी बहस हो सकती है। "क" सूची में जो राज्य रहे हैं हिन्दी के हम जानते हैं कैसे एक बार हिन्दी सबने भाषा बनायी। अंग्रेज का जो व्यापक रूप चला, अंग्रेजी को प्रतिष्ठित करने की बात चली, दूसरी ही भाषा बनायी गयी थी अंग्रेजी लेकिन आज भी हिन्दी को उठने नहीं दे रही है, यह बात अपने आप में सही है। इसके बाद एक दौर चला कि हिन्दी की तादाद कैसे कम की जाय कि अपनी-अपनी और बोलियों को भी भाषा के रूप में लिखया जाय, वह बड़ी बहस है। मैं उस बहस में नहीं जाना चाहता। मैं फिर निवेदन करना चाहता हूं कि आप चाहें यहां कर लीजिए, आपकी मेज्योरिटी है, सर्वसम्मति से होगी नहीं। पहले बात करो, राजस्थानी करो और आप कह रहे हैं कि सब बोलियां एक हैं और ब्रज भाषा को भी आप बोली कह रहे हैं, अगर राजस्थानी भाषा है तो ब्रज भाषा सम्पन्न भाषा है। ब्रज भाषा के बाद खड़ी बोली निकली है। हिन्दी का जो रूप है वह मदर है, मां है ब्रज भाषा, हिन्दी

(श्री नत्थीसिंह)

की। अगर इस तरह से देखा जाय, मैंने एम.ए. किया हिन्दी में, मुझे मालूम है भाषा विज्ञान के आधार क्या होते हैं, भाषा रिकोग्नाइज करने में क्या होता है। उस पर बहस बाद में करेंगे। मैं कहता हूं जिस तरह से आप करना चाहते हैं, अभी मोशन नहीं है लेकिन छेड़ दिया है इन्होंने, जबरदस्ती ही कह दिया, मैं कहता हूं इस तरह से नहीं किया जाना चाहिए। हमको भी समझाइये, हम भी आपको समझायेंगे। पहले समझ को साफ करिये उसके बाद इस बात को लाइये। केवल संख्या के बल पर इस पर करोगे, निश्चित रूप से मैं कहता हूं इसका नतीजा अच्छा नहीं होगा।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय हेतरामजी।

श्री हेतराम बेनीवाल (संगरिया) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, असल में जिस तरह से यह विषय उठा है और बहस हो रही है, मैं समझता हूं माननीय नत्थीसिंहजी ने इसको महसूस किया है। यह महसूस करने की बात नहीं है। इतने बड़े क्षेत्र में जितने में हम रहते हैं, राजस्थान इतना बड़ा प्रान्त है, इतना लम्बा-चौड़ा है, इसमें इस तरह का भेद पाया जाना सम्भव है। यह कतई सम्भव नहीं है कि एक क्षेत्र की जो बोली है वही सारे क्षेत्रों में बोली जाय, इस पर असर ना हो। हम जिस-जिस क्षेत्र में रहते हैं उनके आस-पास के जो प्रान्त है, उनका असर पड़ता है। अब जिस जगह के भरतपुर, अलवर, यह कोना जो यू.पी. से मेरठ, दिल्ली से जुड़ा हुआ है, निश्चित तौर से उन पर प्रभाव यहां की बोलियों का है। अब कल को गंगानगर....

श्री चन्दनमल बैद : गंगानगर में पंजाबी का असर है।

श्री हेतराम बेनीवाल : गंगानगर में पंजाबी का असर है, हम अगर कह दें कि उस वजह से पंजाबी है इसलिए छोड़ दें इसको, कोई बात नहीं है, तुक नहीं है। उस भाषा का प्रभाव होना तो हमारे लिए गौरव की बात है कि हम एक तीसरी भाषा को जानते हैं, चौथी भाषा को जानते हैं। राजस्थान में अगर कोई भाषा है, पूरे राजस्थान में, तो जिसको हम किसी न किसी रूप में, चाहे उसका कोई स्वरूप कुछ बदला हुआ हो, वह निश्चित तौर से राजस्थानी भाषा है। नत्थी सिंहजी यह भी कह रहे थे, खड़ी बोली, खड़ी बोली तो कोई ऐसी है ही नही जिससे कोई बोली निकली हो। यानि हिन्दी से कोई दूसरी भाषा निकली हो, ऐसा नहीं है। वैज्ञानिक दृष्टि से दूसरी भाषाओं से हिन्दी निकली है और प्राकृत भाषा से ही राजस्थानी निकली है। राजस्थानी कोई अगर है तो राजस्थानी वह है, आप सुन लीजिए, राजस्थानी कोई हिन्दी से निकली हुई भाषा नहीं है। हिन्दी तो अभी कोई सैंकड़ों साल की बात होगी, दो सौ-तीन सौ साल की बात होगी जब हिन्दी इन्वाल्व हुई और हिन्दी इन्वाल्व होने में उर्दू का बहुत बड़ा हाथ है। उर्दू पहले इवोल्व हुई और इसी तरह से हिन्दी इवोल्व हुई। तो उसको अगर हम समझें उसके रूप में राजस्थानी को, राजस्थानी तो हमारे देश के अन्दर संस्कृत के बाद भाषा हुई है। लोगों की बोलियों के रूप में लोगों ने लिट_

(श्री हेतराम बेनीवाल)

रेचर लिखना शुरू किया और उसको अपना माध्यम बताया। उन भाषाओं के विकास के रूप में इस क्षेत्र की भाषा डिंगल कहते हैं वह राजस्थानी है। मैं निवेदन करूंगा कि इनके पास इनके क्षेत्र में जो स्वरों का मिश्रण, जो कहानी भरतपुर की वीर गाथाओं की और उस क्षेत्र की गाथाओं की राजस्थानी में जो कथा कही गई है। मेरी समझ में उस तरह की कथा तो सारे देश में, हमारे प्रदेश को गौरव है इस बात का उसका विकसित रूप हैं। उसका विकसित रूप ही राजस्थानी है। और क्या है? निश्चित तौर से वही है। इसलिए मैं समझता हूं कि इसको भाषा के रूप में हम रूप दे सके, यह हम सभी सदस्यों के लिए, जो यहां बैठे हैं, उनके लिए एक मंच, एकता, इकट्ठा होने का साधन भी होगा कि हम सारे इकट्ठे होकर एक बोली का विकास करें और मैं चाहूंगा कि जिन को भी इस पर ऐतराज है, यह बात भी कर ली जाये, इनसे बैठकर बात कर ली जाये तो उनको भी मौका मिले कि उनके यहां अगर इस तरह का साहित्य है, साहित्य तो खैर उनसे अलग नहीं होगा। यू.पी. या मेरठ के इलाके का जो साहित्य है, वही साहित्य है। यह नहीं है कि यहां पर अलग डवलप है वह साहित्य इस तरह का, पर फिर भी उन लोगों की जो भावनाएं हैं उनको भी ध्यान में रखा जाये और यह डर निश्चित रूप से सारों के दिमाग से निकल जाना चाहिये कि हम हिन्दी को कमजोर कर रहे हैं। हिन्दी राजस्थानी के मजबूत होने से कमजोर नहीं होगी। जितनी राजस्थानी मजबूत होगी मैं समझता हूं हिन्दी उतनी रिच होगी। अगर हिन्दी को और रिच करना है तो राजस्थानी भाषा में जो शब्द हैं, उनको भी हिन्दी में लाया जाये। क्योंकि हिन्दी खुद जो क्षेत्र की बोलियां थीं, उनके शब्द आकर ही रिच हुई है। आज प्रमुखत: देखा जाये तो यू.पी. का सारा बैल्ट गंगा का बैल्ट है, पूरे गंगा की जो घाटी है, उसमें ही हिन्दी डवलप हुई है। उस क्षेत्र की बोलियों से ही हिन्दी रिच हुई है, उसमें कोई शंका की बात नहीं है। मैं समझता हूं कि माननीय नेता महोदय इनसे भी बात कर लें। बात करके एक ऐसा इवोल्व करें जिससे हमारे हाउस की एकता हो और भाषा के रूप में हम इसके समन्वित विकास....

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिये। जब इस प्रकार का संकल्प आयेगा तो उस समय विचार कर लिया जायेगा।

श्री सुरेन्द्र व्यास : उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक निवेदन करना चाहता हूं। यह विषय इस वक्त सदन के सामने है नहीं। बीकानेर से आने वाले माननीय सदस्य ने किसी तरह चर्चा उठा दी। इसके व्यवहारिक पहलू को भी मुख्य मंत्रीजी देखें। ऐसा नहीं है कि सदाशयता से सब राजस्थानी भाषा के हैं। आज आप विधान सभा का ही उदारहण लें, यहां अपने रिपोर्टर्स हैं, धौलपुर का रिपोर्टर अगर बैठा हुआ है और आप राजस्थानी भाषा देंगे, मैं आपसे विनम्रता से प्रार्थना करता हूं आप अभी टैस्ट करा लीजिए, वह नहीं नोट कर सकता। आज राजस्थानी में समाचार आते हैं, बिल्कुल नहीं समझते। यह आपको मारवाडी है, यह नहीं है कि मारवाड़ी के खिलाफ हूं। नेता महोदय ने कह दिया आप

(श्री सुरेन्द्र व्यास)

प्रस्ताव पारित करें और तो हम साथ हैं लेकिन यह सब्जेक्ट यदि इसको आप बात करके, आप सदन के नेता हैं, आप हमारी पार्टी को टालिये मत कि नहीं साहब यही कमिटमेंट लेकर कि कौन राजस्थानी भाषा के खिलाफ है कौन नहीं है । यह इश्यू नहीं है । इश्यू यह है कि एट रेंडम आप सदन के सामने इस तरह से चर्चा में लाकर के प्रस्ताव पारित कराना चाहें, संभव नहीं होगा । हो सकता है आपकी बात में वजन हो, हो सकता है हमारी सोच में गलती हो लेकिन वह बात तो बैठ कर ही की जा सकती हैं । इसलिए उपाध्यक्ष महोदय, जो सदन के सामने प्रश्न नहीं हैं, मेरी विनम्र प्रार्थना है आपने इर्रेलेवेंट डिस्कशन बहुत काफी टाइम के लिए अलाउ कर दिया है और आज आप जो है....

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिये आप । जब ऐसा सकल्प आयेगा तब विचार किया जायेगा । (व्यवधान) अब बिराजिये । जब वह संकल्प आयेगा गेहलोत साहब तब विचार किया जायेगा ।

श्री राजेन्द्र गहलोत : सारी चर्चा हो चुकी है । संकल्प पेश करना है उसके अलावा कोई और दूसरी बात हो नहीं सकती । जब सारी बातचीत हो चुकी है....

श्री उपाध्यक्ष : अब बिराजिये आप ।

श्री राजेन्द्र गहलोत : उपाध्यक्ष महोदय, सदन का इतना समय लगा है, महत्वपूर्ण विचार आये हैं इसमें अपने संकल्प प्रस्तुत करने....

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिये । संकल्प आने का भी तरीका होता है । बिराजिये । सबकी भावना आ गई है । माननीय उजला अरोड़ा । (व्यवधान) इर्रेलेवेंट कुछ भी नहीं है.... (व्यवधान)

श्री नत्थीसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, यह भाषण के लिए इर्रेलेवेंट नहीं कहा है । इन्होंने इर्रेलेवेंट भाषण के लिए नहीं कहा हैं ।

श्री उपाध्यक्ष : इर्रेलेवेंट शब्द को एक्सपंज कर दीजिए ।

श्री सुरेन्द्र व्यास : इर्रेलेवेंट भाषा के लिए नहीं कहा, इर्रेलेवेंट चर्चा के लिए कहा है ।

श्री उपाध्यक्ष : चर्चा के लिए कहा है । बिराजिये ।

श्री सुरेन्द्र व्यास : उपाध्यक्ष महोदय, एक्सपेंजशन के रूल्स बने हुए हैं । ऐसा नहीं है कि आप आसन पर बैठकर कुछ भी....

श्री उपाध्यक्ष : अब बैठिये आप व्यास जी....

श्री सुरेन्द्र व्यास : चर्चा प्रस्ताव से संबंध नहीं रखती है । इर्रेलेवेंट का क्या प्रश्न है ?

श्री उपाध्यक्ष : नहीं, नहीं । यही कहा था । ठीक है बिराजिये । माननीय उजला जी । आप लास्ट सैशन में काफी बोल चुकी है और सदस्यों के नाम भी आये हैं । जो-जो सदस्य पहले बोल चुके हैं, आप पांच मिनट में अपनी भावनाओं को रख दीजिए । पांच और सदस्य भी आपके प्रस्ताव पर बोलेंगे ।

अशासकीय संकल्प

राजभाषा हिन्दी का प्रयोग

श्रीमती उजला अरोड़ा : मैं मानती हूं मुझे बोलने तो दीजिए। उपाध्यक्ष महोदय, "यह सदन संकल्प करता है कि राजस्थान राज्य के सभी सरकारी, अर्द्ध सरकारी विभागों, नियमों तथा न्यायालयों में अन्य कारोबार व्यवहार में अनिवार्यतः राजभाषा हिन्दी में कार्य किया जाय।" उपाध्यक्ष महोदय, मैंने यह संकल्प गत वर्ष 13 सितम्बर को रखा था। मैं निवेदन करना चाहूंगी....(व्यवधान) आपस में बातचीत तो बन्द कीजिए ना, वरिष्ठ सदस्य हैं... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : हां, बोलिए आप।

श्रीमती उजला अरोड़ा : मान्यवर, 14 सितम्बर को हमारी संविधान सभा ने सन् 1949 में हिन्दी को राष्ट्रभाषा बनाने का फैसला किया था। हम लोग प्रतिवर्ष 14 सितम्बर को हिन्दी दिवस मनाते हैं। यह बहुत अच्छी बात है कि जिस प्रकार हम हमारे प्रिय लगने वाले बच्चे की सालगिरह मनाते हैं, या महापुरुषों के जन्म दिवस मनाते हैं, यह हिन्दुस्तानी परम्परा है, इसी प्रकार हम हिन्दी दिवस मनाते हैं। मैंने अपने पिछले सम्बोधन में कहा था कि राष्ट्रभाषा का अपना एक नियम राजस्थान सरकार ने पारित किया हुआ है और उन नियमों के तहत हमको यह स्वीकारना चाहिए कि हमारे राज्य में सभी कार्य अर्थात् राज्य के सभी सरकारी, अर्द्ध सरकारी विभागों में, निगमों में, न्यायालय में, अन्य कारोबार, व्यापार में अनिवार्यतः राजभाषा हिन्दी का प्रयोग किया जाये। मैं निवेदन करना चाहूंगी इसके पीछे मेरा तर्क था कई बार भिज्ञता-अनभिज्ञता में हमारे कितने ही विभाग हिन्दी की अनिवार्यता होते हुए भी, राजभाषा अपनी जगह होते हुए भी, नियमों के होते हुए भी अंग्रेजी का प्रयोग करते हैं। हमारे यहां कहा गया इसी राजभाषा के नियम में कि सरकारी भवनों, बाजारों आदि मकानों में इन सब के नामों का उल्लेख भी राजभाषा हिन्दी में होगा। खेद की बात है, आर.एस.ई.बी. यह कहां का शब्द है? आर.एफ.सी. यह मोनोग्राम भी अंग्रेजी में राजस्थान में अगर स्वीकार किये जाये इन राजभाषा नियमों के रहते हुए और क्या कहा जा सकता है? डी.आर.डी.ए.....

श्रीमती विद्या पाठक : मोनोग्राम क्या है?

श्रीमती उजला अरोड़ा : आपके ही इसमें मोनोग्राम लिखा हुआ है, मैं वही शब्द बोल रही हूं। वह चिन्ह जिससे विषय जाना जाता है। आप मुझे इतना अनभिज्ञ न समझें। मैं निवेदन करना चाहूंगी इस प्रकार के चिन्हों को जिनमें आंग्ल भाषा के शब्द हैं, उनके माध्यम से बोला जाये, क्या हमारे केन्द्रीय प्रोग्राम को नेशनल प्रोग्राम कहना जरूरी है। क्या सामान्य....

श्री सुरेन्द्र व्यास : राष्ट्रीयकरण....

श्रीमती उजला अरोड़ा : आप बीच में नहीं टोकेंगे। उपाध्यक्ष महोदय, मेरी रक्षा करेंगे। मैं निवेदन करना चाहूंगी, कि इस प्रकार से....

(143)

श्री सुरेन्द्र व्यास : सभी सदस्य भयभीत हैं....

श्रीमती उजला अरोड़ा : और कोई व्यंग्य करना हो तो कर लें। इस समय अगर आप मुझ पर व्यंग्य करोगे तो मुझे मान्य है लेकिन हिन्दी के संबंध में अगर व्यंग्य करोगे तो समय आपको माफ नहीं करेगा। मैं निवेदन करना चाहूंगी कि इस प्रकार के जब चिन्ह हमने स्वीकार किये तब यह आपत्ति भाषा विभाग ने पत्रों के द्वारा लिखी लेकिन वह सब मामला दबा रहा, कांग्रेस की गवर्नमेण्ट थी। अब श्री भैरोंसिंह शेखावत की सरकार है तो निश्चित रूप से वह तो ध्यान देंगे ही। माननीय मुख्य मंत्री जी हिन्दी में बोलते हैं, हिन्दी में लिखते हैं, हिन्दी के समर्थक हैं। मैं एक निवेदन करना चाहूंगी कि आप प्रांतीय भाषा और राष्ट्रीय भाषा को समझ कर चले। मैं निवेदन करना चाहूंगी कि यह बड़ी आपत्तिजनक बात थी इस पर शायद ध्यान नहीं गया। मैं निवेदन करना चाहूंगी कि आवासन मण्डल है उसका भी चिन्ह इस तरह से अंग्रेजी में लिखा हुआ है। कोआॅपरेटिव विभाग में, सहकारिता के लिए कहा गया है उसमें अपने कागज पर वजन रखते हैं वह भी "को" करके अंग्रेजी के शब्दों को मिला कर लिखा गया है। मैं निवेदन करना चाहूंगी....

श्री उपाध्यक्ष : अब आप बिराजे। मैं नैक्स्ट वक्ता को बुला रहा हूं। माननीय श्री सम्पतसिंहजी।

श्रीमती उजला अरोड़ा : मैं इसको प्रस्तुत कर रही हूं।

श्री उपाध्यक्ष : अगली बार चांस नहीं मिलेगा। पहले आप बोल चुकी हैं, प्रस्तुत कर चुकी हैं। आप आप बैठिये।

श्रीमती उजला अरोड़ा : आप मुझे मेरी बात खत्म करने दें।

(3.40 म. प.)

(श्री जीतमल जैन, सभापति पदासीन)

मैं निवेदन करना चाहूंगी, सभापति महोदय, इस नक्शे के लिए मैं धन्यवाद देती हूं भाषा विभाग को जिन्होंने, मैंने गत बार यहां पर तारीख 3; चौथे महीने को यहां पर संकल्प को दुहराया था तो जिन जिन राज्यों में मैंने बताया था हिन्दी भाषा बोली जाती है, लिखी जाती हैं, और जहां पर सर्वमान्य है। तो उसका आप मैप देखेंगे, भारत के इस मानचित्र में कि कितना बड़ा भाग जिसको कहना चाहिये 75 प्रतिशत के अनुपात में है। तो इतने बड़े क्षेत्र के अन्दर जब हिन्दी का है तो उन्होंने नक्शा तैयार किया है। तो मैं निवेदन करना चाहूंगी कि राष्ट्र भाषा हिन्दी को सम्मान राजस्थान में क्यों नहीं मिलना चाहिये। फिर कहना चाहूंगी, उत्तर प्रदेश सरकार ने आते ही राष्ट्र भाषा हिन्दी को माना, अपने प्रदेश में मान्य किया, उत्तर प्रदेश में इसे माना। हिमाचल ने माना। यहां हिन्दी भाषी व्यक्ति राजस्थान में पिछड़ जाय और इसको लोग पिछड़ा कहे यह बात कभी स्वीकार करने योग्य नहीं हो सकती। मैं निवेदन करना चाहूंगी कि मुख्य मंत्री महोदय यहां सबको आश्वस्त करें कि वह राज्य में इन विषयों में, आम जनता तो हिन्दी बोलती है, हिन्दी समझती है, मैं

(श्रीमती उजला अरोड़ा)

कहती हूं हिन्दुस्तान में रहने वाला कोई एक ऐसा व्यक्ति नहीं है जो हिन्दी नहीं समझता हो। बोलते हैं अपने अपने प्रांतों में प्रांतीय बोलियों में बोलते हैं हिन्दी तो सब समझते हैं न केवल हिन्दुस्तान में विदेशों में भी हिन्दी जानने वाले बहुत ज्यादा है। हिन्दी को राष्ट्रीय भाषा का जो दर्जा है और राजस्थान में अनिवार्य रूप से काम काज में, सरकारी काम काज व सरकारी प्रयोग में हिन्दी हो यह मेरा आशय है। आप सारी जनता में प्रचार करो कि हिन्दी बोलो। तो हिन्दी ही बोलते हैं अंग्रेजी तो समझते नहीं, 80 प्रतिशत लोग गांवों में रहते हैं 20 प्रतिशत लोग शहरों में रहते हैं।...

श्री सभापति : माननीय सदस्या समाप्त करें।

श्रीमती उजला अरोड़ा : सुनिये मेरी बात। 20 प्रतिशत शहरों में रहते हैं। आप भी सहमत होंगे 20 में से 2 प्रतिशत अंग्रेजी जिसको सद्ज्ञान कहना चाहिये वह नहीं मिलेंगे आपको। फिर इस प्रकार की भाषा जो अपने से दूरी रखती हो, अपने प्रांत में कुछ सरकारी अधिकारियों के द्वारा जो यह सोचते हो कि हमको जनता से दूरी रखनी चाहिए वह इस तरह की अंग्रेजी भाषा का प्रयोग करके राज्य में हावी होना चाहते हैं। मैं समझती हूं हमारी सरकार को यह बात नहीं माननी चाहिये और अनिवार्य रूप से हिन्दी का प्रयोग सरकारी, राजकीय कार्यों में, निगमों में, कहना चाहिए अस्पतालों में जो पर्ची लिखी हाती है, उनमें अंग्रेजी मोहर से...

श्री सभापति : माननीय सदस्या समाप्त करें।

श्रीमती उजला अरोड़ा : हां, मैं समाप्त ही कर रही हूं, मैं समाप्ति की ओर जा रही हूं। तो मैं निवेदन करना चाहूंगी कि इस प्रकार हिन्दी की अनिवार्यता के संबंध में मेरा प्रस्ताव है, मैं सारे सदन से कहना चाहूंगी कि उसको यहां पर पास हो सके इस संबंध में अपने अपने विचार रखें।

श्री सभापति : माननीय श्री सम्पत सिह।

श्री सम्पत सिह (नगर) । सभापति महोदय, मैं तो सिर्फ इतना ही निवेदन करना चाहूंगा कि जयपुर ग्रामीण से आने वाली माननीय सदस्या ने कहा कि हिन्दी के प्रयोग को हमारे प्रशासनिक काम काज में और ज्यादा लोकप्रिय बनाया जाय। मैं समझता हूं कि कुल मिला कर...

श्रीमती उजला अरोड़ा । सब में।

श्री सम्पत सिह : सब में कैसे। अंग्रेजी की फिल्म-हिन्दी में कैसे बनेगी।

श्रीमती उजला अरोड़ा : दिखाई नहीं जाय।

श्री सम्पत सिह : दिखाई जायेगी। हम देखेंगे, हमारे बच्चे देखेंगे और आने वाली पीढ़ियां देखेंगी। आप इतना कूपमण्डूप बनाने जा रही हो इस प्रांत को कि जैसा आप मसाला खायें वैसे ही हम मसाले खायें। आप तो ताकतवर ही कूट लेती हो हम तो रेडीमेड लेकर जाते हैं।...

श्री सभापति : थोड़ा सीमित करें, जल्दी समाप्त करें।

(145)

श्री सम्पत सिंह : मैं अपने आपको सीमित कर रहा हूं। कोई भी भाषा आप देखें, सभापति महोदय, राजकाज में प्रशासनिक कामों में। जब संस्कृत का जमाना था, संस्कृत राजकाज में उपयोग में लायी जाती थी लेकिन हिन्दुस्तान का नागरिक जब हिन्दी बोलने लग गया, अपनी प्रादेशिक बोलियों में बोलने लग गया तो संस्कृत अपने आप ही शनैःशनैः अप्रासंगिक हो गयी और वह सिर्फ पुजारियों की, शंकराचार्यों की भाषा बनकर रह गयी। आम नागरिकों के साथ में आज संस्कृत भाषा नहीं रही है जिसका हमको खामयाजा उठाना पड़ रहा है। यह बात दूसरी है, आज मौलिक हमारी वह हावर्ड यूनिवर्सिटी में है। आज चाहे पंजाबी हो, चाहे हिन्दी भाषा हो, चाहे संस्कृत भाषा हो, मैं इस बात को बहुत विनम्रता के साथ कहना चाहूंगा सभापति महोदय, इसका विद्वान अमेरिका के हार्वड यूनिवर्सिटी में है हिन्दुस्तान में नहीं है। तो माननीय सदस्या ने जिस तरह से अपनी बात कही है यह एक ऐसा फण्टामेण्टेलिज हिन्दुस्तान में पैदा हो रहा है कि नाम लेवे हिन्दी का जिसका कोई विरोध नहीं करें और फिर सारे काम हिन्दी के खिलाफ करो उसका फायदा उठायें उसके मजे लेवें। माननीय सदस्य चाहते हैं कि हिन्दी हिन्दी का घिसा देते रहे और वह तो सब ग्राम सेवक से ऊपर ही नहीं बने और आपके बच्चे या प्रशासनिक अधिकारियों के बच्चे जो राज्य सत्ता में सर्वोच्च हो उनके बच्चे हिन्दुस्तान के, राजस्थान के सबसे महंगे स्कूलों में पढ़े। तो एक नयी जमात बहुत अर्से से बन कर तैयार खड़ी हो गयी। आप समझते हैं या हम सब समझते हैं कि आनन फानन में सारी दीवारें टूट जायेगी। बहुत बड़ा तबका खड़ा हो गया जो एक अंग्रेजी में बोलते हैं। हमसे बात करेंगे अपने घर पर हिन्दी में और अपने कुत्ते से बात करेंगे अंग्रेजी में। ऐसे वर्ग का क्या करिये। हमसे कहे आइये, बैठिये, बिराजिये, अपने कुत्ते से कहे कि टोमी सिट। ऐसा जो वर्ग चल रहा है आपके देश में, आपके प्रांत में उसके लिये उसकी मनोविज्ञान को सुधारने के लिए आपके पास कौन सा उपाय है। मैं नाम तो नहीं लेना चाहूंगा, हिन्दी के शीर्ष विद्वान है, हिन्दी के शीर्ष के इतिहास के विद्वान है। दिल्ली में एक दिन जब हम उनके निवास पर बैठे थे, हिन्दी के सबसे बड़े लेवल को, आज वर्तमान हिन्दुस्तान में प्रचारक और झण्डा बरदान मानता हूं। वह अपनी धर्म पत्नी से हमारे सामने अंग्रेजी में बात करने लगे और हमसे हिन्दी में बोल रहे थे। सभापति महोदय,...

श्रीमती विद्या पाठक (आबकारी मंत्री): उन्हें कैसे पता लगा कि अंग्रेजी नहीं समझते हो।

श्री सम्पत सिंह : वह ऐसा लगा कि दो हिन्दुस्तान जब के पंजाबी में गाली दे रहे थे एक अंग्रेज को लंदन में और वह अंग्रेज भी वहां की सिटी बस में सफर कर रहे थे। वे जब उतरे एक बस स्टाप पर...

श्री महावीर प्रसाद जैन (टोंक) : क्या क्या कह रहे थे।

श्री सम्पत सिंह : रिकार्ड करवाओ तो मैं बताऊं। मेरे मुंह से शब्दशः निकले व

(श्री सम्पत सिंह)

रिकार्ड होना चाहिये। मैं फालतू में आपकी तरह नहीं बोलता।

श्री जगतसिंह दायमा : आपके कुत्ते का नाम क्या है ?

श्री सम्पत सिंह : हम तो खुद ही एक तरह से +++है उनसे ज्ञान लेते हैं। मैं अपने को ज्यादा आज्ञाकारी अनुशासन में और सब से बुद्धिमान+++ को मानता हूं।...(व्यवधान)...कौन से है ? वह विद्यार्थी के लिये छह गुण काम में लेने चाहियें।

एक माननीय सदस्य : पांच गुण है।

श्री सम्पत सिंह : पांच होते हैं, मुझे तो+++वाला ही ज्यादा ध्यान है, सभापति महोदय, कम सोओ, कम से ही काम चल जावे।.. (व्यवधान)...कम सोता हूं। तो सभापति महोदय, मैं कह रहा हूं कि एक फैशन डवलप होकर...

श्री हरिसिंह (महुआ) : आपको मंत्री पद से किसने हटाया ?

श्री सम्पत सिंह : आपको वहम है कि मुझे किसी ने हटाया। हम तो आज भी उनके कलेजे के टुकड़े हैं।

श्री केदारनाथ शर्मा : हजारों टुकड़े तो हुए होंगे।

श्री सम्पत सिंह : जी हां। सभापति महोदय, एक प्रचलन, एक सभ्यता ऐसी चल रही है। मैं बहुत विनम्रता से कह रहा हूं। बड़े से बड़ा विद्वान अंग्रेजी में बोलकर अपने को बड़ा समझ रहा है। इंग्लैण्ड में ट्रक ड्राइवर, रिक्शा पुलर अंग्रेजी में बात करता हैं। भरतपुर सेंक्चुअरी में एक वनपाल है मैं बड़े निश्चय से कह रहा हूं राजस्थान में जिसकी बढ़िया से बढ़िया अंग्रेजी हो, विश्वविद्यालय का प्रोफेसर हो, हमारे आई. ए. एस. हो, मीठालाल मेहता की अंग्रेजी भी मैंने देखी और सुनी है अगर उच्चारण में भरतपुर के वनपाल से बढ़िया उच्चारण कर जांय, कोई भी राजस्थान में तो...(व्यवधान)... भाषा मतलब है कि यह रियाज से आती है। आप मुझे ब्रिटेन भेज दीजिए तो मैं अंग्रेजी अच्छी तरह सीख जाऊंगा। आप मुझे अफ्रीका भेज दीजिए मैं वहां की भाषा सीख जाऊंगा। तो भाषा रियाज से आती है इसका कोई बहुत बड़ा फार्मूला नहीं है। यह नहीं कि व्याकरण पढ़ लो उससे ऐसा होता है। इस पर एक फैशन डवलप हो रहा है। उस अभिजात्य वर्ग के वेस्टेड इन्ट्रेस्ट हैं उनको आप कैसे तोड़ोगे। आप चाहें देहरादून, मसूरी या जो अन्य बड़े बड़े स्कूल हैं। मैं दावे के साथ कहता हूं कि किसी की जेब में कुछ टिके नहीं उसका तो कोई इलाज नहीं बाकी चार पैसे जेब में है तो वह कितना ही ठग ले। पब्लिक स्कूल के नाम पर जो बोर्ड लगे हुए हैं हर आदमी बच्चों को पब्लिक स्कूल में भेजना चाहेगा। आज देश का दुर्भाग्य है कि मेनका गांधी जैसी वैल इक्विपड महिला हो सकती है पैसे के हिसाब से, गौरव के हिसाब से वह

+++शब्द अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया

(श्री सम्पत सिंह)

तो अपने इकलौते बच्चे को पढ़ा रही है दक्षिण भारत के भारतीय परम्पराओं में और मैं माननीय उजला अरोड़ाजी और उनसे नीचे तबके की महिलाएं हैं उनको ललक है कि चाहे जेवर बिक जाय...

श्रीमती उजला अरोड़ा : मेरे बच्चे तो तक्षशाला में पढ़ रहे हैं। यह तरीका नहीं है। मेरे बारे में जानते नहीं तो बात नहीं कर सकते।

श्री सम्पत सिंह : नीचे तबके से मतलब जोहै मजदूर हैं। गरीबी की रेखा से नीचे है।

श्रीमती उजला अरोड़ा : मैं खुद आर्य कन्या महाविद्यालय में पढ़ी हूं।

श्री महावीर प्रसाद जैन . पाइंट आफ आर्डर। मेरा पाइंट आफ आर्डर यह है कि नगर से आने वाले माननीय सदस्य ने मेनका गांधी का नाम लेकर माननीय उजला अरोड़ा की तुलना की है, जिस प्रकार से पेश किया है इससे ज्यादा+++ बात नहीं हो सकती है। इसलिए मैं चाहता हूं कि माननीय सदस्य खेद व्यक्त करें। अपने शब्द वापस लें। यह बहुत आब्जेक्शनबल बात है।

श्रीमती उजला अरोड़ा : उन्होने बात आम आदमी के लिए कही है मेरे ख्याल से तो, मेरे बच्चे तो तक्षशिला में पढ़े हैं।

श्री महावीर प्रसाद जैन : मेनका से आप कोई हल्की लगती हैं। आपको क्या कमी लगती है।

श्री सम्पत सिंह : मेरा ऐसा कहना नहीं है।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : नीचे तबके की महिलाएं। आपने यह सम्बोधन कैसे दे दिया। भले ही आदमी एक ही पढ़े इससे कोई मतलब नहीं है। माननीय सभापति महोदय, माननीय सदस्य से कहें कि वह अपनी भाषा पर थोड़ा संयम रखें।

श्री सभापति : अब रखेगे संयम।

श्री सम्पत सिंह : मैं माननीय पिलानी से आने वाली माननीय सदस्या और टोंक से आने वाले माननीय सदस्य को अपनी भावनाओं को समझाने का प्रयास करूं। नीचे तबके से मेरा मतलब जिसमें मेरी मां भी है, मेरी बहन भी है जो हाथ से काम करने वाली महिला है। खेत खलिहान में, सड़क पर आज गर्भवती महिलाएं तपती दोपहरी में गिट्टी तोड़ रही है उसको आप ऊंचे तबके की महिलाएं कहेंगे या नीचे तबके की महिलाएं कहेंगे। इस हिप्पोक्रेसी भी जीने का मतलब यह नहीं है कि हम किसी भी चीज को यहां उजागर नहीं करें। निश्चित रूप से जो गरीबी की रेखा से नीचे जी रहे हैं वह हम सब नीचे तबके के है। हम को लोअर मिडिल क्लास कहा जाता है। माननीय पिलानी से आने वाली माननीय सदस्या को और कोई बहम हो तो मैं समझा नहीं सकता हूं बाकी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के स्टेण्डर्ड से, आक्सफोर्ड के स्टेण्डर्ड से तमाम डिक्शनरी के कन्सल्टेशन से समझ लें अगर मैं फिर भी गलत हो तो मैं उसी नम्रता के साथ अपने शब्द वापस ले लूंगा। मेरा तो सीधा साधा

+++शब्द अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(श्री सम्पत सिंह)

प्रयास यह था अपनी भावना को व्यक्त करने का कि जो आम व्यक्ति की बोल चाली हैं उसे दर गुजर मत करो। आज तमाम आलोचक इस बात को कहते है कि जो प्रखर हिन्दी के समर्थन में हैं कि जितना नुकसान इस हिन्दी का जयपुर से आने वाली माननीय सदस्या ने किया है या नागरी प्रचारणी सभा जो ठेठ दक्षिण भारत तक में है उस संस्थान ने किया है उतना नुकसान हिन्दी का और किसी ने नहीं किया है। वरना क्या वजह है सभापति महोदय, मद्रास में हिन्दी की फिल्म लग रही है, और हिन्दी के खिलाफ इस तरह के आंदोलन को देखे गये, उसके खिलाफ प्रदर्शन हो रहे हैं। मुख्य सड़क पर मुख्य बाजार में और प्रदर्शन में से छात्र छात्राएं प्रदर्शनकारी निकल जाते हैं और उस सिनेमा में घुस जाते है। जिसमें हिन्दी की फिल्म चल रही है, जो चीज स्वतः मुखरित हो रही है। अब सूरज निकलता है। भाजपा की सरकार हो या जनता दल (डी) की सरकार हो यह कहने की जहमत नहीं उठानी पड़ती कि सूरज निकल आया जो चीज सार्वभौमिक सत्य है है वह तो अपने आप स्वतः मुखरित हो रही है। इसमें आपकी मदद की क्या जरूरत है ? आपसी मदद तो सिर्फ इतनी है कि इस पर किसी तरह का नुकसान मत करो।

अब आपने रेल का नाम ले लिया लोपथगामिनी। बैंक का नाम ले लिया अधिकोष तमाम इस तरह के शब्द जोड़ दिये, सभापति महोदय, जैसे मैंने निवेदन किया था इस देश में यह वर्ग दुबारा से सिर उठा रहा है जिसको फण्डामेण्टलिस्ट कहा जाता है। चाहे राम के नाम पर, चाहे हिन्दी के नाम पर, चाहे अयोध्या के लिए, चाहे बाबरी मस्जिद के नाम पर तमाम इन चीजों के नाम लेते है जिस पर दूसरा बोलने की जुरंत नहीं कर सके। अब माननीय सदस्या राम कृष्ण की वकालत कर रही है तो उसकी खिलाफत करने की मेरी हैसियत है क्या ? इसी तरह दूसरी तरफ मुस्लिम तबके में जमायते उलेमा तबका तमाम फण्डामेण्टलिस्ट किस्म के लोग इस तरह की तमाम चीजें एक आड़ में आकर आम नागरिक से ऊपर वार करना चाहते हैं। इस देश में मेहरबानी करके इस चीज को समझते हुए, ऐसे प्रिकोशन लेते हुए आप हिन्दी की सेवा करें, प्रचार करिये बड़ी अच्छी बात है लेकिन इस भावना के साथ करिये जिसको आम आदमी सोच समझ सके। एक उदाहरण देकर अपनी बात समाप्त करूंगा। ठेठ गांव से शहर से कहीं से भी लगा लीजिये, जयपुर का उदाहरण है, पढ़े लिखे आदमी रहे होंगे, हिन्दी को दिल से प्यार करते होंगे। उन्होंने रिक्शे वाले से कहा मुझे सचिवालय ले जाओ। घूमता रहा–घूमता रहा पर सचिवालय नहीं आया झल्ला कर उसने कहा भइया सेक्रेटेरिएट नहीं पहुंचायेगा। उन्होंने कहा भाई साहब पहले ही हिन्दी में बोल देते। हम पहुंचाही देते इस तरह आम आदमी की समझ में आने वाले शब्द हैं उन पर ज्यादा चोट करने की आवश्यकता नहीं। आपने बोर्ड लगा रखे हैं, दिल्ली में लगा रखें हैं, जयपुर में लगा रखे हैं बी इण्डियन बाई इण्डियन। भाइयों बहुत बढ़िया। हिन्दी के प्रचार के लिए अपने संदेश को अंग्रेजी में लिख रहे है।

(श्री सम्पत सिंह)

मैं इतनी सी बात कहने के लिए खड़ा हुआ था। सभापति महोदय, माननीय सदस्य का प्रस्ताव बहुत अच्छा हैं पर इस ऐंठ में मत रहिये। अकड़ में मत रहिये। ठीक है माना आज अभिजात्य वर्ग है लेकिन जो आम गरीब आदमी हैं, जो ग्रास रुट का व्यक्ति है उसकी भाषा में संदेश दे सकें तो निश्चित रूप से प्रशासन में उसका उपयोग करिये। लेकिन इसका क्या मतलब हुआ कि हिन्दी में परिपत्र जाते हैं उनको अंग्रेजी की डिक्शनरी से समझने की कोशिश की जाती है। ऐसा जो नव वर्ग पैदा हो रहा है हिन्दुस्तान में और राजस्थान में उनको यह कह दीजिए इतना तो करना मत बाकी हिन्दी का खूब प्रचार प्रसार हो, फले फूले इसमें तो हमारा स्वयं का सौभाग्य है। मैं इन्हीं शब्दों के साथ एक बार फिर आगाह करना चाहता हूं प्रस्ताव करने वाली माननीय सदस्या को, कि हिन्दीकी आड़ में आने वाली पीढ़ी में एक नये वर्ग को पैदा कर रहे हैं अंग्रेजी में और दूसरा वर्ग कहीं ऐसा नहीं हो कि जैसे पानी और तेल की धारा अलग-अलग नहीं दिखती रह जाय। आने वाले 25 वर्षों में ऐसा कोई प्रिकोशन जरूर होने चाहिए। आपका संकल्प बेशक पास हो।

श्री सभापति : श्री बंशीलाल पटवा।

श्री बंशीलाल पटवा (भीलवाड़ा) : सभापति महोदय, विधायक उजलाजी ने हिन्दी के समर्थन में संकल्प प्रस्तुत किया हैं। वैसे तो पूरा देश विभिन्न भाषा भाषी देश है और करीब 2200 प्रकार की बोलियां बोली जाती है। इस देश में भाषाएं भी बहुत है, 500 से 580 प्रकार के व्यंजन बनाये जाते है लेकिन हिन्दी भाषा एक ऐसी भाषा है जिसके कारण हम एक दूसरे से सम्पर्क सूत्र में बंधे रह सकते हैं। हिन्दी का समर्थन करना, इसका अर्थ यह नहीं कि किसी भाषा से कोई क्लेश है। हम अंग्रेजी भी पढ़े, दूसरी भाषाएं भी पढ़ें। ज्ञान अर्जन करने के लिए कोई भी भाषा हम पढ़ें इसमें कहीं कष्ट की बात नहीं है। लेकिन प्रश्न इस बात का है कि भारत आजाद हुआ और उसके बाद संविधान में हम ने राजभाषा हिन्दी को स्वीकार किया और इसके अलावा जो हिन्दी प्रदेश हैं उन में हिन्दी का जितना प्रचार प्रसार होना चाहिए वह नहीं हो सका। इसके अतिरिक्त, गांधी जी ने कहा था कि आजादी मिलने के बाद ग्रामराज आएगा, राम राज्य आएगा। स्वराज्य तो हमको मिला, लेकिन उसके बाद राष्ट्र भाषा हिन्दी के बारे में जितना प्रसार होना चाहिए था वह नहीं हो सका। राजस्थान में भी वैसे हिन्दी में कामकाज करने की दृष्टि से निर्णय लिये हुए हैं और बराबर जोर भी दिया जाता है, लेकिन स्थिति यह है, जैसा अभी सम्पत सिंह जी, माननीय विधायक महोदय ने कहा, एक बार उन्हें जयपुर में सचिवालय जाना था। उन्होंने सचिवालय का नाम लिया, तो रिक्शे वाले ने कहा, यह सचिवालय क्या है। तो फिर उन्होंने कहा, सैक्रेटेरिएट तो रिक्शे वाले ने कहा, अब बोले न हिन्दी में। इस तरह की स्थिति है। जैसे उन्होंने दक्षिण भारत का उदाहरण दिया। मैं सोचता हूं, दक्षिण भारत में हिन्दी को सीखने की दृष्टि से, हिन्दी के प्रति रुचि

(श्री वंशीलाल पटवा)

लेने वाले लोग बहुतायत में हैं। ऐसा नहीं है कि दक्षिण भारत में हिन्दी का विरोध है। हम से ज्यादा अच्छे शब्दों में हिन्दी का वे वहां प्रयोग कर लेते हैं। श्रेष्ठ बोल लेते हैं, उत्कृष्ट बोल लेते हैं, अति उत्कृष्ट बोल लेते हैं। यह तो मन से जुड़ी हुई बात है, जिसके लिए इच्छा शक्ति को जगाने की आवश्यकता है। जब हमारा देश आजाद है तो हम अपने रिवाज़ से, अपने तौर तरीकों के आधार पर, धरती से जुड़ी हुई नीतियों के आधार पर इस देश को बढ़ाना चाहते हैं। अंग्रेजी चाहे हम पढ़ें, कोई कष्ट की बात नहीं, भारत में दूसरी कई भाषाएं हैं उनको हम पढ़ें, इसमें कोई एतराज की बात नहीं, कोई क्लेश नहीं, लेकिन हिन्दी पर हम राज के कामकाज में अधिकाधिक जोर दें, उसका उपयोग करें और लाएं। यह गांवों का देश है और राजस्थान में भी गांवों की बहुतायत है। ठेठ गांव में बैठा हुआ किसान अब तो धीरे-धीरे करके हिन्दी पढ़ने-लिखने लगा है। कई बार इस तरह के कानून बन जाते हैं, अंग्रेजी में बन जाते हैं, यदि हिन्दी में हम अपना सारा कामकाज करेंगे तो मैं सोचता हूं कि गांव का आदमी हिन्दी को समझ सकेगा, कानून-कायदों को समझ सकेगा। राज काज में भी उसका अधिक हिस्सा होगा, भागीदारी होगी। हिन्दी में हम यदि काम करेंगे तो एक दूसरे के साथ जुड़ने में हमको मदद मिलेगी। पूज्य बापू जी महात्मा गांधी की हार्दिक इच्छा थी कि इस देश की राष्ट्र भाषा हिन्दी का अधिक से अधिक विकास हो, लेकिन हिन्दी की जो स्थिति 44 वर्षों में बनी है उसके बारे में हमको चिन्ता करनी चाहिए। यदि वास्तव में हम राष्ट्र भाषा हिन्दी का हित चाहते हैं, उसका प्रचार प्रसार चाहते हैं, उसको विकसित देखना चाहते हैं तो, चाहे भाषाएं अलग हों, लेकिन उनमें लिपि देवनागरी हो सकती है। हिन्दी भाषा देवनागरी लिपि से जुड़ी हुई भाषा है, हमारी संस्कृति से जुड़ी हुई है। हमारी कई कथाएं, हमारा इतिहास-इस तरह की सारी बातें हिन्दी में हैं। लेकिन इस तरह का जो व्यवहार हो रहा है कि गुड़ तो खाएंगे लेकिन गुलगुलों से परहेज करेंगे, यह व्यवहार हिन्दी के साथ अन्याय है। मेरा निवेदन है सदन से, उजला जी ने भाषा से सम्बन्धित जो बातें कहीं, जो संकल्प प्रस्तुत किया, हम राजस्थान में, हिन्दी प्रदेश होने के नाते राज के कामकाज में अधिकाधिक हिन्दी का उपयोग करें। इससे देश की एकता और बाकी की देश हित की कई चीजें जुड़ी हुई हैं। हिन्दी का हम अधिकाधिक उपयोग करें, इसी के साथ उजला जी के संकल्प का मैं समर्थन करता हूं।

श्री सभापति : माननीय श्री नत्थी सिंह जी।

श्री नत्थी सिंह (कुम्हेर) : सभापति महोदय, जयपुर ग्रामीण से आने वाली माननीय सदस्या ने जो संकल्प प्रस्तुत किया है वह है राजस्थान राज्य के सभी सरकारी, अर्द्ध सरकारी विभागों, निगमों तथा न्यायालयों में तथा अन्य कारोबार, व्यवहार में अनिवार्यतः राज भाषा हिन्दी में कार्य किया जाय। हिन्दी हमारी राष्ट्र

(श्री नत्थी सिंह)

भाषा है, हमारे राजस्थान की राज भाषा है। राज भाषा में काम करना चाहिये, यह भी हमारे यहां निर्देश हैं, साफ बात है। उनका जो जोर है वह है अनिवार्यतः शब्द पर। आज भी हम देखते हैं वह अनिवार्यतः नहीं है। आज भी सचिवालय में हो, निगमों में हो, चाहे न्यायालयों में हो, वहां अंग्रेजी में लिखते हैं, पढ़ते हैं उनमें एक भावना है, सुपीरियटी काम्प्लैक्स। अंग्रेजी में जो लिखेंगे तो ज्यादा विद्वान, पढ़े-लिखे और सुसंस्कृत समझे जाएंगे। हिन्दी हमारी राजभाषा है, हमारे राष्ट्र की एकता की कड़ी है, आधार है। लेकिन उसके बावजूद भी अभी तक इस प्रदेश में भी हमारे राज मे काम काज में, हमारे शिक्षालयों में, हमारे निगमों में अनिवार्यतः हिन्दी में काम करें, यह बात नहीं है।

हमें और आपको मालूम है, सभापति महोदय, इस देश में राष्ट्र भाषा का 1952 में विधान लागू हुआ, तभी हिन्दी को राष्ट्र भाषा के रूप में प्रतिष्ठित किया गया था। लेकिन राष्ट्र हित की जब तक बात थी, तब तक तो ठीक था, लेकिन ज्यों ही राजनीतिक हित की बात होने लगी त्यों ही हिन्दी का विरोध शुरू हुआ। जब पूरे दक्षिण में डाउन विद् हिन्दी आन्दोलन चल रहा था, तो मुझे और इस सदन के एक सम्मानीय सदस्य, आज वे हमारे बीच में नहीं हैं, माननीय मोतीलाल जी चौधरी थे, कुछ हम लोग और थे विधायक थे, वे गये। जब हम मद्रास में जू देखने गये तो वहां कुछ नौजवान अंग्रेजी में बात कर रहे थे। हम लोग समझ रहे थे अंग्रेजी। मैं जाकर उनसे हिन्दी में बोलने लग गया। तो मेरे एक साथी ने कहा, पिटना है क्या। यहां डाउन विद् हिन्दी के बोर्ड लगे हुए हैं, नारे लगे हुए हैं। रामेश्वरम् में हम होकर आये थे, वहां देवी-देवताओं के जो नाम हिन्दी में लिखे हुए थे वे खरोंच दिये गये थे, मिटा दिये गये थे। इतना आक्रोश था। पूरे दक्षिण भारत के राज्यों में से केरल में, जहां उस वक्त कम्युनिस्टों की मिली जुली सरकार थी, डाउन विद् हिन्दी का इतना प्रकोप नहीं था। लेकिन और जो प्रदेश थे उनमें यह हालत थी। मैंने कहा, चलो पिट लेंगे, कोई बात नहीं। जब उनसे बात करने लगा, एक बार तो बोले, अंग्रेजी में जवाब दिया कि हम नहीं समझते। दुबारा फिर कहने लगा, मैं अंग्रेजी में उन से बोला, हमारा आपसे और आपकी भाषा से क्या दोष है, हिन्दी राष्ट्र भाषा है। तमिल आप प्रदेश में पढा रहे हैं, ठीक है। आज हम यहां बहस कर रहे थे, अभी तो हम कह रहे थे कि राजस्थानी अलग भाषा है। उनकी बात कह रहा हूं जो हिन्दी का विरोध करते हैं। उन्होंने एकदम कहा, क्या बात करते हैं, हिन्दी तो सूदखोरों की भाषा है। क्यों है सूदखोरों की भाषा ? तब कहा, और उनके पैम्पलेट वगैरह हमने देखे। उसमें प्रचार किया गया था। गांव-गांव में बैठा महाजन, जिसे हम मारवाड़ी कहते हैं, राजस्थानी, जिस पर हमें गर्व है, उसका कारोबार चलता है, धन्धा चलता है, हिन्दी उसकी भाषा है। मूड़िया लिपि में लिखी हुई जिसे आप कहते हो वह हिन्दी ही मानी जाती है। वह हिन्दी भाषा हैं, हिन्दी तो इनकी भाषा है। हमने कहा, यह बात नहीं है, हिन्दी बड़ी समृद्ध भाषा है। तब उनको कुछ समझ में आया कि हम से

(श्री नत्थी सिंह)

सीधा झगड़ा नहीं है। हमने कहा, हमारा झगड़ा तो अंग्रेजी से है। अंग्रेजी से भी कोई झगड़ा नहीं, अंग्रेजी बड़ी समृद्ध भाषा है लेकिन अंग्रेजी हमारे राज की भाषा नहीं होनी चाहिए किसी भी हालत में। हिन्दी को सिंहासनच्युत करे, इस तरह का षड़यन्त्र नहीं हो इसलिए हिन्दी चलनी चाहिए। इसमें सबसे बड़ा आज अगर कहीं दोष है वह है कि हिन्दी अपना स्थान पूरे देश में नहीं बना पाई। उसमें सबसे बड़ा दोष उन प्रदेशों का है, उन राज्यों का है जो "क" सूची में आते हैं, 8–9 राज्य जो हिन्दी भाषी प्रदेश घोषित किये गये हैं, संविधान में उनको "क" सूची में माना गया है, उन हिन्दी भाषी राज्यों का होता है। उन हिन्दी भाषी राज्यों में भी आज हम अपना पूरा कामकाज हिन्दी में नहीं करते। बड़ा भारी तर्क है दूसरे लोगों के पास आप जो हिन्दी भाषी कहते हो, वे ही अपना कामकाज हिन्दी में नहीं चला पाते हैं, दूसरे को कैसे कहते हो। आज तो स्थिति यह हो गई कि हमारे ऐसे भी राज्य हैं जिनकी प्रथम भाषा अंग्रेजी है और संविधान में मानना भी पड़ा है। इसलिये इस बात पर हम विचार करते हैं तो निश्चित रूप से राजस्थान में, जो हिन्दी भाषी प्रदेश है, वहां निश्चित रूप से पूरी तरह से कामकाज अनिवार्यतः हिन्दी में हो यह तो आज सन् 1952 के बाद आज हम यह बात कर रहे हैं। 40 वर्ष बीत गये। 40 वर्ष बाद आज हम इस बात को कर रहे हैं, यह निश्चित रूप से हमारे लिये सोचने की बात है। मैं कहना चाहता हूं कि एक बार राज्य सभा में बहस हो रही थी। मैं राज्य सभा में था। इस हिन्दी को लेकर जिस तरह की बात कही जाती है, यहां भी देखते हैं आपके सचिवालय में, हमारे मंत्रीगण काम करते हैं, उन सब का अनुभव है मेरा भी रहा है, ज्यादातर हमारे सचिव स्तर के लोग अंग्रेजी में ही लिखना पसन्द करते हैं। मंत्रीजी जरूर हिन्दी में लिख देंगे। वे कहते हैं कि इसमें अभिव्यक्ति ज्यादा अच्छी होती है। यह तर्क वहां पर भी दिया गया था। मैं हिन्दी लिटरेचर और इंग्लिश लिटरेचर, दोनों का विद्यार्थी रहा हूं। मैंने उनसे एक सवाल पूछा, मैंने कहा, ठीक है, अंग्रेजी बहुत समृद्ध भाषा है, बहुत अच्छा साहित्य है लेकिन अभिव्यक्ति में भाषा के हिसाब से हिन्दी भी कोई कम नहीं है, कई बातों में तो हम बढ़ कर हैं। मैंने हमारे मित्र से पूछा, दक्षिण के थे, आप यह बता दीजिये कि हम तो हिन्दी में जीजा भी कहते हैं, साला भी कहते हैं, देवर भी कहते हैं आप तो सिवाय ब्रदर-इन-लॉ के कुछ भी नहीं कहते, पता ही नहीं चलता बहनोई को कह रहे हो, पत्नी के भाई को कह रहे हो, कोई पता नहीं चलता, न भाभी का पता चलता है, न देवरानी का पता चलता है और न जेठानी का पता चलता है सब ही सिस्टर-इन-लॉ है। हमारे पास भाषा की अभिव्यक्ति के साधन ज्यादा है। आज तो एक फैशन हो गया, आज सरकार में बैठे हुए, माननीय सदस्यों से मैं निवेदन करूंगा, आज पूरे राजस्थान में देख लें अंग्रेजी के पब्लिक स्कूल की एक बाढ़ सी आ गई है। छोटे-छोटे बच्चों को हम अंग्रेजी में पढ़ाना पसन्द करेंगे। मेरा यह अनुभव है कि अंग्रेजी में पढ़ाओ, अपनी मातृ भाषा में पढ़ाओ, उसका सारा ध्यान भाषा ज्ञान में चला जाता है, सारी शक्ति नष्ट हो जाती है विद्यार्थी की भाषा ज्ञान में, विषय वस्तु का

(श्री नत्थी सिंह)

ज्ञान होता नहीं है, उसको रट कर के बेशक अच्छे नम्बर ले आये लेकिन मातृ भाषा उसका शिक्षा माध्यम होगा तो उसको निश्चित रूप से विषय वस्तु का ज्ञान ज्यादा होगा। लेकिन वह नहीं, वह तो हमारा फैशन हो गया है। एक बात और हो गई है कि आगे जायेंगे कम्पीटीशन्स में जायेंगे तब इनको ज्यादा फायदा रहेगा। लेकिन आज तो यह स्थिति भी नहीं है। आज तो अपनी सब भाषाओं में, हिन्दी में, प्रादेशिक भाषा में और सब में यह सुविधा दे दी गई है, यहां तक कि हमारे यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की परीक्षा है भी उसमें होगी। तब यह क्यों? यह बात सही है, नगर से आने वाले माननीय सदस्य कह रहे थे, इसमें कोई दोराय नहीं हो सकती कि हिन्दी जो राजकाज की भाषा है, राजभाषा हो, वह निश्चित रूप से आम बोलचाल की भाषा होनी चाहिये। मैं अपना खुद का अनुभव बताता हूं। आज हमारे बीच नहीं है, जस्टिस मुल्ला राज्य सभा के सदस्य थे। हिन्दी के ऊपर जब बहस हो गई, उसके बाद हम 10–20 लोग इकट्ठे हुए। उन्होंने कहा कि मैं इस बात का समर्थक हूं कि राजभाषा हिन्दी रहे, हिन्दी में कामकाज हो और हम कहते हैं कि मैं हिन्दी में एम.ए. हूं, हम 15 लोग थे जो हिन्दी के बड़े समर्थक थे, उन्होंने कहा मैं राजस्थान के जोधपुर हाई कोर्ट में गया था, आपकी वहां की एक फाइल का इन्स्पेक्शन किया था, मुझे तो यह बताओ कि मार साधक किसको कहते हैं। मैं नहीं समझता, अब हमने अलग-अलग अंदाज लगाया, कोई ट्रेक्टर कहे और कोई कुछ कहे और पता चला कि मार साधक का मतलब थानेदार है, मार साधक थानेदार को कहते हैं। हमारी पाचन शक्ति तेज होनी चाहिये, कमजोर नहीं होनी चाहिये, जठराग्नि से पीड़ित नहीं होनी चाहिये। जो दूसरी भाषा के शब्द हैं, आम बोलचाल में आ गये हैं, उनको अपनाने में हमको कोई परहेज नहीं होना चाहिये।

अब यह बात शिक्षा की है, हमें इस बात पर विचार करना चाहिये कि जो अंग्रेजी स्कूल्स का क्रेज है, उसको कैसे कम करें, कम से कम राजस्थान में? वह कम होगा तो हमारे जो बड़े अधिकारी हैं, कितना भी कह लो, किसी वर्ग से आते हो। जब उसकी श्रेणी में चला जायेगा तो विशिष्ट वर्ग का हो ही जाता है। उसे अपने अतीत से किनारा काट लेना पड़ता है, नहीं तो वहां के लोग उसे हीन भावना से देखने लगेंगे कि यह तो रस्टिक है, देहाती है, ग्रामीण है। देहाती का मतलब तो आजकल गंवार ही होता है। गंवार का क्या मतलब है? इसलिए मजबूरन जब वह उस सोसायटी में मूव करने लगता है तो वह अपने आपको दिखाता है कि मैं सुसंस्कृत हूं, विद्वान हूं इसलिए अंग्रेजीदा बनने की कोशिश करता है। यह वातावरण पूरा बदलें, राजकाज में और अर्द्ध-सरकारी निगम में, सब में हिन्दी का कामकाज अनिवार्यतः हो। शिक्षा के माध्यम में भी जब हम समान शिक्षा की बात करते हैं तो यह पब्लिक स्कूल्स और इंग्लिश मीडियम, वह भी समाप्त हो, इस पर हम गम्भीरता से सोचें।

(श्री नत्थी सिंह)

इस प्रस्ताव को निश्चित रूप से हम सर्वसम्मत पास करें। अभी बात हो रही थी, उसमें 'सोचेंगे, विचारेंगे, तब करेंगे'। इसमें क्या दोष है ? इसको पिछले सत्र से लटकाये चले आ रहे हैं। मेरा आपके माध्यम से सरकार से भी अनुरोध है, सदन के सभी माननीय सदस्यों से है, यह तो बिल्कुल ही निर्दोष प्रस्ताव है और निश्चित रूप से इस प्रस्ताव को हमने जिस भावना से पेश किया हैं, सर्वसम्मत स्वीकार करना चाहिये। स्वीकार ही नहीं, निश्चित रुप से कामकाज हिन्दी में हो, यह लागू भी करना चाहिये। इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री सभापति : श्री राजेन्द्र गहलोत।

श्री राजेन्द्र गहलोत : माननीय सभापतिजी, राष्ट्र भाषा हिन्दी के लिए जो प्रस्ताव आया है, राजकीय भाषा हिन्दी का ज्यादा उपयोग होना चाहिये और देश की एकता के लिए राष्ट्र भाषा हर स्तर पर अनिवार्य करनी चाहिये, इस भावना के साथ इस प्रस्ताव को पास किया जाना चाहिये।

श्री सभापति : श्रीमती तारा भण्डारी। (अनुपस्थित)

श्री नवनीत लाल नीनामा। (अनुपस्थित)

श्री टीकम चन्द कान्त। (अनुपस्थित)

श्री मांगी लाल मेघवाल।

श्री मांगी लाल मेघवाल : माननीय सभापति महोदय, पास करो।

श्री सभापति : श्री मदन लाल सैनी।

श्री मदन लाल सैनी (गुढ़ा) : माननीय सभापति महोदय, हिन्दी का समर्थन करने के लिए मैं उपस्थित हुआ हूं। सवाल है कि पिछले वर्षों में, जब से देश आजाद हुआ, एक आदेश के साथ एक फैसला हो जाना चाहिये था कि हिन्दी सम्पूर्ण देश की राष्ट्र-भाषा रहेगी। लेकिन हमारे दिमाग में एक मानसिक गुलामी थी, अंग्रेजों की गुलामी और उस गुलामी का परिणाम यह हुआ कि हमने हिन्दी को द्वितीय भाषा के रूप में प्रतिष्ठित किया और जिस मनोयोग से, जिस भावना से, राष्ट्र को स्वीकार करने के पीछे हमारे देश के नेताओं के मन में जो संकल्प था, मुझे वह बात याद है, सरदार पटेल की, उन्होंने यहां अंग्रेजों की चौराहों पर लगी मूर्तियां उठाई थीं, वहां पर हमारे देशभक्त लोगों की, जो शहीद हुए इस देश को आजाद कराने के लिये, उन लोगों की जब मूर्तियां उन्होंने स्थापित की थी, उस समय उन्होंने कहा था कि यह कार्यवाही हम इसलिये कर रहे हैं, हमको अंग्रेजों से नाराजगी थी इसलिये नहीं, लेकिन इन्होंने देश को पग तले रखा, देश को गुलाम बनाया, इस कारण से देश का और 1947 के बाद जन्म लेने वाला नागरिक हिन्दुस्तान की सड़कों पर, चौराहों पर और बाग-बगीचों में जो घूमने जायेगा, उस समय वहां जब चित्र देखेगा, उनके स्टेच्यू देखेगा, उस समय हिन्दुस्तान के नागरिक का मस्तक स्वाभिमान से खड़ा नहीं हो पायेगा, शर्म के कारण उनका मस्तक झुक जायेगा। इसलिए उन्होंने अंग्रेजों की मूर्तियां हटा कर देशभक्त लोगों की जिन्होंने देश के लिए हंसते–हंसते अपने आप को न्यौछावर कर

(श्री मदन लाल सैनी)

दिया और इस दुनिया से चले गये, "तेरा वैभव अमर रहे, मां, हम दिन 4 रहे, न रहे। इस प्रकार की जो भावना थी, उस भावना के कारण, सभापति महोदय, वे निकले और एक संकल्प लिया। एक विषय सरदार पटेल ने लिया। सम्पूर्ण देश को, इस प्रकार देश को अपमानित नहीं होना पड़े, लोगों का शर्म के कारण मस्तक नीचा न हो जाय, इस कारण से उन्होने एक विषय लिया। दूसरा विषय था इस देश के स्वाभिमान का प्रतीत जन-जन की भाषा हिन्दी। उस हिन्दी को लिया गया लेकिन उस समय हमारे देश में सम्पूर्ण लोगों में जिस राष्ट्रीय भावना का ज्वार उठना चाहिए था, वह ज्वार इतना धीमा था कि वह सम्पूर्ण देश को नहीं ले सका और उसी के कारण से हिन्दी के लिए यह कहा गया कि कुछ समय इंतजार करना पड़ेगा। दक्षिण में और अभी अंग्रेजी के प्रति बड़ा मोह है, अभी वहां हिन्दी पढ़ नहीं सकेंगे। माननीय सभापति महोदय, मैं याद दिलाना चाहता हूं कि कमाल पाशा टर्की में आया उस समय टर्की में अरबी और फारसी का चलन था। और भी कई मामले थे लेकिन कमाल पाशा ने आते ही पहला आदेश निकाला कि टर्की में रहने वाले नागरिक को, जो राज्य कर्मचारी हैं उनको 6 महीने के अन्दर टर्की भाषा सीखना जरूरी होगा अन्यथा राजकीय सेवा से पृथक कर दिया जायेगा। 6 महीने में लोगों ने टर्की भाषा को सीख लिया था। यह था राष्ट्र भाषा के प्रति प्रेम। वहां भी अरबी फारसी भाषा चलती थी लेकिन राष्ट्र भाषा के प्रति प्रेम था।

माननीय सभापति महोदय, यहां तक इससे भी बढ़ कर कमाल पाशा ने यह किया कि मस्जिद में अजान दी जाती थी वह अजान की भाषा में टर्की होगा। बड़ा विरोध हुआ था। यह कहा था कि यह खुदा की इबादत करने का मामला है, इसमें किसी भाषा को आढ़े नहीं आना चाहिये। उस समय कमाल पाशा ने कहा था कि हमारा खुदा टर्की भाषा समझता है इसलिये अजान का दिन तय किया गया कि 6 महीने के बाद में फला शुक्रवार से अजान टर्की भाषा में दी जायेगी। इसका बड़ा विरोध हुआ था और मुझे ध्यान है कि इसके कारण से 14 हजार लोग, विरोध करने वाले लोग मौत के घाट उतार दिये गये थे, लेकिन कमाल पाशा झुका नहीं और अजान टर्की भाषा में होने लगी। यह जब राष्ट्रीय प्रेम हो, राष्ट्र भाषा के प्रति प्रेम हो, राष्ट्र के महापुरुषों के प्रति प्रेम होता है तब यह सब होता है। उस समय जो शासन करने वाले शासनाध्यक्ष होते हैं उन लोगों को कुछ कठोर निर्णय लेने होते हैं। यह दोनों बातें एक साथ नहीं चल सकती हैं कि अंग्रेजी भी यहां की राष्ट्र भाषा रहेगी और हिन्दी भी रहेगी। हिन्दी भी अच्छी भाषा है और अंग्रेजी भी अच्छी भाषा है। यह नहीं चल सकता है। सन् 1947 में इस बात का फैसला तो हमको लेना चाहिए था कि हिन्दुस्तान में रहने वाले प्रत्येक नागरिक को 6 महीने का समय दिया जाता और हमारी स्थानीय भाषाओं को महत्व दिया जाता। हमारे प्रत्येक प्रान्त की आंचलिक भाषाएं हैं, प्रान्त की भाषाएं बड़ी समृद्ध भाषाएं हैं, कन्नड़ हो, तेलगू हो, मलायम हो, कोंकण हो, महाराष्ट्रीयन हो, असमिया

(श्री मदन लाल सैनी)

हो, उड़िया हो, यह सारी भाषाएं हैं और इन भाषाओं के साथ यह होना चाहिए था कि हिन्दी सम्पर्क भाषा होगी और ये सभी प्रान्तीय भाषाएं होंगी। हिन्दी जानना सबके लिए देश में जरूरी होगा। बाकी अपना काम स्थानीय भाषाओं में कर सकते हैं। लेकिन मानस कमजोर होने के कारण से हमको अपने ऊपर स्वाभिमान नहीं था।

सभापति महोदय, हम उन बातों को भूलते गए, हम में हीन भावनाएं घर कर गई और उसका परिणाम हमको सब जगह-जगह देखने को मिला। मैं कहना चाहूंगा कि पिछले 40 वर्षों से जिन लोगों के हाथ में यह काम रहा, जिन लोगों के ऊपर राष्ट्रीय स्वाभिमान को जागृत करने की जिम्मेदारी रही वही लोग सो गए, वे ही लोग भूल गए इस बात को कि किस बात के लिए हम लोग चले थे, शासन में इतने मद-मस्त हो गए कि उस विषय को ही भूल गए जिस विषय को महात्मा गांधी ने चालू किया था। विदेशी कपड़ा नहीं पहनना चाहिए। यह हिन्दी में स्वदेशी की बात आ रही है, बड़ी अटपटी सी महसूस हो रही है। माननीय सभापति महोदय, लेकिन सवाल इस बात का है कि किस भावना को लेकर देश के लिए हमारे शहीद कुर्बान हुए थे। मुद्दा था स्वदेशीपन का और विदेशी गुलामी को हटाने के लिए महात्मा गांधी ने स्वदेशी आंदोलन चालू किया था। मैनचेस्टर के कारखाने फेल हो गये थे। एक तकली और चरखे के आधार को लिया गया।

(4.25 म.प)

(श्री हीरासिंह चौहान, उपाध्यक्ष, पीठासीन)

लेकिन जब नई शासन व्यवस्था में नये लोग आए तो लगा कि अंधे के हाथ में बटेर लग गई और इस बात को वह भूल गए, महात्मा गांधी स्वदेशी आन्दोलन को, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, भूल गए, महात्मा गांधीजी की बात को भूल गए कि हिन्दी मेरी राष्ट्र भाषा है और हिन्दी के बिना बोले हम सम्पूर्ण देश में जा नहीं सकते हैं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि जब हमारे लोग तीर्थाटन के लिए जाते थे, वह लोग अंग्रेजी पढ़े लिखे नहीं होते थे, वह अपने साथ कोई इन्टरप्रेटर को भी नहीं ले जाते थे। जब वे कोंकण प्रदेश में जाते थे, केरल में रामेश्वरम् और मद्रास तक जाते थे लेकिन कहीं भी भाषा हमारे राष्ट्र के सामने बाधा बनकर खड़ी नहीं हुई। कभी भाषा के नाम पर इस देश में झगड़े नहीं हुए, कभी भी धर्म के नाम पर झगड़े नहीं हुए कि प्रोटेस्टेंट हैं या कैथोलिक हैं, रातों-रात हो गए, इस बात को लेकर झगड़े नहीं हुए कि एकेश्वरवादी थे,या अनेकश्वरवादी थे, द्वैत था या अद्वैत था, सब प्रकार के लोग थे लेकिन चलते रहे,कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक, अटक से लेकर कटक तक सम्पूर्ण देश में लोग अपनी स्थानीय भाषाओं को बोल कर और हिन्दी सम्पर्क भाषा, कोई जमाने में संस्कृत भाषा के रूप में और कभी प्राकृत भाषा इस देश की सम्पर्क भाषा रही उनको लेकर सम्पूर्ण देश में हमारे यात्री, हमारे देश के भ्रमण करने वाले लोग जाते रहे लेकिन कभी झगड़े नहीं हुए।

(श्री मदनलाल सैनी)

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, लेकिन सवाल इस बात का आया कि यह झगड़े अंग्रेजी के कारण से हो सकते हैं, अंग्रेजी प्रेम और सौहार्द का प्रतीक नहीं है, अंग्रेजी हीन मनोवृत्ति की प्रतीक है। आज लोग कह रहे हैं कि इंग्लैण्ड और अमेरिका की इतनी समृद्ध भाषा है, केवल इंग्लैण्ड और अमेरिका और यूरोपियन कन्ट्रीज के कुछ देशों में अंग्रेजी प्रचलन है। हिन्दी का प्रचलन आज भी सम्पूर्ण दुनिया में सबसे अधिक हिन्दी बोलने वाले लोग है फिर भी हमारे मन में हीन भावना घर करती जा रही हैं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, देश का दुर्भाग्य है कि हम जो यहां कहते हैं वैसा करते नहीं हैं। हमने आदेश निकाल दिए। लेकिन आर्डर शीट्स मन्त्रियों के अलावा अधिकारी लोग लिखते हैं वह अंग्रेजी में लिखते हैं। यह अंग्रेजी की हीन भावना है। यदि हिन्दी में लिखते तो हमारे गांव का आदमी भी उस आर्डर शीट को समझ लेता कि बात क्या लिखी है। इसलिए अपने आपको अंग्रेजी में लिखना यह बड़ा साबित करने की हीन मनोवृत्ति है। वह यह सोचते हैं कि शायद हिन्दी में हम लिखेंगे तो हमारी बात पकड़ी जाएगी। सारे लोग अंग्रेजी के विद्वान नहीं हो सकते हैं। देश के लोग हिन्दी भाषी है और हिन्दी भाषा में आर्डर शीट लिखने में लोग अपमानित महसूस करते हैं। आज इस प्रकार के सिम्बल्स बने हुए हैं, उपाध्यक्ष महोदय, अलग-अलग विभागों के, उद्योगों के। रीको ने भी बना रखा है, लेकिन रीको ने हिन्दी में अपना मोनोग्लाक नहीं बना रखा है, आर. आई. आई. सी. को, रीको अंग्रेजी में बना रखा है। कितनी हीन मनोवृत्ति आ रही है और कई डिपार्टमैंट्स हैं आप देखेंगे तो उनके सिम्बल्स हैं वह अंग्रेजी में बनेंगे और आर्डर शीट अंग्रेजी में होगी। हिन्दी के नाम पर बार-बार यहां पर चर्चा होती है इसके कारण से दस्तखत कर देंगे हिन्दी में। इस प्रकार की जो मनोवृत्ति है, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, उस मनोवृत्ति को ठीक करने की बात है। हिन्दी का प्रस्ताव लागू कर देंगे, प्रस्ताव पास भी करना चाहिए लेकिन सवाल है कि इस वृत्ति को कौन बदलेगा ? इस वृत्ति को हम लोग बदलेंगे, अपने व्यवहार से। जन प्रतिनिधियों की भी एक जिम्मेदारी हैं, सरकार की भी जिम्मेदारी है और आम जनता को शिक्षित करने की भी जिम्मेदारी है। आज यहां चर्चा की गई, कई माननीय सदस्यों ने कहा कि हम स्वयं हिन्दी की वकालत करते हैं और अपने बच्चों को अंग्रेजी स्कूलों में भेजते हैं। मैं समझता हूं कि इस प्रकार का घिनौना कृत्य, दोहरी बात चलती है यह बराबर ठीक नहीं है। वास्तव में यदि हिन्दी का सम्मान गिराया है तो हम हिन्दी प्रेमियों ने गिराया है। अंग्रेजी के कारण से उतना हिन्दी का सम्मान नहीं गिरा है। हम स्वयं अपने दैनिक व्यवहार में स्वभाव में जब किसी पर रौब झाड़ने की बात आएगी उस समय अंग्रेजी के 2-4 शब्द हम नहीं कह सकेंगे तो हमें ऐसा लगता है कि सामने वाले पर रौब नहीं पड़ा। और सामने वाले को डांटेंगे तो अंग्रेजी में डांटेंगे तो हमको आत्म संतोष होता हैं कि हमें भी अंग्रेजी आती है, ऐसा हमको लगता है।

इस प्रकार से मैं यह भी कहना चाहता हूं कि हमारे जो संस्कार बनते जा रहे हैं धीरे-धीरे, पारिवारिक संस्कार बनते जा

(श्री मदन लाल सैनी)

रहे हैं। माननीय श्री सम्पत सिंह जी, नगर से आने वाले विधायक कह रहे थे कि हम कुत्ता पालने की ओर अग्रसर हो रहे हैं, घर में गाय नहीं मिलेगी लेकिन कुत्ता पालेंगे। मगर गाय के दूध में जो गुण हैं, मैं समझता हूं कि वह गुण वहां नहीं हैं। केवल दुनिया का एक ही जानवर है जिसके दूध के बारे में सर्वे हुआ। सर्वे में पाया गया कि यदि गाय को काला नाग खा लेगा और गाय मर जायेगी तो उसके दूध से आदमी नहीं मर सकता। मैं यह बता रहा हूं कि भारतीय संस्कृति के प्रति उपेक्षा बरती जा रही है और जिनकी संस्कृति कुत्तों से पल्लवित हुई, जिन लोगों की संस्कृति कुत्तों से पल्लवित हुई उस संस्कृति का हमारे ऊपर असर आ रहा है। उसके कारण ही हिन्दी के प्रति हमारी उपेक्षा का भाव, " कारण है, भारतीय ड्रेस बताने ..रे में....

श्री उपाध्यक्ष : काफी देर हो गई है।

श्री मदन लाल सैनी : कम से कम यह तो होना चाहिये माननीय उपाध्याय महोदय, हम लोग, जन प्रतिनिधि यहां बैठे हुए हैं, इनका जीवन देख करके लोग जीने की कोशिश करते हैं। उपाध्यक्ष महोदय, जब हम लोगों का जीवन इस प्रकार का जीवन होगा तो इससे देश के लोग प्रेरणा नहीं ले सकते और उनके जीवन से इस प्रकार की स्थिति बनेगी तो यह ठीक नहीं है। उपाध्यक्ष महोदय, इस प्रकार के हमारे संस्कार है इन संस्कारों को भी हमको चेक करना पड़ेगा, हमको देखना पड़ेगा कि हमारे संस्कार कहां जा रहे हैं। इस के सम्बन्ध में मैं कहना चाहता हूं........ (व्यवधान) एक विचार और करना पड़ेगा। हिन्दी के बारे में विचार करते हैं तो कौनसी हिन्दी, किस हिन्दी के बारे में हम विचार कर रहे हैं। कौनसी हिन्दी चाह रहे हैं। क्या हम इस हिन्दी को यहां अलाऊ करेंगे कि वतन की आबरू खतरे में हैं तैयार हो जाओ, जो भी हिन्दी का शब्द है, लेकिन इसमें हिन्दी के शब्द नहीं और इसमें आम आदमी के समझने लायक शब्द भी नहीं है। हमें वह हिन्दी चाहिये, हमारे यहां पिछली बार कुछ एक्ट बन कर आये संशोधनों की बात आई। हमने कई शब्द समझे भी नहीं वैसे हम समझते हैं, हिन्दी के बारे में थोड़ी बहुत अक्ल रखते हैं लेकिन उनमें शब्दों का ऐसा प्रयोग किया गया .. आम आदमी नहीं समझ सकता। हम यहां कानून आम आदमी के लिये बनाते हैं या केवल विधायकों और ऑफिसर्स ही समझ लें या केवल वकील और जजेज के लिये हिन्दी बननी चाहिये। इस प्रकार की सर्वग्राह्य हिन्दी चाहिये जिसको हमारा सामान्य हिन्दी पढ़ा लिखा व्यक्ति भी हिन्दी को समझ सके, पढ़ सके। जब हम इन कानूनों का इन्टरप्रिटेशन करेंगे तो मैं सम्मानपूर्वक यह बात कहना चाहता हूं माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमारे सम्माननीय विधायक भी कुछ शब्दों को समझ नहीं पायेंगे कि इस हिन्दी के शब्द का, क्लिष्ट शब्द का, संस्कृतनिष्ठ शब्द का अर्थ क्या होगा। आज हमको हिन्दी कौनसी लेनी है, वतन की आबरू खतरे में है, वाली हिन्दी लेनी है या संस्कृतनिष्ठ तत् शब्दों के प्रयोग वाली हिन्दी लेनी है। मैं समझता हूं कि हिन्दी को यदि लोकप्रिय

(श्री मदन लाल सैनी)

बनाना है, हिन्दी को यदि समृद्ध बनाना है तो हिन्दी को बोल चाल की भाषा के रूप में विकसित करना पड़ेगा। ऐसी हिन्दी लेनी पड़ेगी जो मेरे इस देश का, गरीब गांव का किसान हमारी बात को समझ जाये लेकिन मेरे में एक इन्फीरियर्टी/सुपिरियटी कॉम्प-लेक्स आ रहा है कि मैं वह बात नहीं बोलना चाहता जिसको गांव का आदमी समझ जाये अगर गांव का आदमी समझ जायेगा तो गांव का आदमी समझेगा कि यह और हम तो एक जैसे ही हैं। हम अपने आपको उनके ऊपर समझना चाहते हैं। यह हमारी मनोवृत्ति बन गई है इसलिए मैं इस हिन्दी का प्रयोग नहीं करना चाहता। जो गांव का आदमी समझ जाये। हम जन प्रतिनिधि हैं, गांव के लोगों के लिए, यहां कानून बनाते हैं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा यह कहना है कि कानून की भाषा कौनसी चाहिये, एक्ट कौनसा चाहिये। एक्ट वह चाहिये जिसका वकील अदालत में स्पष्टीकरण करें कि इस शब्द का प्रयोग क्या हुआ। यह वकील को तय करना चाहिये तो हम, आम आदमी जब वह समझेगा नहीं भाषा उस समय तो हम वकीलों के चक्कर में जायेंगे। क्या इस तरह करके आप गांव के लोगों को अदालतों की ओर अग्रसर नहीं कर रहे हैं? माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हिन्दी को इतना सरल, सुगम और बोधगम्य बनाना पड़ेगा कि प्रत्येक शब्द का अभिप्राय क्या है, उसका अर्थ क्या है यह प्रत्येक व्यक्ति समझ सके। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज हिन्दी के बारे में हमको एक बात और तय करनी पड़ेगी कि हिन्दी जिस प्रकार से हम लागू करने की बात कर रहे हैं। इस प्रकार से जो निर्णय हम करें, आज यदि देश की, प्रान्त की परिस्थिति यह है कि, अंग्रेजी को हम छोड़ नहीं सकते तो उस ओर कदम यह बढ़ाना चाहिये। आज इस प्रस्ताव के बाद में इस प्रकार का निर्णय करना चाहिये कि आज हम जिस अंग्रेजी को छोड़ नहीं सकते, ऐसी मजबूरियां आज हमारे देश के अन्दर हैं कि शायद हम एकदम से अंग्रेजी को चलन से बाहर नहीं निकाल सकते। हिन्दी स्वीकार करते हो सारा नक्शा बदल जायेगा यह सम्भव नहीं है। लेकिन यह लगना चाहिये कि आज हिन्दी के प्रस्ताव को स्वीकार किया गया उस समय राजस्थान प्रान्त के सभी डिपार्टमेन्ट्स में हिन्दी की स्थिति क्या थी और प्रत्येक विषयों में हिन्दी की स्थिति क्या थी और अगली बार जब हम मिलें इससे एक कदम हमने हिन्दी को महत्व दिया, हिन्दी से आगे बढ़े हैं। हो सकता है आने वाले एक दो साल में जो हमारे मन की कल्पना में हैं इस कल्पना को हम साकार रूप में परिणित कर सकेंगे और हिन्दी का जो स्थान राजस्थान को दिलाना चाहते हैं, राजस्थान पूरे हिन्दुस्तान के लिये एक उदाहरण के रूप में खड़ा होगा कि राजस्थान में हिन्दी को शनैः शनैः क्रम से लायें। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, किसी भी चीज को लाना और उसको छोड़ना इसकी एक प्रक्रिया है। यदि इस प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया तो इसका बड़ा अनर्थकारी परिणाम आता है। टाइफाइड के बाद में व्यक्ति को भोजन देना होता है, भोजन कैसे लेना, एक सामान्य स्वस्थ आदमी की तरह भोजन लिया गया तो शायद टाइफाइड वाले आदमी की गति क्या

(श्री मदन लाल सैनी)

होगी यह बताने की जरूरत नहीं है। आज जो स्थिति बन रही है क्या हम शब्दों को एकदम से निकाल देंगे यह नहीं हो सकता। कुछ बातें काल बाध्य होती हैं और कुछ बातें काल बाध्य होती है। काल ग्राहय जो हैं, उन बातों को ग्रहण करना पड़ेगा।... (व्यवधान)...यह बड़ी समझ की बात है यहां विधायिका बैठी है। यदि हम बाहर बोल रहे होते तो शायद मैं भी इतनी बारीकी की बातें यहां चर्चा नहीं करता लेकिन माननीय दूसरे सदस्य बारीकी से बात को रखते तो मुझे उठाने की जरूरत नहीं थी लेकिन कुछ चीजें काल बाहय हो हो कुछ चीजें काल ग्राह्य होती हैं, कुछ बिषय ऐसे होते हैं जो जमाने के अनुसार, परिस्थितियों के अनुसार स्वीकार नहीं किये जाते उनको काल बाहय कहते हैं। अब काल बाहय चीजों को कैसे बाहर निकालना चाहिये, कुछ चीजें परिस्थिति के अनुसार काल ग्राहय है, जिनको ग्रहण करना पड़ेगा (व्यवधान)

श्री बुलाकीदास कल्ला : क्या होता है काल ग्राह्य, यह संस्कृति, संस्कृत, टाइफाइड, उपाध्यक्ष महोदय, गैर सरकारी दिवस में अभी आप पांच बजते ही घंटी बजा देंगे। आप कितना समय देंगे। आधे घंटे से बोल रहे हैं। हमारे हितों का हनन हो रहा है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सैनी साहब पूरा कीजिये।

श्रीमती उजला अरोडा : उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य को बताना चाहूंगी.... (व्यवधान) लालटेन और बटन कौनसी भाषा से आये हैं? पता नहीं। लेकिन हिन्दी का कलेवर इतना बड़ा है....

श्री सुरेन्द्र व्यास : उपाध्यक्ष महोदय, एक माननीय सदस्य को कितना समय देंगे।

श्रीमती उजला अरोडा : आप जो चिन्ता व्यक्त कर रहे हैं, आपकी तो चिन्ता उचित है। जो बात आप कर रहे हैं, मैं आपको स्पष्ट कर रही हूं...

श्री उपाध्यक्ष : आपको किसी ने नहीं कहा कि आप स्पष्ट करिये।

श्रीमती उजला अरोडा : उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य को एक बात बताना चाह रही थी, आप अनुमति दें तो मैं बता दूं... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : इस समय आवश्यकता नहीं है।

श्रीमती उजला अरोडा : मैं कहना चाह रही हूं कि लालटेन और बटन कौनसी भाषा से आया मालूम नहीं लेकिन यह स्वीकार हो चुके ऐसे अनेक शब्द हिन्दी का कलेवर बढ़ा चुके हैं, अनेक बोलियां बढ़ा चुकी सवाल यह नहीं है कि हिन्दी मान्य नहीं। केन्द्र से लेकर राज्य तक मान्य है। मेरा कहने का मतलब यह है कि सरकारी भाषा में प्रयोग हो तो ऐसे शब्दों का नहीं जो बना कर किये जायें। जो आम बोल-चाल की भाषा है वह शब्द लिये जायें....

श्री उपाध्यक्ष : आप बैठ जाइये। माननीय मदन जी पूरा कीजिये।

श्रीमती उजला अरोड़ा : मुख्य मंत्रीजी यहां बैठे हैं, मैं उनसे आग्रह करूंगी कि वह राज्य में अपनी नीति को, जिसको वह मानते हैं, जिसका वह चलन करते हैं.... (व्यवधान) हिन्दी के प्रेमी हैं वह स्पष्ट करें कि आपका क्या रुख इस ओर रहेगा। मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी से कहना चाहूंगी ... (व्यवधान) माननीय मुख्य मंत्रीजी से नहीं बोलने देंगे, मेरा आग्रह नहीं करने देंगे।

श्री उपाध्यक्ष : कृपया बिराजिये।

श्री सुरेन्द्र व्यास : हमारी पार्टी से भी एक आदमी को बुलवा दीजिये।

श्री उपाध्यक्ष : पहले जुबेर खान जी बोलेंगे।

श्रीमती उजला अरोड़ा : मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी से आग्रह करती हूं कि इस सम्बन्ध में वह अपना निर्णय, अपनी नीति (व्यवधान) मैंने आपकी....

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजिये।

श्रीमती उजला अरोड़ा : मैंने आपकी बात सुन ली है। फिर भी मैं कह रही हूं।

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजिये ना। (व्यवधान) इसमें जरूरत ही नहीं है। आप नोट कर लीजिये। आपको मौका मिलेगा तब बता दीजिये।

श्रीमती उजला अरोड़ा : मैं दो बार धोखा खा चुकी हूं।

श्री उपाध्यक्ष : अब आप बैठिये। अब आप पूरा कीजिये। ये क्या बात कह रही हैं। सारे सदन के माननीय सदस्य....

श्रीमती उजला अरोड़ा : आप हिन्दी के के हितैषी हैं हिन्दी मर्मज्ञ हैं और हिन्दी लागू हो, इसके समर्थक हैं। सदन में कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है किसी ने हिन्दी का विरोध किया हो। सबने कहा है बोलचाल की भाषा के जो शब्द है उनको क्लिष्ट नहीं बनाते हुए ऐसी हिन्दी का प्रयोग हो। मैं भी यह बात कहती हूं अनिवार्यतः हिन्दी का प्रयोग हो। माननीय मुख्य मंत्रीजी बैठे हैं और हिन्दी बोलते हैं, हिन्दी लिखते हैं। मैं समझती हूं हिन्दी के प्रबल समर्थक हैं। हमारे राज्य में भी हम इसको लागू करें.... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय उजला जी। चेयर की ओर से जो कुछ भी कहा जा रहा है उसको सुनें। आप बिराजिये।

श्रीमती उजला अरोड़ा : अपनी नीति और अपनी भावना स्पष्ट करें। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से माननीय मुख्य मंत्रीजी से....

श्री उपाध्यक्ष : आपको अनुमति दी जा रही है। आप बिराजिये। कृपया सहयोग कीजिये। आप बिराजिये।

श्रीमती उजला अरोड़ा : मेरी बात तो पूरी नहीं हुई है। मेरा आग्रह तो रहेगा कि....

श्री बुलाकीदास कल्ला : उपाध्यक्ष महोदय, 20 मिनट रह गये हैं। आप कृपया हमारा समय बढ़ायें।

श्री उपाध्यक्ष : माननीया उजला जी बिराजिये।

श्री मदनलाल सैनी : मेरा सारा समय तो आप लोगों ने डिस्टर्ब कर दिया। उपाध्यक्ष महोदय, मैं जो कुछ बात कहना चाह रहा था, वह सारा एक प्रकार से और मेरे जो भाव थे, जो तारतंम्य बन रहा था, उसमें जरा बाधा आप खड़ी कर रहे हैं। मैं आपसे प्रोटेकशन चाहता हूं और माननीय मुख्य मंत्रीजी से कहना चाहूंगा, जब तक मेरा कहना पूरा नहीं हो, तब तक जरा किसी विषय से...

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्यों को भी टाइम देना पड़ता है।

श्री मदनलाल सैनी : मैं 5 मिनट लेऊंगा। मैं मेरी घड़ी से 5 मिनट से ज्यादा समय नहीं लूंगा।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सैनी साहब, अब 5 मिनट नहीं मिलेंगे। अब ओवर कीजिये।

श्री बुलाकीदास कल्ला : हम भाषा के अलावा एक शब्द नहीं सुनेंगे। एक प्रकार का विषय हो....(व्यवधान)....

श्री उपाध्यक्ष : आप माननीय सदस्यों की भावना का भी ध्यान रखिये। आप बोल चुके हैं। आप आधा घंटे बोल चुके हैं।

श्री मदनलाल सैनी : मैं सदन ही की बात बोल रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष : नहीं, नहीं और भी तो वक्ता हैं।

श्री मदनलाल सैनी : मैं भी सदन का सदस्य हूं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय जुबेर खान जी।

श्री मदनलाल सैनी : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाह रहा था कि दो प्रकार का विषय है। एक है, हिन्दी को किस प्रकार से लागू किया जाये। यदि यह गलती हो गई तो हम यहां प्रस्ताव पास कर देंगे लेकिन उसके बाद भी हिन्दी के लिए जिस प्रकार की हम व्यवस्था चाहते हैं वह व्यवस्था नहीं हो सकेगी। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह इस प्रकार से एक अन्याय होगा कि एक प्रकार से हम हिन्दी के पक्ष में प्रस्ताव पास करके अपने काम की इतिश्री समझ लेंगे और वास्तव में जो विषय हम लेना चाहते हैं कि हिन्दी हमारे राजस्थान में और हर विभाग में चले, सब जगह हिन्दी चले, सारे नोट हिन्दी में बनकर आए। इस प्रकार की जो बात चाहते हैं, यदि इस विषय पर विचार नहीं किया गया, चिन्तन नहीं किया गया कि आज जिस प्रकार की विभागों में स्थिति बनी है और बाकी स्थिति बनी है, उसमें हिन्दी को किस क्रम से लागू करना है, किस क्रम से अंग्रेजी को हटाना है, हिन्दी को लाना है। इस विषय पर सम्यक प्रकार से विचार नहीं किया गया तथा प्रस्ताव पास करने मात्र से बहुत बड़ी बात नही हो जाती है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमारे हाउस में कई बार प्रस्ताव हम परिस्थितियों के अनुकूल पास करते हैं लेकिन वास्तव में क्योंकि स्थिति को ठीक प्रकार से जज नहीं करने के कारण से वह ठंडे बस्ते में पड़ी रह जाती है। इसी प्रकार से मैं नहीं चाहता कि हिन्दी का प्रस्ताव जो पास होना चाहिये, यह प्रस्ताव पास होना चाहिये। मेरे मन में भावना भी

164

(श्री मदनलाल सैनी)

यही है लेकिन यह प्रस्ताव पास करते समय मैं जरा सरकार में हमारे बैठे हुए लोगों को याद दिलाना चाहता हूं कि यह भी ध्यान रखिये कि जिस समय हिन्दी को लाने का काम प्रारम्भ करेंगे जिन विभागों में और हिन्दी का सम्मान नहीं बढ़ रहा है और आज अंग्रेजी जो कुण्डली मारकर बैठी है, उस अंग्रेजी को किस क्रम से हमको हटाना है, किस क्रम से हमको यह काम तय करना पड़ेगा। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यदि एकदम से हिन्दी को लाया गया और एकदम से अंग्रेजी को हटाया गया तो प्रशासन पंगु हो जाता है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज अधिकारियों की यह स्थिति है कि आज हिन्दी में नोट नहीं लिख सकते, आज हिन्दी के विषय को समझ नहीं सकते, आज हिन्दी के विषय को समझा नहीं सकते। इस प्रकार के लोगों को हमें समय देना पड़ेगा, एक उसका टाइम बाउण्ड प्रोग्राम तय करना पड़ेगा कि 10 दिन में वे क्या करेंगे, 15 दिन में वे क्या करेंगे, 20 दिन में वे क्या करेंगे। किस प्रकार से नोट को पुटअप करेंगे, किस प्रकार से दूसरी कार्यवाही करेंगे। इस प्रकार यदि विचार नहीं हुआ तो माननीय उपाध्यक्ष महोदय, स्थिति यह बनेगी कि चाहे जैसे गलत नोट पुटअप होंगे और बोलेंगे "मैं तो डाइरेक्टर ही आ रहा हूं जयपुर से" अब डाइरेक्टर बोलेंगे तो डाइरेक्टर का मतलब क्या होगा। डाइरेक्ट शब्द यहां प्रयोग होना चाहिये। इस प्रकार से कई असमन्जस्यता हो सकती है। इसलिए उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि हिन्दी को लाइये, जरुर लाइये, इस प्रांत में हिन्दी सबको आनी चाहिये और सारा कामकाज हिन्दी में होना चाहिये, इसमें किसी को कोई विरोध नहीं हो सकता।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं भी चाहता हूं कि हिन्दी का प्रस्ताव सर्व सम्मति से हाउस पास करे..

(समय समाप्ति–सूचक–घंटी)

और इस प्रकार की जो सारी स्थिति है, उसमें किस प्रकार से पास करें, इनको विचार करना पड़ेगा। आपने समय दिया, इसके लिए मैं बहुत आभारी हूं। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय जुबेर खान जी।

श्री जुबेर खान (रामगढ़) : माननीय उपाध्यक्ष, माननीय सदस्या उजला जी एक संकल्प लेकर आई है कि "यह सदन संकल्प करता है कि राजस्थान राज्य के सभी सरकारी, अर्द्ध सरकारी, विभागों, निगमों तथा न्यायालयों में अन्य कारोबार व्यवहार में अनिवार्यतः राजभाषा हिन्दी में कार्य किया जाय।"

उपाध्यक्ष महोदय, इसमें कोई संदेह नहीं, मैं भी इस संकल्प का समर्थन करता हूं लेकिन उपाध्यक्ष महोदय, इस सदन के माध्यम से कुछ बातों के ऊपर मैं प्रकाश डालना चाहता हूं कि माननीय सदस्या यह संकल्प लेकर आई हैं, बहुत अच्छा है लेकिन माननीय सदस्या यह अच्छा होता कि यह संकल्प ऊपर से नहीं लाकर अगर नीचे से ले जाती। आज अगर आप यह तय भी कर लें कि सारे निगमों में, राजकीय कार्या-

(श्री जुबेर खान)

लयों में और सब में हिन्दी का कार्य चला दें...

श्रीमती उजला अरोड़ा : माननीय सदस्य, नियम बने हुए हैं, उनकी अनुपालना कहीं-कहीं नहीं हो रही है, मैं सब जगह की बात नहीं कह रही, कहीं-कहीं नहीं हो रही है, जहां नहीं हो रही, वहां हो जाय।

श्री जुबेर खान : आज बात यह है कि यह कर लेंगे, उपाध्यक्ष महोदय, वास्तविकता तो यह है कि इसको हम कितना लागू कर पायेंगे। आज तक जो प्रक्रिया रही है। चाहे किसी भी प्रकार के अधिकारी रहे हो, बने वही है जिनकी अंग्रेजी मजबूत रही है, जिन्होंने अंग्रेजी की अच्छी किताबें पढ़ी हैं, जो अच्छे-अच्छे स्कूलों में पढ़े हैं, कांबेन्ट स्कूलों में पढ़े हैं। मैं तो यह कहूंगा माननीय सदस्या, आपने यह सोचा अगर विधान सभा में हम यह संकल्प लेते हैं और क्योंकि यह संकल्प हम लोग लेंगे, हम लोग अगर इस बात को तय कर लेते हैं कि हम हिन्दी का प्रचार-प्रसार करेंगे। उन लोगों का क्या होगा जो विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिता में हमारे और आपके बच्चों को पीछे छोड़कर कम्पीटीशन में आ जायेंगे। आपको यह तय करना पड़ेगा कि राज्य सरकार को सबसे पहले विश्वविद्यालयों में, महाविद्यालयों में और नीचे स्तर के विद्यालयों में हिन्दी भाषा को मजबूत करना पड़ेगा। यह नहीं होगा कि 100 नम्बर में से 33 नम्बर अगर कोई ले आया किसी भी तरह से तो उसको आपने यह डिग्री दे दी, पट्टा दे दिया कि हिन्दी अनिवार्य विषय उन्होंने उत्तीर्ण कर लिया है, इसको हिन्दी आ गई है। अगर आपको हिन्दी से वास्तविक लगाव है, राजभाषा से लगाव है तो आपको ऐसे ठोस कदम उठाने पड़ेंगे कि हकीकत में हमारी हिन्दी मजबूत हो सके। आज 200-300 साल से हमारी संस्कृति पर अंग्रेजी छाई हुई है। आप इस संकल्प के माध्यम से अंग्रेजी को यहां से नहीं भगा सके, संकल्प आपको नीचे से लेना पड़ेगा। यह आपको अनिवार्य करना पड़ेगा कि विद्यालयों में हिन्दी में पढ़ाई होगी। यहां अंग्रेजी की कोई किताब लाइब्रेरी में नहीं मिलेगी, सिर्फ हिन्दी की मिलेगी। तब अंग्रेजी की जो औलाद बनते हैं, जो अंग्रेज बनते हैं और जो हमारे गांव के ग्रामीण छात्रों को पीछे छोड़ कर कम्पीटीशन में ऊपर आ जाते हैं। उनके लिए जब यह मजबूरी हो जायेगी कि हिन्दी की ही किताब से पढ़ा जायेगा, हिन्दी को ही स्कूल में पढ़ा जायेगा। अगर कांबेन्ट में भी पढ़कर आ गया तो उसका इस राज्य में, कोई स्थान नहीं सही मायने में तब आप हिन्दी की मजबूत जड़ें बना पायेंगे। नहीं तो यह संकल्प लेते रहें और इससे बड़ा दुर्भाग्य कोई नहीं होगा कि सर्वोच्च सदन, पवित्र सदन कोई संकल्प ले और उसकी पालना नहीं की जाय, उसके ऊपर चला नहीं जाय, कार्यवाही नहीं की जाय, यह इस प्रान्त में इस सदन के लिए बड़े दुर्भाग्य की बात और कोई नहीं होगी, उपाध्यक्ष महोदय। इसलिए मेरा निवेदन है, आप कहते हैं कि राज कार्यों में सब कुछ चला दीजिये। आपको केरल स्टेट से भी पत्राचार करना पड़ता है, क्या उन स्टेट को आप लिखेंगे कि आप हिन्दी का एक ट्रांसलेटर रखिये। कल को वह भी आपको कन्नड़ भाषा में लिखकर भेज देंगे। क्या यहां कन्नड़ भाषा का एक..

श्रीमती उजला अरोड़ा : माननीय सदस्य, अगर अंग्रेजी भाषा में और अन्य किसी भाषा में कोई चिट्ठी भेजे तो वह भेजी जा सकती है। इन नियमों में वह प्रावधान है। आपने इनका अध्ययन किया नहीं है, दिक्कत वह है। और मुझे उपाध्यक्ष महोदय, बोलने नहीं दे रहे हैं वरना मैं आपको एक एक शब्द समझाती।

श्री उपाध्यक्ष : उजला जी आप व्यवधान कर रही हैं। आप बैठिये। आप सुनिये इनकी बात।

श्री जुबेर खान : उपाध्यक्ष महोदय, जैसाकि माननीय मुख्य मंत्रीजी और अन्य मंत्रीजी कहते हैं कि हमारे यहां तो जर्मनी के भी प्रोजेक्ट चल रहे हैं, वर्ल्ड बैंक के भी चल रहे हैं और आज हमारी मजबूरी है कि हमें सहायता लेनी पड़ती है। क्या उन्होंने वहां भी कह रखा है कि हिन्दी को अनिवार्य कर दीजिये। अनिवार्यतः का तो मतलब यह है कि अगर संकल्प आप मानेंगे तो आपको जर्मनी की सरकार को और वर्ल्ड बैंक को भी हिन्दी में ही पत्र लिखने पड़ेंगे। मेरे कहने का मतलब यह है कि माननीय सदस्या महोदय, आप....

श्रीमती उजला अरोड़ा : जापानी लोग....

श्री उपाध्यक्ष : आप उजला जी बैठ नहीं सकती क्या।

श्रीमती उजला अरोडा : 350 देश हैं उनकी कौन-कौनसी भाषा आपने ले रखी है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय उजला जी।

श्री जुबेर खान : मैं कह रहा हूं माननीय सदस्या, हमारी संस्कृति...

श्री उपाध्यक्ष : मेरा जुबेर खान जी, आपसे निवेदन है कि आप आसन को सम्बोधित करें।

श्री जुबेर खान : 400-500 साल से हमारे ऊपर दुर्भाग्य से दूसरी संस्कृतियां हावी रही, चाहे वह मुगल रहे हो, चाहे वह अंग्रेज रहे हों। उपाध्यक्ष महोदय, मैं बहुत नम्र शब्दों में कहना चाहता हूं कि इतनी लम्बी जो बीमारियां हैं जो विभिन्न भाषाएं हैं इनको उखाड़ कर फेंकने में समय लगेगा लेकिन हमें मानसिक तौर पर तैयार रहना रहना चाहिए कि हमें इनको किस तरह से स्थानान्तरण करना है। उसके लिए मेरा आपसे निवेदन है कि अगर आपने स्कूल्स में नहीं किया, कम्पटीशंस प्रतियोगिताओं में, आर. पी. एस. सी.. यू. पी. एस. सी., स्टाफ सलेक्शन बोर्ड, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, बैंक रिक्रूटमेंट बोर्ड, बैंक बोर्ड उनमें तो मैथेमेटिक्स के आधे से ज्यादा सवाल होते हैं और मैथेमेटिक्स में में हिन्दी कोई ज्यादा लिटरेचर नहीं है या साइकलोजी के ज्यादा सवाल होते हैं, साइंस की टर्म्स होती हैं जिनकी आज तक हमें हिन्दी में शब्दकोष ही नहीं बना पाए हैं। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि हमारे जो ग्रामीण लोग नौकरियों में भी आगे आने लगे हैं, कम्पीटिशंस में बड़े-बड़े परिवार के लोगों को कम्पीट करने लगे हैं उनको तो आप रोक देना चाहती है। मेरे कहने का मतलब है कि आप संकल्प लीजिए कि

(श्री जुबेर खान)

राजस्थान प्रान्त में कोई पब्लिक स्कूल नहीं चलेगा, कोई ऐसा स्कूल नहीं चलेगा जिसमें अंग्रेजी की अनिवार्यता हो। आप यह संकल्प लीजिए तभी जाकर आप राजभाषा को कोई प्रारूप दे पायेंगे और जो आपकी भावना है उससे मैं सहमत हूं कि यह जो पराई भाषा है वह यहां से जाय और हमारी जो मातृभाषा हिन्दी है वह तभी सही मायने में आ पायेगी। वरना आप खूब संकल्प ले लीजिए, खूब एक्ट बना लीजिए, अधिनियम बना लीजिए, कानून बना लीजिए, एक मजाक बनकर रह जायेगा। इसलिए मेरा मानना है कि इसका नीचे के स्तर से शुरूआत हो, इसका प्रचार-प्रसार हो और हिन्दी का ऐसा सरलीकरण कराइये कि कि इसको आप जैसे और हम जैसे लोग तो समझ सकें वरना तो इसे समझना ही मुश्किल हो जायेगा।

श्रीमती उजला अरोड़ा : अपन तो हिन्दी में ही रोते हैं, हिन्दी में ही गाते हैं, हिन्दी में ही बोलते हैं। आप सही बात कह रहे हो।

श्री जुबेर खान : इन सब बातों के बावजूद भी मैं इस संकल्प का समर्थन करता हूं कि माननीया सदस्या संकल्प लेकर आई है कि कहीं न कहीं से शुरूआत तो हो। लेकिन मेरे कहने की भावना यह नहीं थी कि आपका कोई विरोध करना था। मेरी यह भावना थी कि अगर हमें इसको सही ढंग से लागू करना है तो हमें नीचे तक जाना पड़ेगा और इसकी भावना को समझना पड़ेगा, यही बात मैं उपाध्यक्ष महोदय से कहना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : धन्यवाद माननीय श्री बालचन्द आर्यवीर।

श्री बालचन्द आर्यवीर (डग) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हिन्दी देश की राजभाषा है लेकिन हमारा देश विश्व गुरू है। विश्व इससे प्रेरणा लेता था लेकिन आज देखा यह जाता है कि हम पाश्चात्य संस्कृति की ओर खिचे जा रहे हैं...

श्री बुलाकीदास कल्ला : उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सचेतक जी से निवेदन करना चाहता हूं कि आज गैर सरकारी दिवस है। हमेशा तो आप अपनी पार्टी का या सदन का ध्यान रखते हैं। मैं गैर सरकारी दिवस पर सदस्यों की तरफ से यह आग्रह करता हूं कि आज सदन का समय बढ़ाया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिये आप। आप बोलिए।

श्री बालचन्द आर्यवीर : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं सभी माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहता हूं कि हम अपने व्यवहार में हिन्दी को उपयोग में लायें। आज भी हमारे घरों में अधिकांश तो मम्मी और पापा कहने के अलावा और कुछ उपयोग में नहीं लाते हैं। यदि माननीय सदस्या से पूछा जाय कि आपके घर में आपको क्या कह कर आपके बच्चे सम्बोधित करते हैं तो यही आयेगा कि हमें मम्मी कहते हैं।

श्रीमती उजला अरोड़ा : मेरे को तो मेरे घर के ही नहीं आप भी अम्मा कहते

(श्रीमती उजला अरोड़ा)

हो। और मैं यह समझती हूं कि अम्मा और पिताजी से प्यारा शब्द कोई है नहीं। वह आप सबको मानना पड़ेगा।

श्री बालचन्द आर्यवीर : मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि पूरे प्रान्त में हिन्दी को अनिवार्य रूप से राजभाषा के रूप में लागू किया जाय। आज हम स्वाधीनता दिवस मानते हैं और छात्र-छात्राओं को यह प्रेरणा दी जाती है कि वे हिन्दी में कविता बोलें लेकिन वे नहीं बोलकर कई अवसरों पर अंग्रेजी में कविताएं बोली जाती हैं। हमारी भारत माता जिसके लिए हमारे राष्ट्रभक्तों ने त्याग किया, बलिदान किया और ऐसे अवसरों पर अंग्रेजी भाषा, गुलामी की भाषा जिसने हमारी भारत माता को गुलामी की बेड़ियों में जकड़ा था उस भाषा को हम प्रयोग में लायें? इसको समाप्त किया जाना चाहिए।

हमारे देश में जितने भी अंग्रेजी स्कूल चलते हैं उनकी मान्यता समाप्त होनी चाहिए। जिससे हमारे बच्चों में हमारी हिन्दी भाषा के प्रति अपनत्व व आत्मीयता बढ़े और वह हमारे व्यवहार में आये। जय भारत।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय श्री बुलाकीदास जी कल्ला।

श्री बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर) : उपाध्यक्ष महोदय, माननीया सदस्या ने जो संकल्प प्रस्तुत किया उसका तो समर्थन करता हूं और इस संबंध में सरकार की ओर से समय-समय पर कई आदेश निकले हुए हैं और हमारी राजभाषा राजकीय काम-काज की भाषा होनी चाहिए और हिन्दी में अधिकांश काम-काज होना चाहिए। लेकिन कई स्थानों पर खास तौर से हमारे न्यायालयों में हिन्दी में काम-काज बहुत कम मात्रा में होता है। इसके लिए मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्रीजी से आग्रह करूंगा कि वे इस सम्बन्ध में हमारे राजस्थान के मुख्य न्यायाधीश से वार्ता करके न्यायालयों में खास तौर से हिन्दी भाषा का उपयोग हो इसके बारे में चर्चा करके इसका कोई समाधान कर सकते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, किसी भी देश में, मुझे याद है मैं सन् 1984 रूस गया था तो वहां जो भाषा का सिद्धान्त है वहां पहले उस राष्ट्र की भाषा, उसके बाद में जिस प्रान्त का है उस प्रान्त की भाषा और वहां का प्रत्येक विद्यार्थी वहां का अन्तर्राष्ट्रीय भाषा को भी चुनता है। वहां पर तीन भाषाओं का सूत्र काम कर रहा है। हमारे प्रदेश में भी हम यह कोशिश करें राष्ट्रभाषा हिन्दी प्रमुख रूप से हमारे राजकाज की भाषा रहे लेकिन इसके साथ-साथ प्रान्तीय भाषा के रूप में राजस्थानी भाषा को मान्यता मिले। जहां इस प्रकार के गीत रचे गये हैं-

"आ तो सुरगां नै शरमावे,
ई पर देव रमण ने आवे,
धरती धोरां री।
ई रो बीकाणो गर्वीलो,
ई रो अलवर जबर हठीलो,
ई रो अजमेर भड़कीलो,
धरती धोरा री।"

(श्री बुलाकीदास कल्ला)

ऐसी समृद्ध भाषा जिसमें प्रथम व्यक्ति को जैसे आज कोई भी सोहनलाल है यदि वह आपका बहुत अच्छा दोस्त है तो आप कहेंगे कि "आ'सोनिया", "सोहन लाल", "सोहनियो" "सोनो" आदि । तो जैसा आपका संबंध है, सोहन भी कह दीजिए, सोहन लाल कह दीजिए, सोहन राम भी कह दीजिए, । विश्व में ऐसी कोई भाषा नहीं है जिसमें प्रथम व्यक्ति को आप अपने सम्बन्ध के हिसाब से पुकार सकते हैं। आपका उसके साथ कैसा संबंध है । आपसे बड़ा है तो बड़प्पन के रूप में, छोटा है तो छोटे के रूप में, दोस्त के रूप में जिस तरीके से आप अपने संबंध के आधार पर पुकार सकते हैं वैसे ही कह सकते हैं । तो प्रान्तीय भाषा को समृद्ध करने की बात है तो राजस्थानी भाषा को निश्चित रुप से इस सदन को मान्यता देनी चाहिए और तीसरी भाषा अन्तर्राष्ट्रीय भाषा चाहे वह कोई भी हो, चाहे वह अंग्रेजी हो, फ्रेंच हो, चाइनीज हो, रसियन हो, हमें वह भी सीखनी चाहिए या फिर भारतीय भाषा सिखानी चाहिए जैसे तमिल है, तेलगू है, पंजाबी है, गुजराती है । हम जब तक इस प्रकार का भाव नहीं रखेंगे तब तक हम हिन्दी को कभी भी विकसित नहीं कर पायेंगे ।

मैं उपाध्यक्ष महोदय, आपको उदाहरण देकर बताना चाहता हूं । "रेल" शब्द है उसका हिन्दी में नाम है "लौह पथ गामिनी गमना गमनी" । मैं समझता हूं बहुत कम लोगों को यह शब्द याद है लेकिन रेल से सारे लोग इसको पहचान सकते हैं । तो हिन्दी में हम लोगों को ऐसे शब्दों को जो प्रचलन में आ गये हैं अपनाना चाहिए । उर्दू भाषा के शब्द है, तमिल के कुछ ऐसे शब्द हैं, पंजाबी के शब्द है, गुजराती, मराठी के शब्द हैं । इन शब्दों को जो आस-पास के लोग बोलते हैं और जिनको सुविधा से हिन्दी अपना सकती है । हिन्दी बोलने वाले लोगों को भी इतना व्यापक स्तर रखना चाहिए कि हमको संकीर्ण न होकर ऐसे शब्दों को जो हिन्दी में सम्मिलित किए जा सकते हैं उनका व्यापक बृहदकोष बनाकर इनको सम्मिलित किया जाना चाहिए । उपाध्यक्ष महोदय, मेरा भाषण समाप्त हो तब तक तो 5 मिनट बढ़ा दीजिए ।

श्री उपाध्यक्ष : हां, बोलिए, बोलिए ।

श्री बुलाकीदास कल्ला : वेदों के भाष्य हमारे परम् श्रद्धेय स्व. करपात्रीजी ने लिखा उसकी हिन्दी इतनी क्लिष्ट थी कि उसके लिए हमें डिक्शनरी देखनी पड़ती थी । ऐसी सरल भाषा जो आम आदमियों के लिए बोधगम्य हो ऐसी भाषा के शब्दों को अधिक से अधिक प्रचार करना चाहिए । हिन्दी और संस्कृत की जो संक्षिप्तीकरण की शैली है वह भी सारे विश्व में प्रसिद्ध है । रामायण को और महाभारत को 4-4 लाइनों में संस्कृत में और राजस्थानी भाषाओं में हमारे साहित्यकारों ने परिभाषित किया है उसका संक्षिप्तीकरण किया है । इस संक्षिप्तीकरण की शैली का प्रचार व प्रसार करना चाहिए और खास तौर से सचिवालय में....

श्री गोविन्द सिंह गुर्जर : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि माननीय

(श्री गोविन्द सिंह गुर्जर)

सदस्य जब तक अपना भाषण समाप्त करें तब तक के लिए सदन का समय बढ़ा दिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय बुलाकीदास जी कल्ला आप अपना भाषण समाप्त करें। सदन की कार्यवाही कल शनिवार दिनांक 26-9-92 को प्रातः 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की बैठक म. प. 5.00 बजे शनिवार, दिनांक 26 सितम्बर, 1992 के म.पू. 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)

171

परिशिष्ट–1

तारांकित प्रश्न संख्या 191 का विवरण

राजस्थान–सरकार
कार्यालय सहायक खनि. अभियन्ता, झालावाड़

विषय :— राजस्थान विधान सभा तारांकित प्रश्न संख्या 2 द्वारा श्री मदन दिलावर, (104) सदस्य, राजस्थान विधान सभा

सूची अटरु क्षेत्र में अवैध खनन करने वालों की जिन पर दस हजार से अधिक की राशि बकाया है :—

क्र. सं.	नाम बकायादार	निरीक्षण तिथी	1–9–92 को बकाया
1.	श्री उमरदराज बडोरा	6 व 7–9–90 (द्वारा वन विभागीय प्रतिनिधि)	38800/–
2.	श्री अब्दुल सत्तार बडोरा	—,,—	16300/–
3.	श्री अब्दुल मलिक बडोरा	—,,—	72000/–
4.	श्री अब्दुल गनी बडोरा	21 व 22–12–90 (द्वारा खान विभागीय प्रतिनिधि)	187704/–
5.	श्री जफ़र खां बडोरा	—,,—	47448/–

ह०
सहायक खनि. अभियन्ता,
झालावाड़ (राज.)

राजस्थान--सरकार
कार्यालय सहायक खनि अभियन्ता, झालावाड़

विषयः – राजस्थान विधान सभा तारांकित प्रश्न संख्या 2 द्वारा श्री मदन दिलावर, सदस्य, राजस्थान विधान सभा

सूची अवैध खनन करने वालों की जिनके नाम वैध खानें हैं :—

क्र. सं.	नाम खनन पट्टाधारी	खनन पट्टा का विवरण
1.	श्री जफर खां बडोरा	क्षेत्र 120×60 व. मी. निकट ग्राम रुघनाथपुरा तह. अटरु जिला बारां अवधि प्रथम नवीनीकरण पर 10-9-95 तक
2.	श्री अब्दुल सत्तार बडोरा	क्षेत्र 150×60 व. मी. निकट ग्राम रुघनाथपुरा तह. अटरु जिला बारां अवधि प्रथम नवीनीकरण पर 31-10-92 तक।
3.	श्री अब्दुल ग्रनी बडोरा	क्षेत्र 120×60 व. मी. निकट ग्राम सूरपा अवधि प्रथम नवीनीकरण पर 17-11-92 तक।

ह०
सहायक खनि. अभियन्ता,
झालावाड़ (राज.)

राजस्थान–सरकार

कार्यालय सहायक खनि अभियन्ता, झालावाड़

विषय :— राजस्थान विधान सभा तारांकित प्रश्न संख्या 2 द्वारा श्री मदन दिलावर, सदस्य, राजस्थान विधान सभा

सूची खानों की वन विभाग (अभ्यारण) क्षेत्र में चल रही है :—

क्र. सं.	नाम पट्टाधारी	क्षेत्र खनन पट्टा	खनन पट्टा की अवधि	विवरण
1.	श्री जफर खां बडोरा	120 × 60 व.मी. नि. ग्रा. रुघनाथपुरा	प्रथम नवीनीकरण पर 10–9–93 तक	इन चारों खनन पट्टा क्षेत्र पर राज्य सरकार के परिपत्र 18–1–86 के अनुसरण में खनन कार्य किया जा रहा है।
2.	श्री अ. सत्तार बडोरा	150 × 60 व.मी. नि.ग्रा. रुघनाथपुरा	प्रथम नवीनीकरण पर 31–10–92 तक	
3.	श्री अब्दुल गनी बडोरा	120 × 60 व.मी. ग्राम सूरपा	प्रथम नवीनीकरण पर 17–11–92 तक	
4.	श्री अमीन बडोरा	120 × 60 व.मी. नि.ग्रा. आचोली विरान	प्रथम नवीनीकरण पर 11–10–92 तक	

ह०

सहायक खनि अभियन्ता,

खान एवं भू-विज्ञान विभाग,

झालावाड़ (राज.)

परिशिष्ट-2

(समयाभाव के कारण सदन में न लिए जा सके तारांकित प्रश्न व उनके उत्तर

पंचायत समिति मकराना की ढाणियों में पेयजल पूर्ति

195. **बिरधाराम चौधरी (मकराना) :** क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) मकराना पंचायत समिति क्षेत्र में ऐसी कितनी ढाणियां 200 से ज्यादा जनसंख्या की है जिनमें पानी की व्यवस्था नहीं है और किन-किन ढाणियों की जनता द्वारा पेयजल की मांग की गई है ?

(2) क्या सरकार ने उक्त क्षेत्र की ढाणियों को पानी मुहैया कराने बाबत कोई सर्वे करवाया है ? यदि हां, तो किस-किस ढाणी का एवं सरकार इन ढाणियों को कब तक पानी उपलब्ध करा देगी ? विवरण मय ढाणियों व सर्वे रिपोर्ट के सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विभाग द्वारा ढाणियों की जनसंख्या के सम्बन्ध में जनगणना नहीं कराई गई है परन्तु विभाग द्वारा कराये गये प्रारम्भिक क्षणसर्वे के अनुसार संदर्भित पंचायत समिति मे 200 से अधिक जनसंख्या की लगभग 51 ऐसी ढाणियां होने का अनुमान है, जिनमें पृथक से पेयजल व्यवस्था की जानी शेष है। उपरोक्त सभी ढाणियों में पृथक से पेयजल व्यवस्था हेतु मांग की गई है।

(2) वर्तमान में प्रगतिरत राज्य के समस्त ग्रामों एवं ढाणियों की पेयजल व्यवस्था संबंधी सर्वेक्षण के अन्तर्गत, उक्त क्षेत्र की ढाणियों का सर्वेक्षण भी अभी प्रगति पर है। समस्या का निदान धन संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

अनुसूचित जाति/जनजाति के व्यक्तियों को विद्युत कनेक्शन

196. **श्री रामस्वरूप मीणा (टोडा भीम) :** क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या सरकार किसानों को विद्युत कनेक्शन देने को कोई नई नीति की घोषणा करने का विचार रखती है ? यदि हां तो कब तक ?

(2) वर्ष 1990 से 1992 तक जिला सवाईमाधोपुर में कितने विद्युत कनेक्शन दिये गये और इन कनेक्शन्स पर कितनी राशि वसूल की गई ? वर्षवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार अनुसूचित जाति एव जनजाति के लोगों के लिए कनेक्शन्स में कोई सुविधा दे रही है ? यदि हां, तो क्या ? पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) वर्ष 1992–93 के लिये विद्युत

(ऊर्जा मन्त्री)

संबंध दिये जाने हेतु दिनांक 24.8.1992 को नीति घोषित कर दी गई है।

(2) वर्ष 1990-91 एवं 1991-92 तक सवाईमाधोपुर जिले में मण्डल द्वारा कुल 1990 कृषि कनेक्शन दिये गये हैं। उक्त दो वर्षों में कृषि कनेक्शनों के मद में अनुमानित 74,05757 रुपये आवेदकों से वसूल किये गये हैं। वर्षवार विवरण निम्नानुसार हैं:–

वर्ष	दिये गये कृषि कनेक्शन	अनुमानित वसूली गई राशि
1990-91	988	42,41,714.00
1991-92	1002	31,64 043.00

(3) जी हां। वर्ष 1992-93 के लिये कुल कृषि लक्ष्यों का 20% (5000) लक्ष्य का निर्धारण अनुसूचित जाति एवं जन जाति के लोगों के लिए किया गया है। इससे इस श्रेणी के उपभोक्ताओं का नम्बर जल्दी आ जाता है।

नागौर की पंचायत समितियों में अध्यापकों के रिक्त पद

197. **श्री मोहनलाल** (परबतसर) : क्या पंचायत राज राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) जिला परिषद, नागौर के अन्तर्गत पंचायत समितियों में कितने–कितने अध्यापकों के पद कब से हैं? पंचायत समितिवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) इन रिक्त पदों की पूर्ति क्यों नहीं की जा रही है? अब कब तक कर दी जायेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जिला परिषद नागौर के अन्तर्गत, विभिन्न पंचायत समितियों में अध्यापकों के रिक्त पदों का पंचायत समितिवार विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

(2) डी. बी. सिविल रिट संख्या 6401/91 के निस्तारण के बाद ही अध्यापकों के सामान्य श्रेणी के पदों पर नियुक्ति की कार्यवाही की जा सकेगी। विज्ञापन संख्या 6/91 द्वारा श्यामपट्ट योजनान्तर्गत विज्ञापित पदों के विरूद्ध नियुक्ति पर राज्य सरकार द्वारा रोक लगा रखी है। रोक हटने पर इनकी नियुक्ति की कार्यवाही की जा सकेगी।

जिला नागौर के अध्यापकों के स्वीकृत, कार्यरत रिक्त पदों की स्थिति

क्र. सं.	पं. सं. का नाम	विद्यालय संख्या	स्वीकृतपद		कार्यरत अध्यापक		रिक्त पद	
			सामान्य योजना	श्यामपट्ट योजना	सामान्य योजना	श्यामपट्ट योजना	सामान्य योजना	श्यामपट्ट योजना
1–	जायल	108	193	120	158	60	35	60
2–	मूण्डवा	93	183	59	164	–	19	59
3–	रिया	99	215	45	184	30	31	15
4–	डेगाना	129	220	88	204	–	16	88
5–	परबतसर	92	224	94	168	47	56	47
6–	मकराना	91	135	98	119	52	16	46
7–	कुचामन	134	277	100	235	50	42	50
8–	नागौर	117	224	71	173	–	51	71
9–	मेड़ता	83	180	43	146	–	34	43
10–	लाडनू	81	142	88	115	54	27	34
11–	डीडवाना	148	210	160	187	122	23	38
योग:—		1175	2203	966	1853	4 5	350	551

पदो की रिक्तियों का वर्ष

89-90—12/, 90-91—209/, 91-92, 92-93—680 योग 901 (15 सितम्बर 92 तक)

अकाल राहत पर व्यय

198. श्री जुबेर खान (रामगढ़) : क्या अकाल राहत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) वर्ष 1992-93 में अकाल राहत कार्यों के लिए सरकार द्वारा कितनी धन राशि का आवंटन किया गया? जिलेवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) आवंटित धनराशि में से कितनी-कितनी राशि व्यय की गई? सूची जिलेवार सदन की मेज पर रखें।

(3) जिला अलवर में वर्तमान वित्तीय वर्ष में अकाल-राहत-कार्यों के अन्तर्गत क्या-क्या कार्य स्वीकृत किये गये? स्वीकृत कार्यों में से कितने कार्य शुरू हो पाये, कितने कार्य पूर्ण हो चुके एवं इन कार्यों पर कितनी-कितनी राशि व्यय की गई?

(4) अकाल राहत के अन्तर्गत जो कार्य अधूरे रह गये हैं, उन्हें क्या सरकार किसी योजना के अन्तर्गत पूर्ण करवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

(1) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है। (परिशिष्ट-"अ")

(2) वास्तविक व्यय की राशि की सूचना एकत्र की जा रही है।

(3) जिला अलवर में वर्ष 92-93 में अकाल राहत योजना के अन्तर्गत 1337 कार्य स्वीकृत किये गये। स्वीकृत कार्यों में से 981 कार्य प्रारम्भ किये गये, जिसमें से 838 कार्य पूर्ण हुए एवं 143 कार्य अपूर्ण रहे। इन राहत कार्यों पर 250.00 लाख रुपये की राशि व्यय हुई है। राहत कार्यों की विभागवार सूचना सदन की मेज पर रख दी गई है। (परिशिष्ट-"ब")

(4) जी हां। अधूरे कार्यों को पूर्ण कराने की योजना बनाने का कार्य प्रगति पर है।

578

परिशिष्ट–"अ"

वर्ष 92–93 में अकाल राहत कार्यों के अन्तर्गत आवंटित राशि एवं व्यय का विवरण

(राशि लाखों में)

क्र. सं.	नाम जिला	राशि आवंटन 92–93	व्यय 92–93		जोड़ (कालम सं.4 + 5)
			कोष कार्या. से ए.सी. बिल पर आहरित	गत वर्षों की बचत से व्यय	
1	2	3	4	5	6
1.	अजमेर,	728.17	725.39	194.89	920.28
2.	अलवर	250.00	250.00	—	250.00
3.	बांसवाड़ा	410.00	200.00	123.34	323.34
4.	बांरा	120.00	120.00	—	120.00
5.	भरतपुर	150.00	10.57	—	10.57
6.	बाड़मेर	755.00	755.00	280.40	1035.40
7.	भीलवाड़ा	347.00	347.00	42.69	389.69
8.	बीकानेर	1187.00	1187.00	115.51	1302.51
9.	बून्दी	77.00	53.06	—	53.06
10.	चित्तौड़गढ़	294.60	270.00	—	270.00
11.	चूरू	915.00	714.07	90.60	804.67
12.	दौसा	220.00	179.44	—	179.44
13.	धौलपुर	120.00	—	43.53	43.53
14.	डूंगरपुर	650.00	620.72	119.90	740.62
15.	गंगानगर	90.00	36.56	8.27	44.83
16.	जयपुर	155.00	155.00	82.68	237.68
17.	जैसलमेर	715.00	565.00	13.35	578.35
18.	जालौर	260.00	241.75	22.00	263.75
19.	झालावाड़	115.00	115.00	61.48	176.48
20.	झुन्झुनू	456.00	456.00	53.97	509.97

(179)

1	1	3	4	5	6
21.	जोधपुर	720.00	720.00	115.11	835.11
22.	कोटा	107.00	—	69.50	69.50
23.	नागौर	220.00	282.20	78.43	360.63
24,	पाली	260.00	260.00	87.26	347.26
25.	राजसमन्द	380.00	380.00	—	380.00
26.	स. माधोपुर	155.00	153.85	109.04	262.89
27.	सीकर	255.00	210.00	73.86	283.87
28.	सिरोही	260.00	220.00	26.33	246.33
29.	टोंक	275.00	255.95	119.87	375.82
30.	उदयपुर	575.00	458.69	103.27	561.96
	योग—	11221.77	9942.25	2035.29	11977.54

परिशिष्ट–"ब"

(राशि-लाखों में) वर्ष 92–93

क्र. सं	विभाग का नाम	कुल स्वीकृत कार्य	प्रारम्भ कार्य	अपूर्ण कार्य	पूर्ण कार्य	स्वीकृत राशि	राहत कार्यों पर व्यय।
1.	सार्व. नि. विभाग–प्रथम	22	19	15	4	56.00	12.60
2.	सार्व. नि. विभाग–द्वितीय	22	18	18	–	57.73	12.00
3.	सिचाई विभाग	6	4	3	1	4.10	060
4.	जिला भू-संरक्षण	5	5	–	5	6 05	4.74
5.	उप वन संरक्षण सा. वानिकी	4	1	–	1	9.60	1.95
6.	सहकारी समिति	10	10	10	–	4.67	1.50
7.	बाघ परियोजना सरिस्का	5	5	5	–	6.00	1.95
8.	पंचायत समितियां	1263	919	92	827	298.85	214.66
	योग	1337	981	143	828	443.00	250

अरावली योजना

199. श्री फतेह सिंह (कुशलगढ़) : क्या वन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे।—

(1) क्या राज्य सरकार जिला बांसवाडा में वनों की कटाई रोकने व नंगी पहाड़ियों को फिर से आबाद करने की योजना बना रही है ? नहीं तो क्यों ?

(2) क्या यह सही है कि विभाग ने अरावली योजना तैयार की है ? यदि हां, तो उसका क्या उद्देश्य है और इस योजना के अन्तर्गत कौन-कौन से जिले सम्मिलित किये गए हैं ?

उत्तर

(1) जी हां ।

(2) जी हां । इस योजना के मुख्य उद्देश्य वृक्षविहीन पर्वत श्रृंखलाओं को वनाच्छदित कर परिस्थितिक संतुलन बनाये रखना, मरुस्थलीय फैलाव को रोकना तथा स्थानीय रूप से लकड़ी चारा व लघु वन उपज की उपलब्धता बनाये रखना है । इस योजना में बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, सिरोही, पाली, नागौर, सीकर, झुन्झुनूं, अलवर व जयपुर जिलों को सम्मिलित किया गया है ।

उसरानी–जनूथर (कुम्हेर) सड़क निर्माण

200. श्री नत्थी सिंह (कुम्हेर) : क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि कुम्हेर क्षेत्र में उसरानी से जनूथर तक की सड़क एम. एन. पी. के अन्तर्गत स्वीकृत की गई थी ?

(2) उपरोक्त सड़क के लिए कितनी राशि स्वीकृत की गई थी और कब तक इस सड़क निर्माण का कार्य पूरा हो जाना था ?

(3) क्या यह सही है कि सड़क पर अभी तक केवल मिट्टी का कार्य ही हुआ है और अनेक बार शिकायत करने पर भी ठेकेदार द्वारा कार्य नहीं किया जा रहा है ? यदि हां तो ठेकेदार के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

(4) इस सड़क निर्माण का कार्य अब कब तक पूरा कर दिया जायेगा ?

उत्तर

(1) जी हां ।

(2) उपरोक्त सड़क के निर्माण हेतु 15.00 लाख रुपये की राशि दिनांक 15.12.90 को स्वीकृत की गई थी । अनुबन्ध की शर्तों के अनुसार कार्य दिनांक 30.3.92 को पूर्ण किया जाना था ।

(3) जी नहीं, इस सड़क पर मिट्टी के कार्य के अतिरिक्त ओवर साईज मैटल (ओ. एस. एम.) की सड़क पर आपूर्ति कर दी गई है । संवेदक के विरुद्ध अनुबन्ध की शर्तों के अनुसार कार्यवाही जारी है ।

(182)

(सार्वजनिक निर्माण मंत्री)

(4) इस सड़क का निर्माण कार्य मार्च 1993 तक होना संभावित है।

नागौर जिले की नगरपालिकाओं का ग्राम पंचायतों में परिवर्तन

201. **श्री रिछपाल सिंह** (डेगाना) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या वर्तमान वर्ष 1992–93 के दौरान नागौर जिले की किन्हीं नगरपालिकाओं को ग्राम पंचायत के रूप में घोषित करने का प्रस्ताव है ? यदि हां, तो किस-किस को तथा कब तक ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) जिन नगरपालिकाओं को ग्राम पंचायतों में घोषित किया जा रहा है, उनमें कार्यरत कर्मचारियों के भविष्य के बारे में सरकार की क्या योजना है ?

(3) अब तक राजस्थान में कुल कितनी नगरपालिकाओं को ग्राम पंचायतों में घोषित किया जा चुका है ? सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) प्रश्न एक के उत्तर के बाद यह प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता है।

(3) राजस्थान की कुल 22 नगरपालिकाओं को ग्राम पंचायत में परिवर्तित करने की घोषणा की गई है। जिनकी सूची सदन की मेज पर रख दी गयी है।

राजस्थान की जिन 22 नगरपालिकाओं को ग्राम पंचायत में घोषित किया गया है, वे निम्नलिखित है।

1. भिवाड़ी
2. गलियाकोट
3. मारवाड जंक्शन
4. छीपा बडौद
5. बसवा
6. बस्सी
7. मनोहरपुर
8. माण्डल
9. नारायणा
10. निमाज
11. सिवाना
12. समदड़ी
13. सुनैल
14. रानी
15. रायपुर
16. लोसल
17. आमेट
18. कैथून
19. कानोड
20. पिडावा
21. खुडाला-फालना
22. सांगोद

कृषि विद्युत् कनेक्शन का लक्ष्य

202. **श्री परसादी लाल मीणा** (लालसोट) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या सरकार ने वर्ष 1992–93

(श्री परसादी लाल मीणा)

के लिए कृषि विद्युत् कनेक्शन जारी करने की नीति निर्धारित की है ? यदि हां, तो कृषि नीति का प्रारूप सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार ने वर्ष 1992-93 के लिए कुओं पर विद्युत कनेक्शन करने के लिए पंचायत समितिवार लक्ष्य निर्धारित कर दिए हैं ? यदि हां, तो प्रत्येक पंचायत समिति को कितने-कितने कृषि कनेक्शन आवंटित किये हैं ?

(3) क्या सरकार ऐसे गांवों में शीघ्र कृषि कनेक्शन जारी करने का इरादा रखती है जिन गांवों का विद्युतीकरण कर दिया परन्तु आवेदन पत्र के बाद भी एक भी कृषि कनेक्शन जारी नहीं किये ? यदि हां तो उक्त श्रेणी के गांवों की संख्या क्या है ? तथा इन्हें कब तक कनेक्शन जारी कर दिये जाएंगे ?

उत्तर

(1) जी हां। जारी की गई कृषि नीति की प्रति परिशिष्ट "अ" सदन के पटल पर रख दी गई है।

(2) जी हां। पंचयत समितिवार कार्यक्रम की सूची परिशिष्ट "ब" सदन के पटल पर रख दी गई है।

(3) जी हां, 1515 ग्राम ऐसे हैं जिन में 2 कनेक्शन तक प्रति गांव के अनुसार 3030 कनेक्शन देने की कार्य योजना बनाई गई है, जिन्हें नियमानुसार इसी वित्तीय वर्ष में कनेक्शन जारी कर दिये जायेंगे।

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया।)

सांचौर पंचायत समिति में अध्यापकों के रिक्त पद

203. **श्री लक्ष्मीचन्द मेहता (सांचौर)** : क्या पंचायत राज राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जालोर जिले की सांचौर पंचायत समिति के प्राथमिक विद्यालयों में कितने अध्यापकों के पद रिक्त है ? रिक्त पदों की पूर्ति कब तक कर दी जायेगी ?

(2) प्राथमिक विद्यालयों में 60 बालकों पर एक अध्यापक लगाये जाने की नीति के अनुपात से पंचायत समिति सांचौर में कितने अध्यापकों की कमी है और इस कमी को सरकार कब तक पूरा करने का विचार रखती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जिला जालोर की पंचायत समिति सांचौर में सामान्य श्रेणी में 2 तथा श्याम पट्ट योजनान्तर्गत 115 अध्यापकों के पद रिक्त हैं। श्याम पट्ट योजनान्तर्गत स्वीकृत पदों के विरूद्ध नियुक्ति पर 31.3.92 से राज्य सरकार द्वारा रोक लगा रखी है। सामान्य श्रेणी के रिक्त दो पद दिनांक 30.7.92 को ही स्वीकृत हुए हैं।

(2) प्राथमिक विद्यालयों में छात्र अनुपात 1:60 न होकर 1:49 है जिसके अनु-

(पंचायत राज राज्य मन्त्री)

पात से पंचायत समिति सांचौर में अध्यापकों की कमी नहीं है।

पाईबालापुरा बांध से सिंचाई

204. **श्री कन्हैया लाल** (बस्सी) एवं **श्री रामनारायण वर्मा** (नैनवां) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि पाईबालापुरा बांध में पानी की आवक भराव क्षमता से अधिक है ? यदि हां, तो विगत पांच वर्षों में कितना पानी बांध में होकर व्यर्थ निकला ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त बांध से सी. सी. ए. 4693 एकड़ भूमि में सिंचाई हेतु पानी पहुंचाने का प्रारम्भिक अनुमान था ?

(3) क्या विभाग द्वारा उक्त अनुमानित क्षेत्र में पानी पहुंचाने के लिए समुचित ध्यान नहीं दिया गया है ? यदि हां, तो इस हेतु अब कब तक समुचित उपाय कर दिए जावेंगे ?

उत्तर

(1) जी नहीं। विगत पांच वर्ष में इस बांध से पानी व्यर्थ नहीं निकला है, बल्कि पूर्ण क्षमता स्तर तक यह वर्ष 1990–91 में ही भरा है।

(2) जी हां।

(3) जी नहीं। बांध में उपलब्ध जल का पूर्ण उपयोग किया जा रहा है।

करौली, हिंडौन, सपोटरा व बयाना क्षेत्रों में वृक्षारोपण

205. **श्री राम प्रसाद** (बैर) : क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि सन् 1990, 91, 92 में करौली, हिण्डौन, सपोटरा एवं बयाना रेन्जों में वृक्षारोपण किया गया था ? यदि हां, तो कितने हैक्टेयर भूमि में ? रेन्जवार पौधों का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि उपरोक्त वर्णित रेन्जों में रेन्ज अधिकारियों की प्लान्टेशन में गड़बड़ी करने की शिकायतें सरकार को प्राप्त हुई ? यदि हां, तो क्या उन की जांच की गयी ? जांच के दौरान कितने पौधे मृत/जीवित पाये गये ?

उत्तर

(1) जी हां, 2095 हैक्टेयर क्षेत्र में वृक्षारोपण किया गया। रेन्जवार लगाये गये पौधों का विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(2) जी हाँ, जॉच कराई गई। जॉच के दौरान करौली रेंज में वर्ष 90–91 में अग्रिम कार्यों के मस्ट्रोल संधारण एवं मृदा कार्य में अनियमितता पाई गई तथा हिण्डौन रेंज में जॉच कार्य प्रगति पर है। सपोटरा व बयाना रेन्जों की कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई।

वर्ष 90–91 व 92 में करौली, हिण्डौन, सपोटरा एवं बयाना क्षेत्रों में लगाये गये पौधों का वर्षो वार विवरण

नाम रेन्ज	वर्ष वार लगाये गये पौधों की संख्या		
	1990	1991	1992
करौली	—	119717	3400
हिण्डौन	34000	142000	—
सपोटरा	46000	37400	60000
बयाना	151850	28000	1,18500

जिला जैसलमेर के राजमार्ग पर पुलिया निर्माण

206. श्री जितेन्द्र सिंह (जैसलमेर) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि जैसलमेर जिले के राज मार्गो पर कई वर्षों से पुलियाओं का निर्माण कार्य अधूरा पड़ा हुआ है ?

(2) क्या यह सही है कि उपरोक्त निर्माण कार्य को ठेकेदार अधूरा छोड़कर चले गए हैं ? यदि हां तो इसके लिए सरकार ने इनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की है ?

(3) क्या यह सही है कि उक्त पुलियाओं के निर्माण कार्य पूर्ण भुगतान ठेकेदार को पहले से ही कर दिया गया था और कार्य हुआ ही नहीं ? यदि हां तो सरकार ने अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की ?

उत्तर

(1) जैसलमेर जिले में केवल एक राज मार्ग जोधपुर–पोकरण सड़क के 22.5 कि.मी. आंशिक भाग में पुलियों के निर्माण का कार्य लगभग पूर्ण हो चुका है एवं इन पुलियाओं के ऊपर से यातायात चालू है।

(2) उपरोक्त निर्माण कार्य में ठेकेदार द्वारा विलम्ब किया गया तथा अनुबन्ध की धाराओं के अन्तर्गत नोटिस दिए गए जिसके फलस्वरूप ठेकेदार द्वारा कार्य पुनः चालू किया गया एवं कार्य लगभग पूर्ण होने की स्थिति में आ गया है।

(3) ठेकेदार को उसके द्वारा किये गए कार्य का ही भुगतान अनुबन्ध के अनुसार किया गया और जो कार्य नहीं हुआ उसका भुगतान नहीं किया गया। अतः अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता।

फलौदी तहसील के कतिपय ग्रामों में पेयजल व्यवस्था

207. **श्री पूनमचन्द बिश्नोई (फलौदी):** क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि फलौदी तहसील, जिला जोधपुर के ग्राम मानवेड़ा, चाखू, दयाकोर, चौधरियां की ढाणी, खारा ग्राम क्षेत्रीय जल योजनाओं से जुड़े होने के बावजूद भी इन गांवों में कई वर्षों से नियमित पेयजल नहीं मिलता है और इनसे आगे जुड़े हुए गांवों को तो कभी पानी पहुंचता ही नहीं है ?

(2) क्या सरकार इन ग्रामों में नल-कूप निर्मित करने का विचार रखती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) उल्लेखित ग्रामों में से ग्राम मानेवड़ा, चाखू, एवं दयाकोर क्षेत्रीय जलप्रदाय योजनाओं से तथा ग्राम खारा एवं चौधरियों की ढाणी, पम्प एवं टैंक योजनाओं से लाभान्वित हैं। ग्राम मानवेड़ा व चाखू में जलापूर्ति नियमित परन्तु निर्धारित मापदण्डों से कम मात्रा में है। अन्य तीन ग्रामों में जलापूर्ति अनियमित है। ग्राम मानवेड़ा, चाखू एवं दयाकोर के आगे के ग्रामों में भी पेयजल आपूर्ति अनियमित एवं अपर्याप्त है।

(2) जी हां। उपरोक्त योजनाओं के स्रोतों में जहां उत्पादन क्षमता अपर्याप्त है, उत्पादन क्षमता में वृद्धि की जानी प्रस्तावित है।

कृषि उपभोग पर विद्युत चार्ज

208. **श्री जगमलसिंह यादव** (तिजारा) एवं **श्री सम्पत सिंह (नगर) श्री परसादी लाल मीणा** (लालसोट)–क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) अगस्त, 1991 से अगस्त, 1992 तक कृषि उपभोग हेतु बिजली पर प्रति यूनिट कितने पैसे बढ़ाए गये हैं ?

(2) क्या कृषि उत्पादन पर इसका विपरीत प्रभाव नहीं पड़ेगा ? राज्य सरकार ने गत 2 वर्ष में कुल कितनी विद्युत परियोजना स्वीकृत कराई ?

(3) कृषि कनेक्शन पर डिमांड नोटिस जारी करते वक्त किस-किस मद पर नियमानुसार कितनी-कितनी राशि वसूल किए जाने का प्रावधान वर्तमान में हैं ?

(4) राजस्थान में कृषि, उद्योग व घरेलू खपत के लिए कितनी-कितनी बिजली की आवश्यकता है ? उक्त तीनों श्रेणी में 31-3-1992 को उपभोक्ताओं पर कुल कितना-कितना बकाया है ?

(5) क्या कृषि उपभक्ताओं से मिनिमम चार्ज की राशि वसूल की जाती है ? क्या कृषकों को मिनीमम बिजली भी सप्लाई की जाती है ?

उत्तर

(1) मीटर्ड सप्लाई वाले कृषि उपभोक्ताओं के लिये बिलिंग माह अगस्त, 1991 में विद्युत दर 32 पैसे प्रति यूनिट थी जो कि बिलिंग माह सितम्बर, 1992 में 45 पैसे प्रति यूनिट कर दी गई हैं।

(ऊर्जा मन्त्री)

(2) जी नहीं। गत 2 वर्षों में निम्न दो परियोजनायें स्वीकृत हुई है :—

1. सूरतगढ तापीय विद्युत परियोजना [2 × 250 मेगावाट]

2. बरसिंहसर लिग्नाइट आधारित तापीय विद्युत परियोजना [2 × 120 मेगा वाट]

(3) कृषि कनेक्शन पर प्रार्थना पत्र स्वीकार करने से लेकर डिमाण्ड नोटिस जारी करने तक निम्न प्रकार से राशि वसूल करने का प्रावधान है :—

1. प्रार्थना पत्र के साथ

(1) एस्टीमेट बनाने की राशि— रु. 25/–मात्र

(1) अग्रिम राशि के रूप में— रु. 250/–

जो कि डिमाण्ड नोटिस में समायोजित करली जाती है। (अनुसूचित जाति/जन जाति से इस प्रकार की राशि नहीं ली जाती है।)

2. डिमाड नोटिस में :—

(1) प्रति खंभे के हिसाब रु. 4250/–प्रतिखंमा से एस्टीमेट की राशि

(1) छूट की राशि–रु. 4000/"–प्रति खंमा प्रति हार्सपावर दस पोल की सीमा तक।

(11) सर्विस कनेक्शन राशि

(अ) 5 हार्स-पावर तक रु. 1000/– प्रति कनेक्शन।

(ब) 5 हार्स पावर से ऊपर तथा 10 हा. रु. 1250/– प्रति पा. से नीचे तक कनेक्शन।

(स) 10 हार्स पावर तथा 25 हार्स पावर से नीचे तक प्रति कनेक्शन। रु. 1500/–

(द) 25 हार्स पावर एवं इससे ऊपर रु. 1700/-प्रति कनेक्शन।

(4) सिक्यूरिटी राशि— रु. 50/–प्रति किलोवाट सम्बद्ध भार या उसके मांग पर।

(4) राज्य में आजकल कृषि, उद्योग व खपत घरेलू के लिये क्रमशः लगभग 125 (रबी में बढ़कर 230 लाख), 145 व 50 लाख यूनिट प्रतिदिन की आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त बल्क सप्लाई, सार्वजनिक पथ प्रकाश व जलदाय इत्यादि में लगभग 35 लाख यूनिट प्रतिदिन की खपत होती है। घरेलू, कृषि व औद्योगिक श्रेणियों में 31·3·1992 तक उपभोक्ताओं की ओर क्रमश: 1578·52, 2455·63 व 12317·70 लाख रुपये बकाया है।

(5) जी नहीं, वर्तमान में कृषि उपभोक्ताओं से (पुरानी मिनिमम चार्जेज की राशि छोड़ कर) मिनिमम चार्जेज की राशि वसूल नहीं की जाती है। कृषकों को उपलब्धि के अनुसार 8 घन्टे दो ब्लाक्स में दिन व रात्रि की पारी में विद्युत आपूर्ति की जाती है।

नितोड़ा (सिरोही) के पूर्व सरपंच के विरुद्ध शिकायतें

209. **श्री तुकमाराम** (सिवाना) : क्या राज राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा पंचायत करेंगे।

(1) क्या सिरोही जिले के नितोड़ा गांव के पूर्व सरपंच के विरुद्ध गबन व भ्रष्टाचार के आरोप प्राप्त हुए हैं ? यदि हां, तो क्या उसकी जांच के आदेश विभाग द्वारा दिये जा चुके हैं।

(2) क्या जांच पूर्ण हो गई ? यदि हां, तो सरकार द्वारा पूर्व सरपंच के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। आरोपों के सम्बन्ध में पूर्व सरपंच से विभागीय पत्र क्रमांक 2457 दिनांक 9.7.92 द्वारा स्पष्टीकरण चाहा गया है।

(2) सरपंच का स्पष्टीकरण संतोषजनक प्राप्त नहीं हुआ तो विभागीय जांच कराई जायेगी।

ग्राम बोरीबान घाटी व बक्तोड़ (बांसवाड़ा) में तालाब निर्माण

210. **श्री नवनीतलाल नीनामा** (घाटोल) : क्या अकाल राहत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

क्या यह सही है कि जिला बांसवाड़ा की उप तहसील पीपलखूंट में गत वर्षों में गांव बोरीबान घाटी व बक्तोड़ के तालाबों पर अकाल राहत का कार्य करवाया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार अधूरे रहे तालाबों को पूरा कराने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां। अधूरे कार्यों को पूर्ण कराने की योजना बनाने का कार्य प्रगति पर है।

कोटा सम्भाग के उद्योग से प्रदूषण के प्रकरण

211. **श्री रामनारायण वर्मा** (नैनवां) एवं **श्री हीरालाल आर्य** (पीपल्दा) : क्या पर्यावरण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) कोटा सम्भाग में लगे किन–किन उद्योगों से प्रदूषण हो रहा है ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त में से कितने उद्योगों के खिलाफ मुकदमें न्यायालयों में चल रहे हैं तथा कितनों के खिलाफ कार्यवाही विचाराधीन है ?

(3) विभाग ने प्रदूषण को रोकने हेतु अब तक क्या-क्या कार्यवाही की है ? कितने मानव एवं फसलों को अब तक इससे हानि हुई है ?

(4) क्या यह सही है कि निस्त्रावित प्रदूषित जल के एवं वायु के नमूने सही नहीं

(श्री हीरालाल आर्य)

लिए जाने से नदी नालों में जाने वाले प्रदूषित जल से तथा वायु से नुकसान हो रहा है ? यदि हां, तो इसके लिए कौन दोषी है ? यदि नहीं, तो क्या इस बाबत विभाग द्वारा समुचित व्यवस्था की हुई है ? समुचित व्यवस्था का विवरण सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

(1) कोटा सम्भाग में वृहत् एवं मध्यम श्रेणी के 4 वायु प्रदूषक एवं 14 जल प्रदूषक उद्योगों से प्रदूषण हो रहा है । इन उद्योगों की सूची संलग्न है ।

(2) इन उद्योगों में से तीन उद्योगों के खिलाफ मुकदमें न्यायालयों में लम्बित है ।

(3) उद्योगों को राज्य मण्डल उच्छिष्ठ उपचार संयंत्र एवं वायु प्रदूषण नियंत्रण उपकरण लगाने हेतु बाध्य करता रहा है । जिसके फलस्वरूप अब तक 25 जल प्रदूषक उद्योगों में से 17 उद्योगों ने उच्छिष्ठ उपचार हेतु संयंत्र स्थापित कर लिये हैं । परन्तु उनमें से 13 उद्योगों का उपचारिक उच्छिष्ठ मंडल मानकों की सीमा में नहीं पाया गया है । जबकि 2 उद्योगों में शून्य उच्छिष्ठ निस्त्राव की व्यवस्था है । 5 उद्योग वर्तमान में बंद है, जबकि शेष 1 उद्योग में उपचार संयंत्र प्रस्तावित है । इसी प्रकार 36 वायु प्रदूषक उद्योगों में से 20 उद्योगों ने पूर्ण/आंशिक प्रदूषण नियंत्रण उपकरण लगा रखें हैं, उनमें से 4 उद्योगों से उत्सर्जित वायु मण्डल मानकों की सीमा में नहीं पाई गई है तथा 13 उद्योगों में प्रदूषण समुचित चिमनी की ऊंचाई से नियन्त्रित किया जाता है अथवा प्रदूषण नियंत्रण उपकरण की आवश्यकता नहीं है । शेष 3 उद्योग जिन्होंने वायु प्रदूषण नियंत्रण उपकरण नहीं लगाये है, बन्द है । प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था समुचित न होने के कारण तीन उद्योगों के खिलाफ मुकदमें न्यायालयों में लम्बित है । कोटा संभाग में मानव व फसलों को प्रदूषण से हानि का कोई विशिष्ट पृष्टान्त किसी अधिकृत श्रोत से विभाग को उपलब्ध नहीं कराया गया है ।

(4) जी नहीं । समुचित व्यवस्था की हुई है । उद्योगों से निस्त्रावित प्रदूषित जल एवं उत्सर्जित वायु के नमूने लेते हेतु जल अधिनियम, 1974 की धारा 21 एवं वायु अधिनियम, 1981 की धारा 26 के तहत मण्डल को शक्तियां प्रदत्त की गई है । इन धाराओं के अन्तर्गत मण्डल द्वारा अधिकृत मण्डल के अधिकारी/कर्मचारी जल एवं वायु के नमूने इकत्रित करते हैं । नमूने लेने में जल अधिनियम, 1981 के विभिन्न प्रावधानों का पूर्णतया पालन करते हुए भारतीय मानक 2488 (पार्ट–I) एवं केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण मण्डल दिल्ली द्वारा प्रकाशित वायु प्रदूषण तत्वों के नमूने उत्सर्जन भाग–3 के अनुसार लिये जाते हैं ।

कोटा संभाग में स्थित मध्यम/वृहत वायु प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों की सूची एवं इनके विरुद्ध की गई कार्यवाही का विवरण

क्र. सं.	उद्योग का नाम व स्थान	की गई कार्यवाही का विवरण
1.	मैसर्स कोटा थर्मल पॉवर प्लांट (फेज–1) कोटा	उद्योग द्वारा वायु प्रदूषण नियंत्रण उपकरण (ई.एस.पी.) लगा रखें हैं परन्तु उत्सर्जित वायु के मण्डल मानकों के अनुरूप न होने के कारण मण्डल पत्र दिनांक 6-1-92 द्वारा प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था में सुधार हेतु कहा गया है। उद्योग द्वारा ई.एस.पी. में आवश्यक सुधार किये जा रहे हैं।
2.	मैसर्स कोटा थर्मल पॉवर प्लांट (फेज–2) कोटा	
3.	मैसर्स श्रीराम रेयन्स (बॉयलर हाऊस) कोटा	वायु प्रदूषण नियंत्रण उपकरण (ई.एस.पी.) लगने का कार्य प्रगति पर है। दिनांक 8-8-91 को मण्डल द्वारा उद्योग को नोटिस जारी किया गया।
4.	मैसर्स एसोसियेटेड सीमेन्ट, लाखेरी,	किलन नं. 1 व 2 पर वायु प्रदूषण नियंत्रण उपकरण (ई.एस.पी.) लगा रखें हैं। शेष किलन नं. 3 पर ई.एस.पी. लगाने का कार्य प्रगति पर है। उद्योग को दिनांक 6-1-92 को नोटिस दिया जा चुका है।

कोटा संभाग स्थित मध्यम/वृहत जल प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों की सूची एवं इनके विरुद्ध की गई कार्यवाही का विवरण

क्र. सं.	उद्योग का नाम व स्थान	की कार्यवाही का विवरण
1.	जे.के. एक्रेलिक्स लि., कोटा	दि. 21-3-92 को सम्मति निरस्त की गई। एवं सी. आर. पी. सी. की धारा 133 के अन्तर्गत मुकदमा लम्बित है।
2.	मै. जे.के. स्टेप्ल एण्ड टॉज, कोटा	,, ,, तदैव ,, ,, ,,
3.	,, गोपाल सिंथेटिक्स, कोटा	,, ,, तदैव ,, ,, ,,
4.	,, श्रीराम रेयान्स, कोटा	उद्योग 1981 से पहले स्थापित हैं अतः पर्यावरण विभाग, भारत सरकार के राजपत्र के अनुसार दिसम्बर, 93 तक व्यवस्था कर लेने के निर्देश हैं अतः मार्च, 93 तक सम्मति की गई।
5.	,, कोटा थर्मल पावर स्टेशन I, कोटा	दिनांक 20–7–90 को सम्मति निरस्त की गई।
6.	,, ,, ,, ,, ,, II, कोटा	——तदैव——
7.	,, पश्चिमी रेल्वे, कोटा	दि. 28-1-91 को सम्मति निरस्त की गई।
8.	,, तिलम् संघ (राजफैड सोयाबीन प्लांट) कोटा	दि. 6-3-92 को सम्मति निरस्त की गई।
9.	,, आर.सी.डी.एफ. कोटा	दि. 24-10-91 को कारण बताओ नोटिस दिया गया।
10.	,, श्रीराम फर्टीलाइजर्स एण्ड केमीकल्स, कोटा	दि. 7-9-92 को उद्योग को उपचार संयंत्र के उचित संचालन एवं रख रखाव हेतु लिखा गया।

(192)

1	2	3
11.	मै पदम सिथेटिक्स, कोटा	दि. 3-7-92 को कारण बताग्रो नोटिस दिया।
12.	,, राज. टेक्सटाइल मिल्स, भवानी मण्डी	दि 13-12-91 को कारण बताग्रो नोटिस दिया।
13.	,, जे.के. सिंथेटिक्स, झालावाड़	दि. 29-6-12 को सम्मति निरस्त की गई।
14.	,, केशोराय पाटन सहकारी शुगर मिल्स केशोराय पाटन, जिला बून्दी	राज्य सरकार के स्तर पर कार्यवाही की जा रही हैं।

मडरायल-ग्रोड सड़क में ग्राई भूमि का मुग्रावजा

212. श्री प्रभूलाल (सपोटरा) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) मडरायल से ग्रोड़ तक सड़क निर्माण के लिए किसानों की कितनी जमीन ली गई है ?

(2) क्या किसानों की जमीन का मुग्रावजा दे दिया है ? यदि, हां तो कितना-कितना ग्रौर नहीं, तो क्यों ?

(3) क्या सरकार इस सड़क को ग्रोड़ से ग्रागे धौलपुर तक बढ़ाने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) मण्डरायल से ग्रोण्ड तक सड़क निर्माण के लिए किसानों की 90 बीघा 17 बिस्वा जमीन ली गई है।

(2) उक्त सड़क में 244 कृषकों को जमीन का मुग्रावजा 80 प्रतिशत प्रोवीजनल ग्रवार्ड के ग्रनुसार दे दिया गया है तथा केवल 7 कृषकों को मुगतान उनके राज्य सीमा से बाहर रहने के कारण करना शेष है। प्रत्येक किसान को प्रोवीजनल ग्रवार्ड के ग्रनुसार किया गया मुगतान तथा बकाया मुगतान का विवरण प्रपत्र "क" में संलग्न है। पूरे मुग्रावजे का भुगतान भूमि ग्रवाप्ति की कानूनी प्रक्रिया पूर्ण हो जाने पर दे जावेगा।

(3) ग्रभी इसकी कोई योजना विचाराधीन नहीं है।

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधान पुस्तकालय में रखा गया।)

विधान सभा क्षेत्र जहाजपुर की कतिपय क्षेत्रीय जलप्रदाय योजनायें

213. श्री शिवजीराम मीणा (मण्डल): क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) वर्ष 1990-91, से अब तक भीलवाड़ा जिले में कितनी पेयजल योजनायें स्वीकृत की गई? विधान सभा क्षेत्रवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र जहाजपुर की ऊंचा कुचलवाड़ा खुर्द एवं टीकड़ कुचलवाड़ा कलां क्षेत्रीय जलदाय योजनायें लम्बे समय से सरकार के पास विचाराधीन हैं? यदि हां, तो कब से किस स्तर पर विचाराधीन हैं? इन योजनाओं की कब तक स्वीकृति प्रदान कर दी जावेगी?

उत्तर

(1) उल्लेखित वर्षों में भीलवाड़ा जिले में भीलवाड़ा जिले में स्वीकृत योजनाओं का विवरण परिशिष्ट "क" पर संलग्न है।

(2) क्षेत्रीय जलप्रदाय योजना टीकड कुचलवाड़ा कलां, राजस्थान जलप्रदाय एवं सीवरेज प्रबन्ध मण्डल में जनवरी 1990 में भेजी गई थी परन्तु सूचनाओं के अभाव एवं तकनीकी आक्षेपों के निराकरण न हो सकने के कारण अभी स्वीकृति नहीं दी जा सकी है। इसके संबंध में आवश्यक कार्यवाही की जा रही है। क्षेत्रीय योजना ऊंचा कुचलवाड़ा खुर्द अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता के अधीन अप्रेल 1990 से तकनीकी आक्षेपों के निराकरण की प्रक्रिया में है। तकनीकी आक्षेपों के सही निराकरण के पश्चात् एवं धन संसाधनों की उपलब्धतानुसार स्वीकृति दी जा सकेगी।

परिशिष्ट–"क"

भीलवाड़ा जिले में विधान सभा क्षेत्रवार स्वीकृत पेयजल योजनाओं की सूची

सं. सं.	योजना का नाम
वर्ष 1990–91	
1.	विधान सभा क्षेत्र जहाजपुर
2.	8 नवसृजित राजस्व ग्रामों की स्वीकृति
	विधान सभा क्षेत्र सहाडा–रायपुर
1.	आक्षाहोली
2.	भूणास
3.	जबकिया–सोनियाना फेजा

(154)

1	2
	विधान सभा क्षेत्र मांडल
1.	नवलपुरा लेसवा फेजा
2.	तगडिया थाना–ज्ञानगढ़
3.	कोडिनाल कटार माधोकाबाडिया फेज I
4.	कोटडी दरीबा फेज I
5.	एकलिंगपुरा सांगवा तिलोली फेज I
	विधान सभा क्षेत्र हुरडा बनेडा
1.	आगुमेंटेशन योजना लांबा
	विधान सभा क्षेत्र भीलवाड़ा
1.	भीलवाड़ा के नये राजस्व ग्राम की स्वीकृति
2.	शहरी जलयोजना भीलवाड़ा अपना गांव अपना काम
	विधान सभा क्षेत्र शाहपुरा
1.	5 नये राजस्व ग्रामों की स्वीकृति
	विधान सभा क्षेत्र मांडलगढ़
1.	7 राजस्व ग्रामों की स्वीकृति

वर्ष 199 –92

	विधान सभा क्षेत्र जहाजपुर
1.	नगरीय जलयोजना जहाजपुर
2.	27 मजरा ढाणियों की स्वीकृति
3.	अनु. जाति/अनु. जनजाति 4 बस्ती स्वीकृति
	विधान सभा क्षेत्र सहाडा–रायपुर
1.	उल्लाई

1	2

विधान सभा क्षेत्र मांडल

1. मेल्यास राजपुरा
2. आलमाह हिसेनिया
3. भगतपुरिया दूहूंका भाकलिया
4. बावड़ी धावला

विधान सभा क्षेत्र हुरडा बनेड़ा

1. 10 मजरा ढाणियों की स्वीकृति
2. अनु. जाति/अनु. जनजाति 4 बस्ती स्वीकृति

विधान सभा क्षेत्र भीलवाड़ा

1. धांगडासा कांटा

विधान सभा क्षेत्र शाहपुरा

1. 15 मजरा ढाणियों की स्वीकृति
2. अनु. जाति/अनु. जनजाति 4 बस्ती स्वीकृति

दिनांक 1.4.92 से 17.9.92 तक स्वीकृत पेयजल योजनाओं की सुची

विधान सभा क्षेत्र जहाजपुर

1. कन्टीजेन्सी आगुमेंटेशन योजना टिटोडा
2. " " हटूंण्डा
3. " " अमरपुरा
4. " " पीपलून्द

विधान सभा क्षेत्र सहाडा रायपुर

1. भीदा भटेवर
2. मेरनियाखेडी पालरा
3. कांमनी
4. खेमाना गल्यावडी
5. नाहरी जोगरास
6. भडोल

1	2
	विधान सभा क्षेत्र मांडल
1.	मालीखेडा
2.	कानजीजी खेडी
3.	आमलदा
4.	एक्सटेंशन बावलास
5.	कोटडी समोडी दरीबा फेज II
	विधान सभा क्षेत्र हुरडा बनेडा
1.	बनेडा
2.	कंटीजेंसी आगुमेंटेशन योजना हुरडा
3.	,, ,, आगुचा
4.	,, ,, दांतडा
5.	,, ,, कंकलियास
	विधान सभा क्षेत्र आसींद
1.	मोडे का निंबाहेडा
	विधान सभा क्षेत्र मांडलगढ़
1.	बनका खेडा II

किशनमानपुरा (चौमूं) का 33 के. वी. सब स्टेशन

214. श्री रामेश्वर दयाल यादव (चौमूं) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि चौमूं क्षेत्र में 33 के. वी. ग्रिड सब स्टेशनों की कमी है यदि हां, तो क्यों ?

(2) क्या यह सही है कि चौमूं खण्ड में ग्राम किशनमानपुरा में 33 के. वी. का ग्रिड सब स्टेशन स्वीकृत है परन्तु अभी तक उसका कार्य ही प्रारम्भ नहीं किया गया है

(श्री रामेश्वर दयाल यादव)

जबकि गत 3 वर्षों से ग्रिड अभाव में उपभोक्ताओं को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है ? यदि हां, तो क्यों ?

(3) क्या यह भी सही है कि चौमूं क्षेत्र के ग्राम किनोई व नांगल माडा में 33 के. वी ग्रिड सब स्टेशन स्थापित करने का प्रस्ताव विद्युत मंडल के विचाराधीन है ? यदि हां तो कब तक स्वीकृति जारी करदी जायेगी ? नहीं तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी नहीं, वर्तमान विद्युत भार के लिये चौमू क्षेत्र में 33 के. वी. सब-स्टेशनों को कोई कमी नहीं हैं।

(2) जी नहीं, वर्तमान में चौमू क्षेत्र के ग्राम किशनमानपुरा में कोई नया 33 के. वी. सब-स्टेशन बनाना स्वीकृत नहीं है।

(3) वर्तमान में ग्राम नांगल माडा में 33 के. वी. सब-स्टेशन के निर्माण का कोई प्रस्ताव विचारधीन नहीं है। गिनोई (किनोई नहीं) में एक 33 के. वी. सब स्टेशन बनाने का प्रस्ताव गत माह ही मण्डल की प्लानिग विग में प्राप्त हुआ है, जिसकी आवश्यक तकनीको जांच के बाद ही यह निर्णय लिया जावेगा कि गिनोई में 33 के. वी. सब स्टेशन बनाया जाना आवश्यक है कि नहीं। यदि उक्त प्रस्ताव तकनीकी दृष्टि से उपयुक्त पाया गया तो उपलब्ध वित्तीय संसाधनों के अनुरूप यहां 33 के. वी. सब स्टेशन स्वीकृत किया जा सकेगा। निश्चित समयावधि बताना फिलहाल संभव नहीं है।

नाथपुरा खरवाली (बांसवाडा) में तालाब निर्माण

215. श्री बहादुर सिंह (दानपुर) : क्या सिचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) सिचाई उपखण्ड बांसवाड़ा के गांव भूतपाड़ा का तालाब एवं नाथपुरा खरवाली के तालाब निर्माण की स्वीकृति कब प्रदान की गई थी ?

(2) इन पर अब तक कितनी-कितनी धनराशि व्यय की गई तथा ये तालाब क्या इस वित्तीय वर्ष में पूरे कर दिये जावेंगे ? यदि नहीं; तो क्यों ? सूची सदन की मेज पर रखे।

(3) क्या उक्त तालाब सम्बन्धित स्थानीय अधिकारियों की लापरवाही के कारण अधूरे पड़े हुए हैं ? यदि हां तो, विभाग द्वारा इन अधिकारियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही करने का विचार किया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ? यदि हां तो क्या ?

(4) नाथपुरा खरवाली तालाब का कितना निर्माण कार्य किया जा चुका है ? इसमें कितनी सीमेंट का आवंटन किया गया तथा कितनी सीमेंट का उपयोग किया गया ?

उत्तर

भूतपाड़ा परियोजना की प्रशासनिक स्वीकृति जनवरी, 1985 में राज्य सरकार द्वारा एन. आर. ई. पी. मद से जारी की गई थी तथा नाथपुरा खरवाली परियोजना के आंशिक निर्माण कार्यों की स्वीकृति अकाल राहत के अन्तर्गत जिला स्तर पर जनवरी,

198

(श्री सिंचाई मंत्री)

1987 में तथा जे. आर. वाई, द्वितीय मद में अप्रेल 92 में की गई थी।

(2) भूतपाड़ा सिंचाई परियोजना पर अब तक 31·01 लाख रु. व्यय हुए है तथा नाथपुरा खरवाली परियोजना पर अभी तक 16·79 लाख रुपये का व्यय हुआ है। इन परियोजनाओं को वित्तीय संसाधनों के अभाव में इस वित्तीय वर्ष में पूरा नहीं किया जा सकेगा। वर्ष वार व्यय की सूची परिशिष्ट "क" सदन की मेज पर रख दी है।

(3) जी नहीं। भूतपाड़ा सिंचाई परियोजना भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना (एन. आर. ई. पी.) बंद करने से एवं जवाहर रोजगार (जे. आर. वाई.) में विभागों हेतु आरक्षित 20% राशि अपर्याप्त होने से अधूरी पड़ी है व नाथपुरा खरवाली योजना पर केवल जिला स्तर के आंशिक कार्यों की ही स्वीकृति राहत मद से दी गई है। इस प्रकार इनके निर्माण कार्यों के लिए स्थानीय अधिकारी लापरवाही के दोषी नहीं हैं। अधूरी योजनाओं को राज्य सरकार के वित्तीय संसाधनों को दृष्टिगत रखते हुए ही पूर्ण करने पर विचार किया जा सकता है।

(4) नाथपुरा खरवाली तालाब पर बाई वल्श की कटिंग, विंगवाल, गाईडवाल तथा स्लूईस का अधिकांश निर्माण कार्य व मुख्य मिटटी के बांध का दाहिना भाग पूर्ण किया जा चुका है। इस पर 1730 बोरी सीमेंट का आवंटन किया गया, जो सारी उपयोग में आ चुकी है।

परिशिष्ट–"क"

वर्षवार व्यय की सूची

(रुपये लाखों में)

क्र. सं.	वर्ष	राशि (भूतपाड़ा)	नाथपुरा
1.	84–85	0·09	—
2.	85–86	1·31	—
3.	86–87	3·00	—
4,	87–88	17·57	1·06
5.	88–89	4·99	8·68
6.	89–90	2·32	—
7.	90–91	1·85	—
8.	91–92	—0·12	—
9.	92–93	—	7·05
		31·01	16·79

सिरोही में भैंसा वध

216. श्रीमती तारा भण्डारी (सिरोही) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) भैंसा वध करने का लाइसेंस देने के क्या नियम है ? इसके लिए कौन सक्षम है ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि नगरपालिका, सिरोही द्वारा इस प्रकार का लाइसेंस दिया गया है ? यदि हां तो किसको तथा किस स्थान पर ?

उत्तर

(1) भैंसा वध करने के लाइसेंस देने हेतु कोई उप नियम बने हुए नहीं है।

(2) नगरपालिका सिरोही द्वारा भैंसा वध करने हेतु कोई लाइसेंस नहीं दिया गया है।

लूणकरणसर क्षेत्र की सड़क पर मिट्टी का भराव

217. श्री मनीराम सियाग (लूणकरणसर) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) लूणकरणसर विधान सभा क्षेत्र में कौन-कौनसी सड़कों पर आंधी एवं वर्षा से आई मिट्टी व मलबा हटा दिया गया है ?

(2) क्या यह सही है कि मलकीसर से शेखसर वाया कपूरीसर सड़क अब भी मिट्टी भराव एवं वर्षा कटाव से यातायात के काबिल नहीं है तथा रास्ता बन्द है जिससे पिछले दो माह से रोडवेज बस एवं अन्य साधन का आवागमन रुका हुआ है ?

(3) क्या यह भी सही है कि बीकानेर से गंगानगर राष्ट्रीय राजमार्ग बुरी तरह से टूट चुका है, जगह-जगह खड्डे बन गये हैं आवागमन करने वाले यात्रियों का हर समय जीवन खतरे में रहता है ?

(4) क्या यह भी सही है कि निम्न डामर सड़कों पर मिट्टी भराव इतना है कि सीविल गाड़ियां चलना नामुमकिन है:—

(1) कालू से डूगरगढ़ डामर सड़क (2) लूणकरणसर से पडेरन डामर सड़क (3) पूगल से 820 आरडी वाया कुम्हारवाली, गणेशवाली, आशापुरी इत्यादि डामर सडक।

(5) क्या उपरोक्त बिन्दु सं. 1 से 3 तक उक्त वर्णित कठिनाईयों का सरकार निकट भविष्य में दूर करने का मानस रखती है ? यदि हां तो कब तक ? नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) लूनकरणसर विधानसभा क्षेत्र में निम्नलिखित सड़कों पर आंधी एवं वर्षा से आई मिट्टी व मलबा अधिकांशत हटा दिया गया है शेष कार्य प्रगति पर है :—

1. राष्ट्रीय उच्च मार्ग संख्या 15 बीकानेर से अर्जनसर सवशन किमी. 4/0 से 125/0

2. राष्ट्रीय उच्च मार्ग सं. 11 रायसर से गुसाईसर।

3. शिथल से जरासर

(श्री सार्वजनिक निर्माण मंत्री)

4. नौरंगदेसर से बम्बूलू

5. बीकानेर से नापासर

6. जामसर से करणीसर

7. शिथल से नापासर एवं नापासर से गुसाईसर

8. मलकीसर मनाफासर वाया क्यूरीसर।

9. लूनकरणसर से सरादारशहर वाया कालू।

10. कालू से डूंगरगढ़

11. महाजन से शेरपुरा

12. बीकानेर से छतरगढ़ सड़क

13. घडसाना से बेरीवाला सड़क।

(2) जी नहीं। वर्तमान में सड़क पर यातायात जारी हैं। रोड़वेज बस एवं अन्य साधन का आवागमन वर्तमान में रुका हुआ नहीं है। पर माह जुलाई 92 व अगस्त 92 में लगभग डेढ़ माह तक रोडवेज बस का आवागमन मलकीसर से कपूरीसर तक ही सीमित रहा। दिनांक 14 8·92 से रोडवेज बस का आवागमन मलकीसर से शेखसर तक जारी हैं।

(3) जी हां। इस वर्षाकाल में अत्याधिक एवं लगातार वर्षा होने के कारण बीकानेर गंगानगर राष्ट्रीय उच्च मार्ग क्षतिग्रस्त हुआ है जिसमें पेच मरम्मत का कार्य चालू कर दिया गया है एवं 15.10.92 तक पूर्ण करने का लक्ष्य हैं।

(4) जी नहीं। कालू डूंगरगढ़ सड़क एवं लूनकरनसर से वडेरन सड़क पर सिविल गाड़ियों का आवागमन निरन्तर जारी है। सिर्फ पूगल से 820 आरडी वाया कुम्हारन वाली गपेषावाली, आशापुरी सड़क पर अत्याधिक मिट्टी आने के कारण सिविल गाड़ियों का आवागमन बंद है। इसे चालू कराने के प्रयास किये जा रहे हैं।

(5) उपरोक्त बिन्दु संख्या 1 से 3 तक वर्णित कठिनाईयों का जैसा उपरोक्त उत्तर में वर्णित है, उनको दूर करने का लक्ष्य 15· 10· 92 तक रखा गया है। कार्य प्रारम्भ हैं।

विद्या विहार नगरपालिका, पिलानी में मनोनयन

218. **श्रीमती सुमित्रा सिंह** (पिलानी): क्या स्वायत्त शासन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या विद्या विहार, पिलानी नगरपालिका के सदस्य एवं अध्यक्ष जनता द्वारा न चुने जाकर राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 1959 (संख्या 38 वर्ष 1959) की धारा 10 (1) के अन्तर्गत सरकार द्वारा मनोनीत किये जाते हैं ?

(2) क्या वर्ष 1960 में जब सर्व प्रथम इस नगरपालिका को मनोनीत किया उस समय विद्या विहार, नगरपालिका की आबादी अस्थाई तौर पर 4000 थी ? यदि हां, तो क्या वर्ष 1991 में विद्या विहार नगरपालिका की आबादी 11,000 से ऊपर हो गई हैं ?

(श्रीमती सुमित्रा सिंह)

(3) प्रारम्भ में पिलानी को शिक्षण संस्थाओं को राजनीति से मुक्त रखने के कारण अलग से नगरपालिका मनोनीत करने का प्रावधान किया गया था ? क्या अब इस नगरपालिका में केवल शिक्षण संस्थायें ही नहीं है अपितु बहुत बड़ा भाग आबादी क्षेत्र का भी मिलाया हुआ हैं ? यदि हां, तो फिर ग्राम जनता को सदैव ही मताधिकार से वंचित रखना क्या संविधान में प्रदत्त अधिकारों का हनन नहीं है ? यदि हां, तो क्या सरकार द्वारा इस संबंध में कोई कार्यवाही प्रस्तावित हैं ?

उत्तर

(1) जी हां ।

(2) जी हां ।

(3) जी हां । आज भी वहां आबादी क्षेत्र में वहां की शिक्षण संस्थाओं से जुड़े अधिकारी, कर्मचारियों व अन्य का ही निवास है, ग्राम जनता का नहीं । अतः वर्तमान में वहां निर्वाचित मण्डल बनाने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है ।

डग विधान सभा क्षेत्र के ग्रामों का विद्युतीकरण

219. **श्री बालचन्द आर्यवीर (डग) एवं श्री अनंग कुमार जैन (झालरापाटन):** क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगेः–

(1) झालावाड़ जिले के विभिन्न विधान सभा क्षेत्रों में कितने–कितने ग्रामों को विद्युतीकृत नहीं किया गया है ? विधान सभा क्षेत्रवार सूची सदन की मेज पर रखें ।

(2) क्या यह सही है कि डग विधान सभा क्षेत्र के ग्रामों का विद्युतीकरण करने में उपेक्षा बरती जा रही है ? क्षेत्र के शेष ग्रामों को कब तक विद्युतीकृत कर दिया जावेगा ?

(3) डग विधान सभा क्षेत्र के पंचायत समिति डग के ग्राम छान, नदपुर, लुहारिया, रामपुरा, किटिया कछवारा, मवसी, केलूखेड़ा, पीरापीपली, चाड़ा को फ्रेज प्रोग्राम में कब तक विद्युतीकृत कर दिया जायेगा ।

उत्तर

(1) झालावाड़ जिले के अन्तर्गत पांच विधान सभा क्षेत्र खानपुर, मनोहरथाना, झालरापाटन, पिडावा एवं डग सम्मिलित हैं । इनमें क्रमशः 45, 228, 140, 16 एवं 124 ग्राम मार्च, 1992 के अन्त में अविद्युतिकृत शेष हैं ।

विधान सभा क्षेत्रवार सूची संलग्न है ।

(2) ग्रामों का विद्युतीकरण करने हेतु प्रत्येक वर्ष राज्य सरकार द्वारा घोषित लक्ष्यों के अनुरूप जिलेवार/पंचायत समितिवार ग्रामों का चयन किया जाता है । चयन प्रक्रिया में ग्रामों का चयन विधान सभा क्षेत्रवार नहीं अपितु पंचायत समितिवार किया जाता है जिसमें सम्बन्धित पंचायत समिति में विद्यमान विद्युतिकरण स्तर को मद्दे नजर रखते हुए कुल समग्र लक्ष्यों के अनुरूप ग्रामों का चयन किया

(ऊर्जा मन्त्री)

जाता है। डग विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत कुल 296 ग्राम हैं जिनमें से 172 ग्रामों का मार्च, 1992 तक विद्युतिकरण किया जा चुका है। शेष ग्रामों का विद्युतीःकरण ग्रामीण विद्युतीकरण हेतु योजना मद में आबंटित वित्त एवं वार्षिक लक्ष्यानुसार आगामी वर्षों में किया जावेगा। निश्चित समयावधि बता पाना फिलहाल सम्भव नहीं है।

(3) डग विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत पंचायत समिति डग के वर्णित ग्रामों में से ग्राम नन्दपुर, लुहाडिया एवं कछनारा को वर्ष 1992-93 के वार्षिक ग्रामीण विद्युतिकरण कार्यक्रम में सम्मिलित किया हुआ है इन तीनों ग्रामों का विद्युतीकरण संभवतः इस वर्ष के अन्त तक कर दिया जायेगा। शेष ग्रामों का विद्युतिकरण आगाम वर्षों में योजना मद में उपलब्ध वित्त एवं वार्षिक लक्ष्यानुरुप किया जा सकेगा।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई।)

जिला टौंक के पंचायत कर्मियों के विरूद्ध शिकायतें

220. **श्री महावीर प्रसाद जैन (टौंक):** क्या पंचायत राज राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:

जिला टौंक में ग्राम पंचायत, पंचायत समिति एवं जिला परिषद में कार्यरत कर्मचारियों या अधिकारियों के विरुद्ध किस–किस आरोप, भ्रष्टाचार एवं पद के दुरुपयोग की शिकायतें पंचायत समिति में, जिला परिषद में, निदेशक पंचायत राज विभाग या राज्य सरकार के विचाराधीन है? कर्मचारियों एवं अधिकारियों का नाम जिनके खिलाफ शिकायतें प्राप्त हुई है तथा उनके खिलाफ क्या कार्यवाही की गई, विवरण दर्शाते हुए सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

जिला टौंक में ग्राम पंचायत, पंचायत समिति एवं जिला परिषद में कार्यरत कर्मचारियों, अधिकारियों के विरूद्ध शिकायतों के आरोप भ्रष्टाचार एवं पद के दुरुपयोग की जो शिकायतें पंचायत समिति, जिला परिषद, पंचायत राज विभाग या राज्य सरकार के स्तर पर विचाराधीन है, उनके विरुद्ध की गई कार्यवाही से संबंध के विवरण की सूची सदन के पटल पर रख दी गई है।

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

(202)

परिशिष्ट–3

अतारांकित प्रश्न संख्या 263 का विवरण

परिशिष्ट–"क"

AUGMENTIOM OF SOURCE FOR PIPED WATER SUPPLY SCHEME SINSINI REGIONAL WATER SUPPLY SCHEME POOTH ASTHAWAN AND REGIONAL WATER SUPPLY SCHEME SABORA ENCHAIRA.

GENERAL ABSTRACT OF COST

S.No.	PARTICULARS	AMOUNT
1.	Provision for construction of 16 Nos. shal low tube wells 250 mm dia 6o mt. deep.	14,40,000.00
2.	Provision for providing laying and jointing of A.C. pressure piye class 10 Rising Main 250 mm.	20,42,000.00
3.	Provision for pumping machinery at CWR and tudewells.	3,70,000.00
4.	Provision for RCC CWR capacty 4.00 caclit.	4,00,000.00
5.	Provision for civjl works.	4,90,000.00
6.	Provision on for power transmission with 11 KV Sub-Station.	3,40,000.00
7.	Provision for land acquisition.	25,000.00
	Total :	51,07,000.00
	And. 4–½ Contingency & Supervision on charges	2,29,815.00
	Total :	53,38,815.00
	Add. 11% prorata charges	5,87,050.00
	Total Rs.	59,23,865.00
	Say :	59.00 lacs

(२०)

परिशिष्ट-"ख"

AUGMENTION OF SOURCE FOR PIPED WATER SUPPLY SCHEME SINSINI REGIONAL WATER SUPPLY SCHME POOTH ASTHAWAN AND REGIONAL WATER SUPPLY SCHEME SABORA ENCHAIRA.

PARTICULARS OF SCHEME

1. Name of Scheme : Auflmentation of Source of piped W.S.S. Sinsini, Reg. WSS Pooth Asthawan phase I Reg. WSS Sabora Enchairs.

POPULATION

2.	As per 1981 census	22589 souls.
3.	Design population demand	40 80
4.	As per capita demand	40 LPCD
5.	Daily Demand	1524 KLD
6.	SOURCE	
	Type of source	Deep tube wells
7.	No. of tubewells	16 Nos. at Jatali Thoon
8.	C.W.R. Capacity	4.00 lac. litre.
9.	Pumping Machinery	C/F and Sub-pumpsets.
10.	Source of power	Electricity
11.	Rising Main	250 mm A.C. Pressure pipe class-10
12.	Total cost of the scheme	Rs. 59.00 lacs.

13. Villages proposed to be covered :—

S.No.	NAME OF VILLAGE	TEHSLIL	CODE NO.
1.	Jatoli Thoon	Deeg	91
2.	Bantlooti	Deeg	94
3.	Janother	Deeg	99
4.	Sinsini	Deeg	108

204

1	2	3	4
5.	Ankholi	Deeg	101
6.	Usrani	Kumher	4
7.	Bartai	Kumher	5
8.	Jhangeorpur	Kumher	7
9.	Pichumar	Kumher	40
10.	Ram Nagar	Kumher	39
11.	Therawar	Kumher	3
12.	Kurwara	Kumher	1
13.	Lanki	Kumher	2
14.	Sabora	Kumher	43

परिशिष्ट–4

अतारांकित प्रश्न संख्या 267 का विवरण

परिशिष्ट–"क"

उपखण्ड–III, स. माधोपुर द्वारा सड़कों पर पटरी की सुरक्षा हेतु मिट्टी के कार्य पर व्यय राशि का विवरण :—

क्रम संख्या	सड़क का नाम	कार्य की कुल लागत	व्यय राशि
1.	13 एम.एम.पी.एम.सी. एवं बर्मस रिपेयर कार्य मई कलां गण्डावर सड़क कि.मी. 1,2, 3 एवं 4 जोब नं.–186/3054/91–92	4,00,000	24,566
2.	प्रीकोटेड चिप्स का कार्य खण्डार बालेर सड़क कि.मी. 1 से 5 जोब नं.–5/3054/91–92	2,50,000	39,748

1	2	4	3
3.	प्रोकोटेड चिप्स कार्य सम्पर्क सड़क चौथ का बरवाड़ा कि.मी. 3 से 12 जोब नं.–6/3054/91–92	5,00,000	1,29,398
4.	हैवी पेच रिपेयर मय प्रोकोटेड चिप्स टोडरा फलौदी सड़क कि.मी. 0/0 से 4,6,7,8 9,13 एवं 14 जोब नं.–2/3054/91–92	6,30,000	1,21,881

परिशिष्ट–5

अतारांकित प्रश्न संख्या 269 का विवरण

परिशिष्ट "अ"

क्र. सं.	सड़क का नाम	मुआवजा राशि	दिनांक अवार्ड	भुगतान जो कर दिया गया	शेष मुआवजा राशि जिसका भुगतान किया जाना शेष है।	
	खण्ड प्रथम, भरतपुर					
1.	रूपवास से जटमासी सड़क	9,00,770.00	11-4-92	—	9,00,770.00	
2.	कैलादेवी मिलकपुर सड़क	4,91,855.00	21-1-91	—	4,91,855.00	—"—
3.	घाटोली मेरथा सड़क	41,860.00	20-12-90	—	41,860.00	—"—
4.	बयाना तालचिडि सड़क	2,87,419.00	26-7-78	1,86,683.25	1,00,735.75	—"—
5.	वैर से हतौडी सड़क	1,41,869.50	12-8-80	1,10,937.00	30932.50	—"—
6.	वैर से हलैना	2,65,264.50	5-1-90	2,47,242.00	18,022.50	—"—
		2,14,760.00	5-1-90	—	2,14,760.00	—"—
7.	भुवासर से रणधीरगढ़	87,505.00	29-11-82	75,625.00	11,880.00	—"—
8.	हन्तरा ललिता मूडिया	2,29,320.00	4-8-80	1,97,325.00	31,995.00	—"—
	वैर सड़क	3,87,612.00	3-1-91		3,87,612.00	—"—
9.	भुसासर दोदली सड़क	76,752.50	19-4-83	37,035.00	19,717.50	—"—
		31,24,987.50		8,74,847.25	22,50,140.25	

I

1	2	3	4	5	6	7
	खण्ड–द्वितीय भरतपुर					
1.	कुम्हेर से पपरेरा	10,70,458.00	29-9-86	1,50,000.00	9,20,458.00	—"—
2.	पहुंच मार्ग–साबौरा	4,90,940.00	19-9-91	—	4,90,940.00	—"—
3.	स्टेशन सड़क चौड़ाई का कार्य	89,250.00	13-7-89	—	89,250.00	—"—
		16,50,648.00		1,50,000.00	15,00,648.00	
	कुल योग	47,75,635=50		10,24,847.25	37,50,788.25	

परिशिष्ट–6

अतारांकित प्रश्न संख्या 271 का विवरण

विधान सभा क्षेत्र सपोटरा में चिकित्सा संस्थानों की सूची

1. ब्लाक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, हाड़ोती
2. प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, मण्डरायल
3. ,, ,, नारोलीडांग
4. ,, ,, कैला देवी
5. ,, ,, करणपुर
6. ,, ,, सपोटरा

उपकेन्द्र

(उच्चीकृत)	,, ,,
1. इनायती	22. जिरोता
2. चोडागांव	23. मरमदा
3. जोडली	24. मसावला
4. दोलतपुरा	25. करोड
5. बुगडार	26. बालोती
6. गुरदाई	27. मरतुन
7. गोठरा	28. शाहिर
8. नीदर	29. रोघाई
9. सलेमपुर	30. श्यामपुरा
10. माकरी	31. दंरगमा
11. शेखापुरा	32. रानीपुरा
12. लांगरा	33. मांग
13. किशरेरपुरा	34. नैनायाली
14. डाबरा	35. फतेहपुर
15. बुकंजा	36. आडाडूंगर
16. कुडगांव	
17. ऐंकड	
18. खोडला	
19. महमदपुर	
20. अमरगढ़	
21. बगीदा	

209

परिशिष्ट—7

अतारांकित प्रश्न संख्या 273 की सूची

राजस्थान स्टेट ब्रिज एण्ड कन्स्ट्रक्शन कारपोरेशन लिमिटेड, जयपुर।

निगम में जिन अभियन्ताओं ने पांच वर्ष की प्रतिनियुक्ति अवधि दिनांक 18·9·92 को पूर्ण कर ली है उनका विवरण निम्न प्रकार से है :—

क्र. सं.	नाम	पद	विभाग	विवरण
1.	श्री सुरेश ग्रोवर	अधिशाषी अभि.	सा. नि. वि.	
2.	श्री एस. एन. खुटेटा	अधिशाषी अभि.	सा. नि. वि.	
3.	श्री एन. के. गुप्ता	अधिशाषी अभि.	सा. नि. वि.	
4.	श्री आर. सी. कासलीवाल	,,	,, ,,	
5.	श्री एस. ऐ. सिद्दकी	,,	,, ,,	
6.	श्री एस. सी भार्गव	,,	,, ,,	
7.	श्री सी. के. बापना	,,	,, ,,	
8.	श्री सुरेश माथुर	सहा. अभि.	सिंचाई विभाग	प्रतिनियुक्ति से वापिसी आदेश जारी किये जा रहे हैं।
9.	श्री एस. एल. शर्मा	सहा. अभि. (विद्युत)	सा.नि.वि.	
10.	श्री पी. के. जैन	सहा. अभि.	सा. नि. वि.	
11.	श्री जी. एस चौहान	,,	,, ,,	
12.	श्री एस. सी. अग्रवाल	क. अभि.	सा. नि. वि.	प्रतिनियुक्ति से पैतृक विभाग में वापिस भेजने के आदेश जारी कर दिये गये हैं।
13.	श्री एच. एल. सिहाग	,,	,,	
14.	श्री डी. एल. खर्डी	,,	,,	
15.	श्री अजय सिंह	,,	,,	
16.	श्री डी. आर. अरोड़ा	,,	,,	
17.	श्री पी. के. अग्रवाल	,,	,,	
18.	श्री वी. के. गुप्ता	,,	,,	
19.	श्री ऐ. के. नाग चौधरी	,,	,,	
20.	श्री वी. एम. तिलवारिया	,,	,,	

1	2	3	4	5
21.	श्री प्रतीक्ष माथुर	,,	,,	
22.	श्री एस. के. सैनी	,,	,,	
23.	श्री बी. एस. यादव	,,	,,	
24.	श्री के. के. गंगल	,,	,,	
25.	श्री आर. पी. गुप्ता	क. अभि.	सिचाई विभाग	मुख्य अभियन्ता, सिंचाई विभाग को इनकी वापिसी के लिए लिख दिया गया।

परिशिष्ट–8

अतारांकित प्रश्न संख्या 277 का विवरण

परिशिष्ट–"क"

जिला सवाई माधोपुर में वर्ष 90 से 92 तक वृक्ष लगाने हेतु स्वीकृत बजट प्रावधान एवं व्यय का मदवार विवरण

मद	वर्षवार स्वीकृत बजट प्रावधान(लाख रू. में)			वर्षवार व्यय राशि(लाख रू.)		
	90-91	91-92	92-93	90-91	91-92	92-93
सिल्वी पेस्ट्रोरल योजना	9-0	6-07	0-50	9-39	5-72	-09
बीहड़ सुधार कार्यक्रम	137-44	36-65	33-35	117-00	60-62	–
राष्ट्रीय सा. वा. परि.	61-23	100-78	56-58	60-67	91-50	27-35
खनन क्षेत्रों में पर्यावरण	–	0-70	–	–	0-69	–

211

1	2	3	4	5	6	7
ईंधन वृक्षा. योजना	16–26	79–90	49–78	15–31	70–16	12–61
जवाहर रोजगार योजना	3–05	2–68	–	3–12	2–94	–
सूखा प्रणत क्षेत्र कार्यक्रम	19–50	31–94	10–88	18–61	18–09	0–58
हवाई बीजा रोपण	–	11–70	–	–	11–70	–

परिशिष्ट–"ख"

टोडाभीम एवं नादौती में 90 से 92 तक लगाये गये एवं जीवित पौधों का किस्मवार विवरण

(1) तहसील नादौती | तहसील टोडाभीम

किस्म	लगाये गये पौधों की संख्या	जीवित पौधों की संख्या	लगाये गये पौधों की संख्या	जीवित पौधों की संख्या
1. जूलीफलोरा	449725	263515	94075	73782
2. देशीबबूल	46500	25544	92408	61685
3. रोंझ	3500	1520	—	—
4. खेजड़ी	8550	4210	—	—
5. टोर्टलिस	94180	69369	71780	38570
6. खेर	5800	2585	—	—
7. जंगल जलेब	350	70	—	—
8. शीशम	200	40	3500	1967
9. कुमठा	24500	11975	—	—
10. नीम/अरडू	610	605	4137	1485
11. पीपल	85	80	—	—
12. बेर	500	500	1150	1029
13. चुरेल	—	—	850	560
14. सेमल	—	—	1600	1136
15. केशियास्यामिया	—	—	5600	3500

(213)

परिशिष्ट-9

अतारांकित प्रश्न संख्या 280 की सूची

सहायक अभियन्ता, सांचौर के अधीनस्थ ग्रामों में लम्बित घरेलु आवेदन पत्रों की संख्या सूची

क्र.सं.	गांव का नाम	बकाया पत्रावलिया	क्र. सं.	गांव का नाम	बकाया पत्रावलिया
1.	छजारा	14	26.	बिजरोल	6
2.	गुन्दाऊ	22	27.	अरणाय	15
3.	दाता	28	28.	भाब	17
4.	नैनोल	28	29.	सीलू	32
5.	लुनियासर	11	30.	करावड़ी	18
6.	बरवल	2	31.	बलाना	2
7.	डेडवा	29	32.	खिरोडी	11
8.	गोलासन	110	33.	जोधावास	3
9	जाखल	67	34.	अलवर	16
10.	चारणीम	43	35.	घुड़वा	11
11.	हाड़ेतर	13	36.	गोमी	4
12.	बिछावाड़ी	163	37.	ईसरोल	47
13.	किलवा	7	38.	पाचला	8
14.	हरियाली	34	39.	तैतरोल	4
15.	मादरणा	2	40.	सिवाड़ा	18
16.	मालवाड़ा	6	41.	बावरला	11
17.	परावा	22	42.	गुण्डाऊ	38
18.	पालरी	6	43.	केरिया	19
19.	बगसडी	7	44.	सांचौर	125
20.	पाछेला	23	45.	हाड़ेचा	75
21.	रणोदर	22	46.	हेमा गुडा	241
22.	भूतेल	9	47.	लियादरा	2
23.	लाछड़ी	5	48.	ईटादा	1
24.	खितलवाना	60	49.	रामपुरा	9
25.	चौहरा	56	50.	रतनुपुरा	6

1	2	3	4	5
51.	कोड	4	61. अगार	18
52.	घोटडा	58	62. बडसम	1
53.	निम्बाऊ	5	63. आमली	97
54.	पहाड़पुरा	29	64. गरडाली	1
55.	वणदेव	1	65. चारखेड़ी	36
56.	बमल	3	66. दालर	36
57.	कुडा	1		
58.	पालडी देवडा	1		
59.	पँथ नेडा	11		
60.	चमारखा	60		
			योग–	1882

परिशिष्ट–10

अतारांकित प्रश्न सख्या 282 की सूची

बस्तियों में ट्रांसफार्मर की निम्न प्रकार सूची

1.	महारानी फार्म	100 के.वी.ए.
2.	शांती नगर	100 के.वी.ए.
3.	पृथ्वीराज नगर	100 के.वी.ए.
4.	एग्रीकल्चर फार्म	100 के.वी.ए.
5.	त्रिवेणी नगर	100 के.वी.ए.
6.	त्रिवेणी नगर	100 के.वी.ए.
7.	मुन्नालाल गोयल फार्म के पास	100 के वी.ए.
8.	गोपालपुरा	100 के.वी.ए.
9.	त्रिवेणी मेन रोड (गोपालपुरा)	100 के.वी.ए.
10.	महेश नगर विस्तार	100 के.वी.ए.
11.	गणेश नगर	100 के.वी ए.

215

12.	महेश नगर	250 के.वी ए.
13.	महेश नगर	315 के.वी.ए.
14.	अर्जुन नगर	250 के.वी.ए.
15.	अशोक बिहार विस्तार	100 के.वी.ए.
16.	पुष्पांजली कालोनी	100 के.वी.ए.
17.	दुर्गीराव जी का बाग	200 के.वी.ए.
18.	बजरंग बिहार (भागीरथ नगर)	315 के.वी.ए.
19.	कजोड़ कालोनी	

इनमें से निम्न ट्रांसफार्मर क्षतिग्रस्त हुये व बदलवाये गये :–

1.	महेश नगर	100 के.वी.ए.	15-5-92	15-5-92
2.	गोपालपुरा	100 के.वी.ए.	27-6-92	17-6-92

परिशिष्ट–11

अतारांकित प्रश्न संख्या 283 की सूची

सांचौर उप–खण्ड में कार्यरत कर्मचारियों की सूची (1992–93)

क्रम सं.	कर्मचारी का नाम	पद
1.	श्री सी. पी. पिड़वा	सहायक अभियन्ता
2.	" कैलाश सिंह कर्णावट	कनिष्ठ अभियन्ता
3.	" अमरसिंह	आर्टशियन द्वितीय
4.	" अब्दुल खान	लाईन मैन ,,
5.	" बाबूलाल	"

Page No. 217

क्रम सं.	कर्मचारी का नाम	पद
6	श्री विजयसिह	सहायक प्रथम
7.	" विरधाराम	वाहन चालक
8.	" सुनील कुमार	इलेक्ट्रीशियन द्वितीय
9.	" रतनलाल	सी.सी.ए.-III
10.	" दुर्गाराम	सहायक द्वितीय
11.	" गवरीदास	सहायक द्वितीय
12.	" खीमाराम	"
13.	" भगवानाराम	"
14.	" लाधुराम	"
15.	" करशनराम	"
16.	" माखंराराम, हरजी	"
17.	" मोहनलाल	"
18.	" जेठाराम	"
19.	" तगाराम	"
20.	" बुद्धाराम	"
21.	" परखाराम	"
22.	" सेवाराम	"
23.	" गंगाराम	"
24.	" रतनाराम	"
25.	" विरधाराम	"
26.	" जोगाराम	"
27.	" किसनाराम	"
28.	" बसन्तदेव	"
29.	" जेठाराम	
30.	" किसनाराम	"
31.	" मानाराम	"
32.	" भूराराम	"
33.	" खुमेसिह	"
34.	" रामाराम	"
35.	" चैनाराम	"
36.	" मानाराम	

217

क्रम सं.	कर्मचारी का नाम	पद
37.	श्री चैनाराम	सहायक द्वितीय
38.	" बाबूलाल	"
39.	" दुर्गाराम	"
40.	" ईश्वरसिंह	"
41.	" देदाराम	"
42.	" रावन्तसिंह	"
43.	" बाखराराम	"
44.	" बंसीसिंह	वाहन चालक

ह०
प्राविधिक सहायक (जिला-वृत)
प्रशिक्षण अभियन्ता,
रा.रा.वि. मण्डल, जोधपुर (राज.)

परिशिष्ट 12

अतारांकित प्रश्न संख्या 286 का विवरण

सारणी (क)

(1) विशेष खाद्यान्न उत्पादन कार्यक्रमः–

इस योजना के अन्तर्गत कृषकों को प्रशिक्षण दिये गये तथा उन्हे विभिन्न विधियों तथा योजनाओं को अपनाने के लिए प्रेरित किया गया है। विभिन्न प्रकार के प्रदर्शनों के माध्यमों से मिनिकिट वितरण से विभिन्न फसलों की उन्नत किस्मों के प्रदर्शन अधिक उत्पादन प्राप्त करने के उद्देश्य से विभागीय सिफारिश के अनुसार आदानों का प्रयोग, मिट्टी परीक्षण के आधार पर उर्वरक का प्रयोगशाला की सिफारिश अनुसार प्रयोग के लिए रबी एवं खरीफ में मिट्टी एवं पानी के नमूने लिये गये है।

(2) जल बजट कार्यक्रम:–

जल बजट कार्यक्रम के माध्यम से जहां कृषकों को सिंचाई की उन्नत विधियों का प्रशिक्षण दिया गया है साथ ही सीमेन्ट की नालियां, पाइप लाइन एवं फव्वारा सिंचाई उपकरण अनुदान पर उपलब्ध कराये जा रहे है ताकि बचाये गये जल से अधिक क्षेत्र में सिंचित फसलें ली जा सकें।

(3 उद्यान विकास:–

डी. डी. पी. कार्यक्रम के अन्तर्गत फलदार पौधों के बगीचों की स्थापना के लिए ग्राफटेड, बेर, नीम्बू एवं अनार के उन्नतजाति के 43,565 पौधे जिनकी लागत 3,18,133/रू. है। निःशुल्क वितरण किये गये है। इसी प्रकार विशेष कम्पोनेन्ट योजना के अन्तर्गत नींबू व अनार के 2,175 पौध अनुसूचित जाति के कृषकों को वितरण किये गये है। बेर बडिंग कार्यक्रम के अन्तर्गत अब तक लगभग 850 बेरडियो पर सेव एवं गोला जाति के बेरों की कलम चढाई गई है।

(4) मसाला विकास कार्यक्रम.–

इस योजना के अन्तर्गत जीरे की अधिक पैदावार प्राप्त करने हेतु तथा जीरे की खेती को बढ़ावा देने के लिए 80 प्रतिशत अनुदान पर पौध संरक्षण रसायन उपलब्ध कराये गये। इसके अतिरिक्त 2 हैक्टर क्षेत्र के प्रदर्शन आयोजित किये गये जिनमें से वर्ष 1990–91 में सिवाना एवं सिणदरी क्षेत्र में 6,696/रू. खर्च किये गये तथा वर्ष 1991–92 में 23,274 रू. व्यय किये गये।

(5) शुष्क खेती कार्यक्रम:–

इस योजना के अन्तर्गत सिवाणा क्षेत्र में वर्ष 1989–90 में कमिटेड कार्य के तहत 22, गांवों में खडीन का कार्य कराया गया तथा वर्ष 90–91 में 18, गांवों में नये खडीन कार्य कराये गये एवं वर्ष 91–92 में 4, गांवों में खडीन कार्य कराया गया है तथा सिणदरी क्षेत्र में वर्ष 89–90 में 4, गांव तथा 90–91 में 4, गांव, 91–92 में 3 गांवों में खडीन कार्य कराया गया है।

.9c

(219)

विधान सभा क्षेत्र सिवाना, सिणदरी (बाडमेर) के गांवों की सारणी (ख)

क्र.सं.	गांव का नाम	क्र.सं.	गांव का नाम
1.	समदड़ी	34.	मोकलसर
2.	रानी देशीपुरा	35.	पादरू
3.	मानावास	36.	घरी
4.	करमावास	37.	धीरा
5.	देवलीयारी	38.	भागवा
6.	देवड़ा	39.	तेलवाड़ा
7.	सिलोर	40.	बालू
8.	जेठन्तरी	41.	काठाड़ी
9.	मजल	42.	गुड़ानाल
10.	रामपुरा	43.	कमों का बाड़ा
11.	फूलण	44.	लाखेटा
12.	अजीत	45.	खेजड़ीयाली
13.	चारणों का बाड़ा	46.	सुईली
14.	पातों का बाड़ा	47.	लालना
15.	कोटड़ी	48.	मोखण्डी
16.	लालीया	49.	बुई
17.	गोदो का बाड़ा	50.	सावरड़ा
18.	सिवाणा	51.	भति
19.	बामसीन	52.	तिरगटी
20.	मियों का बाड़ा	53.	चिरडिया
21.	खरण्टीया	54.	सुमुजा
22.	कलाबास	55.	अम्बा का बाड़ा
23.	बुड	56.	मोतीसरा
24.	दरबला	57.	डाबली
25.	कुसीप	58.	ढीढस
26.	थापन	59.	माटा
27.	मेली	60.	गुगरोट
28.	देवन्दी	61.	पिपलुन
29.	धारणा	62.	सिण्दरी
30.	गोलिया	63.	इन्द्राणा
31.	मिठोडा	64.	पऊ
32.	कुण्डला	65.	मवड़ी
33.	राखी		

परिशिष्ट–13

अतारांकित प्रश्न संख्या 297 का विवरण

जिला नागौर के अध्यापकों के स्वीकृत, कार्यरत रिक्त पदों की स्थिति

क्र. सं.	पं. स. का नाम	विद्यालय सं.	स्वीकृत पद सामान्य योजना	स्वीकृत पद श्याम पट्ट योजना	कार्यरत अध्यापक सामान्य योजना	कार्यरत अध्यापक श्याम पट्ट योजना	रिक्त पद सामान्य योजना	रिक्त पद श्याम पट्ट योजना
1.	जायल	108	193	120	158	60	35	60
2.	मूण्डवा	93	183	59	164	—	19	59
3.	रियां	99	215	45	184	30	31	15
4.	डेगाना	129	220	88	204	—	16	88
5.	परबतसर	92	224	94	168	47	56	47
6.	मकराना	91	135	98	119	52	16	46
7.	कुचामन	134	277	100	235	50	42	50
8.	नागौर	117	224	71	173	—	51	71
9.	मेड़ता	83	180	43	146	—	34	43
10.	लाडनूं	81	142	88	115	54	27	34
11.	डीडवाना	148	210	160	187	122	23	38
	योग	1175	2203	966	1853	415	350	551

पदों की रिक्तियों का वर्ष

89-90—12/, 90-91—209/, 91-92, 92-93—680 योग 901 (15 सितम्बर 92 तक)

परिशिष्ट 'ग्र'

परिशिष्ट–14

अतारांकित प्रश्न संख्या 301 की सूची

राजस्थान सरकार

कार्यालय सहायक खनि. अभियन्ता, खान एवं भू विज्ञान विभाग, बाड़मेर

विधान सभा क्षेत्र सिवाना, सिणधरी (बाड़मेर) में मै० स्टोन के वर्ष 1989 से स्वीकृत खनन् पट्टों की सूची

क्र. सं.	खनन पट्टेधारी का नाम	खनिज	क्षेत्र	ग्राम	मृतक भाटक	अवधि
1.	श्री देवीलाल माणक जी	मै० स्टोन	100×100	पदारली	3000	1-9-90 से 31-8-2000
2.	,, तनसिंह दलपतसिंह	—,,—	100×100	,,	3000	13-12-91 से 12-12-2001
3.	,, पोलाराम प्रयागाराम	—,,—	100×100	,,	3000	16-12-91 से 15-12-2001
4.	,, कस्तूराराम खेमाजी मेघवाल	—,,—	100×000	सिवाना	3000	8-6-92 से 7-6-2002

ह.

सहायक खनि अभियन्ता

खान एवं भू विज्ञान विभाग

बाड़मेर

222

परिशिष्ट–ब

राजस्थान–सरकार

कार्यालय सहायक खनि अभियन्ता, खान एवं भू विज्ञान विभाग, बाड़मेर

विधान सभा क्षेत्र सिवाना (बाड़मेर) में वर्ष 1989 से 1992 तक खनिज ग्रेनाईट के स्वीकृत खनन् पट्टों की सूची

क. सं.	खनन् पट्टेधारी का नाम	क्षेत्रफल वर्गमीटर	क्षेत्र	तहसील	अवधि	मृतक भाटक
1.	श्री मनोहर सिह	100×100	पीपलून	सिवाना	28-12-89 से 27-12-99	6,500·00
2.	,, भवानी सिह	100×100	पीपलून	—,,—	19-6-89 से 18-6-99	6,500·00
3.	,, गोविन्द सिह	100×100	—,,—	—,,—	19-6-89 से 18-6-99	6,500·00
4.	,, रिडमल सिह	100×100	—,,—	—,,—	27-3-90 से 26-3-2000	6,500·00
5.	,, कल्याण सिह	100×100	—,,—	—,,—	19-6-90 से 18-6-2000	6,500·00
6.	,, मानमल सिंघवी	100×100	—,,—	—,,—	22-8-91 से 21-3-2001	6,500·00
7.	,, मागमल सिंघवी	100×100	—,,—	—,,—	5-4-91 से 4-4-2001	6,500·00
8.	,, धन्नाराम कुम्भाराम पटेल	100×100	—,,—	—,,—	27-3-91 से 26-3-2001	6,500·00
9.	,, मती संतोष देवी शर्मा	100×100	गुडानाथ	—,,—	4-12-89 से 3-12-99	6,500·00
10.	,, मती संतोष देवी शर्मा	100×100	—,,—	—,,—	4-12-99 से 3-12-99	6,500·00
11.	,, अशोक गुप्ता	100×100	—,,—	—,,—	4-12-89 से 3-12-99	6,500·00
12.	,, अशोक गुप्ता	100×100	—,,—	—,,—	4-12-89 से 3-12-99	6,500·00
13.	,, उकाराम धूडाराम	100×100	नालगुडा	—,,—	14-12-89 से 13-12-99	6,500·00
14.	,, चौथसिह शंकरसिह	100×100	—,,—	—,,—	23-12-88 से 22-12-99	6,500·00
15.	,, मुकुन्दशरण गोयल	100×100	—,,—	—,,—	15-3-91 से 14-3-2001	6,500·00
16.	,, मती रेखा गोयल	100×100	—,,—	—,,—	15-3-91 से 14-3-2001	6,500·00
17.	,, नत्थू खां ईमाम खां	100×100	धीरा	—,,—	27-6-90 से 26-6-2000	6,500·00
18.	,, मुसे खां उस्मान खां	100×100	सिणेर	—,,—	3-9-90 से 2-9-2000	6,500·00
19.	,, दिनेशराज बोहरा	100×100	लुदराडा	—,,—	10-1-92 से 9-1-2002	6,500·00
20.	,, धूडाराम वरदाराम	100×100	—,,—	—,,—	31-12-90 से 30-12-2000	6,500·00
21.	,, पारसमल जैन	100×100	—,,—	—,,—	9-1-91 से 8-1-2001	6,500·00
22.	,, मती ललिता देवी	100×100	—,,—	—,,—	19-9-89 से 18-9-99	6,500·00
23.	,, मती कमलेश गोयल	100×100	—,,—	—,,—	21-8-91 से 20-8-2001	6,500·00

1	2	3	4	5	6	7
24.	श्री जयन्तीलाल बागरेचा	100×100	लुदराड़	सिवाना	7-2-92 से 6-2-2002	6,500·00
25.	,, मती सुशीला चोपडा	100×100	—,,—,,	—,,—	13-4-92 से 12-4-2002	6,500·00
26.	,, कृष्ण देव सिंह चारण	100× 00	—,,—,,	—,,—	15-7-92 से 14-7-2002	6,500·00
27.	,, जयन्तीलाल बागरेचा	100×100	बालू	—"—	13-4-92 से 12-4-2002	6,500.00
28.	,, मनीष दयाल रविंदयाल	100×100	फूलन	—"—	18-2-92 से 17-2-2002	6,500.00
29.	,, मनीष दयाल रविंदयाल	100×100	फूलन	—"—	18-4-92 से 17-2-2002	6,500.00
30.	,, मति मंजू चौपड़ा	100×100	फूलन	—"—	1-4-92 से 31-3-2002	6,500.00
31.	,, राजीव चौधरी	100×100	फूलन	—"—	20-1-92 से19-1-2002	6.500.00
32.	,, मती हरकीदेवी	100× 00	फूलन	—"—	15-2-92 से14-2-2002	6,500.00
33.	,, बाबूलाल चौधरी	100×100	फूलन	—"—	23-1-92 से22-1-2002	6,500.00
34.	" मती रुकमणदेवी	100×100	—"—	—"—	10-2-92 से 9-2-2002	6500.00
35.	" मती रेखा गोयल	100×100	—"—	—"—	15-3-91 से 14-3-2002	6,500.00
36.	" राजस्थान स्टोन कम्पनी	100×100	—"—	—"—	24-7-90 से23-7-2000	6,500.00
37.	" फकीर मोहम्मद	100×100	राखी	—"—	15-6-89 से 15-9-99	6,500.00
38.	" नरसिंगाराम	100×100	—"—	—"—	15-9 89 से 18-12-99	6,500.00
39.	" सफी मोहम्मद	100×100	—"—	—"—	19-12-89 से18-12-99	6,500.00
40.	" नरपतसिंह दौलत सिंह	100×100	—"—	—"—	30-3-90 से29-3-2000	6,500.00
41.	" ओमप्रकाश नागर	100×100	देवड़ा	—"—	6-3-90 से5-4-2000	6,500.00
42.	" महावीर प्रसाद गोयल	100×100	—"—	—"—	15-3-91 से 4-3-2001	6,500.00
43.	" संजय गोयल	100×100	—"—	—"—	15-3-91 से14-3-2001	6,500.00
44.	" बसन्त काबरा	100×100	—"—	—"—	10-2-92 से9-2-2002	6,500.00
45.	" महावीर प्रसाद अग्रवाल	100×100	—"—	—"—	15-3-91 से14-3-2001	6,500.00

ह०

सहायक खनि. अभियन्ता,
खान एवं भू-विज्ञान विभाग, बाड़मेर

224

शुद्धि पत्र

शुक्रवार, 25 सितम्बर, 1992

क्रम संख्या	पंक्ति संख्या	स्कम्भ संख्या	अशुद्ध	शुद्ध
1.	20	82	मामान्य	सामान्य
2.	1	103	ऊर्जा मत्री	ऊर्जा मंत्री
3.	14	114	लि ट	लिफ्ट
4.	29	152	श्री बिरदाराम चौधरी	श्री बिरधारामचौधरी
5.	1	153	,, ,, ,, ,,	,, ,, ,,
6.	7	153	,, ,, ,, ,,	,, ,, ,,
7.	7	157	श्री हेतराम बनीवाल	श्री हेतराम बेनीवाल
8.	27	190	श्री रतन लाल जाट	डा. रतन लाल जाट
9.	1	191	श्री रतनलाल जाट	,, ,, ,,
10.	23	224	श्री कालूलाल गूजर	श्री कालू लाल गुर्जर
11.	25	224	श्री विरधाराम चोधरी	श्री बिरधाराम चौधरी
12.	22	229	श्री कालूलाल गूजर	श्री कालू लाल गुर्जर
13.	11	230	श्री कालूलाल गूजर	,, ,, ,,
14.	1	231	,, ,, ,,	,, ,, ,,
15.	22	231	,, ,, ,,	,, ,, ,,
16.	28	231	,, ,, ,,	,, ,, ,,
17.	1	233	,, ,, ,,	,, ,, ,,
18.	27	235	,, ,, ,,	,, ,, ,,
19.	24	237	,, ,, ,,	,, ,, ,,
20.	12	239	,, ,, ,,	,, ,, ,,
21.	8	243	श्री कृष्ण कुमार गोयला	श्री कृष्ण कुमार गोयल
22.	19	248	रालस्व ग्रामों	राजस्व ग्रामों
23.	फोलियो	259	सूवना	सूचना
24.	1	301	(श्री वशीलाल पटवा)	(श्री बंशीलाल पटवा)
25.	4	354	(वैर)	(वैर)
26.	3	363	(मण्डल)	जहाजपुर
27.	20	98	(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट–8 देखें)	(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट–9 देखें)